गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

पोतनिर्माण में
उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता
की दिशा में अग्रसर

विषय सूची

निष्पादन का वर्ष	02
जीआरएसई के बारे में	03
पोत निर्माण	04
इंजीनियरिंग	06
डीज़ल इंजन संयंत्र	07
दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं मूल्य	08
वित्तीय वर्ष 22 की मुख्य बातें	10
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	12
निगमित सूचना	15
निदेशक मंडल	16
10 वर्ष की मुख्य वित्तीय बातें	18
प्रतिस्पर्धी ताकतें	20
जीआरएसई का पर्यावरण उत्तरदायित्व	22
निदेशक रिपोर्ट	23
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	63
निगमित शासन पर रिपोर्ट	71
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	97
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	109
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	119
तुलन पत्र	120
लाभ एवं हानि का विवरण	121
नकदी प्रवाह विवरण	122
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	124
वित्तीय टिप्पणियाँ	125
सूचना	178

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

लोकसभा / राज्यसभा के पटल
पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

निष्पादन का वर्ष

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,748 करोड़ रू. का अबतक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया, जो 54% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि को दर्शाता है। एक श्रम प्रधान उद्योग होने के बावजूद, कंपनी ने कोविड 19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और संचालन में प्रगति, आंतरिक क्षमता में लगातार सुधार किया। जीआरएसई ने वित्त वर्ष 20-21 में 3.85 रू. के मुकाबले वित्त वर्ष 21-22 के लिए 4.95 रू. प्रति इक्विटी शेयर 10 रू. के अंतरिम लाभांश की भी घोषणा की है, जो 28.57% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। शिपयार्ड एक शून्य-ऋण कंपनी भी है और मैसर्स ब्रिकवर्क से उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बरकरार रखा है।

+54%
कारोबार में वर्ष दर वर्ष की वृद्धि

₹24,000 करोड़ रू. की आदेश पुस्तिका
वर्ष 2027 तक राजस्व दृश्यता के साथ

2022 अवलोकन

गोलियाथ क्रेन का प्रवर्तीकरण

जीआरएसई मेन वर्क्स में ड्राई डॉक इंक्लाइंड बर्थ एवं मॉड्यूल हॉल को कवर कर रहे 250 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन प्रवर्तीकरण किया गया।

संध्याक जलावतरित

भारतीय नौसेना हेतु सर्वे वेसल (लार्ज) परियोजना के तहत चार पोतों की श्रृंख्ला का पहला सर्वे वेसल जलावतरित किया गया। समुद्री परंपराओं को कायम रखते हुए पोत का नाम "संध्याक" रखा गया।

एसएमपी कोलकाता के साथ समझौता

खिदिरपुर में तीन मौजूदा ड्राई डॉक के विकास एवं उपयोग हेतु कोलकाता में रक्षा एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में पोत मरम्मत एवं रिफिट के नए व्यावसायिक अवसरों के खोज के संबंध में।

रिपब्लिक ऑफ गुयाना के लिए वेसल

रिपब्लिक ऑफ गुयाना हेतु ओशन गोइंग वेसल का शिलान्यास किया गया।

इलेक्ट्रिक फेरी

अंतर्देशीय जल में यात्रियों के परिवहन हेतु पूर्ण विद्युत बैटरी चालित फेरी की अवधारणा डिजाइन विकसित किया गया।

जीआरएसई के बारे में

जीआरएसई भारतीय रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक प्रमुख पोत निर्माण कंपनी है, जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की पोत निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करती है। जीआरएसई एक विविध, लाभकारी और लाभांश देने वाली कंपनी है तथा युद्धपोत निर्यात करने एवं भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक को 100+ युद्धपोतों को सुपुर्द करने वाला देश का प्रथम शिपयार्ड है।

पोत निर्माण

जीआरएसई का पोत निर्माण प्रभाग मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए युद्धपोतों / जलयानों के निर्माण करता है। जीआरएसई में पोत निर्माण के लिए 3 पृथक केंद्र हैं तथा ये सभी एक दूसरे के निकट कोलकाता में हुगली नदी से जुड़े हुए है।

पोत निर्माण क्षमताएँ

- फ्रिगेट
- एंटी-सबमरीन वॉरफेयर कोर्वेट
- मिसाइल कोर्वेट
- लैंडिंग शिप टैंक
- लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी
- सर्वे वेसल
- फ्लीट रिप्लेनिशमेंट टैंकर
- फास्ट पेट्रोल वेसल
- ऑफशोर पेट्रोल वेसल
- इनशोर पेट्रोल वेसल
- डब्ल्यूजे-एफएसी
- होवर क्राफ्ट
- फास्ट इंटरसेप्टर बोट
- एंटी-सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट
- पैसेंजर कम फेरी कार्गो वेसेल

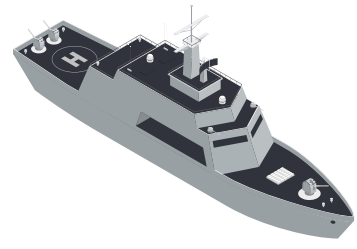

हमारा व्यवसाय

पोत निर्माण क्षमताएँ

मेन वर्क्स

मेन वर्क्स जीआरएसई के संचालन का केंद्र है। मेन वर्क्स का केंद्र बिंदु कोलकाता में स्थित एकीकृत पोत निर्माण सुविधा है। लगभग 48 एकड़ भूमि में फैली सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल है जिसमे 10,000 डीडब्ल्यूटी लॉचिंग क्षमता का एक ड्राई डॉक और 4,500 डीडब्ल्यूटी क्षमता का एक इंक्लाइंड बर्थ है। इन दोनों में पोर्टेबल शेल्टर भी है। इस संयंत्र में 200 टन तक के बड़े पूर्वनिर्मित ब्लॉक, ब्लास्ट और पेंट सेल, दो अतिरिक्त रिवर जेटी आदि के निर्माण के लिए मॉड्यूल हॉल भी शामिल है। 80 x 25 x 8 मीटर के पूरी तरह से ढके हुए गैर-ज्वारीय वेट बेसिन जिनमे 2 x 10 टन ईओटी क्रेन है जो मध्यम और छोटे पोतों के लिए उयोगी है और 160 x 25 x 8 मीटर ड्राई डॉक जिनमें 2 x 40 टन गोलियाथ क्रेन है जो पोतों के निर्माण और मरम्मत हेतु उपयोगी है। बिल्डिंग बर्थ का माप 180 x 25 मीटर है और यह 2 x 40/10 टन क्रेन और सहायक फैब्रिकेशन शॉप से सुसज्जित है।

दो (2) नदी जेटी जो 60 मीटर तक के जलयानों की बर्थिंग में सक्षम हैं और छोटे जलयानों की आउट-फिटिंग / मरम्मत के लिए अनुकूल हैं। अतिरिक्त सुविधाएं- फास्ट इंटरसेप्टर बोट के निर्माण के लिए बोट शेड। दो वातानुकूलित और आर्द्रता-नियंत्रित शॉप जिनकी छ: खण्डों वाली 18 से 40 मीटर तक की लंबाई है, जो 20 मीटर तक के क्राफ़्ट बनाने में सक्षम है।

फ़िटिंग आउट जेटी

फ़िटिंग आउट जेटी (एफओजे) कोलकाता, भारत में 18 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। यह पोतों की फ़िटिंग और मरम्मत के लिए समर्पित है। एफओजे यूनिट में निम्न सुविधाएं शामिल है: नेवल कॉम्प्लेक्स जेटी (229 x 10 x 8 मीटर, एक 25 टन टॉवर क्रेन के साथ), फिंगर जेटी (184.50 x 11.43 x 7 मीटर, एक 15 टन लेवल लफिंग क्रेन के साथ)। हालांकि मुख्यत: ये बड़े पोतों के लिए है परंतु हमारी एफओजे यूनिट छोटे,मध्यम और बड़े पोतों को फिट करने में सक्षम है। यहाँ एक साथ चार (4) बड़े पोतों को फिट किया जा सकता है।

राजाबगान डॉकयार्ड

राजाबगान डॉकयार्ड कोलकाता में 550 मीटर ओपन रिवर फ्रंट के साथ 31.15 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक साथ तीन (3) 50 मीटर-आकार के पोतों का प्री-लॉचं और चार (4) पोतों की पोस्टलॉन्च आउटफिटिंग ओपन रिवर के पास कर सकता है। राजाबगान डॉकयार्ड में सुविधाओं में एक (1) ड्राई डॉक शामिल है जो 4 मीटर तक के ड्राफ़्ट पोतो को समायोजित कर सकता है।

इंजीनियरिंग

हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन के उत्पादों और व्यापार में शामिल है पोर्टेबल ब्रिज, डेक मशीनरी मदें और मरीन पंप। वर्ष 1970 में जीआरएसई में इंजीनियरिंग डिवीजन की स्थापना मुख्य रूप से परिष्कृत डेक मशीनरी मदों के स्वदेशीकरण के लिए हुई थी।

निर्माण क्षमता

- पोर्टेबल ब्रिज
- डेक मशीनरी

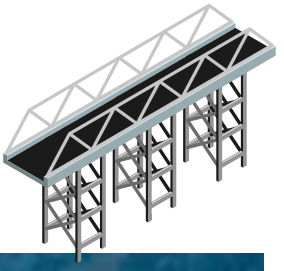

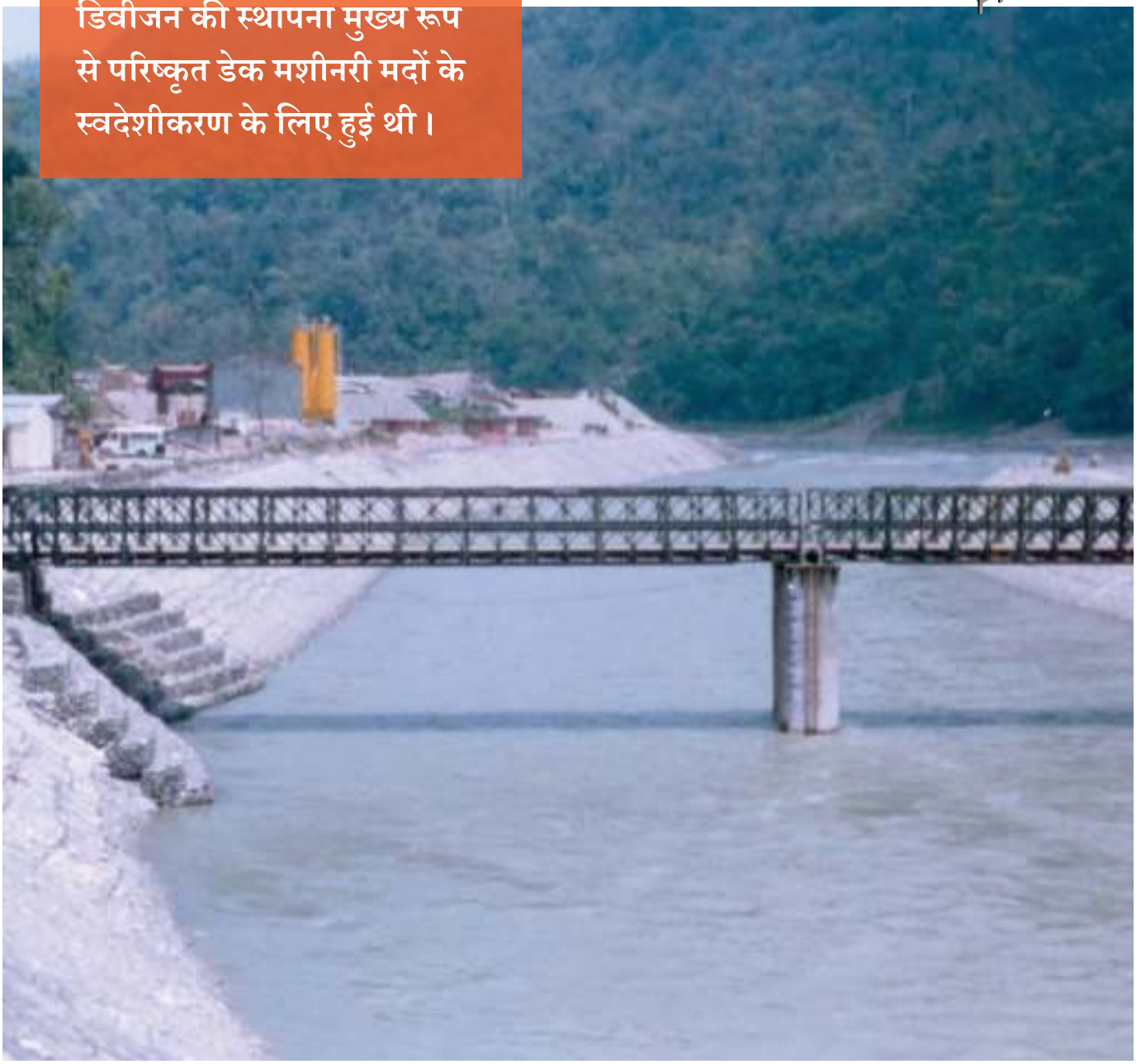

डीजल इंजन संयंत्र

रांची में स्थित डीजल इंजन प्लांट (डीईपी) मरीन प्रोपल्शन इंजनों के परीक्षण और ओवरहॉलिंग और डीजल इंजनों की सेमी नाक्ट डाउन इकाइयों की असेंबली में लगा हुआ है । यह प्रभाग एमटीयू 396-04; एमटीयू 4000; एमटीयू 1163; एवं एमटीयू 538 श्रेणी के डीजल इंजनों की आपूर्ति एवं ओवरहाल करता है । हमारे पास एमटीयू 12 वी/16 वी 4000एम90 इंजन की सेमी नॉक डाउन असेंबली और कुछ इंजन भागों के उत्पादन के लिए एमटीयू जर्मनी के साथ एक लाइसेंस समझौता भी है । डीईपी ने पी17ए हेतु 1एमडब्लयूए डीजल जनरेटर भी सफलतापूर्वक विकसित किया है ।

दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं मूल्य

2030 तक नवरत्न कंपनी बनना और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ भातीय शिपयार्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करना।

दृष्टिकोण

डिजाइन क्षमता में आत्मनिर्भर होना और अत्याधुनिक निर्माण प्रक्रिया को लागू करना।

प्रतियोगी मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण युद्धपोत बनाना, डिलीवरी के समय और उत्पाद समर्थन के मामले में ग्राहक की अपेक्षा को पूरा करना ।

ग्राहकों की संतुष्टि, उत्पाद नवोन्मेष, निर्यात संभावनाओं पर पकड़, कर्मचारी उद्देश्य, और अन्य हितधारक जुड़ाव तथा प्रतिभा विकास के माध्यम से निरंतर विकास प्राप्त करना।

भारत सरकार के पहल और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु संचालन के सभी क्षेत्रों मे "सुधार एवं परिवर्तन" का लाभ प्राप्त करना है।

लक्ष्य

मूल्य

निष्पक्षता

जीआरएसई अपने विक्रेताओं, स्वतंत्र ठेकेदारों, व्यापार भागीदारों और ग्राहकों को अपने साथ बार-बार व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम से स्वयं को निष्पक्ष व्यावहार की एक मजबूत प्रसिद्धि बनाना चाहता है। कंपनी अपने आंतरिक और बाहरी व्यवहार में पूर्ण पारदर्शिता लाने के पथ पर मजबूती से अग्रसर है।

उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर

कंपनी अपनी पिछली उपलब्धियों से संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहती अपितु वह लगातार बेहतर उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की कोशिश करती है, लगातार ग्राहक संतुष्टि में सुधार करती है, परिचालन क्षमता को उन्नत करती है और संगठन में सभी की उत्पादकता को बढ़ाती है। इस मूल्य पर जोर आंशिक रूप से निकट भविष्य में व्यापार की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक से प्रेरित है।

कर्मचारियों की कल्याण चिंता

कर्मचारी अपने करियर को पैसा कमाने के एक साधन से कहीं अधिक के रूप में देखते हैं। वे ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं जिसे सच में उनकी परवाह है। कर्माचारी चाहते हैं कि पर्यवेक्षकों उनके विचारों और चिंताओं को सुनें। वे चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा कैरियर मार्ग मले जिसमें वे सीखते रहें, नए कौशल प्राप्त कर सकें और संगठन के साथ आगे बढ़ सकें। संगठन के सभी स्तर के प्रबन्धक चाहते हैं कि उन्हें अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन प्रौद्योगिक,मानव संसाधनों और धन की आवश्यकता है, उनकी आपूर्ति की जाए। जीआरएसई की इस मूल्य प्रणाली को अपने भविष्य में भी जारी रखने की योजना है।

उदारता

उदारता का अर्थ है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य कंपनी की सफलता में भाग ले। पुरस्कार और मान्यता जीवन का एक अभिन्न अंग है, इससे कर्मचारी में प्रेरणा व निष्ठा बढ़ती है जिससे हम उच्च उत्पादकता की ओर अग्रसर होते हैं।

सामाजिक भागीदारी

जीआरएसई की योजना अपने प्रचालन स्थल के आस पास के समुदाय व समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखने की है।

नवोन्मेष

व्यापार में नवोन्मेषक लगातार उभरती हुई ग्राहक जरूरतों की तलाश कर रहे है और उन्हें पूरा करने के लिए सर्वोत्तम समाधान डिज़ाइन कर रहे हैं | नवोन्मेष द्वारा कंपनी अपने ग्राहकों के लिए नए जीवन मूल्य निर्मित करती है| निरंतर नवोन्मेष से निगम को बढ़ती प्रतिस्प्रधा में आगे बने रहने में मदद मिलती है क्योंकि वो प्रतियोगियों से पहले उभरते अवसरों का लाभ उठा पाते हैं | जीआरएसई ने इस मूल्य प्रणाली को अपने वर्तमान और भविष्य के कार्यों में दृढ़ता से लागू करने की योजना बनायीं गयी है |

वित्तीय वर्ष 22 की मुख्य बातें

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साथ समझौता ज्ञापन

सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी तरह का प्रथम, 27 डबल-लेन क्लास 70 मॉड्यूलर स्टील पुलों के आपूर्ति, निर्माण और लॉन्चिंग के लिए समझौता ज्ञापन।

आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 में दो पुरस्कार जीते

जीआरएसई को 11वें आईसीसी पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड्स के एक आभासी समारोह में सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी (विजेता) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस (उपविजेता) के श्रेणियों में दो प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

पोत मरम्मत पर जोर

जीआरएसई ने मॉरीशस सरकार के लिए सीजीएस बाराकुडा सहित कुल चार (4) पोतों की मरम्मत की है।

संध्याक जलावतरित किया गया

भारतीय नौसेना के लिए सर्वे वेसल (बड़े) परियोजना के तहत चार जलयानों की श्रृंखला में पहला सर्वे वेसल जलावतरित किया गया। समुद्री परंपराओं को कायम रखते हुए, जलयान का नाम "संध्याक" रखा गया।

एसएमपी कोलकाता के साथ समझौता

रक्षा और वाणिज्यिक क्षेत्रों की पोतों की मरम्मत एवं रिफिट संबंधी नए व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए खिद्दरपुर, कोलकाता के तीन मौजूदा ड्राई डॉक के विकास और उपयोग हेतु

गुयाना गणराज्य के लिए जलयान

गुयाना गणराज्य के लिए ओशन-गोइंग वेसल के लिए शिलान्यास किया गया। जलयान को पूरी तरह से जीआरएसई डिजाइन टीमों द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें 14 कारों, 02 ट्रकों और 14 कंटेनरों और कार्गो के साथ 294 यात्रियों (14 चालक दल के सदस्यों सहित) को समायोजित किया जा सकता है।

नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन

जीआरएसई ने उन्नत युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए यूरोपीय नौसेना रक्षा उद्योग में अग्रणी नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

आपकी कंपनी ने शिपयार्ड के इतिहास मे अब तक का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन किया है और वित्त वर्ष 2021- 22 के लिए ₹ 1,748 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है, जो 54% की सालाना वृद्धि को दर्शाता है | कर पश्चात लाभ पिछले वर्ष के ₹153.47 करोड़ की तुलना मे बढ़कर ₹189 करोड़ हो गया।

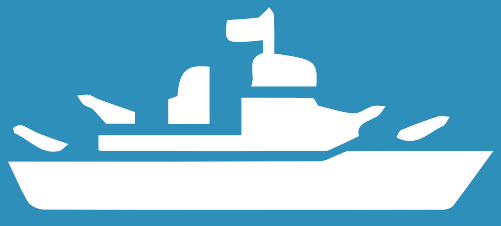

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आप सभी का 106वीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है, और वर्चुअल मोड में बैठक में भाग लेने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

कंपनी के शेयरधारकों के लिए यह मेरा पहला संबोधन है और मुझे ऐसा करते हुए वास्तव में खुशी हो रही है, यह देखते हुए कि यह एक विशेष अवसर है, क्योंकि हम भारतीय ‹आजादी का अमृत महोत्सव - अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने› का जश्न मना रहे हैं। शिपयार्ड के विकासोन्मुख होने और पोत निर्माण और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता में नए मानक स्थापित करने से विगत वर्षों में जीआरएसई की यात्रा शानदार रही है। जबकि ‹मेक इन इंडिया› का आह्वान पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में गूंज रहा है, तथापि “मेक इन इंडिया” पिछले 60 वर्षों से हमारे डीएनए में है और आज तक 107 युद्धपोतों सहित 788 समुद्री प्लेटफार्मों की डिलीवरी के साथ जीआरएसई आज युद्धपोत निर्माण में «आत्मनिर्भरता» का प्रतीक है।

इसके अलावा, हमारा विविध उत्पाद पोर्टफोलियो हमारी यूएसपी (अद्वितीय बिक्री बिंदु) है और यह हमें सभी सूचीबद्ध भारतीय पोत निर्माण यार्डों में बढ़त प्रदान करता है।

महामारी के परिणाम और उसके दुष्परिणामों को देखते हुए बीता वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर उच्च निर्भरता के साथ एक श्रम प्रधान उद्योग होने के बावजूद, कंपनी ने इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया और चपलता, व्यापार लचीलापन और दृढ़ संकल्प के साथ संचालन को आगे बढ़ाया, और वित्तीय और उत्पादन निष्पादन, दोनों के मामले में सफलतापूर्वक बाहर आया।

निष्पादन अवलोकन

आपकी कंपनी ने शिपयार्ड के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन किया है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1,748 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है, जो 54% की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। कर पश्चात लाभ पिछले वर्ष के ₹ 153 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 189 करोड़ हो गया। हमारे राजस्व और मार्जिन की विस्तृत समीक्षा निदेशकों की रिपोर्ट में विस्तृत है।

मुझे प्रसन्नता है कि आपकी कंपनी के बोर्ड ने चुकता पूंजी का 49.50% की दर से अंतरिम लाभांश अर्थात ₹ 4.95/- प्रति शेयर जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है, के अलावा इस वार्षिक आम बैठक में चुकता पूंजी के 8.50% अर्थात @ 0.85/- प्रति शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। आप के लिए यह भी उल्लेखनीय है कि आपकी कंपनी पिछले 29 वर्षों से लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है।

उत्पादन निष्पादन के मोर्चे पर भी महामारी की चुनौतियों के बावजूद हमने परियोजना माइलस्टोन हासिल किए हैं। दिसंबर 2021 में, चार सर्वेक्षण जलयानों (बड़े) में से पहला पोत 'भा. नौ. पो. संध्याक' लगभग 40% की प्रत्यक्ष निर्माण प्रगति के साथ जलावतरित की गई थी। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के लिए तीसरे पी-17ए पोत का शिलान्यास किया गया और इस प्रतिष्ठित परियोजना के तीनों पोतों का निर्माण सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, आपकी कंपनी द्वारा निर्मित 'एससीजी पीएस जोरोस्टर' को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सेशेल्स के राष्ट्रपति को सौंपा गया था।

आपकी कंपनी के लिए पोत की मरम्मत एक फोकस क्षेत्र रहा है और जीआरएसई-केपीडीडी यूनिट (खिद्दरपुर ड्राई डॉक) ने पिछले वर्ष कंपनी के लिए एक संरचित व्यवसाय वर्टिकल के रूप में «शिप रिपेयर एंड रिफिट» के लिए एक नया प्रवेश द्वार शुरू किया। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मॉरीशस सरकार के लिए सीजीएस बाराकुडा की मरम्मत सहित कुल चार (4) पोतों की मरम्मत की है।

बेली ब्रिज डिवीजन को सिंगल और डबल लेन पोर्टेबल ब्रिज में नए उत्पादों और «बाजार रणनीतियों पर जाएं» के साथ एक प्रोत्साहन प्रदान किया गया है और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में दुर्गम इलाकों के लिए 27 पुलों की आपूर्ति के लिए डीजीबीआर के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

इंजन डिवीजन ने एफएटी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और पी17ए परियोजना के लिए 1 मेगावाट डीजल अल्टरनेटर का पहला शिपसेट डिलीवर किया है, जो पिछले वर्ष की एक प्रमुख उपलब्धि है।

आदेशपुस्तिका की स्थिति

31 मार्च 2022 तक हमारी आदेशपुस्तिका बहुत ही स्वस्थ ₹24,103.60 करोड़ पर है और पोत निर्माण के मोर्चे पर, छह (6) परियोजनाएं वर्तमान में निष्पादन के अधीन हैं, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए पंद्रह (15) पोतों की तीन परियोजनाएं, एक (1) भारत तटरक्षक बल के लिए एफपीवी परियोजना, और दो निर्यात परियोजनाएं, गुयाना सरकार के लिए एक समुद्र में जाने वाली यात्री सह कार्गो फेरी और बांग्लादेश सरकार के लिए छह गश्ती नौकाएं शामिल हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए भी प्रसन्ता हो रही है कि आपकी कंपनी को भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जेनरेशन ओशन गोइंग पैट्रोल वेसल्स (एनजीओपीवी) के निर्माण के लिए आरएफ़पी में एल2 घोषित किया गया है, और निविदा शर्तों के अनुसार, एल2 शिपयार्ड को चार (4) पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध दिया जाएगा।

भावी पथ

आगे बढ़ते हुए, चल रहे पोत निर्माण परियोजनाओं की उत्पादन परिपक्वता को देखते हुए, अगले तीन वर्षों के दौरान हमारे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। मुझे आपको यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी को भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जेनरेशन ओशन गोइंग पैट्रोल वेसल्स (एनजीओपीवी) के निर्माण के लिए आरएफ़पी में एल2 घोषित किया गया है, और निविदा शर्तों के अनुसार, एल2 शिपयार्ड को चार (4) पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध दिया जाएगा। । हमने अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी के निर्माण के लिए 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भी एक अनुबंध किया है। इन दोनों परियोजनाओं से हमारी ऑर्डरबुक स्थिति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी पोत निर्माण उद्योग के भीतर नई राजस्व धारा के इस आशाजनक और उभरते क्षेत्र में हमारी «हरित पहल» को एक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

हमारा «शिप रिपेयर एंड रिफिट» प्रचालन भी एक फोकस क्षेत्र होगा और मुझे इस सेगमेंट में भी राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, खासकर जीआरएसई-केपीपीडी सुविधा से।

हमारे प्रमुख ग्राहकों, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) और भारतीय सेना द्वारा हमारी क्षमता में अपने भरोसे को कायम रखने और हमें नए आदेश प्रदान करने से बेली ब्रिज डिवीजन विकास पथ पर ऊपर की ओर अग्रसर है

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

युद्धपोत निर्माण में वर्षों से प्राप्त हमारी मुख्य दक्षताओं का उपयोग करने के अलावा, प्रमुख प्राथमिकताओं की परिकल्पना में अनुसंधान एवं विकास में नए सिरे से ध्यान केंद्रित है, जिसमें हरित प्रौद्योगिकी और स्वायत्त / मानव रहित पोतों पर जोर दिया गया है। हमारी नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी के आसन्न शामिल होने के साथ, हुगली नदी पर कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ शुरू होने वाली हरित प्रौद्योगिकी की शुरुआत में एक बहुप्रतीक्षित रोडमैप को लागू करने की दिशा में आपकी कंपनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। आपकी कंपनी भारतीय नौसेना के साथ भी जुड़ी हुई है और हमारे साथी देशवासियों के जीवन को नुकसान पहुंचाने के जोखिम को कम करने के उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मानव रहित सतह के पोतों को डिजाइन कर रही है। निकट भविष्य के मानवरहित पोत बाथमेट्री अध्ययन, हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण, स्पेक्ट्रम के निचले सिरे पर माईं की खोज करने में सक्षम होंगे, जबकि उच्च अंत में मॉड्यूलर पेलोड की डिलीवरी के साथ लड़ाकू भूमिका निभाने का लक्ष्य होगा। आपकी कंपनी ने अवसरों और पुरस्कारों से अलंकृत भविष्य के लिए दृढ़ता से अपना मार्ग निर्धारित किया है।

निर्यात - फोकस क्षेत्र

यूरोप, **सार्क, आसियान, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, निर्यात आपकी कंपनी का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है, जहां हम निर्यात के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए आक्रामक व्यापार विकास और विपणन रणनीतियों को तैनात कर रहे हैं।** वर्तमान में हम दो निर्यात आदेश निष्पादित कर रहे हैं, गुयाना के सहकारी गणराज्य के लिए एक महासागरीय यात्री सह फेरी जलयान और बांग्लादेश सरकार के लिए छह (6) पेट्रोल नाव परियोजना। आपकी कंपनी ने 14 बेली टाइप पोर्टेबल स्टील ब्रिज (भूटान को दस ब्रिज और नेपाल को चार ब्रिज) का निर्यात भी किया है। हम संभावित ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं ताकि नए पोतों की मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति का फायदा उठाया जा सके, खासकर छोटे समुद्री शिपिंग क्षेत्र में।

ये प्रयास हमारे विस्तारित वैश्विक पदचिह्न और पहुंच को दर्शाते हैं, इसलिए हम समुद्री मंच प्रदान करने के लिए व्यावसायिक मोर्चे पर संरेखित होते हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति में योगदान करने के लिए हमारे राष्ट्र की आकांक्षा को पूरा करते हैं और हमारी कंपनी इस बार्गेन की प्रक्रिया में व्यापार राजस्व और अवसर का उपयोग करती है।

प्रौद्योगिकी अपनाने और डिजिटल परिवर्तन

प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर उन्हें और अधिक कुशल बनाने के लिए जीआरएसई में कोर समूहों का गठन किया गया है। जबकि आपकी कंपनी अपने डिजाइन और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में तेज रही है। जीआरएसई डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ने के उद्देश्य से अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं का कड़ाई से ऑडिट करके उत्पादकता और ‹बैंग फॉर द बक' को अधिकतम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम लागत कम करने के लिए एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हम मुख्य दक्षताओं को बनाए रखते हुए एक लीन और एकजुट कार्यबल की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 11 जुलाई 22 को एआई सक्षम वेल्डिंग एक्स-रे मूल्यांकन (आईडब्ल्यूआई) और एचआर चैटबॉट "अन्वेषा" के लिए एनडीटी सुविधा शुरू की गई।

स्वदेशीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

स्वदेशीकरण पर रक्षा मंत्रालय के हालिया प्रोत्साहन के साथ, जीआरएसई आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक बन गया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी कंपनी के पास डीपीएसयू की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के तहत 31 आइटम सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 22 आइटम पहले से ही स्वदेशी हैं। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति (एमआरजीएस) के तहत 100 आईपीआर दाखिल किए हैं, जिनमें से 62 आईपीआर प्रदान किए जा चुके हैं।

शासन के साथ विकास

आपकी कंपनी ठोस निगमित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाती है और आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और सेबी लिस्टिंग विनियमों द्वारा तैयार किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

समाज की सेवा

आपकी कंपनी हमेशा सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप हमारे सामाजिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को एक स्थायी तरीके से एकीकृत करने की दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू किया है। सीएसआर के तहत सभी लक्षित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 410 लाख की राशि खर्च की गई है।

समापन टिप्पणी

मैंने अपने पूर्ववर्ती रियर एडमिरल वीके सक्सेना, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो 28 फरवरी 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किए हम उनके कार्यकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करने और जीआरएसई को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उनके ऋणी हैं। मैं 2016 से टीम जीआरएसई के साथ हूं और मुझे अपने वरिष्ठों और सहयोगियों से समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। मुझे अपनी टीम, निदेशक मंडल और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से आने वाले वर्षों में अपने निष्पादन को बनाए रखने का विश्वास है।

मैं इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक अधिकारियों को उनके अमूल्य समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी सम्मानित शेयरधारकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर निरंतर निष्ठा एवं भरोसा जताया है, जिसके लिए हम और अधिक वैल्यू उत्पन्न करना जारी रखना चाहते हैं। अंततः मैं टीम जीआरएसई को कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करने में उनके अथक प्रयासों और अडिग प्रतिबद्धता के लिए तथा निदेशक मण्डल को भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने कंपनी को त्वरित विकास के मार्ग पर लाने के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन किया है।

जय हिन्द

कमोडोर पीआर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(10 जून 2022 से)

रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोतनिर्माण
(08 जून 22 से)

श्री राजीव प्रकाश, आईपी एवं टीएएफएस
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(23 जून 22 से)

संजय दत्ताराया पांसे
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)
निदेशक
(27 दिसंबर 21 से)

संजीब मोहंती
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)
निदेशक
(06 अप्रैल 22 से)

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(28 फ़रवरी 22 तक)

कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोतनिर्माण)
(31 दिसंबर 21 तक)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, आईएफ़एस
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(23 जून 22 तक)

डॉ. बिश्वप्रिय रॉय चौधुरी
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक
(14 अगस्त 21 तक)

श्रीमती दर्शना सिंह
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक
(12 अप्रैल 22 से 31 मई 22 तक)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

वेंकटेश्वरलु तल्लुरी, सीपीईएस (2001)

स्वतंत्र बाह्य

मॉनिटर
पीडातल श्रीधर,आईआरएस (सेवानिवृत्त)
बी बी सिंह, भुतपूर्व अ.प्र.नि. एमएसटीसी लिमिटेड

वरिष्ठ प्रबंधन

वेंकटेश मूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)

कमोडोर रजत मनचन्दा, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (पीपी एवं सी)

डीआईजी सुब्रोतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (बीबी, डीईपी एवं एसआर)

कमांडर बी सेनगुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (एमडब्लयू)

कैप्टन पी सुनीलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (सीपी एवं सीसी)

एस श्रीनिवास
महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

कमांडेंट ए के विश्वास, आईसीजी (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (आरबीडी)

कमांडर ए के महापात्र, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (क्यूए)

श्री गुलशन रतन
महाप्रबंधक (आईएनडी एवं आईईपी)

श्री सुजय चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

कमांडर बी मिश्रा, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (एफओजे एवं तारातला यूनिट)

कमोडोर विनीत एराट, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (डिजाइन)

श्रीमती सुचिता नन्दी
महाप्रबंधक (कॉन्ट्रैक्ट)

श्रीमती लिपि दास
महाप्रबंधक (कार्मिक संबंध एवं विधि)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

श्री संदीप महापात्र

बैंकर

भरतीय स्टेट बैंक
पीएनबी
आईडीबीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
कैनरा बैंक
इंडियन बैंक
यस बैंक
आरबीएल बैंक
फैडरल बैंक
इंडसइंड बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स मुखर्जी विश्वास एवं पाठक
चार्टरित लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स मेहता एंड मेहता
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

लागत लेखापरीक्षक

मैमर्स चटर्जी एंड कंपनी
लागत लेखाकार

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

जीआरएसई भवन,
61,गार्डन रीच रोड
कोलकाता – 700 024
सीआईएन संख्या – L35111WB1934GO1007891
वेबसाइट : www.grse.in

निदेशक मंडल

कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) जिनके पास 33 से अधिक वर्षों का अनुभव है, ने 10 जून 2022 से कंपनी का कार्यभार ग्रहण किए। उनके पास कंपनी के निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार भी है। उन्होंने भारतीय नौसेना में अट्ठाईस वर्षों (28) से अधिक की कमीशंड सेवा की है जिसमें ऑनबोर्ड युद्धपोतों, नेवल रिपेयर संगठनों एवं विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों का विविध अनुभव शामिल हैं। उनके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के एक पूर्व छात्र हैं और उन्होंने एडब्ल्यूसी एमएचओडब्ल्यू में 5 वें उच्च रक्षा उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम और नौसेना वॉर कॉलेज, गोवा में प्रतिष्ठित नौसेना उच्च कमान पाठ्यक्रम भी पूरा किए हैं।

कमोडोर पी आर हरि, 2016 में एक मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कंपनी में शामिल हुए और शिपयार्ड में निर्मित सभी नए निर्माण पोतों के उत्पादन योजना के प्रभारी रहे हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर 2019 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में पदभार ग्रहण किया था और जीआरएसई के मानव संसाधन, निगमित योजना और तकनीकी कार्यों का नेतृत्व किए।

श्री राजीव प्रकाश, संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली)
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजीव प्रकाश (डीआईएन: 08590061), संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली), को कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में 23 जून 2022 को नियुक्त किया गया। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बी.ए. ऑनर्स और इरास्मस विश्वविद्यालय से सामाजिक अध्ययन संस्थान विकास अध्ययन में एम.ए. किया हैं। इसके अलावा, वह 1995 बैच के भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्तीय सेवा अधिकारी (आईपी और टीएएफएस) भी रहें हैं। उन्हें वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

जून 2022 में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) के रूप में शामिल होने से पहले, वे उप महानिदेशक (वायरलेस योजना और वित्त), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा, वह 2.5 वर्षों से अधिक समय तक भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बोर्ड में एक सरकार द्वारा नामित निदेशक भी थे।

श्री रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.

श्री रमेश कुमार दाश (डीआईएन: 08511344) "इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया", मास्टर इन कॉमर्स और बैचलर ऑफ लॉ के एसोसिएट सदस्य हैं। कंपनी में शामिल होने से पूर्व, वह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बैंगलोर में कार्यरत थे। उन्हें वित्त और लेखा के क्षेत्र में विभिन्न सीपीएसयू में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। श्री रमेश कुमार दाश ने कंपनी के निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ. के रूप में 01 जुलाई 2020 कार्यभार ग्रहण किए हैं।

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोत निर्माण)

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817), 23 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा करने के उपरांत वर्ष 2013 में कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने 08 जून 2022 से कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभाला। कमांडर बोस एक उच्च योग्यता प्राप्त और अनुभवी नौसेना वास्तुकार हैं, जो 2013 से कंपनी द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं के प्रभारी भी रहें हैं। निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह महाप्रबंधक (एमडब्ल्यू एवं पी17ए) के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। इसके अलावा, उनके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग (इंडिया) और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर की सदस्यता भी है।

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) के पास गहरी तकनीकी अंतर्दृष्टि और पोत निर्माण के सभी पहलुओं में काम करने का अनुभव है, व्यक्ति प्रबंधन करना और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करना उनकी विशेषता रही है। जीआरएसई में वह एकीकृत निर्माण (आईसी) पद्धति को अपनाने में सबसे आगे रहे हैं। उनके वर्तमान फोकस क्षेत्रों में आर एंड डी परियोजनाएं और स्वदेशीकरण की ओर अधिक जोर शामिल है। उनकी देखरेख में जीआरएसई की आरबीडी यूनिट की आधारभूत संरचना उन्नयन योजना, क्रियान्वयन और पूर्वेक्षण किया गया है।

श्री संजय दत्तात्रेय पणसे
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री संजय दत्तात्रेय पणसे (डीआईएन: 02725875), उम्र 58 वर्ष कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 27 दिसंबर 2021 कार्यभार संभाले है। वह फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं तथा एस पणसे एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई के संस्थापक और वरिष्ठ भागीदार भी हैं। उनके पास 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वित्तीय और पूंजी बाजार में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित पेशेवर हैं। उन्हें वित्तीय बाजार क्षेत्र के प्रतिभागियों के लेखांकन, लेखा परीक्षा और कामकाज की गहरी समझ है और उन्होंने लेखा परीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन सेवाओं, उचित परिश्रम, आंतरिक लेखा परीक्षा, म्यूचुअल फंडों , पोर्टफोलियो प्रबंधकों, बैंक, बीमा कंपनियां और पूंजी बाजार में अन्य मध्यस्थ के लिए सलाहकार सेवाओं के क्षेत्र में एस पणसे एंड कंपनी एलएलपी के अभ्यास का नेतृत्व किया है। वह आर्थिक और वित्तीय मामलों पर लगातार वक्ता और लेखक हैं। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है।

श्री संजीव मोहंती
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री संजीव मोहंती, (डीआईएन 09559883), जिनकी आयु लगभग 59 वर्ष है, कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 06 अप्रैल 2022 को नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने वर्ष 1984 में उत्कल विश्वविद्यालय से बी.ए. और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक किया हैं और वर्ष 1990 में ओडिशा स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के रूप में नामांकित हैं। वह भारत के ओडिशा राज्य में 32 से अधिक वर्षों के अभ्यासरत अधिवक्ता हैं। उनके अभ्यास के व्यापक क्षेत्र आपराधिक और नागरिक कानून हैं। वह नियमित रूप से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों / सत्र न्यायालयों और अन्य मंचों के समक्ष उपस्थित होते हैं। उन्होंने ओडिशा कोऑपरेटिव टसर एंड सिल्क फेडरेशन लिमिटेड (एसईआरआईएफ़ईडी), 2002-2008 से ओडिशा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।

10 वर्ष की मुख्य वित्तीय बातें

(लाख रू में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वित्तीय स्थिति										
इक्विटी शेयर पूंजी	12384	12384	12384	12384	12384	11455	11455	11455	11455	11455
आरक्षित एवं अधिशेष	73948	83196	84391	101042	95767	90698	92376	92568	102257	114334
शुद्ध लाभ	86332	95580	96775	113426	108151	102154	103831	104023	113712	125789
नियोजित पूंजी	75907	91667	90810	110613	98112	102154	103831	104023	113712	125789
सकल ब्लॉक	42732	53387	56381	56640	60454	47233	39959	43081	49614	68703
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	27979	36548	36574	34370	35834	38917	30225	30369	34020	50065
कार्यकारी पूंजी	47928	55119	54236	76243	62278	60249	68476	56100	54298	56965
प्रचालन परिणाम										
बिक्री	46434	30819	230805	30668	22162	23390	14677	21784	51573	21568
उत्पादन मूल्य	152915	161167	161266	166075	92784	134552	137877	142470	113276	174835
संयोजित मूल्य	49609	50463	47702	48182	30018	41923	44217	45578	46641	55053
कर पूर्व लाभ/(हानि)	19315	18723	7602	24915	2089	12775	17896	22387	20712	25724
कर हेतु प्रावधान	6161	6577	3257	8710	865	3535	6902	6039	5365	6771
कर पश्चात लाभ/(हानि)	13154	12146	4345	16205	1223	9240	10994	16348	15347	18953
विनियोजन										
सीएसआर आरक्षित	-	-	2	-	94	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित	1315	1215	435	1607		9554	-	-	-	-
इक्विटी पर प्रस्तावित लाभांश	2631	2477	2477	5322	5408	5080	7961	8179	5728	6644
प्रस्तावित लाभांश पर कर	447	421	504	1083	1101	1034	1636	1352	-	-
अनुपात :										
सकल लाभ/नियोजित पूंजी	0.26	0.21	0.08	0.22	0.02	0.13	0.17	0.22	0.18	0.28
पीबीटी / उत्पादन (वीओपी)	0.13	0.12	0.05	0.15	0.02	0.10	0.13	0.16	0.18	0.15
उत्पादन (वीओपी)/नियोजित पूंजी	2.01	1.76	1.78	1.46	0.86	1.32	1.33	1.37	1.00	1.39
संयोजित मूल्य/ उत्पादन (वीओपी)	0.32	0.31	0.30	0.29	0.34	0.31	0.32	0.32	0.41	0.31
कर्मचारियों की संख्या	3491	3133	2834	2592	2401	2214	2100	1973	1900	1790

कुल बिक्री (करोड़ रु. में)

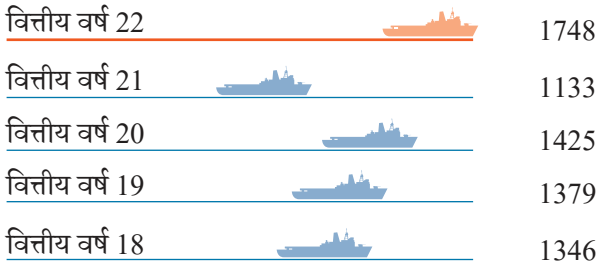

कर पूर्व लाभ (करोड़ रु. में)

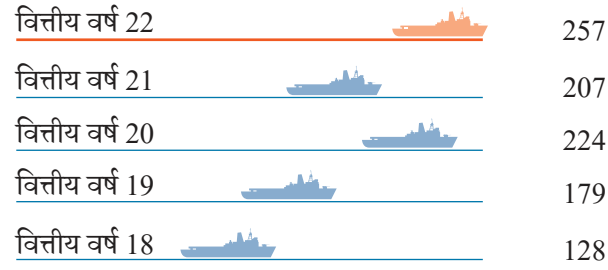

कर पश्चात लाभ (करोड़ रु. में)

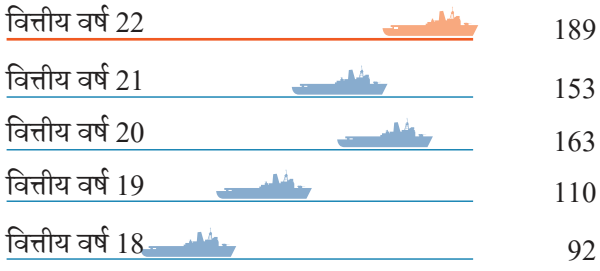

लाभांश (करोड़ रु. में)

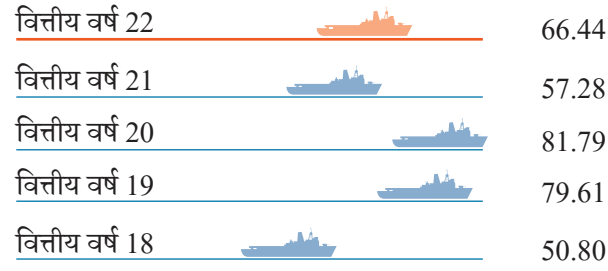

शुद्ध लाभ (करोड़ रु. में)

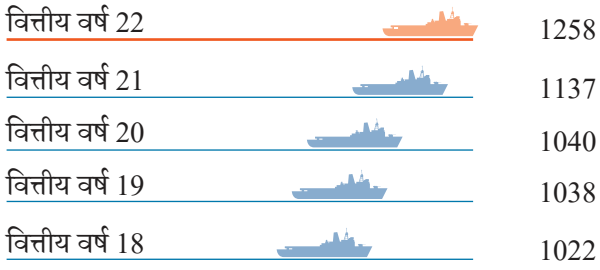

जनशक्ति (सं.) (करोड़ रु. में)

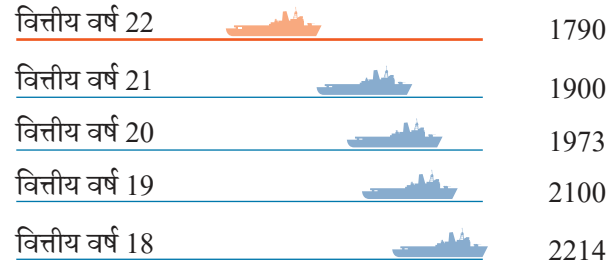

प्रतिस्पर्धी ताकतें

गुणवत्ता वाले उत्पादों की डिलीवरी हेतु आधुनिक विनिर्माण मंच एवं एकीकृत पोत निर्माण सविधाएं

जीआरएसई की विशाल तकनीकि विशेषज्ञता के साथ नवोन्नत सुविधाएं, कंपनी को अन्य रक्षा शिपयार्डों पर महत्वपूर्ण बढ़त देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपनी सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं सूचना प्रोद्योगिकी के अंगीकरण से अपने विनिर्माण एवं अन्य कार्यात्मक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार किया है। कंपनी अपनी सुविधाओं में आठ बड़े पोत एवं बारह माध्यम/छोटे पोतों का निर्माण एक साथ कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने नए हर शॉप, मेगा ब्लॉक इंटीग्रेशन हेतु मॉड्यूल शॉप, ड्राई डॉक एवं बिल्डिंग बर्थ का निर्माण किया है।

मजबूत डिजाइन क्षमताएं और एंड टू एंड समाधान प्रदान करना

जीआरएसई के पास एक समर्पित केंद्रीय डिजाइन कार्यालय (सीडीओ) है जहाँ 100 सदस्यों की अत्याधिक कुशल वर्कफोर्स डिजाइन, अनुसंधान और विकास का कार्य करते है। सीडीओ टीम विभिन्न सॉफ्टवेयरों का उपयोग करती है, जिसमें अवीवा मरीन, नेवल आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए एनएपीए, ड्राफ्टिंग कार्य के लिए ऑटोकैड और संरचनात्मक विश्लेषण हेतु अन्य सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सीडीओ की इस समर्पित टीम ने कई जटिल युद्धपोत डिजाइनों को अंजाम देने हेतु अभिनव उपाय खोजे हैं। यह अपने ग्राहकों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पाद अवधारणा, डिजाइन, सिस्टम एकीकरण और परियोजना प्रबंधन में एंड टू एंड समाधान प्रदान करती है।

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ मजबूत एवं स्थापित संबंध

आईएनएस अजय 1961 में भारतीय नौसेना के लिए जीआरएसई द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी युद्धपोत था तब से कंपनी ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ संबंध स्थापित कर रखें हैं। कंपनी ने आज तक भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और मैत्रीपूर्ण देशों को 107 युद्धपोत की डिलीवर की है। शिपयार्ड ने मैरिटाइन सुरक्षा के लिए 780 से अधिक पोतों को निर्मित और आपूर्ति की है।

मेक इन इंडिया पहल

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए पोतों के निर्माण के अनुबंध को हासिल करने में वैश्विक शिपयार्ड पर कंपनी का एक फायदा है : यह डीपीपी के तहत 'मेक इन इंडिया' पहल का हिस्सा है। 'मेक इन 'इंडिया' पहल से स्वदेशी निर्माताओं को घरेलू बाजार में आपूर्ति करते समय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। एमओडी ने पूंजी खरीद के लेए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित ("आईडीडीएम") उत्पादों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक कंपनी के रिपीट ग्राहक हैं, और ये घरेलू बाजार का हिस्सा हैं और इसलिए कंपनी को कुछ परिस्थितियों में वैश्विक शिपयार्ड पर वरीयता मिलती है।

व्यापार विविधता

पोत निर्माण के लिए मुख्य विनिर्माण गतिविधियों के अलवा, कंपनी अपने ग्राहकों को पोर्टेबल ब्रिज, डेक मशीनरी मदें, पंप और इंजन सहित विविध उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के पास एक समर्पित डेक मशीनरी उपकरण सुविधा और एक इंजन असेंबलिंग और परीक्षण सुविधा है, ये दोनों पोत निर्माण और परीक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। यह वर्टिकल इंटीग्रेशन है जो कंपनी को अधिक कुशल समय से पोतों का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है।

मजबूत आदेश पुस्तिका

31 मार्च 2022 तक के अनुसार कंपनी की आदेश पुस्तिका रू. 24,103.60 करोड़ की थी जिसमें पोतनिर्माण प्रभाग के लिए रू. 23,864.31 करोड़ और इंजीनियरिंग एवं इंजन प्रभाग के लिए रू. 143.98 करोड़ के आदेश शामिल है।

अनुभवी कार्यबल

कंपनी के पास उसकी वरिष्ठ प्रबंधन टीम सहित एक योग्य और अनुभवी कार्यबल है, जिसमें तकनीकी रूप से योग्य और अनुभवी पेशेवर शामिल हैं। उनके पास पोत निर्माण, डिजाइन और इंजीनियरिंग, आदेश प्रबंधन, संचालन, मानव संसाधन, वित्त और बिक्री पश्चात सेवाओं में व्यापक अनुभव है।

G R S E
दूनागिरी
DUNAGIRI

जीआरएसई का पर्यावरण उत्तरदायित्व

कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध है और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इष्टतम उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु स्वच्छ और हरित कार्य पर्यावरण के तहत सभी बहिर्वर्ती यूनिटों में आवधिक आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित कराती है।

हाइलाइट

सौर क्षमता स्थापित	सीईएससी	सौर	लक्ष्य: 2025 तक सौर ऊर्जा
1500 केडब्ल्यूपी	**90%**	**10%**	**20%**

सतत भविष्य हेतु परिपोषण

जीआरएसई में विभिन्न स्थानों पर भविष्य की योजनाओं के हिस्सों के तहत निमन्लिखित पर विचार किया जा रहा है।

सौर शक्ति

वित्त वर्ष 2022-23 में मेन यूनिट (इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स) में 200 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर पावर प्लांट।

वित्त वर्ष 2023-24 में एफओजे यूनिट (शेड-9) में 250 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर पावर प्लांट।

ऊर्जा लेखा परीक्षा

चालू वर्ष 2022-23 में जीआरएसई में मेन वर्क्स और एफओजे परिसर के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करना।

ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिकल्स

पारंपरिक लाइटों को एलईडी से बदलने के अलावा नवनिर्मित भवन/सिविल संरचनाओं हेतु 1800 संख्या में एलईडी लाइट्स लगाना।

नवनिर्मित भवन में वीआरएफ एसी सिस्टम की स्थापना और वर्ष 2022-23 में प्रगतिशील तरीके से पुराने एसी की 34 संख्या की जगह पर बीईई स्टार रेटेड एसी को लगाना।

विद्युत संरक्षण प्राप्त करने के लिए कार्यशालाओं में पारदर्शी रूफ शीट के साथ वर्टिकल माउंट नेचुरल वेंट/ एग्जॉस्ट ब्लोअर की स्थापना।

उत्पादन क्षेत्रों में 12 संख्या में बैटरी चालित सामग्री हैंडलिंग उपयोगि वाहनों की तैनाती।

निदेशक रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय निष्पादन

कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व सृजन के मामले में आपकी कंपनी का निष्पादन अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा है।

चालू वर्ष में, कंपनी ने गत वर्ष ₹ 1,141 करोड़ के मुकाबले ₹ 1,757 करोड़ दर्ज करते हुए, प्रचालन से राजस्व में 54% का सुधार दर्ज किया । वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईबीआईडीटीए और पीएटी में 24% की वृद्धि दर्ज की है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 के लिए संक्षिप्त प्रचालन परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
उत्पादन का मूल्य	1748.34	1132.76
प्रचालन से राजस्व	1757.51	1140.83
मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ	301.40	257.64
वित्तीय लागत	0.76	0.67
मूल्यह्रास	35.71	29.09
असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ	264.93	227.87
असाधारण वस्तु	(7.69)	(20.75)
कर पूर्व लाभ	257.24	207.12
कर के लिए प्रावधान	67.71	53.65
कर पश्चात लाभ	189.53	153.47
अन्य व्यापक आय (कुल कर)	1.12	3.56
कुल व्यापक आय	190.65	157.03

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 के अनुसार आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति नीचे दिखाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 22 तक के अनुसार	31 मार्च 21 तक के अनुसार
नियोजित पूंजी	1257.89	1137.12
सकल खंड	687.03	496.14
शुद्ध खंड	500.65	340.20
कार्यशील पूंजी	569.65	542.98
निवल मूल्य	1257.89	1137.12
संवर्धित मूल्य	550.53	466.41
उत्पादन मूल्य	1748.34	1132.76
असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ	264.93	227.87
असाधारण वस्तु	(7.69)	(20.75)

विवरण	31 मार्च 22 तक के अनुसार	31 मार्च 21 तक के अनुसार
कर पूर्व लाभ	257.24	207.12
अनुपात: (%)		
ब्याज और कर पूर्व लाभ: नियोजित पूंजी (%)	20.51	18.27
कर पश्चात लाभ: निवल मूल्य (%)	15.07	13.50
सकल लाभ: नियोजित पूंजी (%)	23.34	20.08
कर पूर्व लाभ: उत्पादन मूल्य (%)	14.71	18.28
उत्पादन मूल्य: नियोजित पूंजी (%)	138.98	99.62

अनुपात	वित्तीय वर्ष - 22	वित्तीय वर्ष -21
वर्तमान अनुपात (समय में)	0.93	0.99
इक्विटी पर रिटर्न (%)	16%	14%
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	10.55	3.20
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	2.20	1.24
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	20%	18%

उत्पादन मूल्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कोविड -19 महामारी की तत्कालीन उभरती दूसरी लहर के कारण और सरकार के निर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी मई 2021 के मध्य से जून 2021 के मध्य तक लॉक-डाउन से प्रभावित थी । इन रुकावटों के बावजूद, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान ₹1,132.76 करोड़ की तुलना में ₹1,748.34 करोड़ का अब तक का उच्चतम उत्पादन मूल्य (‹ वीओपी ‹) हासिल किया है। तीन प्रभागों के लिए तुलनात्मक वीओपी इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पोत प्रभाग	इंजीनियरिंग प्रभाग	इंजन प्रभाग	विविध	कुल
2021-22	1620.50	71.83	55.48	0.53	1748.34
2020-21	1048.02	66.69	18.05	-	1132.76

निवल मूल्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2021 को ₹1,257.89 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को ₹ 1,137.12 करोड़ निवल मूल्य की सूचना दी है।

मूल्य संवर्धन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्य संवर्धन गत वर्ष के ₹466.41 करोड़ के मुकाबले ₹550.53 करोड़ था। प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन गत वर्ष के ₹ 24.56 लाख की तुलना में ₹ 30.76 लाख था।

विनियोग

वर्ष 2021-22 में आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों को डिस्पोजेबल अधिशेष से निम्नलिखित विनियोगों की सिफारिश करने में प्रसन्नता हो रही है:

(₹ करोड़ में)

कर पश्चात लाभ	189.53
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, निवल कर	1.12
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	190.65
घटाएँ :	
चुकता पूंजी पर वित्त वर्ष 2020-21 का अंतिम लाभांश	13.17
वित्त वर्ष 2021-22 का अंतरिम लाभांश	56.70
लाभ और हानि विवरण में बरकरार रखी शेष राशि	120.78

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयकर और जीएसटी के माध्यम से राष्ट्रीय राजकोष में ₹47.52 करोड़ का योगदान दिया है।

लाभांश

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 («सेबी सूचीकरण विनियम») के विनियम 43ए के अनुसरण में, सूचीबद्ध शीर्ष एक हजार संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी लिस्टिंग विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। । पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/GRSE-Dividend-Distribution-Policy.pdf पर उपलब्ध है ।

11 फरवरी 2022 को निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसरण में, आपकी कंपनी ने उन शेयरधारकों को ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति शेयर हेतु ₹4.95/- का अंतरिम लाभांश दिया है, जो 23 फरवरी 2022, इस उद्देश्य के लिए तय की गई रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने 25 मई 2022 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर हेतु ₹0.85/- के लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ₹5.80/- प्रति इक्विटी शेयर होगा।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित थी, जिसमें मई, 2021 के मध्य से प्रचालन बाधित हो गया था। जबकि हमने अपेक्षित सावधानियों के साथ लगभग एक महीने के बाद आंशिक रूप से प्रचालन फिर से शुरू किया, परंतु कंपनी के राजस्व और वित्तीय निष्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । प्रबंधन ने 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए उत्पादन के घंटों के नुकसान और उत्पादन शॉपों के संयंत्र और मशीनरी के गैर-उपयोग की मात्रा का मूल्य क्रमशः ₹709.95 लाख और ₹58.59 लाख (कुल ₹768.54 लाख) के रूप में और वित्त वर्ष 2021-22 की बाद की तिमाहियों में शून्य के रूप में अनुमानित किया है और इसे वित्तीय विवरण में असाधारण मदों के रूप में वर्णित किया गया है।

वित्तीय हाइलाइट्स

₹ 1,748 करोड़

वित्तीय वर्ष 21 के ₹1,133 करोड़ की तुलना में ₹1,748 करोड़ का उत्पादन मूल्य

₹ 1,758 करोड़

वित्तीय वर्ष 21 के ₹1,141 करोड़ की तुलना में ₹1,758 करोड़ का प्रचालन से राजस्व

₹ 1,258 करोड़

वित्तीय वर्ष 21 के ₹1,137 करोड़ की तुलना में ₹1,258 करोड़ का नियोजित पूंजी

₹ 257 करोड़

वित्तीय वर्ष 21 के ₹ 207 करोड़ की तुलना में ₹ 257 करोड़ का कर पूर्व लाभ

₹ 190 करोड़

वित्तीय वर्ष 21 के ₹ 153 करोड़ की तुलना में ₹ 190 करोड़ का कर पश्चात लाभ

एमओयू रेटिंग

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अनुमोदित वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू मूल्यांकन के अनुसार आपकी कंपनी को 100 में से 91.23 के स्कोर के साथ «उत्कृष्ट» दर्जा दिया गया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए « **उत्कृष्ट» रेटिंग** प्राप्त करने वाला जीआरएसई एकमात्र शिपयार्ड है, जो दो डीपीएसयू में से एक है और 22 सीपीएसई में से एक है। यह उत्कृष्ट रेटिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्तीय वर्ष कोविड -19 महामारी से ग्रस्त था और इसके परिणामस्वरूप 75 दिनों का पूर्ण लॉक डाउन लगाया गया था, कई संबद्ध प्रतिबंध उत्पादन गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करते थे और पूरे वर्ष सामग्री की आपूर्ति में देरी हुई। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर , आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान उसके निष्पादन के लिए «बहुत अच्छा» दर्जा दिए जाने की उम्मीद है।

निदेशक रिपोर्ट

वर्ष के दौरान कंपनी का प्रदर्शन

पोत निर्माण

कंपनी ने 2020-21 में ₹1,048.02 करोड़ के मुक़ाबले 2021-22 के दौरान ₹1,620.50 करोड़ की कुल पोत निर्माण आय हासिल की है। वर्ष के दौरान, एससीजी पीएस 'जोरोस्टर' **जीआरएसई द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल (एफपीवी) की श्रृंखला में चतुर्थ पोत,** 08 अप्रैल 2021 को सेशेल्स में भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन किया गया। इसके अलावा, आपकी कंपनी में 31 मार्च 2022 तक निर्माणाधीन पोतों का विवरण इस प्रकार है:

परियोजना / **जलयान का** प्रकार	**जलयानों** की संख्या **31 मार्च 2022**
भारतीय नौसेना के लिए परियोजना पी-17ए	03
भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत (बड़ा)	04
भारतीय नौसेना के लिए एएसडबल्यू -एसडबल्यूसी	08
गुयाना सरकार के लिए ओशन गोइंग पैसेंजर कम कार्गो फेरी	01
भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पैट्रोल वेसल	01
कुल पोत	**17**
बांग्लादेश सरकार के लिए गश्ती नौकाएँ	6

शिपयार्ड ने वित्तीय वर्ष के दौरान जलावतरण, शिलान्यास और उत्पादन शुरू करने सहित विभिन्न परियोजनाओं पर प्रमुख माइलस्टोन भी पूरे किए हैं:

जलावतरण

क्र. सं.	पोत	यार्ड	दिनांक
1	प्रथम सर्वेक्षण पोत (बड़ा)	3025	05 दिसंबर 2021
2	द्वितीय सर्वेक्षण पोत (बड़ा)	3026	21 मार्च 2022

शिलान्यास

क्र.सं.	पोत	यार्ड	दिनांक
1	फास्ट पेट्रोल वेसल (एफपीवी)	2118	15 जुलाई 2021
2	तृतीय सर्वेक्षण पोत (बड़ा)	3027	06 अगस्त 2021
3	प्रथम एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3029	06 अगस्त 2021
4	ओशन गोइंग पैसेंजर एंड कार्गो फेरी वेसल (ओजीवी)	2119	20 नवंबर 2021
5	5वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3035	21 दिसंबर 2021

उत्पादन आरंभ

क्र.सं.	पोत	यार्ड	दिनांक
1	द्वितीय एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3030	14 जुलाई 2021
2	तृतीय एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी)	3031	14 जुलाई 2021
3	ओशन गोइंग पैसेंजर एंड कार्गो फेरी वेसल (ओजीवी)	2119	07 अगस्त 2021
4	5वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी))	3035	28 मई 2021

अनुबंध हस्ताक्षरित

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 28 मई 2021 को सेशेल्स को निर्यात किए गए एफपीवी के बदले भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अतिरिक्त फास्ट पेट्रोल वेसल (एफपीवी) की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया।

रक्षा परियोजनाओं हेतु पर्स्यु करने के अलावा, आपकी कंपनी ने गैर-रक्षा सरकारी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए भी पर्स्यु किया है। जीआरएसई को छह ‹गश्ती नौकाओं› की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के मत्स्य विभाग से 1.82 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात आदेश मिला। प्रतिस्पर्धी बोली पर जीआरएसई द्वारा जीता गया यह पहला निर्यात आदेश था जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और सिंगापुर के 06 बोलीदाताओं ने भाग लिया था। जीआरएसई को 01 जुलाई 2021 को आदेश दिए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी और बाद में, जीआरएसई और मत्स्य विभाग के बीच 28 जुलाई 2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

पोत की मरम्मत

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने मॉरीशस के पोत बाराकुडा की रिफिट का 20.90 करोड़ रुपये की राशि का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पोत मरम्मत और रिफिट व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने पोतों की मरम्मत और रिफिट सहित पोत निर्माण के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के साथ 03 मौजूदा ड्राई डॉक के दीर्घकालिक पट्टे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईसीजीएस सरोजिनी नायडू की रिफिट भी इसी वर्ष की गई।

इंजीनियरिंग प्रभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इंजीनियरिंग प्रभाग द्वारा प्राप्त उत्पादन मूल्य (वीओपी) ₹71.83 करोड़ था।

पोर्टेबल स्टील ब्रिज यूनिट

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बेली ब्रिज इकाई द्वारा प्राप्त उत्पादन मूल्य गत वर्ष के ₹ 50.16 करोड़ [जिसमें (58) पुलों, 4895 मीट्रिक टन] के मुकाबले ₹60.03 करोड़ [(70) पुलों, 5400 मीट्रिक टन] था।

आपकी कंपनी ने 2021-22 के दौरान 70 पुलों में से चौदह पुलों का निर्यात भूटान (दस पुलों) और नेपाल (चार पुलों) को किया है। वित्त वर्ष 2021-22 में ऐसे निर्यात आदेश से वीओपी ₹7.07 करोड़ है।

बेली ब्रिज यूनिट ने भी अगस्त 2021 में 140 फीट के 1 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज लोड क्लास 70आर बेली ब्रिज की लोड टेस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा करके और सीमा सड़क महानिदेशक (डीजीबीआर) / डोकला में परियोजना स्वास्तिक, सिक्किम में इसकी आपूर्ति करके एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि 27 डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज की आपूर्ति के लिए डीजीबीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था।

डेक मशीनरी यूनिट

आपकी कंपनी की डेक मशीनरी यूनिट विभिन्न डेक मशीनरी उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है जिसमें एंकर कैपस्टन, एंकर विंडलास, मूरिंग कैपस्टन, डॉक कैपस्टन, सामान्य प्रयोजन के डेविट, गोला-बारूद डेविट, इलेक्ट्रिक बोट डेविट, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक बोट डेविट, सर्वे मोटर बोट डेविट्स, हाइड्रोग्राफिक डेविट्स, ओशनोग्राफिक विंच, समुद्र तट के संचालन के लिए एंकर कम जनरल पर्पस विंच, हेलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम (दोनों रेल आधारित और रेल रहित प्रकार) और विभिन्न प्रकार के नेवल पंप जिसमें समुद्री ताजे पानी और आवेदन के आधार पर विभिन्न निर्वहन और क्षमता के समुद्री जल पंप शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, डेक मशीनरी यूनिट का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल उत्पादन मूल्य ₹20.61 करोड़ है। इसमें से डेक मशीनरी प्रभाग का उत्पादन मूल्य आंतरिक खपत को छोड़कर ₹11.80 करोड़ है। विभिन्न नए निर्माण यार्डों के साथ-साथ भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के प्रचालन पोतों को ₹ 6.03 करोड़ के बिक्री मूल्य के उपकरण और पुर्जों की आपूर्ति की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न नए निर्माण यार्डों के साथ-साथ भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षकों के प्रचालन पोतों को कुल छप्पन (56) विभिन्न डेक मशीनरी उपकरण और पंपों की आपूर्ति की गई है। इसके अलावा, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) के लिए रेल लेस हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग सिस्टम के ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक पोतों पर उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।

आदेश पुस्तिका स्थिति

31 मार्च 2022 तक तीन (3) प्रभागों के लिए आपकी कंपनी की कुल आदेश पुस्तिका स्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	प्रभाग / विभाग	31 मार्च 2022 तक के अनुसार समापन आदेश मूल्य (₹ करोड़ में)
ए	**पोत प्रभाग**	
	पोत (बी एवं डी स्पेयर्स सहित)	**23,864.31**
बी	**इंजीनियरिंग प्रभाग**	
	बेली ब्रिज	16.51
	डेक मशीनरी	78.80
	कुल इंजीनियरिंग प्रभाग	**95.31**
सी	इंजन प्रभाग	**143.98**
	कुल (ए+बी+सी)	**24,103.60**

इंजन प्रभाग

रांची में आपकी कंपनी के डीजल इंजन प्लांट (डीईपी) ने फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षण और पी17ए परियोजना के 1 मेगावाट डीए के पहले शिपसेट की डिलीवरी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

इस प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान डीजल इंजन व्यवसाय से ₹ 55.48 करोड़ का उत्पादन मूल्य प्राप्त किया है।

डीईपी रांची ने एमटीयू 4000 सीरीज इंजनों के डब्ल्यू6 रूटीन (ओवरहाल) के लिए भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के साथ दर अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

आप यह भी नोट कर सकते हैं कि बेली ब्रिज कंपोनेंट्स का उत्पादन रांची की डीईपी इकाई में भी किया जा रहा है।

नई पहल

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से दीर्घावधि व्यापार विकास को स्थापित करने, विभिन्न पदचिह्नों को बनाने और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल की है:

(क) मैसर्स कोंग्सबर्ग, स्वीडन के साथ भारत में उच्च स्वदेशी सामग्री स्तर वाले प्रोपलशन वॉटरजेट के निर्माण को एक्सप्लोर करने के लिए।

(ख) मैसर्स ब्रिज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिज़ाइन (बीईआरडी), मातोसिन्होस, पुर्तगाल के साथ भारत और मित्रवत पड़ोसी देशों में नए डिजाइन पुलों के साथ पुल बाजार तक पहुंचने के लिए तालमेल और साझेदारी को एक्सप्लोर करने और चिन्हित करने के लिए। जीआरएसई और बीईआरडी की सहकारिता बाजारों में मॉड्यूलर स्टील ब्रिज के अधिक और विविध उत्पादों की पेशकश करता है।

(ग) मैसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ युद्धपोतों और वाणिज्यिक पोतों के निर्माण और मरम्मत की सुविधा के लिए।

(घ) मैसर्स एबीएस होवरक्राफ्ट लिमिटेड के साथ एक-दूसरे की क्षमता और ताकत का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए सहयोग करने के रास्ते तलाशने के लिए संभावित ग्राहकों (घरेलू और विदेशी) को अनुकूलित डिजाइन और निर्माण के माध्यम से अत्याधुनिक होवरक्राफ्ट प्रदान करने के लिए।

(ङ) नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), डीआरडीओ- रक्षा मंत्रालय विशाखापत्तनम के साथ 4 मेगावाट डीजल इंजन इन्फ्रारेड सिग्नेचर सप्रेशन (डीईआईआरएसएस) प्रणाली के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के लिए।

(च) नौसेना समूह एसए, फ्रांस के साथ जीओडब्ल्यूआईएनडी क्लास फ्रिगेट परियोजना के लिए विस्तृत विचारित सहयोग विकसित करने और उसका एक ढांचा स्थापित करने के लिए।

(छ) मैसर्स सीडीसी कंसल्टिंग डिजाइन इंजीनियरिंग सेंटर प्रा. लिमिटेड के साथ डिजाइन विकास और अनुसंधान के लिए नई डिजाइन आवश्यकता और अत्याधुनिक नई पीढ़ी के डेक मशीनरी आइटम के लिए सिस्टम एकीकरण को आगे बढ़ाने और अनुकूलित करने के लिए।

(ज) मैसर्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपी, कोलकाता) के साथ खिद्दरपुर, कोलकाता में पोर्ट ट्रस्ट के 03 मौजूदा ड्राई डॉक्स के विकास और उपयोग के कार्य करने के लिए। यह सहभागिता पोतों की मरम्मत और रिफिट सहित अतिरिक्त पोत निर्माण गतिविधियों को करने के लिए जीआरएसई की भविष्य की रणनीति में भी योगदान देगा। रियायत समझौते के आधार पर, जीआरएसई-केपीडीडी यूनिट नाम की सुविधा का उद्घाटन किया गया और 01 दिसंबर 21 को जीआरएसई द्वारा एसएमपीके से अधिग्रहण कर लिया गया।

(झ) डीजीबीआर - सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साथ 27 डबल लेन गैल्वेनाइज्ड मॉड्यूलर स्टील ब्रिज लोड क्लास आईआरसी -6 70 आर (कैरिजवे 7.5 मीटर चौड़ा) की आपूर्ति के लिए।

(ञ) मेसर्स वृंदा इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड, कोलकाता के साथ स्थायी इस्पात पुलों की आपूर्ति के लिए सहभागिता हेतु।

अनुसंधान एवं विकास

अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी: आपकी कंपनी ने अंतर्देशीय जल में यात्रियों के परिवहन के लिए पूर्ण इलेक्ट्रिक बैटरी चालित फेरी के लिए एक अवधारणा डिजाइन विकसित किया है। 24 मीटर लंबे एल्युमीनियम के इस पोत की अधिकतम गति 8 समुद्री मील और 145 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यह पारंपरिक अंतर्देशीय फेरियों की जगह देश में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने का अग्रणी प्रयास होगा। यह हुगली नदी के ऊपर चलने वाले डीजल फेरियों को बदलने के लिए एक कदम है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। आपकी कंपनी अब पायलट परियोजना के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक पोत का निर्माण कर रही है।

होवरक्राफ्ट: वर्तमान में, होवरक्राफ्ट तकनीक किसी भी भारतीय फर्म के पास उपलब्ध नहीं है। भारतीय तटरक्षक/भारतीय सेना आदि की विभिन्न आवश्यकताओं को भारतीय शिपयार्डों द्वारा विदेशी ओईएम डिजाइन के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाता है जिसमें विदेशी मुद्रा में रॉयल्टी भुगतान शामिल होता है। आपकी कंपनी ने पूर्व में मैसर्स ग्रिफॉन होवरक्राफ्ट, यूके के सहयोग से भारतीय तटरक्षक बल के लिए होवरक्राफ्ट का निर्माण किया था। वर्तमान में, आपकी कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों और तटरक्षक बल की होवरक्राफ्ट आवश्यकता की दिशा में काम करने की प्रक्रिया में है।

मेक इन इंडिया पहल

आपकी कंपनी ने «मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण» नीति लागू की है जिसके तहत स्वदेशी विक्रेताओं को सहभागिता के साथ लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के माध्यम से, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, सह-उत्पादन, संयोजन, डिजाइन और टीओटी के साथ भारत में निर्माण के द्वारा अधिकतम स्वदेशीकरण सामग्री के साथ बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपकी कंपनी ने देश में अधिकांश आधुनिक युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण के लिए आंतरिक क्षमताएं विकसित की हैं। इन पोतों में से, आपकी कंपनी ने *लैंडिंग क्राफ्ट युटिलिटी पोतों के लिए 90% से अधिक स्वदेशीकरण और एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए 85% से अधिक स्वदेशीकरण हासिल किया है, जो कि* अत्याधुनिक युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने *101 वस्तुओं की एक प्रारंभिक नकारात्मक सूची* प्रकाशित की है, इसके बाद 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची प्रकाशित की है। कई निर्दिष्ट वस्तुओं के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए जीआरएसई की क्षमताओं से रक्षा मंत्रालय-डीडीपी को अवगत करा दिया गया है। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, कई आयातित वस्तुओं की पहचान स्वदेशीकरण के लिए की गई है और उन्हें सृजन पोर्टल पर अपलोड किया गया है। कई इच्छुक घरेलू विक्रेताओं के साथ बातचीत चल रही है। जीआरएसई के पास *'आत्म निर्भर भारत '* के उद्देश्य से 5 साल की स्वदेशीकरण योजना भी है *जो* वर्तमान में आयातित उपकरणों के लिए जो मुख्य रूप से परियोजना विशिष्ट हैं और विभिन्न आगामी परियोजनाओं के लिए निगमन और उपयोग के लिए भी योजना बनाई गई है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, जीआरएसई ने 'मेक इन इंडिया', 'मेक-II', टीआरईडीएस, जीईएम, एमएसएमई संबंध, एमएसएमई समाधान, ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण, ई-प्रोक्योरमेंट, मिश्रित उद्योग समूहों का प्रभावी उपयोग और समग्र आत्मनिर्भरता के लिए *' आत्मनिर्भर भारत '* जैसे विभिन्न उपायों को रक्षा निर्माण के स्वदेशीकरण के लिए घरेलू रक्षा उद्योग का समर्थन करने हेतु लागू किया है।

निर्यात पहल

आपकी कंपनी 2014 में मॉरीशस को एक युद्धपोत, ऑफशोर पेट्रोल वेसल **निर्यात करने वाली पहली भारतीय शिपयार्ड है। जीआरएसई ने सेशेल्स की सरकार को एक फास्ट पेट्रोल वेसल ‹एससीजी पीएस जोरोस्टर› का भी निर्यात किया और 31 मार्च 2022 को** इसकी **गारंटी रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग (जीआरडीडी) को पूरा किया। शिपयार्ड ने** बांग्लादेश सरकार के लिए छह पेट्रोल नौकाओं के निर्माण और डिलीवरी के लिए 1.82 मिलियन अमरीकी डालर का अनुबंध भी हासिल किया और अनुबंध पर 01 जुलाई 2021 को हस्ताक्षर किए गए। यह वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बांग्लादेश से पहला निर्यात आदेश है, जिसमें नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य शिपयार्ड के प्रतिभागी शामिल हैं। **आपकी कंपनी ने मित्र देशों को** नेवल पोतों को **निर्यात करने की पहल की है और फोकस क्षेत्रों के रूप में सार्क, आसियान, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे सेशेल्स, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, गुयाना, मॉरीशस आदि की पहचान की है।**

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने निर्यात आदेश **से ₹60.94 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है** जिसमें पोत **निर्माण और** पोत **मरम्मत से ₹53.87 करोड़ और बेली ब्रिज से ₹7.07 करोड़ शामिल हैं।**

आपकी कंपनी ने अपने उत्पादों के निर्यात के लिए लक्षित बाजार देशों के अधिकारियों के साथ जुड़ने की रणनीति अपनाई है। जीआरएसई नियमित रूप से नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों को पोर्टेबल स्टील बेली ब्रिज और इसके घटकों की आपूर्ति करता है। बेली ब्रिज और उनके घटकों के निर्यात को बांग्लादेश सहित अन्य मित्र देशों (डीएलओसी मार्ग के माध्यम से) में भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

आपकी कंपनी वर्तमान में निम्नलिखित निर्यात आदेश निष्पादित कर रही है:

(क) **गुयाना गणराज्य के लिए** एक **ओशन गोइंग वेसल** (ओजीवी) **की आपूर्ति के लिए 12.73 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात आदेश।।**

(ख) **बांग्लादेश सरकार** हेतु 1.82 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के लिए 06 पेट्रोल / निगरानी नौकाओं की आपूर्ति।

(ग) **सेशेल्स सरकार के एक फास्ट पेट्रोल वेसल** जिसका **निर्माण और** डिलीवरी आपकी कंपनी द्वारा सेशेल्स **सरकार को** की गई थी हेतु 03 वर्षों के रखरखाव/अफ्लोट **सहायता।**

आधारभूत संरचना और तकनीकी आधुनिकीकरण

आपकी कंपनी प्रौद्योगिकी/उत्पादों की बदलती जरूरतों के अनुरूप अपने बुनियादी ढांचे/सुविधाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, संयंत्र और मशीनरी आदि के आधुनिकीकरण की दिशा में सीएपीईएक्स निवेश के एक हिस्से के रूप में ₹ 42 करोड़ खर्च किए हैं। वर्ष के दौरान आधुनिकीकृत कुछ सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

(क) गोलि**याथ** क्रेन परियोजना – ड्राइ डॉक, इनक्लाइंड बर्थ और मॉड्यूल हॉल को कवर करने वाली नई 250 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन (116 मीटर स्पैन) का प्रवर्तीकरण अगस्त 2021 में किया गया। इस सुविधा ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के समान युद्धपोतों के मॉड्यूलर और एकीकृत निर्माण को सक्षम किया है जिसका वर्तमान में उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट्स (पी-17ए) के निर्माण के लिए अनुसरण किया जा रहा है।

(ख) मॉड्यूल हॉल का जीर्णोद्धार - 250 टन गोलियाथ **क्रेन के** 2018 में **गिरने के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त** मेन यूनिट **में** स्थित **मॉड्यूल हॉल को टेलीस्कोपिक स्लाइडिंग रूफ व्यवस्था और सेवाओं के साथ बहाल कर दिया गया है और दिसंबर 2021 में पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया गया है। यह** शॉप **आउटफिटिंग आइटम के साथ 250 टन तक वजन वाले मेगा-हल ब्लॉक** के **एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है।।**

(ग) फिटिंग आउट जे**टी (एफओजे) यूनिट का उन्नयन - आगामी वर्षों में एफओजे में** काफी पोतों **की गहन** आउटफिटिंग **को** ध्यान में रखते **हुए, वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्रवाई की गई है: -**

(i) **जेटी का नवीनीकरण - फिंगर जेटी को सभी फेंडर और बोलार्ड के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और प्रतिस्थापन सहित नवीनीकृत किया गया है।**

(ii) लो टेंशन (एलटी) पावर **का विस्तार** - आधुनिकीकरण के पश्चात, अब फिंगर और नेवल जेटी दोनों व्यक्तिगत रूप से पोत **के आउटफिटिंग कार्य के दौरान 2000 ए (पिछले 630 ए से) तक** के पावर **का उपयोग करने में सक्षम हैं।**

(iii) **विक्रेता शेड** - ओईएम/ठेकेदारों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और स्थान के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए, संबद्ध सुविधाओं के साथ **विक्रेता शेड अधिकतम 50 ठेकेदारों का कार्यालय**/शॉप/**कार्यशाला बनाए गए हैं।।**

(घ) शिपयार्ड की ब्लॉक निर्माण क्षमता का विस्तार - सितंबर 2020 में राजा बागान डॉकयार्ड (आरबीडी) में दो ब्लॉक फैब्रिकेशन शेड के निर्माण के अलावा, शिपयार्ड की ब्लॉक निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक कार्यशाला में 25 टन क्षमता का 02 ईओटी क्रेन स्थापित किया गया है।

(ङ) रूफटॉप सोलर प्लांट - वायुमंडलीय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, फरवरी 2022 में 200केडबल्यूपी रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का प्रवर्तीकरण किया गया है। इसके साथ, जीआरएसई में रूफटॉप सोलर प्लांट की कुल क्षमता अब 1500 केडबल्यू यानी 1.5 एमडबल्यू है।

(च) **तकनीकी आधुनिकीकरण** - नौसेना मुख्यालय (नई दिल्ली), एमडीएल (मुंबई), जीआरएसई (कोलकाता) और एक आपदा रिकवरी साइट में डेटा के इंटरकनेक्शन के लिए मैसर्स सीमेंस द्वारा पी-

17ए परियोजना के लिए उत्पाद डेटा प्रबंधन (पीडीएम) और उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन (पीएलएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है । डिजाइन गतिविधियों से संबंधित मॉड्यूल 21 नवंबर से लाइव हो गया है।

(i) इसके अलावा, पी-17ए के अलावा सभी पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए पीएलएम प्लेटफॉर्म पर आधारित एक परियोजना प्रबंधन प्रणाली भी कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है।

(ii) दो पोतों के लिए क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (सीसीपीएम) प्रणाली भी लागू की जा रही है।

(iii) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए, एआई आधारित एप्लिकेशन "प्रोक्योरमेंट एक्सेलेरेटर" को 2021 में लागू किया गया है।

निदेशक रिपोर्ट

भावी दृष्टिकोण

इस समय भारतीय सहस्त्र बलों के लिए समवर्ती रूप से 16 युद्धपोतों के निर्माण हेतु मजबूत आदेश पुस्तिका के साथ जीआरएसई के लिए आने वाला समय बेहद रोमांचक है। रक्षामंत्री द्वारा हाल ही में की गई नीति घोषणा के अंतर्गत रक्षा खंड में अगले पांच वर्षों में आयात की नकारात्मक सूची में '101 वस्तुओं की प्रारंभिक नकारात्मक सूची के बाद दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची ' की घोषणा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के बड़े उद्देश्य के हिस्से के रूप में भारतीय उद्योग को बड़े अवसर प्रदान करते हैं। ऐसी कई निर्दिष्ट वस्तुओं के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए जीआरएसई की क्षमताओं से रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को भी अवगत कराया गया है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की महत्वाकांक्षी अधिग्रहण योजना के कारण रक्षा पोत निर्माण खंड आशाजनक दिख रहा है जो भारतीय पोत निर्माताओं और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी उत्साहजनक है। पिछले एक साल के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए कई प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किए गए हैं और निकट भविष्य में कुछ और सामने आने की उम्मीद है। इसके अलावा, रक्षा उत्पादों के निर्यात को 2024-25 के अंत तक 3.59 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने की योजना हम सभी के लिए शुभ संकेत है।

आत्मनिर्भर भारत ‹ को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा की गई **सभी नीतिगत पहलों के साथ** , आने वाले वर्षों में युद्धपोत निर्माण के लिए समग्र परिदृश्य काफी सकारात्मक दिखता है। हालांकि, इसे वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए क्षमताओं और दक्षताओं के निर्माण की आवश्यकता है। पोत निर्माण में वैश्विक खिलाड़ी बनने के हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कंपनी के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने का यह एक अच्छा अवसर है। संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों और आधुनिक उपकरणों को अपनाने की हमारी इच्छा कंपनी की दक्षता, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार, कंपनी ने ‹डिजाइन›, ‹योजना›, ‹उत्पादन› और ‹आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन› जैसे कामकाज के अपने मुख्य क्षेत्रों में उद्योग 4.0 प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए एक मिशन शुरू किया है।

स्थायी व्यापार वृद्धि और स्थिरता के लिए आपकी कंपनी की प्रमुख भावी योजनाएं इस प्रकार हैं:

(क) लागत, डिलीवरी समय, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से संपूर्ण संचालन को देखते हुए निर्यात में अपनी उपस्थिति को बढ़ाकर एक वैश्विक खिलाड़ी बनने का लक्ष्य है। इस संबंध में, जीआरएसई मित्र देशों को निर्यात के लिए भू-रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए विपणन प्रतिनिधियों को शामिल करने की सभी संभावनाओं का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है।

(ख) आपकी कंपनी का मानना है कि उत्पादन प्रक्रियाओं में नवाचार के साथ-साथ बढ़ी हुई दक्षता और संसाधनों का इष्टतम उपयोग उत्पादन लागत को कम करने की कुंजी है। कंपनी अपनी खरीद और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने का इरादा रखती है।

(ग) अगले 05 वर्षों में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, गृह मंत्रालय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से अनुमानित और संभावित अवसरों के मूल्यांकन की दिशा में निरंतर प्रयास।

(घ) आपकी कंपनी भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और गृह मंत्रालय से जीआरएसई निर्मित पोतों के एएमसी और रिफिट के लिए आदेश हासिल करने का लक्ष्य बना रही है, और इस माध्यम से रिफिट और मरम्मत व्यवसाय वर्टिकल को मजबूत करने की योजना है।

विक्रेता विकास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन के साथ विक्रेता विकास

हमारे विक्रेता आधार ने जीआरएसई के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपकी कंपनी सीआईआई, बीसीसीआई, एमएसएमई, आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों द्वारा आयोजित विभिन्न वेंडर मीट, सेमिनार, वेबिनार आदि के माध्यम से एमएसएमई विक्रेताओं की निरंतर खोज में है। चल रही महामारी के इस दौर में, जीआरएसई वेबिनार के माध्यम से सक्षम उद्यमियों की पहचान करने के लिए प्रयासरत है।

आपकी कंपनी ने कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन के बावजूद उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह आउटसोर्स की गई नौकरियों पर अनुबंध प्रबंधन के प्रभावी निष्पादन, अच्छी सक्षम सेवा और आपूर्ति विक्रेता की नियुक्ति, उचित विक्रेता संबंध बनाए रखने और विक्रेता के निष्पादन की निगरानी के साथ संभव हुआ। इसे प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी ने विक्रेता शिकायत निवारण प्रणाली, सेवा और आपूर्ति विक्रेता के लिए ऑनलाइन निष्पादन रेटिंग प्रणाली शुरू की है। इसके अलावा, पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और पंजीकरण चक्र के समय को कम करने के लिए नए विक्रेता के लिए ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण का विकास किया गया है।

आपकी कंपनी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति लागू की है। आपकी कंपनी जहां भी आवश्यक हो, इन उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन और अपेक्षित सहायता प्रदान करती है। आपकी कंपनी सीआईआई और एमएसएमई मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से नियमित रूप से एमएसई विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमारे गुणवत्ता नियंत्रण कर्मी इन उद्योगों की सहायता और यह सुनिश्चित करने के लिए जाते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता अपेक्षित मानकों को पूरा करती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने एमएसई से ₹ 589.81 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की खरीद की, जो कुल वार्षिक खरीद मूल्य का 64% (लगभग) है (एमएसई के लिए लागू निषेधों पर विचार करते हुए)। एमएसई खरीद के लिए आरक्षित मदों की सूची आपकी कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/policies-for-msme/ पर उपलब्ध है।

तुम्हारी कंपनी ने सरकारी दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करते हुए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म और एमएस एम ई संबंध और एमएस एम ई समाधान पोर्टल्स पर ऑन-बोर्ड किया है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम)

आपकी कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य उपयोग की ऑनलाइन खरीद के लिए सामान्य वित्तीय नियम , 2017 के नियम संख्या 149 के अनुसार जीईएम के साथ पंजीकृत किया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से ₹ 305 करोड़ मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का आंकड़ा हासिल किया है।

ईआरपी एवं आईटी

आपकी कंपनी अपनी सभी गतिविधियों में एसएपी कार्यान्वयन और आईटी पहलों पर जोर दे रही है। ईआरपी और आईटी के क्षेत्र में मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) **आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर** : आपकी कंपनी ने कोलकाता में ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर (डीसी) और मुंबई में डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआर) स्थापित किया है। इसके सभी स्थानीय और दूरस्थ स्थान निर्बाध डेटा हस्तांतरण और संचार के लिए समर्पित लीज लाइनों और लैन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जीआरएसई ने 2010 में एसएपी ईआरपी में आपूर्ति श्रृंखला, वित्त, मानव संसाधन, पेरोल, विक्रेता, संयंत्र रखरखाव आदि जैसी प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पहले ही मैप कर दिया है। कुल डिजाइन संचालन अवीवा सीएडी, वीआर एलएबी, पीडीएम -पीएलएम आदि के साथ सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म के तहत कवर किया गया है।

(ख) **साइबर सुरक्षा :** आपकी कंपनी के पास साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना है। निदेशक (कार्मिक) को कंपनी के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में नामित किया गया है। सीडीएसी द्वारा साइबर सुरक्षा कोर समूह को साइबर सुरक्षा संवर्धित जागरूकता प्रशिक्षण। पूरे संगठन में एआईआर-जीएपी कार्यान्वयन और आईएलएल आधारित इंटरनेट लैन इसकी सभी यूनिटों में लागू किया गया।

(ग) **ईआरपी-एसएपी :** जीआरएसई ने महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिस पर सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं निर्भर हैं। इसमें ईआरपी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेल सर्वर, वैन, लैन, नेटवर्क सुरक्षा घटक, एंटीवायरस और पैच प्रबंधन शामिल हैं। इसके अलावा, ईआरपी/एसएपी कोर टीम को भी फिर से सक्रिय किया गया है।

(घ) **पीडीएम / पीएलएम (उत्पाद डेटा प्रबंधन / उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन)** : अवीवा मरीन आधारित पीडीएम और सीमेंस टीम सेंटर आधारित पीएलएम सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन कार्यान्वयन के अधीन है। पीडीएम / पीएलएम के उपयोग के साथ मॉड्यूलर निर्माण प्रौद्योगिकी दक्षता में सुधार करेगी और पी17ए पोतों के निर्माण समय को कम करेगी। अवीवा सीएडी डेटा का पीएलएम के साथ एकीकरण पूरा हो गया है। एसवीएल और एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी परियोजनाओं के लिए पीएमएस (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम) को पोत उत्पादन निदेशालय (डीएसपी) और नौसेना डिजाइन निदेशालय (डीएनडी) के साथ सहयोग करने के लिए पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके अलावा, सीसीपीएम (क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) पहले ही दो पोतों के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में लागू किया जा चुका है।

(ङ) **वर्क फ्रॉम होम :** नामांकित उपयोगकर्ताओं को "वर्क फ्रॉम होम" और आंतरिक, मंत्रालय और बाहरी हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग किए जा रहे वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) पर आधारित निर्बाध हाई-एंड डिवाइस के लिए सुरक्षित वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(च) **अभिगम नियंत्रण प्रणाली :** जीआरएसई पहले से ही स्थायी और संविदा कर्मचारियों दोनों के लिए फिंगर प्रिंट आधारित प्रणाली से फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में माइग्रेट कर चुका है।

(छ) **कर्मचारी पोर्टल :** पीएमएस (निष्पादन प्रबंधन प्रणाली), ई-नोट शीट, ई-फाइल ट्रैकिंग, कर्मचारी सर्वेक्षण, संपत्ति ट्रैकिंग, उत्पादन निगरानी, क्यूएमएस, उपस्थिति, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी दस्तावेज जैसे कि सैलरी स्लिप, पीएफ-पेंशन-टैक्स आदि जैसे विभिन्न ऑनलाइन मॉड्यूल को कवर करने के लिए कर्मचारी पोर्टल को नया रूप दिया गया है। जैसे।

मानव संसाधन और प्रशासन

2022 तक कंपनी के स्थायी रोल के तहत कुल जनशक्ति 1790 कर्मचारी थी, जिसमें नियमित रोल पर 479 अधिकारी, निश्चित अवधि के अनुबंध पर 43 अधिकारी और 39 पर्यवेक्षक शामिल थे।

31 दिसंबर 2021 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं आदि के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ जनवरी से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान की गई कुल भर्ती को दर्शाने वाले विवरण **इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "क और ख"** में दिए गए हैं।

इसके अलावा, निगमित मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों के प्रावधानों से छूट दी गई है।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान डीईपी, रांची सहित कंपनी की सभी इकाइयों में औद्योगिक संबंध कमोबेश शांतिपूर्ण रहे।

(i) **ट्रेड यूनियन को 'सोल बारगेनिंग एजेंट' के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए चुनाव**

ट्रेड यूनियन को सोल बारगेनिंग एजेंट के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए चुनाव 02 दिसंबर 2021 को गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से हुआ और मेन यार्ड, 61 पार्क, जीआरएसई भवन , एफओजे, तराताला , आरबीडी, टीटीसी, बेलूर और क्षेत्रीय कार्यालय-दिल्ली में तैनात प्रचालकों ने सोल बारगेनिंग एजेंट के चुनाव के लिए इसमें भाग लिया। यह चुनाव ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार कार्यालय, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। चुनाव में, गार्डन रीच वर्कशॉप मजदूर एंड स्टाफ यूनियन 03 दिसंबर 21 से 02 वर्षों के लिए 'सोल बारगेनिंग यूनियन' के रूप में उभरा। प्रबंधन ने चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं कीं।

(ii) **डीईपी इकाई, रांची के संघीकृत कर्मचारियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर 03 जुलाई 2021 को डीईपी, रांची के यूनियन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 04 यूनियनों के साथ हस्ताक्षर किए गए। एमओएस पर 01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2026 तक 10 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। एमओएस को लागू किया गया और सितंबर 2021 के महीने में बकाया का भुगतान किया गया।

मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के संतुलित कार्यबल का पोषण और विकास कर रही है जो संगठन के विकास पथ को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। कंपनी ने ऐसे माहौल में कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता और एकजुट टीम वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, आपकी कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तकनीकी, नेतृत्व, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, कार्यात्मक, क्रॉस-फ़ंक्शनल और व्यवहारिक दक्षता विकास विषयों को कवर करते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित वार्षिक प्रशिक्षण योजना तैयार और कार्यान्वित की है। वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2480 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त किए गए। महामारी परिदृश्य के कारण, भारत में बाहरी एजेंसियों/प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाओं/सम्मेलनों/वेबिनार में प्रतिभागियों को नामांकित करके अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए थे। प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों से शिक्षकों/प्रशिक्षकों को आमंत्रित करके आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कंपनी ने शिपयार्ड में एक मजबूत सक्षमता मानचित्रण ढांचा विकसित करने के लिए सक्षमता मानचित्रण पर एक संशोधित नीति भी जारी की है।

अपरेंटिस अधिनियम के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण : कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 260 अपरेंटिस को प्रशिक्षित किया है। अपरेंटिस ट्रेड अपरेंटिस, ग्रेजुएट अपरेंटिस और तकनीशियन अपरेंटिस श्रेणियों के तहत लगे हुए हैं और उनकी कुल संख्या कुल जनशक्ति का लगभग 15% है जो कि 2.5% की वैधानिक आवश्यकता से अधिक है। कंपनी के पास शिक्षुता प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र नामक एक समर्पित अपरेंटिस प्रशिक्षण स्कूल है। तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षुओं के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। यार्ड में नौकरी प्रशिक्षण के लिए रखे जाने से पहले सभी प्रशिक्षुओं के लिए संरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

कर्मचारी जुड़ाव पहल

आउटबाउंड टीमबिल्डिंग प्रोग्राम : हमारे कर्मचारियों के लिए नियमित आउटबाउंड टीम बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं।

अधिकारियों के लिए आउटबाउंड टीमबिल्डिंग कार्यशाला - ' उत्कर्ष (III)'

महिला कर्मचारियों के लिए आउटबाउंड जुड़ाव कार्यक्रम - वनिता'22

परियोजना एसवीएल के लिए आउटबाउंड टीमबिल्डिंग कार्यशाला - ' उत्कर्ष (iv)'

जीआरएसई दिवस समारोह : वार्षिक परिवार दिवस 2021-22 ' अहोबन ' 03 अप्रैल 2022 को मनाया गया। इस कार्यक्रम ने कर्मचारियों के बीच भारी रुचि पैदा की और कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के आनंद के लिए आयोजित गतिविधियों की एक श्रृंखला के साथ पूरे शिपयार्ड में उत्साह की लहर फैल गई।

नई मानव संसाधन पहल

समूह संरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क

आपकी कंपनी अपने कार्यस्थल के परिदृश्य को बदलने में सबसे आगे रही है। शिपयार्ड के अंदर अपने संरक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटना सुनिश्चित करने के आदर्श वाक्य के साथ समूह संरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क (जीएसटीके) की स्थापना के माध्यम से ठेकेदारों के कामगारों के लिए एक सिस्टम-आधारित संरक्षा प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है।

कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण

कर्मचारी संतुष्टि एक प्रमुख मेट्रिक्स है जो किसी संगठन के समग्र स्वास्थ्य को निर्धारित करने में मदद कर सकता है। वर्ष 2021 के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए ऑनलाइन कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण का उद्देश्य कार्य जीवन की गुणवत्ता (कार्य पर्यावरण), कंपनी के आम जन हेतु नीतियों और प्रथाओं (मुआवजा / लाभ / सुविधाएं), संचार, सीखना और विकास, पुरस्कार और मान्यता जैसे मानकों पर जीआरएसई में कर्मचारियों की संतुष्टि को मापना था। काफी संख्या में कर्मचारियों ने सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से भाग लिया और खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत कीं। कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया और सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त फीडबैक के आधार पर कई पहल की जा रही हैं।

अनुबंध श्रम प्रबंधन सॉफ्टवेयर

आपकी कंपनी ने सभी तीन पोत निर्माण यूनिटों में डिजिटलीकरण अभियान के एक भाग के रूप में अनुबंध श्रम प्रबंधन सॉफ्टवेयर (सीएलएमएस) स्थापित किया है, ताकि पारदर्शिता लाने के साथ-साथ कारखाने परिसर के अंदर तैनात अपने कामगारों के संबंध में ठेकेदारों द्वारा मजबूत और त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। .

कार्यस्थल कोविड टीकाकरण केंद्र

कोविड 19 महामारी की स्थिति के दौरान कार्यबल से बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए , आपकी कंपनी ने स्वास्थ्य विभाग, पश्चिम बंगाल

सरकार के सहयोग से कंपनी परिसर के अंदर कोविड टीकाकरण केंद्र शुरू किया और स्थायी कर्मचारियों और ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया।

रक्षा मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में , जीआरएसई ने 01 दिसंबर से 15 दिसंबर 21 तक एमओडी स्वच्छता पखवाड़ा का पालन किया और जीआरएसई की यूनिटों के अंदर और बाहर कई कार्यक्रम / गतिविधियाँ आयोजित की गईं। आपकी कंपनी को डीपीएसयू स्वच्छता पखवाड़ा प्रतियोगिता में रक्षा मंत्रालय द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)

कंपनी ने दिव्यांग कर्मचारियों को क़ानून/सरकारी निर्देश अनुसार सभी आवश्यक छूट/छूटें प्रदान कीं। वर्ष 2021 के दौरान कंपनी ने कुल 43 कर्मचारियों की भर्ती में से 01 पीडब्ल्यूडी की भर्ती की है।

महिलाओं का सशक्तिकरण

वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में कंपनी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या का 4.97% है। 2021 के दौरान 43 में से 04 महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जो 9.3% है।

काम के दौरान संरक्षा

शिपयार्ड ने «शून्य दुर्घटना» के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसे प्राप्त करने के लिए, कार्यस्थल पर संरक्षा मानदंडों और प्रक्रियाओं की कड़ी निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से संरक्षा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान 3.02 की संरक्षा आवृत्ति दर हासिल की है।

औद्योगिक सुरक्षा

जीआरएसई राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है और इसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा विशेष सुरक्षा क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को राष्ट्रीय महत्व मिला है। आपकी कंपनी की पोत निर्माण यूनिटों की भौतिक सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ़) को सौंपी गई है। सशस्त्र कर्मियों के साथ चौबीस घंटे वाटर-फ्रंट गश्त और सभी संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करने वाली एक मजबूत सीसीटीवी प्रणाली लागू है।

राजभाषा

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा (ओएल) नीति का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया है। राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों में शामिल हैं:

(क) **हिंदी माह आयोजन** : कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों में सितंबर माह के दौरान हिंदी माह और हिंदी दिवस मनाया गया। माह के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

(ख) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति** : विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें आयोजित की गईं।

(ग) **प्रोत्साहन** : सभी कर्मचारियों के बीच प्रोत्साहन योजनाओं का प्रचार किया जाता है और इन योजनाओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार और सम्मान

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को निम्नलिखित प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं:

(क) **'फॉर्च्यून द नेक्स्ट 500 - 2021' सूची** में जीआरएसई की रैंकिंग : जीआरएसई ने 2020 के 123 वें स्थान से अपनी रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार देखा और फॉर्च्यून नेक्स्ट 500- 2021 में भारत में कंपनियों की सूची में 2021 में 40 $^{वें}$ स्थान पर पहुँचने की एक विशाल छलांग लगाई ।

(ख) **जीआरएसई गुणवत्ता सर्किल टीमों को सम्मान**: चार टीमों को 'उत्कृष्टता' पुरस्कार से सम्मानित किया गया और तीन टीमों को गुणवत्ता मंडल (एनसीक्यूसी) 2021 के लिए राष्ट्रीय परिषद में 'उत्कृष्टता' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(ग) **निगमित उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 : « इनोवेटीव लीडर इन मेनुफ़ेक्चरिंग**" श्रेणी में 27 अगस्त 21 को सम्मानित किया गया।

(घ) **ब्रांडिंग और मार्केटिंग में उत्कृष्टता की श्रेणी में ‹सीईओ ऑफ द ईयर› के लिए एशियन लीडरशिप अवार्ड 2021:** ब्रांडिंग और मार्केटिंग में उत्कृष्टता की श्रेणी में ‹सीईओ ऑफ द ईयर› के लिए एशियन लीडरशिप अवार्ड 2021

(ङ) **8$^{वां}$ गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड्स** : 29 जुलाई 21 को जीआरएसई को "सीएसआर प्रतिबद्धता", "डिजिटल पीएसयू", "रिसर्च एंड इनोवेशन" और "कम्युनिकेशन आउटरीच" श्रेणियों में 8 $^{वां}$ गवर्नेंस नाउ पीएसयू पुरस्कार प्रदान किया गया।

निगमित प्रशासन

आपकी कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता पर जोर देना जारी रखी है। आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत लागू नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश का अनुपालन करती है सिवाए निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में, अर्थात एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उसके परिणामस्वरूप सांविधिक समितियों से संबंधित अनुपालन के। जीआरएसई चूंकि एक सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है और कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की हैं। कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन करने का भी प्रयास करती है।

इसके अलावा, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग, दिशानिर्देश के अंतर्गत सीपीएसई को दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डीपीई ने वर्ष 2021-22 के लिए जीआरएसई को "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किया है।

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 34 और डीपीई दिशानिर्देश के संदर्भ में, मैसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ निगमित प्रशासन पर एक प्रतिवेदन इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

आपकी कंपनी के बोर्ड में कुल दस (10) निदेशक शामिल हैं जिसमें चार (4) पूर्णकालिक निदेशक, पांच (5) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं, जिनमें एक (1) महिला निदेशक और एक (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	डॉ. विश्वप्रिय रॉयचौधरी	स्वतंत्र निदेशक	-	15 अगस्त 2021
2	कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	निदेशक (पोत निर्माण)	-	31 दिसंबर 2021
3	रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	28 फरवरी 2022
4	श्री संजय दत्तात्रेय पणसे	स्वतंत्र निदेशक	27 दिसंबर 2021	-

रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 206 और 207 के अनुसार, श्री रमेश कुमार दास, निदेशक (वित्त) और सीएफओ, जिन्होंने निदेशक मंडल में और सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों में से सबसे लंबे समय तक सेवा की है, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा और मानदंडों की पूर्ति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी को कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से इस बात की पुष्टि मिली है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग और सेबी लिस्टिंग विनियम द्वारा जारी दिशानिर्देश के निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं, । इसके अलावा, बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने खुद को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) के साथ पंजीकृत किया है, और अपना नाम वैधानिक समय सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में शामिल कर लिया है और जहां भी लागू हो, वे निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वर्ष 2021-22 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में अनुपलब्धता के कारण स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित नहीं की गई।

बोर्ड की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की सात (07) बैठकें आयोजित की गई। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ' निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट ' देखें।

मंडल के निष्पादन का मूल्यांकन एवं पारिश्रमिक नीति

आपकी कंपनी **रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की कंपनी है।** वर्तमान में, कंपनी के निदेशक प्रेसीडेंशियल नियुक्तियां हैं और उनका पारिश्रमिक इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार तय किया गया है । तदनुसार, आपकी कंपनी के आर्टिक्लस ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 194 और 214 में उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे । चूँकि, मंडल स्तर की नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, ऐसे नियुक्तिकर्ताओं के निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

लेखा परीक्षा समिति

सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और सेबी लिस्टिंग विनियम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुरूप कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण 31 मार्च 2022 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था। आपकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ऐसी नियुक्ति उनकी और से लंबित है।

वर्ष के दौरान, सभी कार्यसूची मदों, जिन पर लेखापरीक्षा समिति में चर्चा की जानी है, को चर्चा और अनुमोदन के लिए सीधे मंडल के समक्ष रखा गया था।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ‹ निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट › का संदर्भ लें ।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि: -

(1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक खाता की तैयारी में, अनुसूची III के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया नहीं गया है है;

(2) निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू भी किया था और उनके आधार पर सारे निर्णय लिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2022 तक के अनुसार आपकी कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लाभ का एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त हो सके;;

(3) निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;;

(4) निदेशकों ने 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे;

(5) निदेशकों ने आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया था और इस तरह के अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(6) निदेशकों ने लागू होने योग्य सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन मैसर्स मुखर्जी, विश्वास एवं पाठक, सनदी लेखाकार, कोलकाता को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सीएजी की टिप्पणियां इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं ।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण) नियम, 2014 के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स चट्टर्जी एंड कं., लागत लेखापाल, कोलकाता को आपकी कंपनी द्वारा रखे जाने वाले लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त किया । मैसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी की सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट - "ग" में प्रस्तुत किया गया है । इस सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। हालांकि, सचिवीय लेखा परीक्षक ने पाया कि कंपनी के पास महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी । सचिवीय लेखा परीक्षक ने यह भी पाया कि **वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण** लेखा परीक्षा समिति और मानव

संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति गठित नहीं थी **और साथ ही** 15 अगस्त 2021 से 11 फरवरी 2022 तक शेयर**धारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और** निगमित **सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति का गठन नहीं किया गया था।**

कंपनी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन, (स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक सहित) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने कई मौकों पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी), भारत सरकार से बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। शासन से नियुक्ति/नामांकन आदेश की प्रतीक्षा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए अन्य अवलोकन और स्पष्टीकरण स्व-व्याख्यात्मक हैं।

सेबी के दिनांक 8 फरवरी, 2019 के परिपत्र सं. सीआईआर/ सीएफ़डी/ सीएमडी1/27/2019 के अनुसरण में कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के पास दायर की गई सेबी विनियमों/परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी के मैसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी, प्रैक्टीसिंग कंपनी सचिव से वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की है। उक्त रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के मंडल ने मैसर्स वी सिंघी और एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

शून्य

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम एवं विनयम 23 के तहत किसी अनुबंध/ व्यवस्था/सौदे में प्रवेश नहीं किया है। आपके निदेशक भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्ष को निर्धारित करने वाले वित्तीय विवरणों के लिए नोट 33 पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं। संबंधित पक्ष के लेनदेन के विवरण फार्म एओसी-2 इस रिपोर्ट को परिशिष्ट - " डी " में संलग्न किया गया है -जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत आवश्यक है। कंपनी की संबंधित पक्ष लेनदेन पर एक नीति है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Policy-for-Related-Party-Transcation-GRSE.pdf।

ऋण, गारंटी या निवेश के ब्यौरे

रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित नहीं किया है:

1. **किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण दिया गया है;**
2. **किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई;**
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित सदस्यता, खरीद या अन्यथा, किसी अन्य निकाय **निगमित** की प्रतिभूतियों द्वारा अधिग्रहित।

सतर्कता तंत्र

अपने सतर्कता तंत्र के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक व्हिसल ब्लोवर नीति अपनाई है ताकि वे प्रबंधन को अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आपकी कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना दे सकें। व्हिसल ब्लोवर नीति के अनुसार, एक व्हिसल आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (या कोई व्यक्ति जिसे उन्होंने अपना अधिकार सौंपा है) को लिखित संचार भेज सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह सीधे लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष को भी इस तरह का संरक्षित प्रकटीकरण भेज सकता है। संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने पर, मामले की छानबीन के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा मनोनीत एक कार्यात्मक निदेशक और लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों को लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष तक पहुँच प्रदान किया गया है। व्हिसल नीति को निम्नलिखित के माध्यम से आपकी कंपनी के वेबसाइट:https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Whistle-Blower-Policy-1.pdf पर देखा जा सकता है।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिटर्न आपकी कंपनी के वेबसाईट https://grse.in/annual-returns/ पर उपलब्ध होगा।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशनों एवं सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अधीन यथा-वांछित, इस वार्षिक प्रतिवेदन के भाग का निर्माण करती है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

जीआरएसई सामाजिक रूप से सतत समावेशी विकास में विश्वास करता है जो बेहतर सस्टेनबल समुदाय के निर्माण में योगदान दे सकता है और लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से उत्पादन यूनिटों के आसपास रहने वाले हाशिए पर स्थित वर्ग हेतु सीएसआर पहल करके। पिछले कुछ वर्षों में, जीआरएसई ने सतत विकास के लक्ष्यों के लिए अपनी सीएसआर पहलों को लगातार संरेखित करके लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के लिए समाज के अंदर एक सकारात्मक पदचिह्न बनाया है।

जीआरएसई की सीएसआर नीति निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं. जी.एस.आर.40 (ई) दिनांक 22 जनवरी 2021 के अनुसार कंपनीज (कॉर्पोरेट सोसल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी) अमेण्डमेण्ट रूल्स, 2021 के अनुसार संशोधित की गई है। संशोधित जीआरएसई सीएसआर नीति 07 सितंबर 2022 को लागू की गई थी तथा कंपनी की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

कंपनी की सीएसआर पहल के फोकस एरिया में शामिल है – स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, शैक्षिक संस्थानों का संरचना विकास, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई अभियान , जल-निकासी एवं स्वास्थ्य, दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाना तथा हाशिए वाले क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तथापि, भारत में कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, जीआरएसई ने कारखाने परिसर के आसपास रहने वाले हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना जैसे कोविड की रोकथाम की पहल के महान कार्यों की शुरुआत की। विशेष रूप से तब जब यह वर्ग महामारी की चपेट में था, पोषण की खुराक के प्रावधान सहित वंचित आदिवासी बच्चों के विकलांग और समग्र विकास को मुख्य धारा में लाने पर भी जोर दिया गया। वित्त वर्ष 2020-21 में चलाई गई सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन **परिशिष्ट-ई** में दर्शाया गया है।

जोखिम प्रबंधन

सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन्स, 2015 के रेगुलेशन 21 के अनुसरण में कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति का विवरण एवं इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंश, जोखिम प्रबंधन नीति आदि निगमित शासन रिपोर्ट में दर्शायी गई है तथा जोखिम प्रबंधन पर एक विस्तृत नोट प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का अंश है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट ("बीआर रिपोर्ट") को शामिल किया है। सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 (2) (एफ) विनियमों में कहा गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में निर्दिष्ट प्रारूप में पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से सूचीबद्ध संस्था द्वारा की गई पहल का वर्णन करने वाली एक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल होगी। तदनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट को जोड़ा गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी है, जो इस रिपोर्ट का अंश है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

आपकी आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है, ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और कंपनियों (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी की प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जीएसआर नंबर 680 (ई) दिनांक 04 सितंबर 2015 के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छूट दी है।

आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, आपकी कंपनी के पास आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार आरटीआई मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के माध्यम से कुल 119 आरटीआई अनुरोध प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष शेष 8 अदद आरटीआई आवेदन को इस वर्ष में आगे ले जाये गये। वर्ष के दौरान कुल 96 आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया गया और 1 आरटीआई आवेदन भारत सरकार के अन्य संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया और शेष 30 आरटीआई आवेदनों को वर्ष 2022-23 तक ‹आगे ले जाये गए ‘ के रूप में लिया गया। तिमाही विवरणियां सीआईसी की वेबसाइट के साथ-साथ डीओपीटी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जा रही हैं। सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण को सीआईसी द्वारा निर्देशित आरटीआई लिंक के तहत जीआरएसई की वेबसाइट पर अपडेट किया गया था। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 26 के प्रावधान के अनुपालन में वर्ष 2021-22 के दौरान आरटीआई अधिनियम पर एक आंतरिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्यस्थल महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013' की धारा 4 के अनुसार, एक बाह्य स्वतंत्र सदस्य जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति हैं, के साथ 18 अगस्त 17 को आतंरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं:

(1) वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या: शून्य

(2) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

(3) नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

(4) यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या: दो

(5) वर्ष के दौरान आयोजित आंतरिक समिति की बैठकों की संख्या: दो

लोक शिकायतें

शिकायत का पारदर्शी एवं समय-बद्ध तरीके से निवारण के सुविधार्थ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय, जन अभियोग एवं पेंशन, भारत सरकार ने एक वेब आधारित मॉनीटरिंग सिस्टम www.pqportal.gov.in (पीजी पोर्टल) पर प्रारंभ किया है।

आपकी कंपनी एक कुशल और समयबद्ध तरीके से जन शिकायतों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जनता की शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच कर मामले को पूरी तत्परता से हल किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 25 नं. ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से जन शिकायतें प्राप्त हुई थी जबकि 1 नं. ओपनिंग बैलेंस के अनुसार थी जो पिछले वर्ष से आगे लाया गया था। उपरोक्त सभी 26 नं. जन शिकायतों का समाधान 2021-22 के भीतर किया गया। नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट ने पीजी पोर्टल का लिंक प्रदान किया है।

सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य, कंपनी के क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है। इसके लिए, इस विभाग ने वर्ष के दौरान पूर्वनुमानिक और निवारक दोनों तरह की सतर्कता पर ध्यान दिया। कई क्षेत्रों के क्रियाकलापों को ग्रहण किया गया और विभिन्न प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया, विश्लेषण किया गया और उनकी जांच की गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जांच और संतुलन की प्रणालियाँ, आवश्यक मानदंडों के अनुसार काम कर रही हैं। कई मामलों में, प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार के लिए सलाह दी गई थी। उपरोक्त के अलावा, सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां भी की गईं:

(1) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर जांच की गई और उचित कार्रवाई की गई।

(2) निवारक उपाय के रूप में, नियमित और औचक निरीक्षण और फाइलों के सत्यापन का कार्य किया गया।

(3) क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन को व्यवस्था में सुधार के सुझाव दिए गए हैं।

(4) सीवीसी के निर्देशानुसार, अधिकारियों को निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण नवंबर 2020 से शुरू किया गया है। प्रत्येक माह 20 अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

(5) अधिकारियों द्वारा दायर वार्षिक संपत्ति विवरण की जांच की गई। विभिन्न चरणों में अधिकारियों की सतर्कता स्थिति का आकलन किया गया। कंपनी में संवेदनशील पदों की पहचान की गई और अधिकारियों के रोटेशन के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के बिंदुओं के कार्यान्वयन की निगरानी त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से की जा रही है और रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई कार्रवाई की स्थिति के बारे में सूचित किया गया है।

(6) निम्नलिखित सतर्कता गतिविधियों को 2022 में ऑनलाइन कर दिया गया है:

(i) वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना

(ii) कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी की प्रक्रिया

(7) सीबीआई के साथ सहमत सूची तैयार की गई थी और सीबीआई के साथ घनिष्ठ संपर्क भी बनाए रखा गया था।

(8) कंपनी ने 26 अक्टूबर - 01 नवंबर 2021 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आउटरीच गतिविधियों को अंजाम दिया

(9) सतर्कता मामलों की स्थिति से अवगत कराने के लिए नियमित अंतराल पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ सीवीओ की बैठक की गई।

अखंडता समझौता

खरीद गतिविधि में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की पहलों में से एक बड़े मूल्य के अनुबंधों में सत्यनिष्ठा संधि की शुरूआत का उद्देश्य है। रक्षा मंत्रालय और सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ ₹ 2 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों/अनुबंधों के लिए सत्यनिष्ठा समझौता अपनाया है।

सत्यनिष्ठा अनुबंध संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और मालिक (जीआरएसई) के बीच एक करार पर अनिवार्य रूप से विचार करता है, जो दोनों ओर के व्यक्तियों/अधिकारियों को वचनबद्ध करता है- ठेके के किसी भी स्तर/पहलू में कोई भी भ्रष्टाचार जनित कार्य न करने के लिए। सिर्फ उसी विक्रेता /बोलीदाता को, जो इसप्रकार के अनुबंध के लिए मालिक के साथ बचनबद्ध हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा। किसी खास ठेके के सम्बन्ध में सत्यनिष्ठा अनुबंध बोली आमंत्रण के स्तर से लेकर ठेके के अंतिम रूप से पूरा होने तक लागू रहेगा । उसका किसी प्रकार से उल्लंघन बोलीदाता को अयोग्य ठहरायेगा और भविष्य में बिजनेश डीलिंग से उसे निकाल दिया जायेगा ।

सीवीसी के सिफारिश के अनुसार, कंपनी ने श्री गिरीश शंकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) और श्री आर कुप्पन , आईआरएसएमई (सेवानिवृत्त) को कंपनी के स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने 25 दिसंबर 2021 को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके पश्चात, श्री बम बहादुर सिंह और श्री पिदतला श्रीधर, आईआरएस (सेवानिवृत्त) को कंपनी में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 26 दिसंबर 2021 से तीन साल की अवधि के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आईईएम ने 224 अनुबंधों की निगरानी की और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ संरचित बैठकें कीं।

सामान्य

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं किया गया था:

(क) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में मंडल की रिपोर्ट या वित्तीय विवरण के किसी स्वैच्छिक संशोधन का विस्तृत कारण जिस वित्तीय वर्ष में संशोधन किया गया है ।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण।

(ग) लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।

(घ) नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो आपकी कंपनी की वर्तमान चिंता स्थिति और भावी संचालनों को प्रभावित करता हो ।

आभार

आपके निदेशक, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों के निरंतर समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और अपने आभार को दर्ज कराते हैं। निदेशक, भारत सरकार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और अन्य राज्यों की सरकारों के सतही परिवहन मंत्रालय के निरंतर सहयोग और बहुमूल्य समर्थन के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके निदेशक, विशेष रूप से भारतीय नौसेना और तटरक्षक मुख्यालयों, गृह मंत्रालय, ऑर्डनेन्स फैक्टरी मंडल , कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, विभिन्न राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल और कोलकाता के पुलिस विभाग और अन्य बहुमूल्य ग्राहकों के साथ-साथ व्यावसायिक सहयोगियों द्वारा आपकी कंपनी पर विश्वास रखने के लिए उनके आभारी हैं। हम अपने कर्तव्य के पालन में असफल हो जाएंगे यदि हमें युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक और उनकी समर्पित टीम का सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं मिलता जिनकी चौकस नज़रों के अंतर्गत हमारे पोतों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, हम सभी वर्गीकरणों सोसाइटियों, विशेष रूप से, आईआरएस एवं एबीएस को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने गुणवत्ता और मानकों के पालन को सुनिश्चित किया है।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षण के प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षण मंडल , बेंगलुरु के पूर्व अधिकारियों, प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुंबई, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), कोलकाता, कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी क़ानून मंडल और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल , नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड द्वारा प्रदान प्राप्त सहयोग और बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं ।

निदेशक, अपने सांविधिक, लागत एवं आतंरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी बैंकरों, ट्रेड यूनियनों और संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। कर्मचारियों के उत्साह और अनियंत्रित प्रयासों के कारण आपकी कंपनी कई मौजूदा और नए खिलाड़ियों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उद्योग में सबसे आगे बने रहने में सक्षम हुई है ।

कृते निदेशक मंडल

हस्ताक्षर /-

कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ.(सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08591411

स्थान: कोलकाता
तारीख: 26 जुलाई, 2022

परिशिष्ट – क

31 दिसंबर 2021 को स्थायी एवं संविदा पर काम करने वाले अ.ज / अ.ज.ज / अ.पि.व / भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग एवं महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण

समूह / वर्ग	कुल शक्ति	अ.ज	अ.ज.ज	अ.पि.व	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कार्मिक
समूह - क	456	78	25	124	62	13	34
समूह – ख	30	4	1	7	8	-	2
समूह – ग	1235	299	43	161	63	35	32
समूह-घ (सफाईवाला को छोड़कर)	96	19	9	8	1	4	26
समूह- घ (सफाईवाला)	12	11	-	-	-	-	-
कुल	**1829**	**411**	**78**	**300**	**134**	**52**	**94**

परिशिष्ट – ख

स्थायी वर्ग एवं संविदा वर्ग (नियत अवधि/जर्नीमेन) के अंतर्गत 2021 के दौरान की गई भर्ती का विवरण

समूह / वर्ग	कुल भर्ती	अ.ज	अ.ज.ज	अ.पि.व	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कार्मिक
समूह - क	13	-	2	2	6	0	2
समूह – ख	-	-	-	-	-	-	-
समूह – ग	30	9	1	9	0	1	2
समूह-घ (सफाईवाला को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-
समूह- घ (सफाईवाला)	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**43**	**9**	**3**	**11**	**6**	**1**	**4**

परिशिष्ट – " ग "

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31, मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम,2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में ,
सदस्यगण,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
जीआरएसई भवन
61, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता- 700024

हमने दिनांक 11 सितंबर 2021 के लेखापरीक्षा कार्यव्यस्तता पत्र के अनुसार 31, मार्च 2022 ('लेखापरीक्षा अवधि) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** (इसके बाद **"कंपनी"** उल्लेखित) द्वारा लागू सांवाधिक प्रावधानों और अच्छी निगमित प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया था, जिससे हमें निगमित आचरण/सांवाधिक अनुपालन और अपनी मत व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार मिला।

कंपनी के किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और दायर रिटर्न और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड (अनुलग्नक –II के अनुसार) में कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी सचिवीय लेखापरीक्षा के सत्यापन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी मत में, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तहत है;

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के तहत की है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम;
3. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और विनियमों और उसके तहत बनाए गए उपनियम;
4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश : -
   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 ;
   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्ध विनिमय") ;
5. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक 1 और 2।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद,परीक्षण-जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;
2. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016 ;

3. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत प्रतिपादित नियम;
4. वायु (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम) अधिनियम, 1981;
5. भारतीय विद्युत, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 2005;
6. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010;
7. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश।

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कृपया हमारे उस तिथि के पत्र का संदर्भ लें, जो **अनुबंध 'I'** के रूप में संलग्न है, जिसे इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग पढ़ा जाना है।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित सीमा तक के अलावा ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधान के साथ संकलित किया गया है।

1. **कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना**

   स्वतंत्र निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या कंपनी के बोर्ड में नहीं थी जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी उद्यम (सीपीएसई)के दौरान लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1), जो लेखा परीक्षा अवधि के अंतर्गत अधिनियम की धारा 149(4),केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 और 3.1.4 में विचार किया गया था।

   इसके अलावा, अधिनियम की धारा 149 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1)के प्रावधानों के अनुसार,कंपनी के बोर्ड के दौरान लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत आने वाली एक महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

2. **कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की संरचना**

   लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत आने वाले अधिनियम की धारा 177, सीपीएसई पर निगमित शासन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 18(1) के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था।

3. **कंपनी के निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना**

   लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत आने वाले अधिनियम की धारा 178,सीपीएसई पर निगमित शासन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 19 (1) के प्रावधानों के अनुसार,बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था।

4. **कंपनी के निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति की संरचना**

   15 अगस्त 2021 से 10 फरवरी, 2022 की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 178 (5) और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 (2) और (2ए) के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था। तथापि, 31 मार्च 2022 तक उक्त समिति का गठन उक्त प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11 फरवरी 2022 से किया गया है।

5. **कंपनी के निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना**

   लिस्टिंग विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, 15 अगस्त 2021 से 10 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था। तथापि, 31 मार्च, 2022 तक उक्त समिति का गठन उक्त विनियम के अनुसार दिनांक 11 फरवरी 2022 से किया गया है।

6. **कंपनी के निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति की संरचना**

   अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार,15 अगस्त 2021 से 10 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण सीएसआर समिति का गठन नहीं किया गया था। तथापि, 31 मार्च 2022 तक उक्त समिति का गठन उक्त प्रावधान के अनुसार दिनांक 11 फरवरी 2022 से किया गया है।

   एक सरकारी कंपनी होने के नाते,बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की जाती है। कंपनी ने कई अवसरों पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी),भारत सरकार से बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। हालांकि,रक्षा मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी बाकी है।

7. **लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रदान की गई कुछ निगमित शासन आवश्यकताएं**

   लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रदान किए गए कुछ अन्य निगमित शासन प्रावधानों के संबंध में,कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, सरकारी कंपनियों पर लागू नियामक फ्रेमवर्क को यथासंभव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस तरह नियामक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, सूचीकरण विनियमों अर्थात उप-विनियम (4) और (10) विनियम 17, विनियम 18(3) में प्रदान की गई कुछ कॉर्पोरेट शासन आवश्यकताओं को अनुसूची II के भाग सी पैरा ए के साथ, विनियम 19(4) अनुसूची II के भाग डी पैरा ए और विनियम 25(4) आदि के साथ पठित कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में पूर्वोक्त को छोड़कर सभी परिवर्तन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए गए थे,एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे,और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड या समिति के सभी निर्णयों के अपेक्षित बहुमत के साथ लिया गया और कार्यवृत के भाग के रूप में दर्ज किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन,कंपनी ने सीपीएसई हेतु निगमित शासन पर अधिनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों और डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य विशिष्ट क़ानूनों का पालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि लागू कानूनों,नियमों,विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने कोई विशिष्ट घटना नहीं की है जो उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है।

कृते विनोद कोठारी एण्ड कंपनी

प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

यूनिकोड: P1996WB042300

हस्ता/-

पम्मी जयसवाल

एसीएस सं .: A48046

सी पी सं .: 18059

यूडीआईएन :A048046D000524555

पियर समीक्षा प्रमाण पत्र सं.:781/2020

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29 जून, 2022

अनुलग्नक – I

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

सेवा में ,

सदस्यगण,

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट उसी तिथी के अनुसार इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सचिवीय रिकॉर्ड के लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी मत व्यक्त करना है। जैसा कि इस संबंध में हमारे द्वारा देखा गया दस्तावेजों की सूची, अनुलग्नक II में सूचीबद्ध है ;
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सटिकटता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी मत को एक उचित आधार प्रदान करते है ;
3. हमारी लेखापरीक्षा परीक्षा केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले कानून अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे सबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
4. हमारी लेखापरीक्षा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में परीक्षा पर आधारित थी, मौजूदा परिस्थितियों में, पुस्तकों और कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के तहत व्यवहार्य है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों के लेखा-जोखा की शुद्धता और उपयुक्ता के साथ-साथ विभिन्न खुलासों और रिटर्न में उल्लिखित मूल्यों और आंकड़ों की शुद्धता की सत्यापन नहीं किया है, जैसा कि दी गई जानकारी में इस तरह के रिटर्न पर एक निश्चित सीमा तक कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानून, नियम और विनियमन के अनुपालन और आयोजनों आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है।
7. निगमित और अन्य लागू कानूनों,नियमों,विनियमों,मानकों के प्रावधानों का अनुपानल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
8. आंतरिक, वित्तीय, और संचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलतियाँ या सामग्री गैर अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा ठीक से नियोजित और लेखापरीक्षा अभ्यास के अनुसार किया गया हो।
9. इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखापरीक्षक (ओं)/एजेंसियों /अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में टिप्पणियों के अवलोकन के अलगाव के साथ-साथ पढ़ी जानी है।
10. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है,जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अनुलग्नक – II

दस्तावेजों की सूची

1. निगमित मामलें ;

    1.1 निम्न बैठकों का कार्यवृत पुस्तिका प्रदान किए गए:

        1.1.1 मंडल बैठक;

        1.1.2 हितधारक संबंध समिति;

        1.1.3 निगमित सामाजिक दायित्व समिति;

        1.1.4 आम बैठक;

1.2 नोटिस के साथ-साथ बोर्ड और समिति की बैठक के लिए एजेंडा पेपर;

1.3 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट;

1.4 एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख;

1.5 अधिनियम के तहत प्रकटीकरण;

1.6 अधिनियम और सूचीबद्ध विनियमों के तहत तैयार की गई नीतियां;

1.7 अधिनियम के तहत मेंटेन किए गए रजिस्टर;

1.8 कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ दायर की गई फॉर्म और रिटर्न।

परिशिष्ट - "डी"

फॉर्म संख्या एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड
(एच) और कंपनी (लेखा) नियम, के 2014 के नियम 8 (2) के अनुवर्ती)

कंपनी / अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा अनुबंध / समझौतों के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र , जिसमें तीसरे अनंतिम उपबंध के तहत कुछ आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन शामिल हैं:

1 **आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर नहीं हुए अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण**

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
यदि कोई हो, तो संविदा या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें	लागू नहीं
ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
वह तिथि, जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था, जो कि धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक था	लागू नहीं

2. **अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जो आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर था**

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	लागू नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
यदि कोई हो, तो संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें मूल्य सहित	लागू नहीं
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	कोई नहीं

कृते निदेशक मंडल

हस्ता/-

कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08591411

परिशिष्ट - " ई "

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

I. कंपनी की सीएसआर नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा

जीआरएसई में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उसके परिचालन क्षेत्रों की परिधि में निवास करने वाले समुदायों के सर्वांगीण विकास की विशेषता है। जीआरएसई सीएसआर को अपने अस्तित्व के एक अभिन्न अंग के रूप में देखता है, जैसे कि कंपनी के संचालन और इसकी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की पूर्ति इसके मूल दर्शन में समान आधार पर आयोजित की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में, जीआरएसई की सीएसआर पहलों ने हमारी उत्पादन यूनिटों के आसपास रहने वाले अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित वंचित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी कंपनी की सीएसआर रणनीतियों का उद्देश्य स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना है।

कंपनी की सीएसआर पहल कंपनी अधिनियम 2013, डीपीई और एमओडी दिशानिर्देशों और कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति द्वारा शासित है। जीआरएसई की सीएसआर नीति स्थानीय समुदाय की चिंता और जरूरतों के क्षेत्रों की पहचान करने, जलग्रहण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लक्षित समूह के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न सीएसआर पहलों को तैयार करने और लागू करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश निर्धारित करती है। निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 द्वारा अधिसूचित संशोधनों के मद्देनजर, कंपनी ने अपनी सीएसआर और स्थिरता नीति को संशोधित किया है और इसे 07 सितंबर 2021 को प्रख्यापित किया गया था। जीआरएसई की सभी सीएसआर पहल इस प्रकार हैं: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII, कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों में निर्दिष्ट परियोजनाओं / गतिविधियों को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप किया गया। ऐसी गतिविधियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर और स्थिरता पर मण्डल स्तर की समिति निदेशक मंडल की मंजूरी के लिए विभिन्न सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं की सिफारिश करती है। मण्डल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। परियोजनाओं को लागू करने से पहले सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है और वांछित प्रगति के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो वांछित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। मण्डल स्तर की समिति विभिन्न सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है।

II. वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीआरएसई द्वारा आरंभ किए गए प्रमुख सीएसआर परियोजनाएं

स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाएं

(i) 03 स्थानीय अस्पतालों में 03 पीएसए ऑक्सीजन तैयार करने वाले संयंत्रों की स्थापना

कोविड -19 के प्रकोप की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी देखी गई थी। जीआरएसई ने इस संकट को दूर करने के लिए लगभग 227 लाख रू कुल खर्च कर निम्नलिखित तीन शहर के अस्पतालों में 03 चिकित्सा ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्रों को स्थापित किया।

(क) 19 नवंबर 2021 को रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में प्रति दिन 90 सिलेंडर उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया था।

(ख) 19 नवंबर 2021 को सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रति दिन 40 सिलेंडर उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया था।

(ग) 31 दिसंबर 2021 को भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल में प्रति दिन 40 सिलेंडर उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया था।

(ii) लखनऊ में सामयिक अस्पताल और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए डीआरडीओ का समर्थन करना

रोगियों की भारी भीड़ से निपटने और कोविड देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, जीआरएसई ने लखनऊ में 500 बिस्तरों वाले अटल बिहारी वाजपेयी कोविड-19 अस्पताल की स्थापना के लिए डीआरडीओ का समर्थन किया। इस परियोजना के लिए डीआरडीओ को 50.00 लाख रू की वित्तीय सहायता दी गई।

(iii) पश्चिम बंगाल ,दक्षिण 24 परगना के जिला प्रशासन को 50 (पचास) मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति

जीआरएसई ने मुख्य रूप से विभिन्न कोविड सुविधाओं और सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षित घरों के लिए दक्षिण 24 परगना के अपर जिला न्यायाधीश को 50 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करके ऑक्सीजन सिलेंडर के तीव्र संकट से निपटने के अपने प्रयासों में राज्य सरकार का समर्थन किया।

(iv) रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ को एम्बुलेंस का दान

जीआरएसई ने रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ को कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान रोगियों के परिवहन की सुविधा के लिए 02 एम्बुलेंस दान किया।

(v) आकांक्षी जिले के वंचित जनजातीय बच्चों का समग्र विकास

जीआरएसई ने दक्षिण 24 परगना, सुंदरबन, रांची एंव खूंटी जिले (झारखंड में दोनों आकांक्षी जिले) के आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 520 वंचित आदिवासी / ग्रामीण बच्चों के समग्र विकास के लिए 03 साल की अवधि के लिए रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ के साथ भागीदारी की है। इस परियोजना में प्रत्येक लाभार्थी के लिए दैनिक पोषक आहार, किताबें, अध्ययन सामग्री, पेन ,पेंसिल, स्कूल बैग, विद्यालय पोशाक, जूते, मोजे, चप्पल, दवाएं, खेल सामग्री, व्यक्तिगत स्वच्छता वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, साबुन, हेयर ऑयल आदि का प्रावधान शामिल है। रामकृष्ण मिशन के संत द्वारा सहयोगी स्टाफ के साथ कक्षाएं चलाई जाती हैं। छात्रों के लिए समय-समय पर चिकित्सा जांच, स्वास्थ्य जागरूकता कक्षाएं भी चलाई जाती हैं। इस परियोजना का उद्देश्य समाज के वंचित बच्चों को शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक सहायता प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2021-22 में इस परियोजना पर 67.57 लाख रू की राशि खर्च की गई है।

(vi) दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना

जीआरएसई का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) के साथ एक दशक से अधिक का पुराना जुड़ाव है और 02 शिक्षा विकास और 01 व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिटों को अपना रहा है। 03 कक्षाएं लगभग 40-45 गंभीर रूप से बहु-दिव्यांग विशेष बच्चे को कवर करती हैं। ये बच्चे औसतन 80% दिव्यांगता वाले गंभीर बहु-दिव्यांगता से पीड़ित हैं। उन्हें न्यूनतम स्तर की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बुनियादी शैक्षणिक और जीवन-उन्मुख भाषा और संख्यात्मक कौशल में प्रशिक्षण दिया जाता है।

जीवन कौशल प्रशिक्षण यूनिट में बच्चों की आयु 14-18 वर्ष के बीच है। उन्हें पूर्व-व्यवसाय कौशल जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, बीड और जंक ज्वैलरी, अखबार से पेपर बैग / पैकेट, ग्रीटिंग कार्ड, सजाए गए मिट्टी के दीपक, दीया, राखी आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे प्रयासों का लक्ष्य इन विशेष बच्चों को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है और इस तरह उन्हें मुख्यधारा की गतिविधियों के लिए सक्षम बनाना है।

(vii) स्वास्थ्य जांच शिविर

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा इलाके के आर्थिक और सामाजिक रूप से अल्प सुविधा प्राप्त आबादी को मूल नैदानिक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रांरभिक स्वास्थ्य जांच शिविर शुरू किया गया था। सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक हर महीने आरबीडी यूनिट में स्वास्थ्य जांच शिविर / क्लीनिक आयोजित किए गए। प्रत्येक शिविर में औसतन 250-300 रोगियों की जांच होती थी। यह एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है जो पिछले एक दशक से सफलतापूर्वक जारी है और इसने लगभग 35,000 लाभार्थियों की सहायता किया है।

(viii) रक्त दान शिविर

23 फरवरी 2022 को रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जीआरएसई कर्मचारियों, ट्रेड अपरेंटिस, सीआईएसएफ कर्मियों और ठेकेदारों के कर्मचारियों सहित 80 दाताओं ने रक्तदान किया।

कौशल भारत मिशन

कौशल विकास जीआरएसई के सीएसआर उद्देश्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है क्योंकि यह देश में बेरोजगारी के चुनौतीपूर्ण मुद्दे से संबंधित है। सीएसआर के तहत जीआरएसई के कौशल विकास पहलों का मुख्य फोकस मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बदलना है।

(i) शिक्षुता प्रशिक्षण में सुधार

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि की। ट्रेड अपरेंटिस, ग्रेजुएट अपरेंटिस और तकनीशियन अपरेंटिस की श्रेणी में कुल 260 को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं को कंपनी की विभिन्न शॉपों/विभागों में सुरक्षित कार्य पद्धतियों, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के साथ-साथ कंपनी की प्रशिक्षण सुविधा में बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया।

सीएसआर गल्लेरी

मेडिकल ऑक्सिजन संयंत्र सेट अप के लिए भारत सेवाश्रम संघ हॉस्पिटल के साथ समझौता ज्ञापन

सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट ,ठाकुरपुकुर में मेडिकल ऑक्सिजन संयंत्र का उद्घाटन

रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में 26 एनएम3 क्षमता के मेडिकल ऑक्सिजन की संस्थापना हेतु समझौता ज्ञापन

मेडिकल ऑक्सिजन संयंत्र सेट अप के लिए सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट , ठाकुरपुकुर के साथ समझौता ज्ञापन

दक्षिण 24 परगना के एडीएम, को 50 मेडिकल ऑक्सिजन सिलिंडर प्रदत्त

रामकृष्ण मिशन, बेलुर मठ, पश्चिम बंगाल को 02 एंबुलेंस प्रदत्त

सीएसआर गल्लेरी

आदिवासी क्षेत्र हेतु जीएपी यूनिट में क्लास रूम अध्ययन

आदिवासी क्षेत्र हेतु गदाधर अभ्युदय प्रकल्प (जीएपी) यूनिट में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) , कोलकाता को चेक प्रदत्त

आदिवासी क्षेत्र हेतु जीएपी यूनिट में कौशल विकास क्रियाकल्प का आयोजित किया गया

जीआरएसई ने रक्त दान शिविर का आयोजन किया

आईआईसीपी, कोलकाता के विकलांग बच्चों को सशक्त बनाना

III. सीएसआर समिति का गठन

क्रं.सं	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में शामिल की संख्या
(क)	डॉ. विश्वप्रिया रॉयचौधरी [1]] *अंशकालिक गैर - सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक*	अध्यक्ष	2	1
(ख)	श्री संजय दत्तात्रेय पांसे [2] अंशकालिक गैर - सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष	2	1
(ग)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) [3] निदेशक (पोत निर्माण)	सदस्य	2	1
(घ)	कमोडोर हरि पीआर, भा.नौं (सेवानिवृत्त) निदेशक (कार्मिक)	सदस्य	2	2
(ङ)	श्री आर के दाश [4] निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	1

[1] 15 अगस्त 2021 से प्रभावी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उनके कार्यकाल के दौरान एक बैठक हुई।

[2] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया और उनके कार्यकाल के दौरान एक बैठक हुई।

[3] 01 जनवरी 2022 से प्रभावी कंपनी के निदेशक पोत निर्माण के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उनके कार्यकाल के दौरान एक बैठक हुई।

[4] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और उनके कार्यकाल के दौरान एक बैठक हुई।

नोट: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण 15 अगस्त 2021 से 10 फरवरी 2022 तक कोई सीएसआर समिति नहीं थी।

iv. वेब-लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाती है - https://grse.in/wp-content/uploads/2022/07/Board-of-Directors-and its Committees GRSE.pdf;https ://grse .in/ csr policy / ; https://grse.in/csr-projects-of-fy-2021-22/

V. कंपनी के नियम 8 के उप नियम (3) (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं, का प्रभाव मूल्यांकन के विवरण यदि लागू हो (संलग्न रिपोर्ट) - । **- कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार लागू नहीं है।**

VI. कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

क्रं.सं	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
	शून्य		

VII. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।

(क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत -

405.5 लाख रू

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों व गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष हेतु सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)

405.5 लाख रू

VIII. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (रूपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड की हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
410 लाख रू.			शून्य		

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए **चल रही परियोजनाओं** के विरूद्ध व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: **लागू नहीं**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रं.सं	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए **चल रही परियोजनाओं** के अलावा अन्य पर व्य य की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनि यम की गतिविधि यों की सूची से आइटम।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता और पड़ोसी जिले	100 लाख	नहीं	रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान	सीएसआर00006101
2.	सरोज गुप्ता कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान में मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	65 लाख	नहीं	सरोज गुप्ता कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान	सीएसआर00000498
3.	भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	61.75 लाख	नहीं	भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल	सीएसआर00000812

(1) क्रं. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अनुसूची VII में अधिनि यम की गतिविधि यों की सूची से आइटम।	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	(7) कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	(8) कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
4	लखनऊ में अस्थायी अस्पताल और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए डीआरडीओ का समर्थन	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना		सम्पूर्ण भारत		50 लाख	नहीं	भारत सरकार	-
5.	दक्षिण 24 परगना के जिला प्रशासन को 50 (पचास) मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता और पड़ोसी जिले	13.57 लाख	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
6.	रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ को दो एंबुलेंस का दान	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	झारखण्ड	रांची और पड़ोसी जिले	0.27 लाख	हाँ	जीआरएसई लिमिटेड	-
7.	रांची जिले (आकांक्षी जिला) के आदिवासी क्षेत्रों के 259 विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों का समग्र विकास	खंड - (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना खंड- (ii) बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देना	नहीं	झारखण्ड	रांची जिला, (आकांक्षी जिला)	33.02 लाख	नहीं	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ	सीएसआर00006101
8.	रांची, खूंटी जिला (आकांक्षी जिला), झारखंड और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों के 264 वंचित बच्चों का समग्र विकास	खंड - (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना खंड- (ii) बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देना	नहीं	झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल	झारखंड के रांची, खूंटी जिला (आकांक्षी जिला) और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन	34.55 लाख	नहीं	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ	सीएसआर00006101

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अनुसूची VII में अधिनि यम की गतिविधि यों की सूची से आइटम।	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)	(7) कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	(8) कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
9.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) के 3 कक्षाओं को अपनाना	खंड - (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना खंड- (ii) दिव्यांग बच्चों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता और पड़ोसी जिले	17.68 लाख	नहीं	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी)	सीएसआर00001730
10.	स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर	खंड - (i) निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। खंड - (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता के मेटियाब्रुज क्षेत्र,	2.93 लाख	हाँ	जीआरएसई लि.	-
11.		खंड - (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना।	हाँ	पश्चिम बंगाल	कोलकाता और पड़ोसी जिले	28.23 लाख	हाँ	जीआरएसई लि.	-
12.	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	खंड - (iv) गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान।		सम्पूर्ण भारत		3.00 लाख	नहीं	भारत सरकार	
		कुल						**410.00**	

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि – **शून्य**

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू - **लागू नहीं**

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख=+8ग+8घ+8ङ)- ₹ **410** लाख

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रं.सं	विशिष्ट	राशि (लाख ₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	**405.5 लाख**
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	**410 लाख**
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	**4.5 लाख**
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	**लागू नहीं**
(vi)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	**4.5 लाख**

IX. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: **लागू नहीं**

क्रं.सं	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष ।	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ में)	में खर्च की गई राशि वित्तीय वर्ष रिपोर्टिंग (₹ में)	धारा 135(6), यदि कोई हो, के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि ।			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (₹ में)
				फंड का नाम	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	शून्य						

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: **लागू नहीं**

(1) क्रं.सं	(2) परियोजना आईडी	(3) परियोजना का नाम	(4) वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	(5) परियोजना अवधि	(6) परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ में)	(7) रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ में)	(8) वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि। (₹ में)	(9) पूरा हुआ /चल रहे - परियोजना की स्थिति
1.								
कुल								

X. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति-वार विवरण) प्रस्तुत करें।

(क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि

(ग) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।-

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।

क्र.सं	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण	पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान
1	19 नवंबर 2021	100 लाख	रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, 99 , शरत बोस रोड, कोलकाता - 700 026 में स्थित,	रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में प्रतिदिन 90 सिलेंडर क्षमता का मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र	रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, 99 , शरत बोस रोड, कोलकाता - 700 026 में स्थित
2.	19 नवंबर 2021	65 लाख	महात्मा गांधी रोड, ठाकुरपुकुर, कोलकाता में स्थित सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट - 700063	सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में 40 सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता का मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र	महात्मा गांधी रोड, ठाकुरपुकुर, कोलकाता में स्थित सरोज गुप्ता कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान - 700063
3.	31 दिसंबर 2021	61.75 लाख	डायमंड हार्बर रोड, जोका, पाइलन, कोलकाता- 700104 में स्थित भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल	भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल में 40 सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता के मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र	डायमंड हार्बर रोड, जोका, पाइलन, कोलकाता- 700104 में स्थित भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल
4.	22 जनवरी 2008	0.27 लाख रु.	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ बेलूर, पीओ बेलूर मठ, पीएस - बल्ली, जिला - हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711202	02 मारुति ओमनी एम्बुलेंस	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ बेलूर, पीओ बेलूर मठ, पीएस - बल्ली, जिला - हावड़ा, पश्चिम बंगाल - 711202

XI. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है – **लागू** **नहीं**

हस्ता./-
श्री संजीब मोहन्ती
अध्यक्ष , सीएसआर एवं एसडी समिति
डीआईएन : 09559883

हस्ता./-
कमोडोर हरि पी आर भा.नौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08591411

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग परिदृश्य

1.1 वैश्विक परिदृश्य

पोतनिर्माण :

पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य खर्च पर कटौती की वजह से पिछले कुछ वर्षों में नौसैनिक पोत निर्माण बाजार में मंदी देखी गई है। इसके अलावा, कोविड -19 महामारी ने वैश्विक बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिससे वैश्विक पोत निर्माण बाजार को प्रभावित किया हैं।

बाजार वैश्विक घटनाओं और तकनीकी विकास जैसे कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव से संचालित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है और इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य देशों के साथ-साथ नाटो और पनडुब्बी सूची प्रसार का पुनरुत्थान भी हुआ है। ये तनाव मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में विस्तारवाद के चीनी खतरों से उत्पन्न होते हैं, जो विशेष रूप से "नौ-डैश लाइन" पर, और इस क्षेत्र से गुजरने वाले वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हैं।

हालांकि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नौसैनिक बेड़े में पुराने पोतों को बदलने और लड़ाकू प्रौद्योगिकी में परिष्कार के स्तर में वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए बाजार में वृद्धि की उम्मीद है। वैश्विक नौसैनिक पोत निर्माण बाजार इस दशक की पहली छमाही के दौरान चरम पर रहेगा,जो दोनों सतह के लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों की मांग से प्रेरित रहेगा। विश्व स्तर पर, युद्धपोतों की औसत आयु पच्चीस (25) वर्ष के आसपास है और विभिन्न देशों में लगभग 180 खरीद कार्यक्रम चल रहे हैं।

पोत निर्माण

कुशल कार्यबल और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता के कारण वैश्विक पोत मरम्मत बाजार में वर्तमान में चीन, सिंगापुर और मध्य पूर्व में शिपयार्ड का वर्चस्व है। पोत की मरम्मत और रखरखाव सेवा के लिए वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बाजारों में विकास द्वारा समर्थित 2030 तक 40 बिलियन अमरीकी डालर के बाजार मूल्य तक पहुंच जाएगा। हालांकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, लेकिन देश का स्थान 7% से 9% वैश्विक व्यापार के अनुकूल है, जो समुद्र तट के 300 एनएम तक जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत, भारतीय नौसेना और सहयोगी अमेरिकी नौसेना के हिंद महासागर तथा अरब सागर में 5 वें और 7 वें बेड़े को मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है।

1.2 भारतीय परिदृश्य

भारत में रक्षा पोत निर्माण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड दोनों के फोकस के क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। जबकि आपकी कंपनी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के पांच शिपयार्ड रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में सबसे आगे हैं, निजी शिपयार्ड भी भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की जरूरतों के अनुरूप क्षमता बढ़ाने और अपने मौजूदा पोत निर्माण बुनियादी ढांचे को संशोधित करने के लिए विशिष्ट उपाय कर रहे हैं। निजी शिपयार्डों में, एलएंडटी शिपबिल्डिंग और शोफ्ट शिपयार्ड, जो वाणिज्यिक शिपबिल्डर्स के रूप में पोत निर्माण बाजार में प्रवेश कर चुके हैं, रक्षा शिपबिल्डिंग क्षमताओं वाली कंपनियों के रूप में खुद को प्रतिष्ठित कर रहे हैं।

उद्योग के सूत्रों के अनुसार, रक्षा पोत निर्माण ऑर्डर बुक अगले पांच वर्षों में 8-10% सीएजीआर बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, भारतीय पोत निर्माण उद्योग की ऑर्डर बुक को भारतीय नौसेना और तटरक्षक की महत्वाकांक्षी पोत अधिग्रहण योजनाओं के कारण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है क्योंकि इन बलों में प्रत्येक में 200 पोतों का बेड़ा रखने की योजना है। उनके पंद्रह (15) वर्षों से अधिक संयुक्त पोत निर्माण कार्यक्रम ने संकेत दिया कि वे आने वाले वर्षों में लगभग 165 युद्धपोतों के लिए ऑर्डर देंगे।

खुले सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2027 तक भारतीय नौसेना का अनुमानित पूंजी बजट 4,50,000 करोड़ रू के लगभग है। नियोजित व्यय में पनडुब्बियों (2,20,000 करोड़ रू लगभग), विध्वंसक / फ्रिगेट (90,000 करोड़ रू लगभग), विमान वाहक (45,000 करोड़ रू लगभग), कोर्वेट लैंडिंग प्लेटफार्म आदि सहित विभिन्न पोत श्रेणियों के लिए एक अलग अनुमान शामिल है। भारतीय तटरक्षक के लिए, सरकार ने 32,000 करोड़ रू कार्य योजना की मंजूरी दी है।

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के युद्धपोतों के रखरखाव, मरम्मत, रिफ़िट और उन्नयन के क्षेत्र में आने वाले दशक और उसके बाद भी पर्याप्त बाजार अवसरों की उम्मीद है। उसी का लाभ लेने के लिए, जीआरएसई भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के जलयानों की मरम्मत और रिफिटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है।

भारत सरकार द्वारा नई पोत निर्माण नीति के तहत पोत निर्माण उद्योग को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई जो भारतीय पोत निर्माताओं

को वैश्विक स्तर पर अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करती है । पोत निर्माण उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे की स्थिति भी विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों और कर लाभों की सुविधा प्रदान करती है ।

भारतीय पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता को प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्ड की उपस्थिति और कुछ प्रकार के पोतों की मरम्मत में भारतीय यार्ड की क्षमता के अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लागत के नुकसान के अन्य कारणों में वित्तपोषण की उच्च लागत, भारत में पोत के पुर्जों की आपूर्ति में कमी और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में पोत की मरम्मत निष्पादन समय बढ़ाना शामिल है। उपरोक्त अंतरालों को दूर करने के लिए, एमआईवी 2030 के तहत सरकार *आत्मनिर्भर* नीति का लाभ उठाने वाली घरेलू मांग को चैनलाइज़ करने, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सुधारने, डिपो, समुद्री क्लस्टर आदि व्यापार करने में आसानी और मुक्त व्यापार बनाने की क्षमता में सुधार जैसी पहल के साथ एक विशेष जोर दे रही है ।

पोत मरम्मत उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण, भारत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मजबूत कार्यबल होने का लाभ मिला है। हालांकि, भारतीय पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता को प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्ड की उपस्थिति और कुछ प्रकार के पोतों की मरम्मत में भारतीय यार्ड की क्षमता के अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ।

2. संगठन की संरचना

जीआरएसई मुख्य रूप से भारतीय नौसेना एवं भारतीय तट रक्षक हेतु युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण से जुड़ा है। वर्तमान में, जीआरएसई में पोत निर्माण के लिए तीन (3) अलग-अलग सुविधाएं है, जो सभी कोलकाता, भारत में एक-दूसरे के पास के इलाके में स्थित हैं और यह नदी से भी जुड़े हुए हैं । हम पोतों के निर्माण मेन वर्क्स यूनिट और राजाबागन डॉकयार्ड (मुख्य रूप से छोटे पोतों के निर्माण के लिए समर्पित एक सुविधा) में अपने पोतों का निर्माण करते हैं। हमारी तीसरी सुविधा, एफओजे यूनिट का उपयोग मुख्य रूप से पोतों की फिटिंग और मरम्मत के लिए की जाती है। हमारे डीजल इंजन संयंत्र (डीईपी), रांची यूनिट समुद्री प्रणोदन इंजनों के परीक्षण और ओवरहालिंग और डीजल इंजनों की सेमी-नॉक्ड़ वाली इकाइयों के संयोजन में लगी हुई है और हमारे इंजीनियरिंग खंड पोर्टेबल स्टील पुलों के निर्माण और पोतों और समुद्री पंपों के डेक मशीनरी के निर्माण में लगे हुए हैं।

जीआरएसई ने वाणिज्यिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में पोत मरम्मत व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पोत मरम्मत प्रभाग बनाया है।

पोत मरम्मत एवं रक्षा और वाणिज्यिक खंड की मरम्मत में नए व्यावसायिक अवसरों की खोज में, जीआरएसई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं । समझौते का उद्देश्य मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में रक्षा और वाणिज्यिक क्षेत्रों के पोत की मरम्मत और मरम्मत कार्य से राजस्व सृजन के अलावा दोनों कंपनियों के लिए रणनीतिक विकास योजनाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है । यह सहयोग पोतों की मरम्मत और मरम्मत सहित अतिरिक्त पोत निर्माण गतिविधियों को करने के लिए जीआरएसई की भविष्य की रणनीति में भी योगदान देगा ।

3. उत्पाद और सेवाएं

रक्षा उपक्रम, होने के कारण जीआरएसई मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के पोत निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करती है । हमारे युद्धपोत निर्माण क्षमताओं के अलावा, हम वाणिज्यिक जलयानों तथा इंजीनियरिंग और इंजन उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए हैं। हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन के एक भाग के रूप में, हम डेक-मशीनरी आइटम, प्री-फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील ब्रिज और मरीन पंप का निर्माण करते हैं ।

जीआरएसई ने लगभग 788 प्लेटफार्मों का निर्माण किया है जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, मॉरीशस सरकार और सेशेल्स, सरकार के 107 युद्धपोत शामिल हैं जो देश में किसी भी शिपयार्ड द्वारा निर्मित और वितरित किए गए युद्धपोतों की सबसे अधिक संख्या है । 05 टन की बोट्स के निर्माण से लेकर 24600 टन के फ्लीट टैंकर तक, जीआरएसई ने राष्ट्र के अग्रणी युद्धपोत निर्माता के रूप में अपनी क्षमता साबित की है । वर्ष दर वर्ष, जीआरएसई ने इन-हाउस पोत डिजाइन और पोत निर्माण के लिए अच्छी तरह से सिद्ध क्षमताएं स्थापित की हैं और फ्रिगेट्स, एंटी-सबमरीन वारफेयर ,कार्वेट, मिसाइल कार्वेट, फ्लीट टैंकर, लैंडिंग शिप टैंक (लार्ज), लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू), ऑफशोर पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, इनशोर पेट्रोल वेसल, वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट इत्यादि जैसे कई जटिल युद्धपोतों को सफलतापूर्वक डिजाइन और निर्माण करके स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत के अलावा, जीआरएसई ने इंजीनियरिंग व्यवसाय में विविधता लाई है। इंजीनियरिंग उत्पाद प्रोफाइल में विभिन्न श्रेणियों और प्रकारों के प्री-फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज, विभिन्न डेक मशीनरी आइटम जैसे एंकर कैपस्टैन, बोट डेविट, पंप आदि शामिल हैं । कंपनी का इंजन डिवीजन एमटीयू डीजल इंजनों की असेंबली / परीक्षण / ओवरहालिंग में शामिल है ।

4. एसडबल्यूओटी विश्लेषण

गतिशील परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जीआरएसई ने एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण किया है और निम्नलिखित की पहचान की है:--

ताकत:

(क) पोत निर्माण के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा जो एक साथ 20 छोटे और बड़े पोतों के निर्माण और फिटिंग को सक्षम बनाता है।

(ख) 24,600 टन फ्लीट टैंकर के बेड़े से लेकर 5 टन बोट्स तक के व्यापक स्पेक्ट्रम का निर्माण करने की सिद्ध क्षमता।

(ग) 33 एकड़ और 550 मीटर वाटर फ्रंट के साथ पाँच छोटे पोतों के समवर्ती निर्माण/ फिटिंग के क्षेत्र के लिए समर्पित स्टैंड-अलोन सुविधा (राजा बगान डॉकयार्ड)।

(घ) चार बड़े पोतों के पोस्ट-लॉन्च आउटफिटिंग को समवर्ती रूप से शुरू करने हेतु जेट्टी के लिए समर्पित फिटिंग।

(ङ) डिजाइन सॉफ्टवेयर और 100 टी डिजाइन इंजीनियरों की एक टीम सहित निर्बाध आईटी नेटवर्क के साथ अच्छे बुनियादी ढांचे के मामले में पोत डिजाइन के लिए सिद्ध आंतरिक क्षमता।

(च) विस्तृत डिजाइन और मूल्यांकन के लिए समर्पित वर्चुअल रियलिटी (वीआर) लैब।

(छ) नवीनतम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी तरह से स्थापित परियोजना प्रबंधन प्रणाली।

(ज) आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 45001:2018, आईएसओ 14001:2015 एवं आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन।

(झ) व्यापार संचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक मजबूत ईआरपी प्रणाली।

(ञ) टीटीसी, बरानगर में इन हाउस कौशल विकाश प्रशिक्षण केंद्र।

(ट) सभी स्तरों पर सक्षम और अत्यधिक कुशल मानव संसाधन।

(ठ) कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली।

(ड) एक अच्छी ऑर्डर बुक दृश्यता वाली वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी।

(ढ) एक लाभ कमाने वाली, लाभांश भुगतान और शून्य ऋण कंपनी।

(ण) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक जैसे मुख्य ग्राहकों के साथ लंबे समय से अच्छे संबंध।

कमजोरियां:

(क) नदी शिपयार्ड होने के नाते नदी में सिल्टिंग के प्रभाव के साथ नौगम्य चैनल की गहराई और चौड़ाई सीमित होने के कारण कठिनाइयाँ।

(ख) संकीर्ण सड़कों वाले घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में कंपनी का स्थित होना।

(ग) भारत के पूर्वी हिस्से में कमजोर पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र।

अवसर

(क) बेड़े के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए भारतीय नौ सेना और तटरक्षक की खरीद योजना।

(ख) एमएचए और आईडब्ल्यूएआई की खरीद योजना।

(ग) दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका के लिए विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के युद्धपोतों और गश्ती पोतों के लिए निर्यात क्षमता।

(घ) निर्यात की क्रेडिट (एलओसी) के विस्तार सहित निर्यात पर सरकार की नीति।

(ङ) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए पोतों की मरम्मत और रीफिट में व्यापार की महत्वपूर्ण क्षमता मिली है।

(च) निजी शिपयार्ड के साथ सहयोग के माध्यम से क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि।

(छ) भारत और विदेश में उपयुक्त पोत निर्माण या मरम्मत यार्ड का अधिग्रहण।

(ज) आक्रामक विपणन, क्षमता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से ब्रिजों, इंजीनियरिंग उत्पादों और इंजनों में व्यावसायिक वॉल्यूम बढ़ाने का स्कोप।

(झ) विभिन्न प्रकार के पोतों के बुनियादी डिजाइन को विकसित करने की क्षमता जो कि डिजाइनिंग और संबंधित सेवाओं को अन्य शिपयार्ड में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो डिजाइन कार्यालय को एक अलग लागत केंद्र बनने में सक्षम बनाता है।

आशंकाएं

(क) निजी और सार्वजनिक शिपयार्ड से गंभीर प्रतिस्पर्धा।

(ख) भौगोलिक स्थिति और वातावरण।

(ग) इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए स्माल प्लेयरों से प्रतिस्पर्धा।

(घ) प्रमुख पोत निर्माण गतिविधियों के लिए अपर्याप्त स्थानीय विक्रेता।

(ङ) ग्राहक नामित फर्मों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब के कारण परियोजनाओं का समय बढ़ जाता हैं।

उपरोक्त एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण से यह ऊभर कर सामने आया है कि लीवरेज्ड तकनीक द्वारा आंतरिक क्षमता में लगातार सुधार करते हुए, उपलब्ध अवसरों को अधिकतम करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाने हेतु कंपनी को अपनी ताकत का लाभ उठाने की आवश्यकता है। कंपनी के लिए रक्षा, तटीय सुरक्षा और अंतर्देशीय जलयान के निर्माण और पोत मरम्मत के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। तदनुसार, कंपनी की ताकत के आधार पर ऐसे अवसरों का दोहन करने और इसकी कमजोरियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने पर कंपनी के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आधारभूत सुविधाओं तथा उत्पादन सुविधाओं की ताकत भरोसेमंद वेंडर विकास को सुदृढ़ करती है जो पोतनिर्माण में सहयोग दे सकें ताकि आने वाले अवसरों को काम में लगायी जा सके और प्रत्याशित आशंकाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

5. हमारी रणनीतियां

हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का दोहन करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत रणनीतियों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं:

(क) लागत में कमी और उत्पादकता और आंतरिक दक्षता में सुधार की दिशा में जोर।

(ख) ग्राहक संतुष्टि वृद्धि पर ध्यान।

(ग) उत्तोलन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)।

(घ) युद्धपोत निर्माण में स्वदेशी सामग्री को अधिकतम उपयोग।

(ङ) निर्माण अवधि को कम करने के लिए स्थानों और एकीकृत निर्माण सुविधा का इष्टतम उपयोग।

(च) ठोस विपणन प्रयासों के माध्यम से व्यापार विकास।

(छ) सतत विकास पर ध्यान।

(ज) अलग से पोत निर्माण के अलावा अन्य व्यवसाय विकसित करना।

(झ) योग्यता अंतराल की पहचान और एक केंद्र बिन्दु पर समग्र व्यापार रणनीति रखते हुए कर्मचारियों को उपयुक्त समय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से मानव संसाधन विकास को बढ़ाना।

(ञ) शिपयार्ड के व्यवसाय संचालन में उद्योग 4.0 को उपयुक्त रूप से अपनाना।

(ट) पूर्वी क्षेत्र में पोत निर्माण गतिविधियों के लिए वाइवरेंट इकों सिस्टम के विकास की सुविधा बनाना।

6. सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी 23 फरवरी 2018 को जारी की गई अधिसूचना में रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों को खंड रिपोर्टिंग पर प्रासंगिक लेखा मानक के आवेदन की सीमा तक छूट दी। इसलिए, इस रिपोर्ट में सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस संलग्न नहीं हैं।

7. आउटलूक

भारतीय पोत निर्माण उद्योग में हाल ही के दिनों में समग्र स्वस्थ वृद्धि देखी गई है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक के पोत अधिग्रहण की योजना के आधार पर रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में आशाजनक वृद्धि होने की संभावनाएं हैं।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में है और बड़े, मध्यम और छोटे आकार के भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए आवश्यक पोतों में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त की है। सामान्यता: इसके द्वारा निर्मित पोतों के लिए इसे उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है। आपकी कंपनी ने 15 फरवरी 2021 को अपना 107वां युद्धपोत (सेशेल्स सरकार को एक फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्यात) डिलीवर किया और इससे यह देश में एकमात्र शिपयार्ड बन गया है जिसने प्रतिष्ठित 100 का आकंडा पार करने की ऐसी उपलब्धि हासिल की है।

जीआरएसई अपने सभी उत्पाद खंडों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहा है। रक्षा क्षेत्रों के उन ऑर्डरों के लिए निजी पोत निर्माण प्लेयर्स से सख्त प्रतिस्पर्धी हैं जहां से कंपनी को प्रमुख व्यवसाय मिलता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय शिपयार्ड से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, आपकी कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोत निर्माण के ऑर्डरों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी रखती है और विकास की गति को बनाए रख रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने बांग्लादेश सरकार के लिए 06 पेट्रोल / निगरानी वोट्स के लिए निर्यात अनुबंध प्राप्त किया है। 1.82 मिलियन अमरीकी डालर (₹13.66 करोड़ लगभग) अनुबंध पर 01 जुलाई 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बांग्लादेश से यह पहला निर्यात आदेश है।

कंपनी अपने पोत मरम्मत गतिविधियों पर भी जोर दे रही है। पोत की मरम्मत गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, रणनीतिक रूप से स्थित एसएमपी के 03 मौजूदा ड्राई डॉक को विकसित और उपयोग करने के लिए जीआरएसई और एसएमपी (केओपीटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रियायत समझौते के आधार पर, जीआरएसई-केपीडीडी यूनिट सुविधा नाम का उद्घाटन किया गया और 01 दिसंबर 21 को जीआरएसई द्वारा एसएमपीके से अधिग्रहण कर लिया गया। इस सुविधा की निकटता जीआरएसई के पोत मरम्मत प्रयासों को बढ़ावा देती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस नई अधिग्रहीत सुविधा में वाणिज्यिक पोतों की डॉकिंग और मरम्मत / रिफिट सफलतापूर्वक की गई। पोत की मरम्मत के क्षेत्र में एक और विश्वसनीय उपलब्धि अक्टूबर 2021 में मॉरीशस सरकार के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत की मरम्मत / रिफिट का काम पूरा करना है।

8. चुनौतियों का सामना करने के उपाय

निरंतर प्रदर्शन और विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की जाती हैं:

क) डिजाइन विभाग का विकास उत्कृष्टता के केंद्र में करना

ख) पोत निर्माण प्रौद्योगिकी/प्रक्रियाओं का उन्नयन

ग) कारगर सामग्री प्रबंधन/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

घ) विक्रेता विकास और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण

ङ) पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन प्रणाली में सुधार

च) ब्रिज यूनिट, डेक मशीनरी यूनिट और डीजल इंजन प्लांट उत्पादों का उन्नयन

छ) निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ठोस विपणन प्रयासों के माध्यम से व्यापार विकास।

ज) अलग-अलग लाभ केंद्र के रूप में पोत निर्माण के अलावा अन्य व्यवसाय विकसित करना

झ) निर्यात/विशेष परियोजनाओं के लिए रणनीतिक साझेदारी

ञ) पोत मरम्मत (एसआर) व्यवसाय से वीओपी बढ़ाने के उपाय

ट) पोर्टेबल पुलों, डेक मशीनरी, समुद्री पंप और डीजल इंजन व्यवसायों के वीओपी बढ़ाने के उपाय

ठ) जीआरएसई में उत्पादकता लाइन में सुधार के उपाय

ड) पीएलएम पर काम करने के लिए 100% अनुपालन प्राप्त करने हेतु माइग्रेट करने वाले प्रोजेक्ट लाइफ

साइकिल मैनेजमेंट (पीएलएम) सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन

ढ) राजस्व व्यय में कमी

ण) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार

त) कुशल जोखिम विश्लेषण और शमन योजनाएं

थ) बेहतर प्रबंधन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना

द) शिपयार्ड क्षमता 20 से 24 पोतों के समवर्ती निर्माण में वृद्धि।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण रखती है, जो व्यवसाय की प्रकृति और आकार के लिए उपयुक्त है। आंतरिक नियंत्रण ढांचे को रिकॉर्ड करने और विश्वसनीय वित्तीय और परिचालन जानकारी प्रदान करने, लागू कानूनों का पालन करने, संपत्तियों की सुरक्षा, उचित प्राधिकरण के साथ लेनदेन निष्पादित करने और कॉर्पोरेट नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी ने अपने प्रत्येक कार्य के संचालन का मार्गदर्शन करने, अपने व्यवसाय के संचालन में अखंडता सुनिश्चित करने, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने, लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने में सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं और नीतियां निर्धारित की हैं। विभिन्न नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन गतिशील और विकसित कारोबारी माहौल के लिए किया जाता है। प्रक्रिया के मालिक इन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। सतत आंतरिक निगरानी तंत्र जोखिमों और मुद्दों की समय पर पहचान सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी का एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, जो कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुपालन की अनुविक्षण करता है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा योजना की समीक्षा करती है जिसमें मुख्य व्यवसाय संचालन, कॉर्पोरेट विभागों के साथ-साथ समर्थन कार्य और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया जाता है। लेखापरीक्षा समिति को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना दी जाती है। कंपनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन भी है। लेखापरीक्षा समिति आपकी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

10. जोखिम प्रबंधन

`कंपनी ने मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति और चार्टर स्थापित किया है और एक संरचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है। कंपनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन ('ईआरएम') प्रक्रिया आईएसओ 31000 मानकों पर आधारित है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति ('आरएमसी') निरीक्षण प्रदान करती है और पूरे संगठन में ईआरएम ढांचे को लागू करने के लिए टोन सेट करती है। यह प्रमुख जोखिमों की स्थिति, सभी स्थानों पर ईआरएम कार्यान्वयन की प्रगति के साथ-साथ जोखिम प्रशासन की समीक्षा करता है। कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) द्वारा किया जाता है, जो जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने तथा कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) आरएमसी एवं आरएमएससी के संयोजक हैं। यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण करती हैं, शमन योजनाएँ तैयार करती हैं, कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं और शीर्ष प्रबंधन को भी सूचित करती हैं। समिति समय-समय पर जोखिम प्रबंधन और शमन पर मंडल को अद्यतन करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यकारी प्रबंधन उचित रूप से डिजाइन किए गए ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है।

11. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा और विश्लेषण

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं: *(करोड़ रू में)*

विवरण	31 मार्च 22 तक के अनुसार	31 मार्च 21 तक के अनुसार
कुल आय	1918.17	1326.56
परिचालन से राजस्व	1757.51	1140.83
उत्पादन का मूल्य	1748.34	1132.76
सकल मार्जिन	293.71	236.89
असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ	264.93	227.87
असाधारण वस्तु	(7.69)	(20.75)
कर पूर्व लाभ	257.24	207.12

विवरण	31 मार्च 22 तक के अनुसार	31 मार्च 21 तक के अनुसार
कर व्यय	67.71	53.65
कर पश्चात लाभ	189.53	153.47
निवल मूल्य	1257.89	1137.12
प्रति शेयर बुक वैल्यू (रू में)	109.80	99.27
प्रति शेयर आय (रू में)	16.55	13.40
प्रति शेयर लाभांश (रू में)	5.80	5.00

अनुपात विश्लेषण:

अनुपात	31 मार्च 22 तक के अनुसार	31 मार्च 21 तक के अनुसार	भिन्नता का %
देनदार आवर्त	10.55	3.20	230%
वस्तुसूची आवर्त	1.68	1.79	-6%
ब्याज व्याप्ति आवर्त	384.39	347.39	11%
चालू अनुपात	0.93	0.99	-6%
ऋण इक्विटी अनुपात	0.008	0.002	300%
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	6	4	50%
शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	11	13	-15%
निवल मूल्य पर लाभ (%)	15	13	15%

(करोड़ रू में)

आयात और निर्यात	31 मार्च 22 तक के अनुसार	31 मार्च 21 तक के अनुसार
वर्ष के दौरान आयात	194.88	78.89
वर्ष के दौरान निर्यात	60.94	87.49

- **देनदार कारोबार:** वित्तीय वर्ष **21-22** में देनदार कारोबार अनुपात वित्तीय वर्ष **20-21** में **3.20** की तुलना में **10.55** में सुधार हुआ है। यार्ड **3020** को **320** करोड़ का भुगतान जो फरवरी **2020** में दिया गया था और अन्य परियोजनाएं **31.03.2020** को बकाया थीं, और इसे वित्तीय वर्ष **20-21** के दौरान महसूस किया गया था जो कि वित्तीय वर्ष **20-21** से **21-22** में औसत व्यापार प्राप्तियों में **53%** की समग्र कमी के रूप में परिलक्षित होता है।
- **ऋण इक्विटी अनुपात:** केओपीटी और ईईएसएल से कंपनी के लिए संपत्तियों की लीज होल्डिंग्स में वृद्धि के कारण चालू वर्ष का ऋण अनुपात वित्तीय वर्ष **20-21** में **2.01** करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष **21-22** में **9.74** करोड़ हो गया और यह भिन्नता में परिलक्षित हुआ है।
- **परिचालन लाभ मार्जिन:** वित्तीय वर्ष **21-22** में परिचालन लाभ **147%** की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष के **42.14** करोड़ से बढ़कर **104.27** करोड़ रुपए हो गया है। प्रभावी लागत नियंत्रण और आंतरिक दक्षता के कारण परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार हुआ है और निश्चित खर्च तुलनात्मक रूप से कम हो गए हैं।
- **निवल मूल्य पर रिटर्न :** चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रचालन से राजस्व में **54%** की वृद्धि दर्ज की है और शुद्ध लाभ में **24%** का उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। अंततः उसी के परिणामस्वरूप निवल मूल्य पर रिटर्न में सुधार हुआ है। निवल मूल्य **2020-21** में **₹1,13,711.76** लाख से बढ़कर **2021-22** में **₹1,25,789.07** लाख हो गया है, जिसमें **10.62%** की वृद्धि हुई है।
- **सकल राजस्व में** 44.60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो 2020-21 में 1,32,655.88 लाख रू से बढ़कर 2021-22 में 1,91,816.75 लाख रू हुई।

- **उत्पादन का मूल्य** 2020-21 में 1,13,276.40 लाख रू से बढ़कर 2021-22 में 1,74,834.52 लाख रू हुई।
- **निवल लाभ (कर पूर्व लाभ)** 24.20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई जो 2020-21 में 20,711.74 लाख रू से बढ़कर 2021-22 में 25,724 लाख रू हुई।
- **प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि** 2020-21 के 25.00 लाख रू से बढ़कर 2021-22 में 31.00 लाख रू हुई।
- **प्रति शेयर बुक वैल्यू** 2020-21 के 99.27 लाख रू से बढ़कर 2021-22 में 109.80 लाख रू हुई।

12. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंधों के बारे में विवरण विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल हैं।

13. मानवशक्ति

31 मार्च 2022 तक के अनुसार आपकी कंपनी की कर्मचारी शक्ति 1790 व्यक्तियों की थी।

31 मार्च 2022 तक के अनुसार कुल कर्मचारी	अधिकारी	पर्यवेक्षकों	कार्यालय सहायक	वर्कमेन		
				प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1790	483	146	61	869	231	1100

14. पर्यावरण संरक्षण

आपकी कंपनी स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती है, जो कि क्लीनर प्रौद्योगिकियों में लाने और पुनरावृत्ति, पुन: उपयोग और दृष्टिकोण को कम करने के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करती है। प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट कचरे का निपटान और धातु स्क्रैप, ई-कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

15. संरक्षण ऊर्जा का प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी ' *निदेशकों की रिपोर्ट* ' में दी गई है।

16. निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता (सीएसआर)

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट के खंड में दी गई है,जो 'परिशिष्ट - "ई" के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

सावधानी कथन - *कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाओं, अनुमानों और अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत 'दूरदर्शी बयान' हो सकते है। वास्तविक परिणाम इस तरह की अपेक्षाओं, भविष्य की योजनाएं और अन्य से जो व्यक्त या निहित हो, से अलग हो सकते हैं। कई कारक कंपनी के परिचालन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। इनमें जलवायु परिस्थितियों और मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां, सरकारी नियम और कराधान, प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल हैं, जिस पर कंपनी का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है।*

निगमित शासन पर रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए)

अंगीकृत निगमित शासन दर्शन

1. निगमित शासन हमारे शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक स्थायी मूल्य का निर्माण और वृद्धि है, जिसमें नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से नियामक, कर्मचारी, ग्राहक, विक्रेता, निवेशक और बड़े पैमाने पर समाज शामिल है। प्रभावी निगमित शासन प्रथाएं उस मजबूत नींव का निर्माण करती हैं जिस पर सफल वाणिज्यिक उद्यम टिके रहते हैं। मजबूत नेतृत्व और प्रभावी निगमित शासन प्रथाएं कंपनी का शासन दर्शन रहा है। हमारी निगमित संरचना, व्यवसाय और प्रकटीकरण प्रथाओं को हमारे निगमित शासन दर्शन के साथ जोड़ा गया है।

2. कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम , 2015 (« सेबी लिस्टिंग विनियम «) के तहत निगमित शासन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश , 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के संबंध में यथा लागू आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है ।

निदेशक मंडल

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, आपकी कंपनी एक ‹सरकारी कंपनी› है क्योंकि कुल चुकता पूंजी का 74.50% भारत के राष्ट्रपति के पास है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों की नियुक्ति/कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निदेशक एक दूसरे *से संबंधित नहीं हैं।*

4. कंपनी के निदेशक मंडल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में, सर्वोच्च निकाय है जो आपकी कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख करता है। आपकी कंपनी का मंडल रणनीतिक निर्देश देता है और उनकी पूर्ति की जवाबदेही चाहता है। मंडल ने अपने «विजन» कथन को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यह शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए एक ट्रस्टी के रूप में आपकी कंपनी के प्रबंधन और प्रदर्शन की अंतिम जिम्मेदारी के साथ निहित है। मंडल के निर्णय आपकी कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए उनके साथ जुड़े हुए है । मंडल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए उप-समितियों का गठन किया है।

मंडल का आकार और संरचना

5. कंपनी के मंडल में कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक, गैर-कार्यकारी (अंशकालिक सरकारी) सरकार द्वारा नामित निदेशक और गैर-कार्यकारी (अंशकालिक गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों का संयोजन हैं । 31 मार्च 2022 तक, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन शामिल नहीं है। उक्त तिथि के अनुसार, मंडल में 04 निदेशक शामिल हैं जिनमें 02 पूर्णकालिक निदेशक, 01 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 01 अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं।

6. 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद की संख्या #		अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या ##		अन्य सूचीबद्ध संस्था और श्रेणी में निदेशक पद
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	
पूर्णकालिक निदेशक						
रियल एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना [1] भानौ (सेवानिवृत्त) *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	01 मार्च 2017	-	-	-	-	-
श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त) और सीएफओ*	01 जुलाई 2020	-	-	-	-	-

निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद की संख्या #		अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या ##		अन्य सूचीबद्ध संस्था और श्रेणी में निदेशक पद
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	
कमोडोर संजीव नैय्यर [2] भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (पोत निर्माण)*	16 दिसंबर 2017	-	-	-	-	-
कमोडोर हरि पी आर [3] भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (कार्मिक)*	21 अक्टूबर 2019	-	-	-	-	-
सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)						
श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव *संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली)*	14 सितंबर 20	-	3	-	-	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (सरकार द्वारा नामित निदेशक, गैर-कार्यकारी)
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) (गैर-कार्यकारी)						
डॉ. विश्वप्रिया रॉयचौधरी [4]	15 अगस्त 2018	-	-	-	-	-
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे [5]	27 दिसंबर 2021	-	2	-	2	-

 # प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों, धारा 8 कंपनियों और वैकल्पिक निदेशकों को छोड़कर।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारकों की संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया जाता है।

[1] कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 28 फरवरी 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

[2] 01 जनवरी 2022 प्रभावी कंपनी के निदेशक पोत निर्माण के रूप में सेवानिवृत्त।

[3] सरकार ने 01 मार्च 2022 से प्रभावी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

[4] 15 अगस्त 2021 से प्रभावी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।

[5] 27 दिसंबर 2021 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त।

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक (1) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) को निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। नव नियुक्त निदेशक का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

श्री संजय दत्तात्रेय पणसे

श्री संजय पांसे एक फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं तथा एस पांसे एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई के संस्थापक और वरिष्ठ भागीदार भी हैं। उनके पास 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है, और वित्तीय और पूंजी बाजार में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित पेशेवर हैं।

उन्हें वित्तीय बाजार क्षेत्र के प्रतिभागियों के लेखांकन, लेखा परीक्षा और कामकाज की गहरी समझ है और उन्होंने लेखा परीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन सेवाओं, उचित परिश्रम, आंतरिक लेखा परीक्षा, म्यूचुअल फंडों , पोर्टफोलियो प्रबंधकों, बैंक, बीमा कंपनियां और पूंजी बाजार में अन्य मध्यस्थ के लिए सलाहकार सेवाओं, के क्षेत्र में एस पानसे एंड कंपनी एलएलपी के अभ्यास का नेतृत्व किया है। वह आर्थिक और वित्तीय मामलों पर लगातार वक्ता और लेखक हैं। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

अन्य निदेशक पद:

क्रम संख्या	कंपनियों/निकायों कॉर्पोरेट/फर्मों/व्यक्तियों के एसोसियशन का नाम	रुचि या कंसर्न की प्रकृति / रुचि या कंसर्न में परिवर्तन	तिथि जिस पर रुचि या कंसर्न उत्पन्न / चेंज हुई
1	ईसीए ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	28/06/2016
2	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	29/09/2021
3	सारस्वत इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	13/08/2008

अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता:

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	निदेशक पद की प्रकृति	क्या लेखा परीक्षा समिति के सदस्य हैं	क्या लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं	क्या शेयरधारक संबंध समिति के सदस्य हैं	क्या शेयरधारक संबंध समिति के अध्यक्ष हैं	अन्य समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता का विवरण
1	ईसीए ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	सदस्य, नामांकन और पारिश्रमिक समिति
2	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य
3	सारस्वत इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शून्य

8. 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के बाद कंपनी के निदेशक मंडल में चार (4) नए निदेशकों को शामिल किया गया है। नव नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

श्री संजीव मोहंती

श्री संजीव मोहंती (डीआईएन 09559883), 06 अप्रैल 2022 को तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किए गए है। उन्होंने वर्ष 1984 में उत्कल विश्वविद्यालय से बी.ए. और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक किया हैं और वर्ष 1990 में ओडिशा स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के रूप में नामांकित हैं। वह भारत के ओडिशा राज्य में 32 से अधिक वर्षों के अभ्यासरत अधिवक्ता हैं। उनके अभ्यास के व्यापक क्षेत्र आपराधिक और नागरिक कानून हैं। वह नियमित रूप से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों / सत्र न्यायालयों और अन्य मंचों के समक्ष उपस्थित होते हैं।

उन्होंने ओडिशा कोऑपरेटिव टसर एंड सिल्क फेडरेशन लिमिटेड (एसईआरआईएफ़ईडी), 2002-2008 से ओडिशा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए है। इसके अलावा, वह अपने कॉलेज के दिनों से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

अन्य निदेशक पद: शून्य

अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता: शून्य

श्रीमती दर्शना सिंह

श्रीमती दर्शन सिंह, (डीआईएन 09567496) को 12 अप्रैल, 2022 से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किए गई है। उन्होंने वर्ष 1996 में वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से इतिहास में एमए और वर्ष 2006 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया हैं। इसके अलावा, वह एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

हालाँकि, श्रीमती दर्शना सिंह ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2022 के माध्यम से कंपनी के मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

(स्वतंत्र निदेशक) के पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में, उन्होंने उल्लेख किया है कि आगामी नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के कारण, वह कंपनी में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की अपनी भूमिका और स्थिति को सही ठहराने में सक्षम नहीं होगी। इसके अलावा, उन्होंने पुष्टि की है कि ऊपर उल्लिखित के अलावा उनके इस्तीफे का कोई मटिरियल कारण नहीं है।

पत्र 01 जून 2022 को ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ था। उनके इस्तीफे की प्रभावी तिथि को उस तिथि को प्राप्त पत्र के रूप में 01 जून 2022 माना गया है।

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 09631817) 08 जून 2022 को हमारे कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभाला। कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) 23 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा करने के उपरांत वर्ष 2013 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड में शामिल हुए। कमांडर बोस एक उच्च योग्यता प्राप्त और अनुभवी नौसेना वास्तुकार हैं, जो 2013 से द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं के प्रभारी भी रहें हैं। निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह महाप्रबंधक (एमडब्ल्यू एवं पी17ए) के रूप में काम कर रहे थे।

उन्होंने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। इसके अलावा, उनके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग (इंडिया) और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर की सदस्यता भी है।

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) के पास गहरी तकनीकी अंतर्दृष्टि और पोत निर्माण के सभी पहलुओं में काम करने का अनुभव है, व्यक्ति प्रबंधन करना और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करना उनकी विशेषता रही है। जीआरएसई में, वह एकीकृत निर्माण (आईसी) पद्धति को अपनाने, डिजाइन के लिए आभासी वास्तविकता प्रयोगशाला (वीआरएल) के उपयोग और उत्पाद डेटा मॉडल (पीडीएम) और उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन (पीएलएम) में सबसे आगे रहे हैं। उनके वर्तमान फोकस क्षेत्रों में आर एंड डी परियोजनाएं और स्वदेशीकरण की ओर अधिक जोर शामिल है। उनकी देखरेख में जीआरएसई की आरबीडी यूनिट की आधारभूत संरचना उन्नयन योजना, क्रियान्वयन और पूर्वेक्षण किया गया है।चल रही परियोजनाओं के निर्माण के लिए अब इसका लाभकारी दोहन किया जा रहा है।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

अन्य निदेशक पद: शून्य

अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता: शून्य

कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)

कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 08591411) ने 33 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ 10 जून 2022 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व, वह कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने भारतीय नौसेना में अट्ठाईस वर्षों (28) से अधिक की कमीशंड सेवा की है जिसमें ऑनबोर्ड युद्धपोतों, नेवल रिपेयर संगठनों एवं विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों का विविध अनुभव शामिल हैं। उनके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के एक पूर्व छात्र हैं और उन्होंने एडब्ल्यूसी एमएचओडब्ल्यू में 5 वें उच्च रक्षा उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम और नौसेना वॉर कॉलेज, गोवा में प्रतिष्ठित नौसेना उच्च कमान पाठ्यक्रम भी पूरा किए हैं।

कमोडोर पी आर हरि, 2016 में एक मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कंपनी में शामिल हुए और शिपयार्ड में निर्मित सभी नए निर्माण पोतों के उत्पादन योजना के प्रभारी रहे हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर 2019 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में पदभार ग्रहण किया था और जीआरएसई के मानव संसाधन, निगमित योजना और तकनीकी कार्यों का नेतृत्व किए थे।

उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, उनके पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

अन्य निदेशक पद: शून्य

अन्य कंपनियों की समिति सदस्यता: शून्य

मुख्य बोर्ड विशेषज्ञता और कौशल

9. आपकी कंपनी में निदेशक भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशानुसार कार्य करते हैं। आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

10. आपकी कंपनी के बोर्ड में योग्य सदस्य शामिल हैं। उन्हें आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता प्राप्त हैं जिसकी वजह से वे बोर्ड और उसकी समितियों में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम हैं। निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बोर्ड द्वारा निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में मुख्य बोर्ड कौशल, विशेषज्ञता और विशेषज्ञताओं का सार है, जो बोर्ड की राय में, कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक हैं:

कौशल और गुण	विवरण
संगठनात्मक उद्देश्य	कंपनी के उद्धोग इसके संचालन, देश की समुद्री जरूरतों, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, घरेलू और वैश्विक दोनों ही विनियामक और प्रतिस्पर्धा वातावरण को समझने की क्षमता, जिस के माध्यम से कंपनी अपने व्यवसायों के लिए अवसरों और खतरों की पहचान करने में सक्षम होती है। कंपनी के लिए एक प्रेरक विजन बनाने की दिशा में योगदान करने की क्षमता।
वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल	लेखांकन और वित्त, व्यापार निर्णय, सामान्य प्रबंधन प्रथाओं और प्रक्रियाओं, संकट प्रतिक्रिया और प्रबंधन, उद्धोग ज्ञान, मैक्रो-आर्थिक दृष्टिकोण, मानव संसाधन, श्रम कानून और जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण में ज्ञान एवं कौशल।
नीति मूल्यांकन	कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र, सरकार के निर्देशों और कंपनी के व्यवसायों के लिए प्रयोज्यता के संदर्भ में नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने की क्षमता।
निगमित शासन	विनियामक अनुपालन, बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही के मामलों पर ज्ञान, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना, उपर्युक्त शासन प्रथाओं का पालन करना और इसके शोधन के लिए योगदान करना।
प्रौद्धोगिकी की समझ	प्रौद्धोगिकी और नवाचार में उभरते रूझानों को समझना जो व्यवसाय पर प्रभाव डाल सकते हैं और आवश्यक हस्तक्षेपों को निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं जिनका उपयोग व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धा और टिकाऊ बनाने में किया जा सकता है।
संस्कृति निर्माण	एक नैतिक संगठानात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने, हितों के टकराव को खत्म करने और नैतिकता, अखंडता और संगठानात्मक आचरण के उच्चतम मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने की दिशा में बोर्ड की भूमिका में योगदान देने की क्षमता।

11. व्यक्तिगत निदेशकों के मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं की सूची नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता					
	संगठनात्मक उद्देश्य	वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल	नीति मूल्यांकन	निगम से संबंधित शासन प्रणाली	तकनीकी समझ	संस्कृति भवन
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना	√	√	√	√	√	√
कमोडोर संजीव नैय्यर	√	√	√	√	√	√
कमोडोर हरि पी आर	√	√	√	√	√	√
श्री रमेश कुमार दाश	√	√	√	√	√	√
श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव	√	√	√	√	√	-
डॉ. विश्वप्रिया रॉयचौधरी	√	√	√	√	√	-
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे	√	√	√	√	√	-

मंडल प्रक्रिया

12. मंडल बैठक समान्यतः प्रति तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाए तो इससे अधिक बैठकें की जाती है जो व्यापार करने में आसानी हेतु नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, व्यापार विकास के लिए रणनीतियाँ बनाने, योजना नियंत्रण करने, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करने, उच्च मूल्य की मदों, छमाही/आवधिक परिणाम, वार्षिक लेखा, वार्षिक प्रचालन योजना, तथा बजट का अनुमोदन करने के साथ मंडल के समक्ष प्रस्तुत सांविधिक अपेक्षित मामलों पर विचार करने के लिए की जाती है।

13. आपकी कंपनी का विश्वास है कि सावधानी पूर्वक नियोजित कार्यसूची टिप्पणियाँ, प्रभावी मंडल बैठकों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यसूची टिप्पणियों के साथ विस्तृत सूचना की पृष्ठभूमि दी जाती है ताकि मंडल निर्णय ले सके। कार्यसूची टिप्पणियों को समान्यतः मंडल के सदस्यों को समय रहते परिचालित कर दिया जाता है। मंडल के सदस्य अध्यक्ष से परामर्श करके किसी भी महत्वपूर्ण मामलों को मंडल को विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों को भी मंडल बैठक में उपस्थित होने तथा स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अंशकालिक निदेशक मंडल बैठक के विचार विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा कंपनी को तकनोलोजी, वित्त, विपणन, लोक नीति तथा प्रचालन के क्षेत्र में अपना व्यापक अनुभव प्रदान करते हैं।

बैठकें और उपस्थिति

14. वर्ष 2021-22 के दौरान मंडल की सात (07) बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:

क्रम संख्या	दिनांक	मंडल की संख्या शक्ति	वर्तमान निदेशकों की संख्या
1.	17 मई 21	06	06
2.	26 जुलाई 21	06	06
3.	13 अगस्त 21	06	06
4.	08 अक्टूबर 21	05	05
5.	13 नवंबर 21	05	04
6.	24 दिसंबर 21	05	05
7.	11 फरवरी 22	05	05

15. वर्ष के दौरान आयोजित किन्हीं दो मंडल बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल (73) दिन का था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति							उपस्थिति का%	10 सितंबर 21 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थिति
	17 मई 21	26 जुलाई 21	13 अगस्त 21	08 अक्टूबर 21	13 नवंबर 21	24 दिसंबर 21	11 फरवरी 22		
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना [1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
कमोडोर संजीव नैय्यर [2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	100	✓
श्री रमेश कुमार दाश	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
कमोडोर हरि पीआर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	85.7	लागू नहीं
डॉ. विश्वप्रिया रॉयचौधरी [3]	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100	लागू नहीं
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे [4]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	100	लागू नहीं

✓ - उपस्थित × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

[1] कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 28 फरवरी 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

[2] 31 दिसंबर 2022 को कंपनी के निदेशक पोत निर्माण के रूप में सेवानिवृत्त।

[3] 15 अगस्त 2021 से प्रभावी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।

[4] 27 दिसंबर 2021 से प्रभावी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

मंडल की समितियां

16. वर्तमान में, मंडल ने आपकी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन में सहायता करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए दस (10) उप-समितियों का गठन किया है। मंडल उप-समितियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

    (क) लेखा परीक्षा समिति;
    (ख) मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
    (ग) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनिबिलिटी समिति;
    (घ) शेयरधारक संबंध समिति;
    (ङ) जोखिम प्रबंधन समिति
    (च) परियोजना समीक्षा उप-समिति;
    (छ) प्रोक्योरमेंट समिति;
    (ज) व्यापार रणनीति और क्षमता वृद्धि समिति;
    (झ) समझौता ज्ञापन समिति;
    (ञ) विधि समिति

17. निदेशक मण्डल की उपरोक्त वर्णित उप समितियों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है।

मंडल की अनिवार्य समितियां

लेखा परीक्षा समिति

18. 31 मार्च 2022 तक के अनुसार और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियमों, 201 5 («सेबी लिस्टिंग विनियमन») के अनुरूप कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था।

19. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में उल्लेखित तथा सेबी सूचीबद्ध विनियमन के अंतर्गत बनाए गए नियम व लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार है। समिति का प्रमुख कार्य है वित्तीय रिपोर्टों, आपकी कंपनी के वित्त, लेखा और विधि अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों की समीक्षा जिसे प्रबंधन और मण्डल ने नियत किया है और आपकी कंपनी की लेखा परीक्षा, लेखांकन और सामान्यता: वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा करके निदेशक मंडल की सहायता करना ।।

20. लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है और आपकी कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है। समिति व्हिसल ब्लोअर नीति के कामकाज और कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के प्रभावी कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है।

21. लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष मंडल बैठकों के दौरान लेखा परीक्षा समिति की प्रेक्षण से बोर्ड को अवगत कराता है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए मंडल को इसकी अनुवर्ती बैठक में प्रस्तुत किया जाता हैं। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

22. वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हो सकी।

मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति

23. 31 मार्च 2022 तक के अनुसार और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियमों, 2015 («सेबी लिस्टिंग विनियमन») के अनुरूप कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। इसलिए, मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

24. हालांकि, मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं: -

    (क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन राशि कार्य निष्पादन संबन्धित वेतन (पीआरपी) तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु विहित सीमा में कार्यपालकों (मडल स्तर के कार्यपालकों सहित) तथा गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों में इसे वितरित करने के लिए नीति निर्धारण करना।

    (ख) मानव संसाधन मुद्दे से संबन्धित सभी प्रस्तावों का परीक्षण करना और अपना सुझाव देना।

    (ग) मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सस्टेनिबिलिटी समिति («सीएसआर और एसडी समिति»)

25. कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके तहत प्रतिपादित नियमों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी ("सीएसआर एवं एसडी") मार्गनिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी नीति को आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने अनुमोदित कर दिया है। उक्त नीति के शर्तों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन आपकी कंपनी के सीएसआर एवं एसडी क्रियाकलापों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी करने के लिए किया गया है।

26. सीएसआर और एसडी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं: -

(क) कंपनी अधिनियम 2013 के शिड्यूल- VII में यथानिर्धारित एक निगमित सामाजिक दायित्व एवं सास्टेनेबिलिटी नीति तैयार करना और मण्डल को सिफ़ारिश करना,जिसमें आपकी कंपनी द्वारा ली जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होगा।

(ख) सीएसआर गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश ;

(ग) अपनी कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सस्टेनेबिलिटी नीति और समय-समय पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी।

27. 31 मार्च 2022 के अनुसार निदेशक मण्डल की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन निम्नानुसार है:

(क)	श्री संजय दत्तात्रेय पणसे[1] *अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री आर के दाश [2] *निदेशक (वित्त) और सीएफओ*	सदस्य
(ग)	कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (कार्मिक)*	सदस्य

[1] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।

[2] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।

28. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

29. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर एवं एसडी कमेटी की दो (2) बैठकें आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर और एसडी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति		उपस्थिति का%
	04 अगस्त 21	16 मार्च 22	
डॉ. विश्वप्रिया रॉयचौधरी *[1]*	✓	लागू नहीं	100
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *[2]*	लागू नहीं	✓	100
कमोडोर संजीव नैय्यर *[3]*	✓	लागू नहीं	100
कमोडोर हरि पीआर	✓	✓	100
श्री आर के दाश	लागू नहीं	✓	100

- उपस्थित ✓ × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

[1] 15 अगस्त 2021 से प्रभावी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।

[2] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति।

[3] 31 दिसंबर 2021 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।

शेयरधारक संबंध समिति

30. शेयरधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 सेबी लिस्टिंग विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुरूप किया गया था।

31. सेबी लिस्टिंग नियमों के अनुरूप, शेयरधारकों के संबंध समिति के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) शेयरों के हस्तांतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठक आदि से संबंधित शिकायतों सहित सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना;

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा;

(iv) आपकी कंपनी द्वारा दावा नहीं किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस के समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

32. 31 मार्च 2022 तक के अनुसार निदेशक मंडल की शेयरधारक संबंध समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक [1]*	अध्यक्ष
(ख)	कमोडोर हरि पीआर *निदेशक (कार्मिक)*	सदस्य
(ग)	श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त) और सीएफओ*	सदस्य

[1] 11 फरवरी 2022 को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।

33. कंपनी सचिव शेयरधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है, और वह अनुपालन अधिकारी भी है।

34. वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की हितधारकों की संबंध समिति की दो (2) बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति		उपस्थिति का%
	04 अगस्त 21	16 मार्च 22	
डॉ. विश्वप्रिया रॉयचौधरी *[1] अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक*	✓	ना	100
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *[2]* अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	ना	✓	100
कमोडोर हरि पीआर *निदेशक (कार्मिक)*	✓	✓	100
श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त) और सीएफओ*	✓	✓	100

[1] 15 अगस्त 2021 से प्रभावी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त

[2] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति।

35. 31 मार्च 2022 तक निवेशक शिकायतों की स्थिति और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 13 (3) के तहत रिपोर्ट की गई स्थिति निम्नानुसार है:

01 अप्रैल 2021 तक शिकायतें	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	0
वर्ष के दौरान हल किया गया	0
शेयरधारकों की संतुष्टि के लिए हल नहीं	0
31 मार्च 2022 तक लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति

36. जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 21 के अनुरूप किया गया।

37. जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा।

(ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय;

(ग) कारोबार निरंतरता योजना।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;

(iii) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना; सुनिश्चित करें कि कंपनी चल रही और नई व्यावसायिक गतिविधियों दोनों में जोखिमों और पुरस्कारों के बीच विवेकपूर्ण संतुलन प्राप्त करने के लिए उचित उपाय कर रही है।

(iv) दो साल में कम से कम एक बार, समय-समय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करने जिसमें , बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना भी शामिल है ;

(v) कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति भूमिका

उत्तरदायित्व और प्राधिकार की समीक्षा और मूल्यांकन करना और जोखिम प्रबंधन कार्य के दायरे की रूपरेखा तैयार करना।

(vi) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करना; जोखिम रणनीतियों, नीतियों, ढांचे, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में मंडल की सहायता करना।

(vii) जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति और हटाने की सिफारिश/समीक्षा करना।

(viii) जोखिम प्रबंधन समिति के पास, यदि वह आवश्यक समझे किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करने, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने और प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार होगा।

38. 31 मार्च 2022 को निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (कार्मिक)*	अध्यक्ष
(ख)	श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *[1]* अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य
(ग)	श्री आर के दाश, *निदेशक (वित्त) और सीएफओ*	सदस्य
(घ)	श्री सुब्रतो घोष *मुख्य जोखिम अधिकारी*	सदस्य
(ङ)	श्री एस घोष चौधरी *जोखिम समन्वयक*	सदस्य सचिव

✓ - उपस्थित × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

[1] 01 जनवरी 2022 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में सेवासमाप्त।

[2] 15 अगस्त 2021 से प्रभावी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।

[3] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति।

39. जोखिम समन्वयक सदस्य और समिति के सचिव भी हैं।

40. वर्ष 2021-22 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति		उपस्थिति का%
	13 अगस्त 21	16 मार्च 22	
कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त)*[1]* *निदेशक (पोत निर्माण)*	✓	लागू नहीं	100
कमोडोर हरि पीआर, *भानौ* (सेवानिवृत्त) *निदेशक (कार्मिक)*	✓	✓	100
श्री आर के दाश *निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ*	✓	✓	100
श्री विश्वप्रिया रॉय चौधरी *[2]* अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	✓	लागू नहीं	100
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *[3]* अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं	✓	100
श्री सुब्रतो घोष *मुख्य जोखिम अधिकारी*	✓	✓	100
श्री एस घोष चौधरी *जोखिम समन्वयक*	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

[1] 01 जनवरी 2022 से प्रभावी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप सेवानिवृत्त।

[2] 15 अगस्त 2021 से प्रभावी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में में सेवासमाप्त।

[3] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति।

मंडल की अन्य समितियां

प्रोक्योरमेंट समिति

41. प्रोक्योरमेंट समिति को निम्नलिखित के संबंध में मंडल की पूर्ण शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं:

(क) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सामग्री, उपकरण, टूल्स, स्टोर और पुर्जों की खरीद, रूसी स्रोतों सहित आयात, कार्यों की स्वीकृति, उप-अनुबंध और सुविधा किराया आदि के लिए आदेश देने के लिए ₹30 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ख) मंडल/सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में प्रदान की गई मदों के संबंध में ₹5 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ग) प्रोक्योरमेंट समिति आपकी कंपनी के प्रोक्योरमेंट नियमावली, सीवीसी दिशानिर्देशों, सरकारी विनियमों आदि के अनुपालन में सभी प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों की जांच करती है और ऐसे प्रस्तावों के लिए अपनी स्वीकृति देती है। प्रक्रियाओं से किसी भी विचलन की स्थिति में, समिति की सिफारिशों के साथ प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंडल के समक्ष रखा जाता है। तथापि, यदि समिति को लगता है कि किसी विशेष प्रस्ताव पर मंडल द्वारा विचार करने की आवश्यकता है, तो उसे समिति की सिफारिशों के साथ मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) प्रोक्योरमेंट समिति द्वारा अनुमोदित समस्त प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों को मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

42. 28 फरवरी 2022 तक के अनुसार निदेशक मंडल की प्रोक्योरमेंट समिति की संरचना इस प्रकार है:

(क)	*रियर एडमिरल वीके सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक* [1]	अध्यक्ष
(ग)	श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक* [2]	सदस्य
(घ)	*कमोडोर हरि पीआर, भानौ* (सेवानिवृत्त) *निदेशक (कार्मिक)*	सदस्य
(ङ)	*श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ*	सदस्य

[1] 01 मार्च 2022 से प्रभावी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

[3] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति।

43. 31 मार्च 2022 तक के अनुसार निदेशक मंडल की प्रोक्योरमेंट समिति की संरचना इस प्रकार है:

(ख)	*कमोडोर हरि पीआर, भानौ* (सेवानिवृत्त), *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (स्थानापन्न) और निदेशक (कार्मिक) [1]*	अध्यक्ष
(ग)	*श्री संजय दत्तात्रेय पणसे अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक [2]*	सदस्य
(ङ)	*श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ*	सदस्य

[1] 01 मार्च 2022 से प्रभावी समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति।

[2] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति।

44. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

45. प्रोक्योरमेंट समिति के अध्यक्ष मंडल की बैठक के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की टिप्पणियों के बारे में मंडल को अवगत कराते हैं।

46. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की चार (4) बैठकें हुईं। वित्तीय वर्ष 2021- 22 के दौरान प्रोक्योरमेंट समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति				उपस्थिति का%
	07 मई 21	09 सितंबर 21	30 दिसंबर 21	16 मार्च 22	
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना *[1]*	✓	✓	✓	लागू नहीं	100
श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव *[2]*	लागू नहीं	✓	×	लागू नहीं	50
श्री आर के दाश	✓	✓	✓	✓	100
कमोडोर हरि पी आर *[3]*	लागू नहीं	ना	ना	✓	100
कमोडोर संजीव नैय्यर *[4]*	✓	✓	✓	लागू नहीं	100
डॉ. विश्वप्रिया रॉयचौधरी *[5]*	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	100
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे *[6]*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	100

✓ - उपस्थित × - *अनुपस्थित* ला.न. - *लागू नहीं*

[1] 01 मार्च 2022 से प्रभावी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।

[2] 13 अगस्त 2021 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति।
[3] 11 फरवरी 2022 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति।
[4] 01 जनवरी 2022 प्रभावी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।
[5] 15 अगस्त 2021 से प्रभावी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवासमाप्त।
[6] 11 फरवरी 2022 प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति।

समझौता ज्ञापन समिति

47. निदेशक मंडल की समझौता ज्ञापन समिति का गठन आपकी कंपनी और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की समीक्षा करने के लिए किया गया था, जिसमें विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यमों के अपेक्षित एमओयू शर्तों और वार्षिक समझौता ज्ञापन प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करना शामिल है।

48. कंपनी के मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समझौता ज्ञापन समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। इसलिए समझौता ज्ञापन समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

परियोजना समीक्षा उप-समिति

49. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण परियोजना समीक्षा उप-समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। अत: वर्ष के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

50. निदेशक मंडल की परियोजना समीक्षा उप समिति का गठन आपकी कंपनी की सभी परियोजनाओं की समीक्षा संरचित रीति से करने तथा सिस्टम के सुधार पर ध्यान देने तथा आधारिक संरचना को बढ़ाने के लिए किया गया है। समीक्षा करते समय समिति विलंब के कारणों का विश्लेषण करती है और उसमें सुधार लाने का उपाय खोजती है। समिति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मण्डल को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

व्यापार रणनीति एवं क्षमता वृद्धि समिति

51. आपकी कंपनी की भविष्य की व्यावपारिक रणनीति तैयार करने के लिए, गतिविधियों के अपने क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु, निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, नए उत्पादों की पहचान करने के लिए जो कंपनी निर्माण और विपणन कर सकती है, नई तकनीकों को आत्मसात कर सकती है, संभावित सहयोग के लिए भागीदारों की पहचान कर सकती है और अत्याधुनिक की पहचान कर सकती है। जहाजों और अन्य उत्पादों आदि की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत और विदेशों से उपकरण और मशीनरी, मंडल उपरोक्त पहलुओं को देखने और आपकी कंपनी के व्यवसाय के लिए फायदेमंद पहलुओं पर मंडल को सलाह देने के लिए मंडल की एक व्यावसायिक रणनीति और क्षमता वृद्धि समिति का गठन करता है।

52. समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

    (क) भावी वृद्धि के लिए व्यापार रणनीति तैयार करना।

    (ख) नए तकनोलोजी का अनुप्रेरण।

    (ग) उत्पादकता सुधार हेतु योजनाओं की पहचान करना।

    (घ) मूल आधारिक संरचना बढ़ोतरी/क्षमता वृद्धि को अंतिम रूप देना ताकि भावी व्यवसाय रणनीति को प्राप्त किया जा सके और पोतनिर्माण कौशल को उन्नत किया जा सके।

53. समिति की सिफारिशों को विचार और अनुमोदन के लिए मंडल के समक्ष रखा जाता है।

54. कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान व्यापार रणनीति और क्षमता वृद्धि समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका और समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

विधि समिति

55. निदेशक मंडल की विधि समिति का गठन कंपनी के कराधान मामलों के अलावा विधि मामलों की समीक्षा, निगरानी और उचित कार्रवाई हेतु सुझाव देने के लिए की गई।

56. कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मंडल विधि समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका। इसलिए समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

57. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें कार्यकाल, पारिश्रमिक पैकेज और नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तों को दर्शाया जाता है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति आमतौर पर पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 5 साल की अवधि के लिए की जाती है। अनुबंध की अवधि से पहले सेवा छोड़ने की स्थिति में नोटिस अवधि 3 महीने है या नोटिस अवधि के अभाव में 3 महीने का वेतन माफ किया जा सकता है।

58. आपकी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा में समय-समय पर निर्धारित किए जाते है। मंडल स्तर के अधिकारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान उपरोक्त विषय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों की नियुक्ति की शर्तों और जीआरएसई के नियमों के अनुसार अन्य लाभों और अनुलाभों के अनुसार किया जाता है। मंडल स्तर से नीचे के अधिकारियों गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है। कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए लागू नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों के रूप में पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन यानी प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) देय हैं।

59. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

निदेशक का नाम	वेतन*	अनुलाभ	पीएफ/ग्रेच्युटी/ पेंशन में कंपनी का योगदान	प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	कुल
रियर एडमिरल वीके सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त) [1] *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	42.75	0.79	15.25	2.64	**61.43**
कमोडोर एस नैयर, भानौ (सेवानिवृत्त) [2] *निदेशक (पोत निर्माण)*	29.90	3.34	4.73	2.05	**40.02**
कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (कार्मिक)*	42.06	6.49	6.22	1.64	**56.41**
श्री रमेश कुमार दाश निदेशक (वित्त) और सीएफओ	31.88	2.91	4.74	-	**39.53**

** वेतन में बकाया शामिल है*

[1] कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 28 फरवरी 2022 को कार्यकाल पूरा किया

[2] 01 जनवरी 2022 को कंपनी के निदेशक पोत निर्माण के रूप में सेवानिवृत्त

60. वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

61. सरकार द्वारा नामित निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह सरकार के अगले आदेश तक इस पद पर बने रहते हैं। वे किसी भी पारिश्रमिक या सिटिंग शुल्क के हकदार नहीं हैं।

62. निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त या पुनर्नियुक्त, आमतौर पर तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए की जाती हैं । उन्हें मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/- और निदेशक मंडल की उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 15,000/- का भुगतान करती है। इसके अलावा, कंपनी मंडल और अन्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा/आवास व्यय की प्रतिपूर्ति भी करती है।

63. कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Terms-and-Conditions-of-Appt-of-Non-Exutive-Directors.pdf पर प्रकट किए गए हैं।

64. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	मंडल बैठक	समिति की बैठकें	कुल पारिश्रमिक
डॉ. विश्वप्रिया रॉयचौधरी	0.60	0.60	**1.20**
श्री संजय दत्तात्रेय पणसे	0.20	0.60	**0.80**

65. इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की तुलना में अंशकालिक निदेशकों का कोई अन्य आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं रहा है।

66. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास कंपनी में कोई शेयर नहीं है।

मूल्यांकन पैमाना

67. चूंकि मंडल स्तर की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं , ऐसे नियुक्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

68. वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता की पुष्टि

69. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित अपनी स्वतंत्रता के मानदंडों के अनुसार अनुसरण करते हैं।

70. मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध करने की `बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

वार्षिक आम बैठक

71. आपकी कंपनी की विगत तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	तिथि और समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित
2018-19	20 सितम्बर 19 10.30 बजे	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेरिया रोड, ब्लॉक-ए, अलीपुर , कोलकाता-700025	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2019-20	11 सितंबर 20 10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से)	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2020-21	10 सितंबर 21 10.30 बजे	जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय - 700 024 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विजुअल मोड के माध्यम से)	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ

पोस्टल बैलेट

72. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने के लिए के दो प्रस्ताव रखा गया था। पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित किए गए प्रस्तावों का विवरण और वोट पैटर्न का विवरण:

73. कंपनी ने मण्डल निदेशकों को प्राधिकृत करने के लिए पोस्टल एक्ट, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत 5,000 करोड़ तक की उधार देने और विशेष प्रस्तावों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये तक के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के तहत उधार के संबंध में प्रभार आदि के सृजन के लिए मंडल निदेशक को अधिकृत करने के लिए सहमति देने हेतु डाक मतपत्र 29 मई 19 के नोटिस के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी मांगी। उपरोक्त संकल्पों को विधिवत पारित कर दिया गया और डाक मतपत्रों के परिणाम / ई - वोटिंग की घोषणा 09 जुलाई 19 को की गई। मेसर्स ए के लाभ एंड कं, कंपनी

सेक्रेटरी के श्री ए के लाभ को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनीज़र के रूप में नियुक्त किया गया था।

संकल्प	डाली गई वोटों की संख्या	पक्ष में डाली गई वोटों की संख्या	विपक्ष में डाली गई वोटों की संख्या	वोटों के पक्ष में डाली गई वोटों का%	वोटों के विपक्ष में डाली गई वोटों का%
(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत 5,000 करोड़ रु तक उधार लेने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने पर सहमति	65608	64620	988	98.49	1.51
(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के तहत 5,000 करोड़ रुपये तक के उधारों के संबंध में निदेशक मंडल को प्रभार सृजन आदि के लिए प्राधिकृत करने पर सहमति।	65223	62281	2942	95.49	4.51

73. वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई पोस्टल बैलेट नहीं कराया गया था।

74. आगामी एजीएम में लेन-देन के लिए प्रस्तावित किसी भी व्यवसाय को पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया

75. पोस्टल बैलेट धारा 110 में निहित प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित, के अनुसार संचालित किया जाता है। शेयरधारकों को भौतिक बैलेट या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान किया जाता है। पोस्टल बैलेट सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों को ईमेल पते पर भेजा जाता है, जहां ईमेल पते उपलब्ध हो या जहां ईमेल पते उपलब्ध नहीं हैं भौतिक रूप में अनुमत माध्यम से भेजा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाचार पत्रों में एक सूचना भी प्रकाशित करती है।

76. कट-ऑफ तारीख तक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मतदान अवधि के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से या पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। मतों की जांच पूरी होने के बाद, संवीक्षाकर्ता अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंपता है और मतदान अवधि के समापन के 48 घंटे के भीतर पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा की जाती है। परिणाम कंपनी के वैबसाइट (www.grse.in) पर प्रदर्शित होते हैं , और स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को सूचित किए जाते हैं। यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए संकल्पों को विधिवत रूप से पूर्ण डाक मतपत्रों की प्राप्ति या ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि पर पारित किया गया है।

निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम और प्रशिक्षण

77. निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम आमतौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा होता है। सभी नए निदेशकों को बोर्ड के लिए उनके पदभारग्रहण करने के समय कंपनी के संचालन का अवलोकन प्रदान किया जाता है। वे उन्मुखीकरण सत्र के माध्यम से आपकी कंपनी की संस्कृति, मूल्यों और प्रतिबद्धताओं से परिचित हुए हैं। निगमित प्रशासन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रोत्साहित और सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों बोर्ड / समिति की बैठकों में समय-समय पर निम्नलिखित आधार पर अद्धतन किया जाता है:

- उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है;
- कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक प्रभागों का व्यावसायिक वातावरण और परिचालन मॉडल जिसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं;
- कंपनी पर प्रभाव रखने वाले विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

78. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण https://grse.in/wp-content/uploads/2022/06/Familiarisation-Programme-2021-22.pdf पर देखा जा सकता है।

मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता और नैतिकता

79. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने बेहतर निगमित शासन तथा स्पष्ट/पारदर्शी प्रथाओं हेतु मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण एवं नीति शास्त्रीय कोड' निर्मित किया है। उसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को परिचालित कर दी गई है तथा कंपनी की वैबसाइट में दर्शाया गया है। मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक जिन पर उक्त कोड लागू होता है, ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इसकी अनुपालन करने की प्रतिज्ञा की । आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

इनसाइडर ट्रेडिंग कोड

80. सेबी के (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के इनसाइडर ट्रेडिंग और उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता को मंजूरी दे दी है, अन्य बातों के साथ , नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने, रिपोर्ट करने और प्रतिबंधित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करता है । कोड में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए है जो उन्हें कंपनी के शेयरों से डिल करते समय प्रक्रियाओं और प्रकटिकरण के बारे में सलाह देते हैं और उन्हें उल्लंघन के परिणामों में सावधान करते हुए कहा गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य का उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए आचार संहिता संवेदनशील सूचना कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और इसे https://grse.in/wp-content/uploads/2022/08/Insider**Trading-Code-GRSE.pdf** पर देखा जा सकता है।

शेयरधारक जानकारी

81. सेबी लिस्टिंग सूची विनियमों की अनुसूची V के अनुसरण में आवश्यक विभिन्न शेयरधारक जानकारी ' शेयरधारक सूचना ' शीर्षक से इस रिपोर्ट में अनुलग्नक I में प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकटीकरण

82. (क) **हितों का टकराव:** वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने निदेशकों के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है जिससे आपकी कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। निदेशकों का पारिश्रमिक (जहां भी लागू हो) प्राप्त करने के अलावा, मंडल के सदस्यों का आपकी कंपनी के साथ कोई भौतिक आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है, जो मंडल के निर्णय में, निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

(ख) **संबंधित पार्टी लेनदेन:** वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी के पास कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है, जो बड़े पैमाने पर इसके हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) के तहत आवश्यक है, संबंधित पार्टी लेनदेन का एक समेकित आधार पर निर्धारित प्रारूप में खुलासा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया था और कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किया गया है। कंपनी के संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Policy-for-Related-Party-Transactions-GRSE.pdf पर पर देखा जा सकता है।

(ग) **सामग्री सहायक कंपनियां:** आपकी कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है। हालांकि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16 के अनुसार सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण पर कंपनी की नीति, जो कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/wp-content/uploads/2022/04/Policy-for-Determining-Material-Subsidiaries- GRSE.pdf पर उपलब्ध है। ।

(घ) **कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच परस्पर संबंध:** कोई नहीं

(ङ) **कंपनी में निदेशकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या :** कोई नहीं

(च) **सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 22 और सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। यह नीति कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए कानूनी या विनियामक आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन की चिंताओं को उठाने, कंपनी से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध कदाचार को आगे आने और सजा/उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार के डर के बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है ।

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की अनुपलब्धता के कारण, किसी भी कर्मचारी को निदेशक मंडल के सदस्यों या कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति इस वार्षिक रिपोर्ट के निर्माण भाग के 'निदेशक'रिपोर्ट" में भी उपलब्ध है ।

(छ) **खातों की पुस्तकों में खर्च किए गए व्यय की वह मद, जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं:** शून्य

(ज) **किए गए व्यय, जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं:** शून्य

(झ) वित्तीय खर्चों की तुलना में कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय के खर्चों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(क)	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	709.29	616.19
(ख)	प्रशासनिक और कार्यालय व्यय	6.02	5.38
(ग)	(क) पर (ख) का प्रतिशत	0.85	0.87
(घ)	कुल व्यय के % के रूप में वित्त व्यय	0.04	0.06

(ञ) अनिवार्य अनुपालन: गत तीन (3) वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर आपकी कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई उदाहरण या मामला नहीं आया है और स्टॉक एक्सचेंजों / सेबी या पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड / सख्ती लागू नहीं की गई है। एनएसई द्वारा 15 फरवरी 21, 17 मई 21, 20 अगस्त 21, 22 नवंबर 21, 21 फरवरी 22 के नोटिस (नों) द्वारा लगाए गए ₹ 38,13,760/- के जुर्माने को छोड़कर पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर अन्य वैधानिक प्राधिकरण , 31 दिसंबर 20, 31 मार्च 21 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं होने और लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, शेयरधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति नहीं होने के कारण , 30 जून 21, 30 सितंबर 21, 31 दिसंबर 21, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1), 17 (2ए), 18(1), 19(1)/19(2), 20 और 21 के तहत अपेक्षित है। इसके अलावा, बीएसई द्वारा 20 अगस्त 21, 22 नवंबर 21, 21 फरवरी 22 को 30 जून 21, 30 सितंबर 21, 31 दिसंबर 21, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1), 17 (2ए), 18(1), 19(1)/19(2), 20 और 21 के तहत अपेक्षित है, को समाप्त अवधि के लिए नोटिस (सूचनाओं) के माध्यम से ₹28,52,060/- का जुर्माना भी लगाया गया है।

उपरोक्त नोटिसों के जवाब में, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्ट करते हुए लिखा कि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कमी कंपनी द्वारा किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं थी क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की कार्रवाई कंपनी के हाथ में नहीं है और कंपनी के नियंत्रण से बाहर भी है। इसके मद्देनजर, कंपनी ने एनएसई से उन जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है जो बकाया हैं, और स्टॉक एक्सचेंज की नीति के तहत लगाए गए जुर्माने की छूट के प्रावधानों के अनुसार छूट मांगी गई है। इसके अलावा, उक्त नीति के संदर्भ में, स्टॉक एक्सचेंज केवल कंपनी द्वारा गैर-अनुपालनों का अनुपालन करने के बाद ही छूट प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

मेसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए, जैसा कि दोनों के तहत आवश्यक है, सेबी सूचीकरण विनियम और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश से संबंधित एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया जो इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक II** के रूप में प्रस्तुत है।

इसके अलावा, कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के भाग ‹सी› में उल्लिखित पैरा (2) से (10) की निगमित शासन रिपोर्ट की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी संरचना के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (बी) से (i) और (टी) में निर्दिष्ट निगमित शासन आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करती है। निदेशक मंडल की और आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता जिसमें महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, के निदेशक मंडल में लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, शेयरधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं करना अपेक्षित संख्या में कोरम की अनुपलब्धता। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी ने इस रिपोर्ट में संबंधित स्थानों में आवश्यक जानकारी का खुलासा किया।

(ट) **सेबी लिस्टिंग विनियम 2015 के तहत गैर-अनिवार्य अनुपालन :** सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गई है:

(i) **मंडल:** सेबी लिस्टिंग विनियम के अनुसूची II के भाग ई के पैरा ए के अनुसार, बोर्ड का एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति देता है। कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है और इसलिए यह प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं है।

(ii) **शेयरधारक अधिकार:** आपकी कंपनी तिमाही और छमाही वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/financial-results/ पर प्रदर्शित करती है। और व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम भी प्रकाशित करता है। हमने सभी शेयरधारकों को पत्र भेजने के अलावा शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा लाभांश के भुगतान के बारे में सूचित कर दिया है।

(iii) **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** आपकी कंपनी लगातार भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप पारदर्शी, सही और निष्पक्ष तरीके से खाते को बनाए रखने पर्यास करती है । पिछले सत्रह वर्षों (2003-2004 से 2020-21) के दौरान कोई लेखा परीक्षा अयोग्यता नहीं रही हैं। आपकी कंपनी को इन वर्षों के दौरान कैग से «शून्य» टिप्पणियां भी मिली हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए , सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर एक असंशोधित राय जारी की है।

(iv) **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख प्रशासनिक रूप से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी तिमाही आधार पर अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख और कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक में आमंत्रित किया गया था।

(ठ) **निगमित शासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट:** कंपनी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को निर्धारित प्रारूप में निगमित शासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसे कंपनी की वेबसाइट https://grse.in/corpore-governance-report/ पर भी प्रस्तुत किया गया है ।

(ड) **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:** कंपनी एक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को गरिमा, सम्मान और समान उपचार के साथ व्यवहार किया जाए । कृपया अधिक विवरण के लिए निदेशक रिपोर्ट के अनुभाग'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण' देखें।

(ढ) **बोर्ड की योग्यता के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र :** मेसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स,कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से यह पुष्टि की गई है कि कंपनी के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से डिबार या आयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यह प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट में अनुलग्नक **III** के रूप में प्रस्तुत है।

(ण) **निदेशक मंडल की समितियों की सिफारिशें:** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां बोर्ड ने किसी भी समिति की सिफारिशों को अनिवार्य रूप से स्वीकार नहीं किया हो।

(त) **सांविधिक लेखा परीक्षकों को शुल्क**: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा मैसर्स मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक,को दी गई कुल फीस कुल 8,60,000/- रू. है । वित्तीय विवरण' के नोट 27 के तहत विवरण उपलब्ध है ।

(थ) **सीईओ और सीएफओ प्रमाणन:** कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) सूची के विनियमन 17(8) के संदर्भ में बोर्ड को वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर वार्षिक प्रमाणन देते हैं। विनियम, जिसकी प्रति **अनुलग्नक- IV** के रूप में इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई है । सीएमडी और सीएफओ सूचीकरण नियमों के विनियमन 33 (2) के संदर्भ में बोर्ड के समक्ष वित्तीय परिणाम देते समय वित्तीय परिणामों पर त्रैमासिक प्रमाण पत्र भी देते हैं ।

घोषणा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश ,14 मई, 2010 के अनुसार और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियमन 26 का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है ।

कृते गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता./-

कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08591411

स्थान:कोलकाता

दिनांक: 26 जुलाई, 2022

अनुलग्नक –I

शेयरधारक जानकारी

वित्तीय वर्ष 2021 – 22 के लिए वार्षिक आम बैठक

तारीख	**सोमवार, 26 सितम्बर, 2022**
स्थान	**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से एजीएम।** **[मीटिंग के लिए डीम्ड वेन्यू: पंजीकृत और निगमित कार्यालय: जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024]**
समय	**10 : 30 बजे**

लाभांश भुगतान

1. 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, एजीएम में अनुमोदित होने पर, 26 सितंबर 2022 को या उसके बाद भुगतान किया जाएगा। आपकी कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान करती रही है। पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (रू में) ^	कुल लाभांश का भुगतान (करोड़ रू में)
2021-22*	5.80	66.44
2020-21	5.00	57.28
2019-20	7.14	81.79
2018-19	6.95	79.61
2017-18 #	4.44	50.80

** 10/ - रू प्रति शेयर के लिए रू 4.95 प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम लाभांश शामिल है।*

^ 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रति शेयर लाभांश मूल्य को कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के उप-विभाजन को 100 /- रू से रू 10 /– रू तक दर्शाने के लिए समायोजित किया गया है।

 # आपकी कंपनी के प्रमोटर से 92, 88,000 इक्विटी शेयरों के भुगतान वाले इक्विटी शेयर पूंजी के 7.50 % के बायबैक को प्रभावित करने के बाद।

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों की लिस्टिंग

2. 10 अक्तूबर 2018 से प्रभावी आपकी कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") में सूचीबद्ध किए गए। आपकी कंपनी ने एनएसई और बीएसई दोनों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय पर किया है। स्टॉक कोड के साथ एनएसई और बीएसई का विवरण नीचे दिया गया है:

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी / 1, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.) मुंबई 400 051 वेबसाइट: www.nseindia.com	जीआरएसई
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई 400 001 वेबसाइट: www.bseindia.com	542011

संचार के माध्यम

3. निगमित वित्तीय प्रदर्शन पर सुसंगत, तुलनीय, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुशासन के मूल में है। आपकी कंपनी का एक वेबसाइट (www.grse.in) है जिस पर जीआरएसई के नेतृत्व, प्रबंधन, उत्पाद स्पेक्ट्रम,सीएसआर पहल, वार्षिक रिपोर्ट,नीतियाँ, वित्तीय सूचनाएँ आदि से संबन्धित जानकारी प्रदान की जाती है।

4. सभी मूल्य-संवेदनशील जानकारी, सांविधिक नोटिस और डेटा जो शेयरधारक से संबंधित सामाग्री होती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई को बताया जाता है। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों, आदि के नोटिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), प्रभात खबर (हिंदी में), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी में) और ई समय (बंगाली में) और वर्तमान (बंगाली में) प्रकाशित किए जाते हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के परिणाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी में) और ई समय (बंगाली में) में प्रकाशित हुए थे। प्रकाशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार थे:

30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए	अगस्त 2021 के महीने में
30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही	नवंबर 2021 के महीने में
31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही	फरवरी 2021 के महीने में
31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष	मई 2022 के महीने में

5. आपकी कंपनी की वेबसाइट पर *'इन्वेस्टर्स कॉर्नर'* टैब के अंतर्गत वित्तीय परिणामों, विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतिकरण और स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी जैसे सूचना और निगमित घोषणाएँ, शेयरधारण पैटर्न, निगमित शासन रिपोर्ट, लाभांश आदि शामिल हैं। वेबसाइट पर *'न्यूज रूम'* सेक्शन में कंपनी की सभी प्रमुख प्रेस विज्ञप्तियां और संबंधित मीडिया रिपोर्ट शामिल हैं।

वित्तीय कैलेंडर

6. कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल के दिन से आरंभ होता है और अगले वर्ष मार्च 31 के दिन समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परिणामों की घोषणा हेतु हमारा अस्थायी कैलेंडर नीचे दिया गया हैं:

समाप्त तिमाही	जारी परिणाम
30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए	अगस्त 2022 का दूसरा सप्ताह
30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए	नवंबर 2022 का दूसरा सप्ताह
तिमाही और 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली नौ महीने के लिए	फरवरी 2022 का दूसरा सप्ताह
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	मई 2023 का दूसरा/ तीसरा सप्ताह

शेयर और द्रव्यता का अभौतिकरण

7. कंपनी के इक्विटी शेयर भारत में डिपॉजिटरी सिस्टम एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के तहत डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं / डिपॉज़िटरी सिस्टम के तहत कंपनी के शेयरों को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई 382Z01011 है।

8. 31 मार्च 2022 को कंपनी के जारी किए गए 100 % (लगभग) इक्विटी शेयर 11,45,52,000 हैं। कंपनी के सब्सक्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल अभौतिक रूप में रखे गए हैं। भौतिक और डीमैट फॉर्म में शेयरों का विवरण नीचे दिया गया है:

फॉर्म	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
एनएसडीएल के साथ डीमैट फॉर्म	10,78,56,372	94.15
सीडीएसएल के साथ डीमैट फॉर्म	66,95,513	5.85
भौतिक फॉर्म	115	0.00

9. कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा होल्डिंग 74.50% है, जिनका सक्रिय रूप से कारोबार नहीं किया जाता हैं। कंपनी के शेष 25.50% शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरल और सक्रिय रूप से कारोबार किए गए शेयर हैं। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी का बाजार पूंजीकरण 31 मार्च, 2021 के रू 2,117.49 करोड़ के मुकाबले रू 2,596.89 करोड़ रहा है।

31 मार्च 2022 तक शेयरधारिता का वितरण

इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारक		शेयरधारिता	
	संख्या.	%	संख्या	%
1-500	33043	92.28	2836246	2.48
501-1000	1351	3.77	1099089	0.96
1001-2000	632	1.77	957979	0.84
2001-3000	245	0.68	633653	0.55
3001-4000	117	0.33	423138	0.37
4001-5000	99	0.28	470025	0.41
5001-10000	155	0.43	1168323	1.02
>10000	164	0.46	106963547	93.38
कुल	**35806**	**100.00**	**114552000**	**100.00**

31 मार्च 2022 तक शेयरधारण का पैटर्न

क्रं. सं.	शेयरधारक का नाम और श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की कुल संख्या	एससीआरआर 1957 के अनुसार शेयरधारिता% की गणना
प्रमोटर शेयरधारक				
	केन्द्रीय सरकार	1	8,53,41,240	74.50
(1)	**प्रमोटर कि कुल शेयरधारिता**	**1**	**8,53,41,240**	**74.50**
पब्लिक शेयरधारिता				
	संस्थागत			
क	म्यूचुअल फंड्स	3	1,22,18,360	10.67
ख	वित्तीय संस्थान / बैंक	-		
ग	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	29	17,79,277	1.55
घ	बीमा कंपनियां	1	9,412	0.01
(क)	कुल संस्थागत शेयरधारिता	34	1,40,11,049	12.23
	गैर-संस्थागत			
क	निकाय कॉर्पोरेट	220	19,61,594	1.71
ख	सार्वजनिक और अन्य	35,551	1,32,38,117	11.76
(ख)	कुल गैर संस्थागत शेयरधारिता	35,771	1,51,99,711	13.27
(2)	**कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (क) + (ख)**	**35805**	**2,92,10,760**	**25.5**
कुल शेयरधारिता (1) + (2)		**35806**	**11,45,52,000**	**100.00**

शेयर व्यापार का मूल्य और मात्रा

वर्ष एवं माह	एनएसई			बीएसई		
	उच्च (₹)	न्यून (₹)	मात्र (संख्या में)	उच्च (₹)	न्यून (₹)	मात्रा (संख्या में)
2021 अप्रैल	193	173.05	19,39,295	191.85	167.65	215067
मई	190.5	170.1	77,73,201	190.45	170.75	745982
जून	219.35	181.2	1,82,73,443	219	181.25	1761006
जुलाई	212.45	197.1	78,19,646	212.5	197.5	714618
अगस्त	208.4	181.4	44,85,498	208.25	180.8	573618
सितंबर	200.4	187.3	27,21,720	200.95	187.75	353649
अक्तूबर	239.3	185.5	1,86,00,762	239.35	186.3	2000729
नवंबर	279.8	218	1,95,25,155	279.8	217.55	1342209
दिसंबर	248.45	208	45,22,729	248.2	205.95	508868
2022 जनवरी	274	220.75	1,34,82,352	274	220.8	1208511
फरवरी	249.95	199	39,33,954	249.55	199	410947
मार्च	244	215.1	35,38,110	244	215.45	296293

ब्रोड आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन

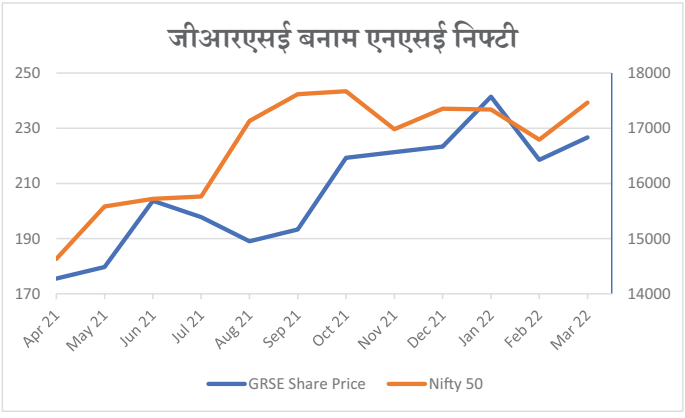

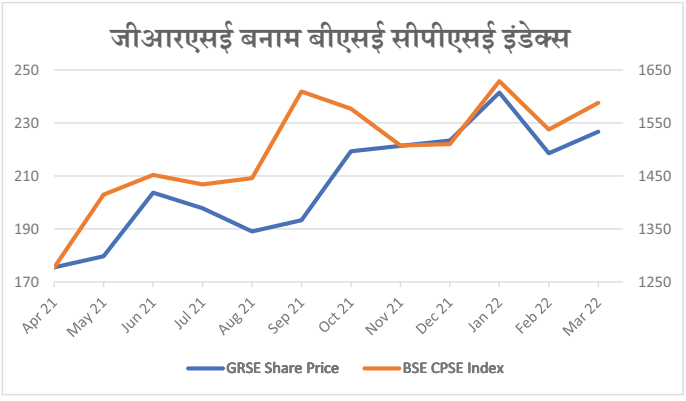

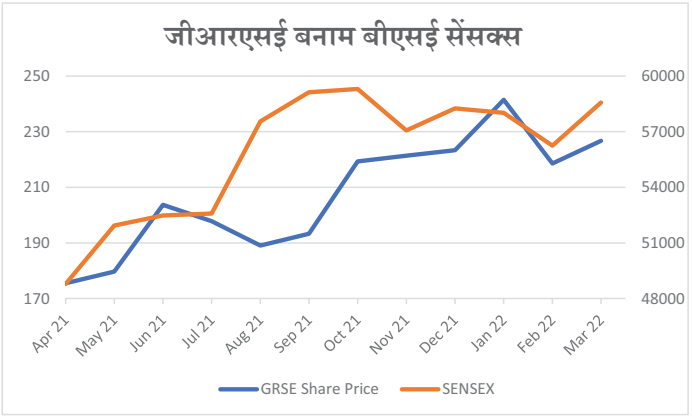

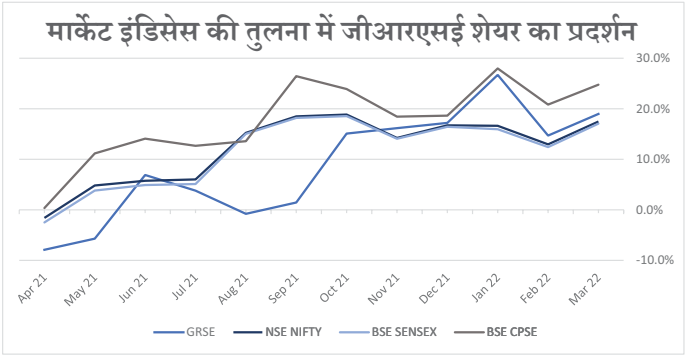

शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान

10. राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कुल शेयर पूंजी का समाधान करने के लिए तिमाही आधार पर प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा कुल जारी / प्रदत्त पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान किया गया था। लेखा परीक्षा रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी / प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटेरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है।

वस्तु मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियाँ

11. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी को वस्तु और वस्तु जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा है। इसलिए, आपकी कंपनी को बचाव की गतिविधियां करने की आवश्यकता नहीं है।

12. कंपनी को सामग्री और सेवाओं की खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ये खरीद ज़्यादातर विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नता की प्रतिपूर्ति के लिए विनिमय दर भिन्नता खंड के तहत कवर की जाती हैं। इसलिए, इस संबंध में आपकी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

क्रेडिट रेटिंग

13. वर्ष के दौरान, मैसर्स ब्रीकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आपकी कंपनी को गैर फंड आधारित सीमाओं सहित अल्पकालिक बैंक सुविधाओं हेतु दीर्घकालिक सुविधाओं और बीडब्ल्यूआर-ए1+ के लिए बीडब्ल्यूआर-एएए (आउटलुक स्टेबल) की क्रेडिट रेटिंग प्रदान की है।

शेयर अंतरण प्रणाली

14. कंपनी के डीमैटेरियलाइज्ड शेयर डिपोजीटरी सिस्टम के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। हालाँकि, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को आपकी कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा आपकी कंपनी के साथ समन्वय में संसाधित किया जाता है।

15. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शेयर अंतरण को मंजूरी देने के लिए कंपनी की शेयर अंतरण समिति ने तैईस (23) बार बैठक की। 31 मार्च 2022 तक के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(क)	श्री रमेश कुमार दाश *निदेशक (वित्त) और सीएफओ*	अध्यक्ष
(ख)	कमोडोर हरि पीआर *निदेशक (कार्मिक)*	सदस्य
(ग)	श्री संदीप महापात्र *कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी*	सदस्य सचिव

16. इसके अलावा, 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियमन 40 (1) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के शेयरों का अंतरण तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि शेयर एक डिपॉजिटरी के साथ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। । 31 मार्च 2022, को कंपनी के 115 इक्विटी शेयरों भौतिक रूप में रखा गया था।

17. इसके अलावा, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिवों से प्राप्त शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के अनुपालन पर अर्ध वार्षिक प्रमाणपत्र सेबी (एलओडीआर) नियमों के विनियमन 40 (10) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को भी जमा किए गए थे।

दावा रहित लाभांश

18. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ़') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ('नियम'), के साथ पढ़े जाने वाले सभी भुगतान नहीं किए गए या दावा नहीं किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'आईईपीएफ़' में सात वर्षों के पूरा होने के बाद हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, नियमों के अनुसार, उन शेयरों के संबंध में, जिनका लाभांश शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ़ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए डीमैट खाते में भी स्थानांतरित किया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक पिछले वर्षों से संबंधित दावा नहीं किए गए लाभांश को आईईपीएफ़ में हस्तांतरित किया जाना बाकी नहीं है।

19. कंपनी ने आईईपीएफ के प्रावधानों के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिसका विवरण कंपनी की वबसाइट https://grse.in/iepf/ पर उपलब्ध है। 31 मार्च 2022 तक के अनुसार कंपनी के पास पड़े अनपेड़ तथा दावा रहित लाभांश राशि कंपनी की वैबसाइट https://grse.in/iepf/ और निगमित मामलों के मंत्रालय के वैबसाइट at www.iepf.gov.in. पर अपलोड किए गए है।

डिमैट सस्पेंस अकाउंट / अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट

20. कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट में कोई शेयर नहीं है।

निवेशक सेवाएं

21. इक्विटी शेयरों के संबंध में आपकी कंपनी के लिए मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट है।

पत्राचार के लिए पता:

205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स,

झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055

ईमेल: info@alankit.com

22. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को निवेशकों द्वारा एक भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

23. कंपनी द्वारा निवेशक शिकायतें प्राप्त करने के लिए निर्धारित ई-मेल आईडी Invest.grievance@grse.in है।

अनुपालन अधिकारी का विवरण / निवेशक के पत्राचार के लिए पता

नाम:	**श्री संदीप महापात्र**
पदनाम:	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
पता:	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता – 700 024 दूरभाष: +91 (033) 2469 8105-108 फैक्स: +91 (033) 2469 8150 ईमेल: co.sec@grse.co.in वेबसाइट: www.grse.in

संयंत्र के स्थान

पोत निर्माण की गतिविधियाँ	इंजीनियरिंग गतिविधियाँ	इंजन गतिविधियाँ
मेन वर्क्स यूनिट 43/46, गार्डन रीच रोड कोलकाता – 700 024	**61 पार्क यूनिट** 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024	**डीईपी रांची यूनिट** प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा , रांची - 834 004
राजाबगान डॉकयार्ड यूनिट 44, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 044	**तारातला यूनिट** पी -2 / 2, तारातला रोड, कोलकाता – 700 088	
फिटिंग आउट जेट्टी यूनिट पी -70, कार्ल मार्क्स सरणी, कोलकाता – 700 043		

विवरण का अद्यतन

डीमैट फॉर्म में धारित शेयरों के लिए

24. कंपनी उन शेयरधारकों को नोटिस, रिपोर्ट और लेखा और अन्य संचार इलेक्ट्रोनिक मोड में भेजती है, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के पास अन्य शेयरधारकों को भौतिक मोड में अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। शेयरधारक जो कंपनी के पास अपने ई-मेल पते को पंजीकृत या अपडेट करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को एक अनुरोध भेजकर इसे अपडेट कर सकते हैं।

25. इसके अलावा, जो शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डीपी को आईएफ़एससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) और एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) सहित अपना बैंक खाता विवरण प्रदान / अपडेट कर सकते हैं।

प्रमाणपत्र के रूप में धारित शेयरों के लिए

26. प्रमाणपत्र के रूप में धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर सेवाओं की सुविधा के लिए अपने पते/ शासनादेश/ बैंक विवरण आदि में किसी भी बदलाव की सूचना कंपनी के आरटीए या कंपनी को तुरंत दें।

अनुलग्नक - II

निगमित शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ,
जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड
कोलकाता-700024

मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशा-निर्देश और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 की अनुसूची V के अनुच्छेद सी और डी और ई तथा विनियम 17 से 27 और विनियमन 46 (2) के खंड (बी) से (I) में निर्धारण के अनुसार गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरे द्वारा परीक्षण उक्त विनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह कंपनी की के वित्तीय विवरणों के न ही लेखा परीक्षा है और न ही मत व्यक्त करता है।

मुझे प्रस्तुत दस्तावेजों, दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के आधार पर किए गए अभिलेखों की जांच से मेरे निष्कर्षों के आधार पर, और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण वारंट किया गया, मेरी राय में, कंपनी ने सेबी एलओडीआर और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय:

(क) 01 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी एलओडीआर का विनियमन 17(1) (ए)।

(ख) 01 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के संबंध में सेबी एलओडीआर का विनियम 17(1)(ए)।

(ग) 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान आयोजित बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम के संबंध में सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (2 ए)।

(घ) 2021-22 के दौरान लेखा परीक्षा समिति के संविधान के संबंध में सेबी एलओडीआरके विनियमन 18 (1) और (2)।

(ङ) वर्ष 22021-22 के दौरान एचआर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और उक्त समिति की बैठकों के संबंध में सेबी एलओडीआरके विनियमन 1 9 (1) और 1 9 (2)।

(च) 15 अगस्त 2021 से 10 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान हितधारक संबंध समिति के संविधान के संबंध में सेबी एलओडीआरके विनियमन 20 (2) और 20 (2 ए)।

(छ) 15 अगस्त 2021 से 10 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति के संविधान के संबंध में सेबी एलओडीआरके विनियमन 21।

(ज) सेबी एलओडीआर अर्थात उप-विनियम 17(4), विनियम 18(3) में प्रदान की गई कुछ निगमित शासन आवश्यकताएं, अनुसूची II के भाग सी पैरा ए और विनियम 19(4) के साथ पठित अनुसूची II के भाग डी पैरा ए के साथ पठित कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है।

(झ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान के अनुपालन में निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को प्रदान की गई छूट के मद्देनजर, कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (10) का अनुपालन नहीं किया है। जिसके लिए सेबी एलओडीआर विनियम 25 (4) और संपूर्ण निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और निदेशक मंडल के प्रदर्शन की समीक्षा की आवश्यकता होती है।

मैं यह भी कहती हूं कि कंपनी रक्षा मंत्रालय ("एमओडी") के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति और ऐसी नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार के पास हैं। कंपनी द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को समय-समय पर रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

मैं आगे कहती हूं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन के रूप में हैं और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके माध्यम से प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 23 जुलाई 2022

हस्ता./-
रश्मि महेश्वरी
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन:F005126D000675499

अनुलग्नक - III

निदेशकों की गैर –आयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी के वनियिमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) (सूचकिरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) वनियिम, 2015 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
43/46, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता-700024

मैंने, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड**,** सीआईएन: L35111WB1934GOI00 7891 और निगमित कार्यालय जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच, कोलकाता-700024, भारत में पंजीकृत कार्यालय (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन की जांच की है। कंपनी द्वारा विनियमन 34 (3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित (सूचिकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ हमारे समक्ष इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

हमारी राय में और हमें प्राप्त उपयुक्त जानकारी (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा सत्यापन के अनुसार, जैसा कि कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें आवश्यक और स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामलों के मंत्रालय, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रं.सं	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)	08591411	21 अक्तूबर, 2019
2.	श्री रमेश कुमार दाश	08511344	1 जुलाई, 2020
3.	श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव	02267582	14 सितंबर, 2020
4.	श्री संजय दत्तारे पांसे	02725875	27 दिसंबर 2021

सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके मंडल में सभी निदेशक अर्थात कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का चयन सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशक के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के साथ, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते महेश्वरी आर एण्ड एसोशिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-
रश्मि महेश्वरी
सी.पी. सं..: आईसीएसआई का 3309
एफ़सीएस : 5126
यूडीआईएन: F005126D000675488

दिनांक**:** 23 जुलाई, 2022
स्थान: कोलकाता

अनुलग्नक IV

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,
कोलकाता
मंडल के प्रिय सदस्यों,

हम, कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री रमेश कुमार दाश, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणित करते हैं कि:

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिय हमने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (कंपनी) के नकदी प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हम अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि:

   (i) इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से असत्य विवरण नहीं है या किसी भी तात्विक तथ्य को छोड़ा गया या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

   (ii) ये विवरण कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानक, लागू विधि और विनियमों के अनुपालन में हैं।

2. हम सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जिससे धोखाधड़ी, गैर-कानूनी या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन होता हैं।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमारी जानकारी के अनुसार इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में यदि कोई कमी पाई गई हो, तो उसे लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को सूचित किया है कि :

   (i) संदर्भित वर्ष के दौरान तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है;

   (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया हैं, और उक्त में परिवर्तन होने पर का खुलासा वित्तीय विवरण के नोट्स में किया गया है; तथा

   (iii) हमारी जानकारी के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के दौरान कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्राणाली में किसी प्रकार का वित्तीय धोखाधड़ी नहीं हुई हैं, जिसमें प्रबंधन या कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

	हस्ताक्षर/-	**हस्ताक्षर/-**
कोलकाता	**रमेश कुमार दाश**	**कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)**
25 मई, 2022	निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन: 08511344	डीआईएन: 08591411

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुभाग क: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L35111WB1934GOI007891
2	कंपनी का नाम	:	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	:	जीआरएसई भवन, 61,गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 024
4	वैबसाइट	:	www.grse.in
5	ईमेल आईडी	:	co.sec@grse.co.in
6	वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट	:	2021-22
7	सेक्टर(ओं) जिसमें कंपनी (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार) लगी हुई है	:	पोत निर्माण - एनआईसी कोड: 301 डीजल इंजन - एनआईसी कोड: 281 इंजीनियरिंग - एनआईसी कोड: 711
8	तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची , जिन्हें कंपनी विनिर्माण करती है / प्रदान करती (तुलन पत्र के अनुसार) है	:	(i) पोत निर्माण (ii) डीजल इंजन (iii) बेली ब्रिज और डेक मशीनरी आइटम
9	कुल स्थान जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण प्रदान करें):	:	शून्य
	(ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	:	ग्यारह
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए गए बाजार - स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	:	राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय

अनुभाग ख: कंपनी का वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूंजी (आईएनआर)	:	`1,14, 55, 20,000
2	कुल कारोबार (आईएनआर)	:	`1,748.34 करोड़
3	कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर)	:	` 189.53 करोड़
4	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	:	तीन वित्तीय वर्षों के तुरंत बाद कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% । सीएसआर गतिविधियों के परिशिष्ट-ई रिपोर्ट का संदर्भ लें ।
5	गतिविधियों की सूची जिसमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है	:	(सीएसआर गतिविधियों के परिशिष्ट-ई का संदर्भ लें ।)

अनुभाग ग: अन्य विवरण

1	क्या कंपनी के पास कोई सब्सिडियरी कंपनी / कंपनियाँ हैं?	:	नहीं
2	क्या सब्सिडियरी कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी के बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या को इंगित करें	:	लागू नहीं

3	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएँ (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कंपनी के साथ व्यापार करती हैं, कंपनी के बीआर पहल में भाग लेते हैं? यदि हाँ, तो [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक] ऐसी इकाई/संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें?	:	समय पर डिलीवरी और इष्टतम लागत को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने आउटसोर्सिंग और खरीद गतिविधियों के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाओं को अपनाया है। कंपनी के बीआर पहल में भारत सरकार, कर्मचारियों, विक्रेताओं और स्थानीय आबादी सहित अपने सभी हितधारकों का सहयोग है। ध्वनि अखंडता के साथ विक्रेताओं के एक पैनल का ध्यान रखा जाता है । कंपनी ने खरीद के अधिक पारदर्शी तरीके के लिए ई-भुगतान, अखंडता संधि आदि की शुरुआत की है। खरीद आदेश के मानक नियम और शर्तें सुरक्षा, पर्यावरण आदि पर कंपनी की नीति के अनुरूप हैं, और विक्रेता द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए, अधिकांश (60% से अधिक) व्यावसायिक जिम्मेदारी प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप है।

अनुभाग घ: बीआर सूचना

1. **बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों का विवरण :**

(क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

1	डीआईएन संख्या	:	08591411
2	नाम	:	कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
3	पदनाम	:	निदेशक (कार्मिक)

(ख) बीआर प्रमुख का विवरण

सं.	ब्यौरे	:	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	:	08591411
2	नाम	:	कमोडोर हरि पीआर, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
3	पदनाम	:	निदेशक (कार्मिक)
4	टेलीफोन नंबर	:	033-24691040
5	ईमेल आईडी	:	cmd@grse.co.in

2. **सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां**

निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों (एनवीजी) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व के नौ क्षेत्रों को अपनाया है। ये संक्षेप इस प्रकार हैं:

पी 1	-	व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और परिचालित करना चाहिए
पी 2	-	व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं तथा जो उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं
पी 3	-	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के हित को बढ़ावा देना चाहिए
पी 4	-	व्यवसायों को हितों का सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।
पी 5	-	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रमोट करना चाहिए
पी 6	-	व्यवसाय को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए
पी 7	-	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, तो उन्हें जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए
पी 8	-	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए
पी 9	-	व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को महत्व देना चाहिए

(क) अनुपालन का विवरण (हाँ/ना में उत्तर)

सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपकी कोई नीति/नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		कंपनी उद्योग,सरकार और संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनिवार्य गतिविधियों/कार्यों के अपने क्षेत्र से संबंधित सभी कार्य पद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रयासों का अनुसरण करती है।								
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो (50 शब्दों) में निर्दिष्ट करें?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		कंपनी की विभिन्न नीतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी की गई विधियों/दिशानिर्देशों/ नियमों/विनियमों आदि के अनुरूप तैयार की गई हैं और समय-समय पर अद्यतन की जाती हैं। इन नीतियों को आम तौर पर उद्योग प्रथाओं ,राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।								
4	क्या नीति मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हाँ, क्या यह एमडी/मालिक/ सीईओ / उपयुक्त मण्डल निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		विभिन्न नीतियां/कंपनी की नियमावली का कार्यान्वयन निदेशक मंडल,सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन द्वारा होता है। यथा-प्रसंग नीतियों पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।								
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मण्डल/ निदेशक / अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	बोर्ड अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की देखरेख करता है जैसा कि निगमित प्रशासन रिपोर्ट में विस्तृत रूप से इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।								
6	ऑनलाइन देखी जाने वाली नीति के लिए लिंक का संकेत दें?	नीतियां कंपनी के वेबसाइट :https://grse.in/policies/. पर उपलब्ध हैं।								
7	क्या नीति को सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों के लिए औपचारिक रूप से सूचित किया गया है?	हां, कंपनी की उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करके हितधारकों के लिए नीतियों का संचार किया गया है।								
8	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों को लागू करने के लिए इन-हाउस संरचना है?	हां, कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं के सुरक्षित और स्थायी उत्पादन के क्षेत्र में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए अच्छी तरह से इन-हाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर पूल, प्रलेखित मानक संचालन प्रक्रियाओं और अन्य कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी को स्थापित किया है।								
9	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ। बोर्ड ने कंपनी के अधिनियम, 2013 और सेबी के (सूचीबद्ध विनयम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन 2015 के तहत आवश्यकतानुसार कंपनी में प्रतिभूतियों को रखने वाले हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए हितधारक संबंध समिति नामक एक समिति का गठन किया है। वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर सतर्कता तंत्र भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा, बोलीदाताओं / ठेकेदारों से और साथ ही विभिन्न निविदाओं के विरूद्ध कंपनी द्वारा मांगी गई राय का प्रतिनिधित्व स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम) के द्वारा किया जाता है। आईईएम संबंधित अधिकारियों और बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जहां भी आईएमई द्वारा आवश्यक महसूस किया जाता है वे अपनी राय देते है।								

10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्य का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया है?	कंपनी विभिन्न लेखापरीक्षाओं जैसे कि सांवधिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा, सी एंड एजी लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षा, सचिवीय लेखा परीक्षा, ऊर्जा लेखा परीक्षा, सुरक्षा लेखा परीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा, आदि विभिन्न लेखा परीक्षा किया हैं। ये लेखापरीक्षा विभिन्न आंतरिक और बाह्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं। हालांकि, कंपनी के नीतियों का लेखा परीक्षा नहीं किया गया हैं, लेकिन इस तरह के नीतियों विनियामक/व्यवसाय/ पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(ख) यदि किसी भी सिद्धांत के विरुद्ध क्रम संख्या 1 पर प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो, कृपया स्पष्ट करें कि क्यों: (2 विकल्पों में टिक करें)

सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने सभी नौ सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बनाई हैं।								
2	कंपनी एक ऐसे चरण में नहीं है जहां वह स्वंम को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने की स्थिति में पाता है।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव संख्या शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना है									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

3. शासन से संबंधित बीआर

(क)	3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक के उस आवृत्ति को इंगित करें जिसके साथ कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन निदेशक मंडल, समिति के बोर्ड या सीईओ द्वारा किया गया है।	:	बीआर प्रदर्शन के विभिन्न सिद्धांत कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन का अभिन्न हैं और समय-समय पर मण्डल/ मण्डल स्तर समिति (एस)/ कार्यात्मक निदेशकों द्वारा संबंधित व्यवसाय के अभिन्न आइटम के रूप में समीक्षा की जाती है।
(ख)	क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है?	:	हाँ। कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बीआर रिपोर्ट सालाना प्रकाशित की है और इसे https://grse.in/annual-reports पर देखा जा सकता है।

अनुभाग ई: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1 - सिद्धांत -1 व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और परिचालित करना चाहिए

1	क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हाँ / नहीं, क्या यह समूह / संयुक्त वेंचर्स / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य तक विस्तारित होता है?	:	हां, नीति कंपनी को कवर करती है है। पारदर्शिता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, जीआरएसई सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ सेवा मूल्य के सभी आदेश / संविदा के 200 लाख और उससे अधिक मूल्य के लिए प्रदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है। इंटीग्रिटी पैक्ट किसी भी मुद्दे को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के साथ समय-समय पर मंगाई गई उच्च मूल्य निविदाओं के संबंध में बोलीदाताओं को सक्षम करने में सक्षम बनाता है। आईईएम को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा उक्त अखंडता संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता है। संधि अनिवार्य रूप से संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और प्रधानाचार्य (जीआरएसई) के बीच दोनों पक्षों के व्यक्तियों /अधिकारियों को, अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट प्रथाओं का सहारा नहीं लेने के लिए एक समझौते की परिकल्पना करती है। केवल वे विक्रेता / बोलीदाता, जो सिद्धांत के साथ इस तरह के संधि के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाएंगे। इंटीग्रिटी पैक्ट, किसी विशेष अनुबंध के संबंध में, अनुबंध के अंतिम पूर्ण होने तक बोलियों के आमंत्रण के चरण से संचालित होगा। उसका कोई भी उल्लंघन बोलीदाताओं की अयोग्यता और भविष्य के व्यापार व्यवहार से बहिष्कार की आवश्यकता होगी । इसके अलावा, नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित सभी नीतियां "समावेशी" हैं और कंपनी के साथ-साथ अपने कर्मचारियों और अन्य सभी बाहरी हितधारकों को कवर करती हैं।
2	गत वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों के शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितना प्रतिशत का समाधान किया गया है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	वित्तीय वर्ष 2021-22, के दौरान,एक भी निवेशक शिकायतें /व्यथा कंपनी द्वारा और सेबी स्कोर प्लेटफॉर्म, एनएसई, बीएसई और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई हैं। इन सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया गया।

सिद्धांत -2 व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं तथा जो उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं

1	अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें, जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।	:	कंपनी शिपबिल्डिंग एवं शिप रिप्येर, इंजीनियरिंग आइटम जैसे डेक मशीनरी उपकरण और बेली ब्रिज और डीजल इंजन के संयोजन और ओवरहालिंग के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी के उत्पाद की डिज़ाइन सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ-साथ उपलब्ध अवसरों से लाभ अर्जित करने के लिए गया है।

सिद्धांत -2 व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं तथा जो उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं		
2	इस तरह के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक) :	कंपनी स्थायी तरीकों के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को मानती है। यह उपयुक्त प्रौद्योगिकी, खरीद में पारदर्शिता और आउटसोर्सिंग और सतत विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के रोजगार के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव है। कंपनी ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू किया है, जैसे कि रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना ,पारंपरिक डिस्चार्ज लैंपों के बजाय एलईडी रोशनी के साथ विद्युतीकरण आदि। अधिकांश शॉपों को पुनर्निर्मित किया गया था और पारभासी छत की चादरों से सुसज्जित किया गया था, जिससे शॉपों को पर्याप्त रोशनी मिलती थी उच्च खपत बाढ़ रोशनी दिन के समय मौजूद नहीं है इसलिए स्विचिंग की आवश्यकता होती थी। ।
3	क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? (क) यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत निरंतर रखा गया था? इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें। :	हां, कंपनी ने स्थायी सोर्सिंग के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया रखी है। कंपनी के पास अच्छी दस्तावेज़ प्रोक्योरमेंट नीति है। इस नीति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है जो स्थिर, निरंतर और टिकाऊ तरीके से संचालन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित सोर्सिंग में मदद करता है। कंपनी के पास लंबी अवधि के अनुबंधों और दर-अनुबंधों की नीतियां हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचालन और व्यवसाय का अनुसरण बाहरी लोगों के कारण न हो। इसके अलावा, कंपनी स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन के लिए अनुमोदित मानदंड का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ आईएसओ प्रमाणपत्र वाले विक्रेताओं, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित निर्माता के विभिन्न अधिकृत डीलर, निर्धारित विनिर्देश और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री प्रदान करने की क्षमता, निर्धारित वितरण अवधि के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता, विक्रेता शामिल हैं; कंपनी ऐसे विक्रेताओं को गुणवत्ता, लागत और वितरण सहित विभिन्न मापदंडों पर उनके प्रदर्शन की नियमित निगरानी भी करती है। कंपनी नियमित रूप से विक्रेताओं / साझेदारी का संचालन करती है, ताकि स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए समस्याओं को दूर किया जा सके। कंपनी की छवि, नैतिक और पारदर्शी व्यवसाय प्रथाओं, विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध, आदि सुनिश्चित करते हैं कि अधिकांश आइटम स्थिरता के स्रोत हैं। मूल्यांकन अवधि के दौरान विक्रेता के औसत प्रदर्शन के आधार पर एक विक्रेता को अनुमोदित विक्रेता सूची से हटा/ निलंबित कर दिया जाता है । विक्रेताओं की सूची की समीक्षा की जाती है और उसे वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाता है। वर्तमान में कंपनी के पास इस विशेष पैरामीटर को मापने के लिए एक प्रक्रिया नहीं है। हालांकि, भविष्य में, प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

सिद्धांत -2 व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं तथा जो उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं

4	क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? (क) यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	:	हां, कंपनी की खरीद नीति और प्रथाओं को सरकार की नीतियों और प्रथाओं द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये पारदर्शी खरीद तंत्र पर आधारित हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को बढ़ावा देते हैं । हालांकि, सीवीसी सहित उन विभिन्न सरकारी विभागों के फ्रेम-वर्क के दिशा-निर्देश के भीतर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के हित का भी ध्यान रखा जाता है। स्वदेशीकरण सामग्री बढ़ाने और एमएसएमई सहित स्थानीय विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जीआरएसई रक्षा बलों को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को आउटसोर्स कर रहा है। कंपनी एमएसएमई के वार्षिक सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भी भाग लेती है ताकि खरीद के लिए उत्पादों और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान के लिए खुद को सुविधाजनक बनाया जा सके। कंपनी ने हमेशा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और विक्रेता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें बढ़ावा भी दिया है। इस दिशा में हमारी निरंतर खोज ने छोटे स्थानीय खिलाड़ियों और समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में बेहतर भागीदारी देखी है। इसके अलावा, कंपनी पूरे देश में मानक घटकों, सामग्रियों और उप-अनुबंध वस्तुओं के लिए एमएसएमई सहित वेंडर डेवलपमेंट डेटाबेस का निर्माण, अद्यतन और रखरखाव करती है। यह छोटे और स्थानीय विक्रेताओं को कंपनी की अनुमोदित विक्रेता के रूप में योग्य होने के लिए उनकी क्षमता और क्षमता में सुधार करके कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है । कंपनी जहाँ भी आवश्यक हो, इन उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन और अपेक्षित सहायता प्रदान करती है। कंपनी ने एमएसएमई से खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सामग्री और सेवाओं के लिए निविदाओं में आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया गया है। कंपनी ने उन वस्तुओं की खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) प्रणाली को अपनाया है जो जेम में उपलब्ध हैं ।
			एमएसएमई सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से खरीद/ लाभकारी सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कंपनी ने एमएसएमई, भारत सरकार, फिक्की, सीआईआई, केएसआईडीसी और एनएसआईसी जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) में भाग लिया। , जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान एससी/एसटी एमएसएमई विक्रेताओं के लिए तीन कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें जीआरएसई के प्रतिनिधियों ने जीआरएसई की एमएसएमई से उत्पाद और सेवाओं की आवश्यकता पर प्रस्तुतियां दीं ।

सिद्धांत -2 व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं तथा जो उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं

5	क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण करने का एक तंत्र है? यदि हाँ तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%,> 10%)। इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	कंपनी युद्धपोतों, वेसल्स, डीजल इंजन और बेली ब्रिज जैसे उत्पादों के निर्माण में लगी हुई हैं, जिसमें रणनीतिक / राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोग हैं। कंपनी के लिए उत्पादों को पुनर्चक्रण करना संभव नहीं होगा क्योंकि ये उत्पाद बेचने के बाद वापस कंपनी में नहीं आते हैं। हालांकि, कंपनी में उत्पन्न अपशिष्ट के निपटान के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली लागू है। इस तरह के निपटान या पुनर्चक्रण में काम करने वाली एजेंसियों और पर्यावरण अधिकारियों द्वारा अनुमोदित अपशिष्ट का निपटान किया जाता है।

सिद्धांत 3 - व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के हित को प्रमोट करना चाहिए

1	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को इंगित करें।	:	निश्चित अवधि अनुबंध कर्मचारियों सहित 1790
2	कृपया अस्थायी/संविदात्मक / आकस्मिक आधार पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या को इंगित करें।	:	44
3	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या को इंगित करें।	:	निश्चित अवधि अनुबंध कर्मचारियों सहित 89
4	कृपया स्थायी दिव्यान्ग कर्मचारियों की संख्या को इंगित करें	:	51
5	क्या आपके पास एक कर्मचारी एसोसियशन है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	:	हाँ
6	आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसियशन का सदस्य है?	:	ऐसे कोई डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है
7	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या इंगित करें।	:	

सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायत सं.	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की सं.
1	बाल श्रम/बलपूर्वक श्रम/ अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8 अंतिम वर्ष में आपके कितने प्रतिशत से कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया? :

सं.	वर्ग	संरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षित व्यक्तियों का%	कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का%
1	स्थायी कर्मचारी	1.67	33
2	स्थायी महिला कर्मचारी	0	57.30
3	आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	55.65	डाटा उपलब्ध नहीं
4	विकलांग कर्मचारी	1.96	29.41

सिद्धांत 4 - व्यवसायों को हितों का सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।			
1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है?	:	हाँ
2	उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों की पहचान की है।	:	जीआरएसई की सीएसआर परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और रांची के क्षेत्रों में मौजूद वंचित, कमजोर और हाशिए के समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा, जीआरएसई भारत सरकार द्वारा सलाह के अनुसार आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। जीआरएसई उन व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी शामिल है जिनके लिए विशेष रूप से परियोजनाएं तैयार की गई हैं। कंपनी ने (i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस (ii) दिव्यांग की पहचान अलग-अलग तरह से की है, जिन्हें रोजगार के उद्देश्य से वंचित, कमजोर और हाशिए पर रखा गया है।
3	क्या वंचित, कमजोर और हाशिये के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष पहल की गई है ? यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	जीआरएसई ने अपने सीएसआर थ्रस्ट क्षेत्रों में कोलकाता और रांची में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्धताओं को बनाया है , जो बड़े पैमाने पर वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों के बच्चों के लिए भोजन प्रबंध, शिक्षा, स्वच्छता और शौचालय, समुदायों के लिए स्वास्थ्य संबंधी पहल, अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए कई पहल, आय बढ़ाने के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण और कौशल विकास कार्यक्रमों और ग्रामीण / अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अन्य हस्तक्षेप किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और अलग-अलग तरह से लागू किए गए नियमों के बारे में कंपनी भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करती है।

सिद्धांत 5 - व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रमोट करना चाहिए			
1	क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त V को लुभाने / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य को विस्तारित करती है ?	:	कंपनी के पास कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/ समूह आदि नहीं है, कंपनी की मानव संसाधन नीतियां उसके कर्मचारियों के मानवाधिकारों और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए इससे जुड़े अन्य लोगों को कवर करती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में मानव अधिकारों पर कोई शिकायत नहीं मिली है। कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें एक नीति है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है और ऐसी शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितना प्रतिशत का समाधान किया गया है?	:	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली

सिद्धांत 6 - व्यवसाय को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए			
1	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त वेंचर्स / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य को प्रदान करती है।	:	यह कंपनी को कवर करता है। एकीकृत दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और सकारात्मक योगदान को मजबूत करने के लिए हमारे चल रहे प्रयास के माध्यम से माँ प्रकृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया जाता है। हम पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से इसकी गतिविधियों और उत्पादों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं को विकसित करने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं की पहचान करके इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कंपनी अपने व्यावसायिक साझेदारों / विक्रेताओं / ठेकेदारों को पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की ओर बढ़ने के लिए डिजाइन से निपटान तक राजी और प्रोत्साहित करती है,
2	क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आदि को संबोधित करने की रणनीति / पहल है? हाँ/ना । यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।	:	हाँ। कंपनी ऊर्जा संरक्षण उपायों और ऊर्जा प्रतिस्थापन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को संबोधित करती है। अक्षय ऊर्जा संसाधनों जैसे कि कैप्टिव खपत के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक जोर दिया गया है। कंपनी ने अब तक मेन ,एफओजे और आरबीबी यूनिटों में कुल 1500kWp यानी 1.5 मेगावाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। वर्ष के दौरान, उपरोक्त 1 मेगावाट सौर छत बिजली संयंत्र से कुल उत्पादन शक्ति 12.56 लाख यूनिट (kWh) थी, जिसमें से 1.8 लाख यूनिट (kWh) सीईएससी ग्रिड में इंजेक्ट की गई थी। इसके अलावा यह सुविधा लगभग 1300 टन ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करती है।
3	क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/ना	:	नहीं
4	क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों या उसके बाद का विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हाँ, क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गई है?	:	वर्तमान में, जीआरएसई के पास स्वच्छ विकास तंत्र के तहत कोई परियोजना नहीं है।
5	क्या कंपनी ने कोई अन्य पहल की है - स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि हाँ/ना । यदि हाँ, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।	:	कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जैसी कई पहलें की हैं, नई इमारतों का विद्युतीकरण पारंपरिक डिस्चार्ज लैंप के बजाय एलईडी रोशनी के साथ किया जाता है, एलईडी लाइट्स के साथ उच्च दबाव पारा वाष्प रोशनी का प्रतिस्थापन, कुरसी प्रकार एलईडी प्रकाश व्यवस्था की स्थापना, का उपयोग नियमित छत के पंखे आदि के बजाय ऊर्जा कुशल पंखे।
6	क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट रिपोर्ट किए जा रहे हैं?	:	हाँ

सिद्धांत 7 - व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए			
1	क्या आपकी कंपनी किसी भी ट्रेड और चैम्बर या एसोसिएशन का सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख लोगों का नाम बताइए जिनके साथ आपका व्यवसाय व्यवहार करता है	:	(क) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की); (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) (ग) सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) (घ) बंगाल चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई) (ङ) सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट (एसओडीईटी) (च) इंडियन शिपबिल्डर्स एसोसिएशन (इस्बा)
2	क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त एसोसियशन के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/ना; यदि हाँ व्यापक क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)	:	नहीं

सिद्धांत 8 - व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए			
1	क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण।	:	हाँ। कंपनी "अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का प्रयास" के अपने पोषित मूल्य का अनुसरण कर रही है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के प्रावधानों और सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति तैयार की है। इसके अलावा, प्रोग्राम / पहल / परियोजनाएं कंपनी अधिनियम -2013 की अनुसूची VII के अनुसार ली जाती हैं, जिन्हें कंपनी की हमारी सीएसआर और स्थिरता नीति में विधिवत शामिल किया गया है और हमारे सभी सीएसआर कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाता है। जीआरएसई के सीएसआर प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक स्ट्रेटा समुदाय को लाभान्वित करना है और ऐसे समुदायों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं।
2	क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं इन-हाउस टीम/स्व-स्थापित/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से की जाती हैं?	:	कंपनी के अधिकांश कार्यक्रम इन-हाउस किए जाते हैं और कुछ मामलों में कंपनी जमीनी स्तर पर परियोजना के निष्पादन के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, फ़ाउनडेशन, सरकारी एजेंसियों और अन्य पेशेवर एजेंसियों के साथ सहयोग करती है।
3	क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?	:	हाँ। संचालित गतिविधि के प्रभाव को देखने के लिए प्रभाव मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। कंपनी समय-समय पर परियोजनाओं के बहुमत के लिए परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रभाव मूल्यांकन करती है।
4	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- आईएनआर में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण	:	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं में योगदान 405.50 लाख रू था। कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का निर्माण करने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें ।
5	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया 50 शब्दों में व्याख्या करें।	:	हां, कंपनी अधिकांश परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करती है

सिद्धांत - 9 व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को महत्व देना चाहिए			
1	वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतें / उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं।	:	शून्य
2	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी, ऊपर और ऊपर क्या प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / एनए / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	:	जीआरएसई एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है, उत्पाद जानकारी संवेदनशील और वर्गीकृत है। इसलिए, उत्पाद जानकारी का कोई प्रदर्शन नहीं है।
3	क्या कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/ या पिछले पांच वर्षों के दौरान विरोधी-विरोधी व्यवहार और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित होने का कोई मामला दर्ज किया गया है। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	नहीं
4	क्या आपकी कंपनी ने किसी उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि के रुझान को अंजाम दिया है?	:	जीआरएसई ने वर्ष 2021-22 के दौरान कोई संरचित सर्वेक्षण नहीं किया है। हालांकि, जीआरएसई नियमित आधार पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ("कंपनी")** के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है [लेखा परीक्षा में कॉर्पोरेट कार्यालय और पूरे भारत में सभी यूनिट शामिल हैं।] जिसमें 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण , और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अनिवार्य जानकारी को आवश्यक तरीके से हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों में तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव और नकदी प्रवाह का विवरण द्वारा अपेक्षित सूचना उसी प्रकार प्रदान करती है जैसा कि अपेक्षित है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है ।

राय हेतु आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (एसएएस) के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

प्रमुख मामले

1) हम 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार कंपनी के संचालन पर महामारी (कोविड 19) के प्रभाव के संबंध में साथ में वित्तीय विवरणों में नोट संख्या **48** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जिसने रिपोर्टिंग अवधि के लिए कंपनी के राजस्व और वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित किया। प्रबंधन ने वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कोविड 19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और उम्मीद है कि दीर्घकालिक आधार पर व्यवसाय के संचालन की निरंतरता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, वास्तविक प्रभाव वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

2) वर्ष के दौरान लॉकडाउन के दिनों के दौरान उत्पादन घंटों के नुकसान और संयंत्र और मशीनरी का उपयोग न करने के कारण असाधारण मद (नोट संख्या **49**) के रूप में दिखाए गए 768.54 लाख रुपये के निदान हेतु ध्यान आकर्षित किया जाता है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले (केएएम)वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी प्रतिक्रिया
1	**पोत निर्माण से अनुबंध राजस्व** वित्तीय विवरणों के नोट संख्या **1.2(i)(ए)(i) और संख्या 20** में संदर्भित। कंपनी ने अप्रैल, 2018 से प्रभावी एक नया लेखांकन मानक, इंड एएस 115 के रूप में,"ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व"को अपनाया है। कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है जब वह पूर्ण संतुष्टि प्रदर्शन दायित्व की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को समय के साथ इनपुट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है अर्थात संपूर्ण अनुबंध के लिए अनुमानित वास्तविक लागतों की तुलना करके। लेखांकन मानक का अनुप्रयोग जटिल है और लेखापरीक्षा में ध्यान केंद्रित करने का क्षेत्र है। हमने केएएम के रूप में पोत निर्माण अनुबंधों की राजस्व मान्यता की पहचान निम्न को मानते हुए की है: (क) राजस्व मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व को मान्यता दी गई है। इसमें विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्णै निर्णय शामिल हैं, पहचान किए गए प्रदर्शन दायित्व के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, चर विचार का निर्धारण और चर विचार को मापने के लिए, एक अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए आधार की उपयुक्तता शामिल है । (ख) मानक राजस्व और अवधि के संबंध में मजबूत प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है, जिस पर शेष प्रदर्शन दायित्वों को तुलन पत्र तिथि को संतुलित करने के बाद संतुष्ट किया जाएगा। (ग) इसमें आईटी प्रणाली की महत्वपूर्ण भागीदारी है। वर्ष के अंत में, कार्य-प्रगति का एक महत्वपूर्ण राशि(अनुबंध संपत्ति) इन अनुबंधों से संबंधित तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त है।	पोत निर्माण अनुबंधों से मान्यता प्राप्त राजस्व पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं: क) प्रबंधन द्वारा राजस्व रिकॉर्ड और गणना करने और संबंधित अनुबंध परिसंपत्ति, अनर्जित और आस्थगित राजस्व शेष के प्रबंधन के लिए लागू प्रक्रियाओं और नियंत्रण को समझना। ख) प्रमुख आईटी नियंत्रणों की परिचालन प्रभाव का मूल्यांकन, जिसमें शामिल हैं: i) सिस्टम द्वारा उत्पन्न लागत और राजस्व रिपोर्ट की पूर्णता और सटीकता पर आईटी नियंत्रण स्वीकारना। ii) हमने परीक्षण किया कि अनुबंधों के चयनित नमूनों पर, मान्यता प्राप्त राजस्व लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है। ग) नए लेखांकन मानक के तहत प्रदान किए गए खुलासे की उपयुक्तता का मूल्यांकन। तुलन पत्र में कार्य-प्रगति की मान्यता की रिपोर्टि तिथि और कंपनी के अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के अनुसार कार्य-प्रगति की संगणना के प्रासंगिक विवरण के साथ जाँच की गई है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन या निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वास्तव में असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं उनके शासन के साथ चार्ज की जिम्मेदारियां

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, जिन विवरणों से अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। । इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इंड-एएस वित्तीय विवरण को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक है जो सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही, वास्तविक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं ।

इंड एएस के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वह कंपनी की क्षमता का आकलन करें । यह आकलन कंपनी से चिंता का विषय, चिंतनीय विषयों के संबंध में प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए चिंता के विषय को आधार बनाएँ जब तक की प्रबंधन या इसके निबटान करने का इरादा रखता हो या संचालन को बंद करने, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है ।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण मटिरियल गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा किसी मटिरियल गलत विवरण होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि गलत विवरण यदि व्यक्तिगत या समेकित रूप से इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए हैं तो उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है ।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में वृत्तिक संदेह को बनाए रखते हैं । हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मटिरियल गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली मटिरियल गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन की चिंता आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित करना की क्या एक घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर इंड एएस के वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करें । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के संघर्ष का चिंता का विषय बना रह सकता है ।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के साथ संवाद करते है, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिनकी हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम शासन को एक वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं काअनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा के उपाय पर टिके होते है और जिन्हें सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ हुई चर्चा में से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के इंड एएस के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से नहीं रोकता या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह के संचार में सार्वजनिक हित या लाभ से कम होंगे।

अन्य मामला

(i) नोट संख्या **30 (क)** (आकस्मिक देयताओं) में दर्शाई गई राशि में ब्याज/जुर्माना शामिल नहीं है जो दावों के अंतिम निपटान पर देय हो सकता है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2020 (''आदेश'') की अपेक्षानुसार हम संलग्नक- क में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित मदों पर एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने सभी जानकारियां एवं सूचनाएँ मांगी एवं प्राप्त की है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थी।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि के अनुसार आवश्यक लेखा पुस्तिका अब तक यथा अपेक्षित रूप से रखी है जो उन खातों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण और नकदी प्रवाह विवरण जो निपटाए गए हैं वे खाता बही करार के अनुसार है।

(घ) हमारी राय में उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट संशोधित रूप में (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का अनुपालन करते हैं।

(ङ) हमारी राय में, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत प्रावधान कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "**अनुलग्नक ख**" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ज) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार में, हमारी राय और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   i. कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। (आकस्मिक देनदारियों के रूप में वित्तीय विवरणों के नोट संख्या **30क** का संदर्भ लें);

   ii. कंपनी के पास 783.32 लाख रुपये के भारी अनुबंध पर नुकसान के प्रावधान को छोड़कर व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी भौतिक नुकसान हुआ था, जैसा कि नोट संख्या 19 में कहा गया है;

   iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो।

   iv. (क) प्रबंधन ने सूचित किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से

या समग्र रूप से सामग्री है) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं;

(ख) प्रबंधन ने सूचित किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है ("वित्त पोषण पार्टियों"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी, जो कि फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम" लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी सामग्री गलत विवरण शामिल है।

पिछले वर्ष के लिए घोषित उसी के संबंध में वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 36 (ख) में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

3. हम **"अनुलग्नक – ग"** में उपरोक्त धारा के शर्तों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों में निहित मामलों पर एक विवरण दे रहे हैं जो अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार अपेक्षित है।

कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या 301138E

हस्ता/-
(सुर्दशन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 059159
आईसीएआईयूडीआईएन: 22059159AJODXZ2847

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25 मई, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का "संलग्नक- क"

(हमारे उसी तिथि के "अन्य विधि और विनायमक आवश्यकताएं के अनुभाग" के तहत पैराग्राफ 1 का संदर्भ लें)

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

(क) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की संख्या संबंधी ब्यौरे तथा स्थिति सहित पूरे विवरणों को दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्ड रखे हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी के पास हर तीन साल में एक बार सभी संपत्तियों को कवर करने के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और संपत्ति उपयोग के अधिकार के संबंध में संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। तदनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के कुछ प्रभाग/यूनिट की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से सत्यापित किए गए थे। इस तरह के सत्यापन में पाई गई विसंगतियों को खातों में उचित प्रकार से रखा गया है। हमारी राय में, इस तरह के भौतिक सत्यापन की आवधिकता कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए उचित है।

(ग) जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है उसके लिए संपत्ति कर प्राप्तियों और पट्टा समझौते की हमारी जांच और पंजीकृत बिक्री विलेख / हस्तांतरण विलेख / वाहन विलेख जो हमें प्रदान किया गया है, के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, स्व-निर्मित भवनों के संबंध में शीर्षक और स्वामित्व विलेख अन्य सभी अचल संपत्तियां (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरणों में शामिल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के नाम पर है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान अथवा 31 मार्च, 2022 तक बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इनवेंटरी (तृतीय पक्षों के पास पड़े हुए को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन से उत्पन्न भौतिक स्टॉक और बही अभिलेखों के बीच विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में ठीक से रखा गया है। हालांकि, इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं थी।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। पूर्व के वर्षों में बैंकों द्वारा स्वीकृत मूल कार्यशील पूंजी सीमा को वर्ष के दौरान संशोधित कर फंड आधारित के लिए 11,001 लाख और गैर-निधि आधारित के लिए 4,56,500 लाख कर दिया गया था। हालाँकि, कंपनी के पास वर्तमान में कोई फंड आधारित उपयोग नहीं है। बैंक के साथ त्रैमासिक रूप से दाखिल रिटर्न कंपनी के खाते की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

iii. कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स या किसी अन्य पार्टी में म्यूचुअल फंड और कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश के अलावा कोई अन्य निवेश नहीं किया है जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 6 (ए) और 10 (ए) में बताया गया है। कंपनी ने कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को अग्रिम प्रदान किया है, जो ऋण की प्रकृति में नहीं हैं।

(क) कंपनी ने कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को अग्रिम प्रदान किया है, जो ऋण की प्रकृति में नहीं हैं इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी द्वारा म्यूचुअल फंड और कंपनी के इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश [नोट संख्या 6 (ए) और 10 (ए) में प्रकट] कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी में कोई अन्य निवेश नहीं किया है और अन्य पार्टियों को असुरक्षित ऋण प्रदान किया है।

(ग) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ङ) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शर्त या चुकौती की अवधि को

निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए, खंड 3(iii)(एफ़) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कोई भी ऋण, गारंटी तथा प्रतिभूति अनुदान नहीं की गई हैं जिनके संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा, अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांकित 5 जून 2015 के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं क्यूंकी कंपनी एक सरकारी कंपनी हैं और रक्षा उत्पादन जैसे कार्य में लगी हुई है, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(v) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तात्पर्य के अनुसार किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है और 31 मार्च 2022 तक कोई अघोषित जमा राशि नहीं है। इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत पोतों के निर्माण, इंजीनियरिंग वस्तुओं और डीजल इंजन के निर्माण के संबंध में निर्धारित किया गया है। हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, विहित खातों और रिकार्डों को तैयार किया गया है और रखा गया है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमें यथा उपलब्ध कराए गए कंपनी के रिकार्डों की हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस तथा अन्य कोई सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकायों को जहां तक संभव हो उचित प्राधिकरणों में समान्यतः नियमित रूप से जमा करती रही है और 31 मार्च, 2022 को उपरोक्त देयताओं के संदर्भ में देय होने की तारीख से छ माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित राशि देय नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को जमा नहीं किए गए विवादित ब्योरे के विवरण निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	सांविधि का नाम	बकाया का स्वरूप	अवधि जिससे संबंधित है	राशि (लाख रू.में)	मंच जहां विवाद लंबित है
1	वैस्ट बंगाल वैल्यू ऐडेड टैक्स अधिनियम,2003	वैल्यू ऐडेड टैक्स	2007-08	506.83	वैस्ट बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल
2	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2008-09	1,624.58	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
3	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2013-14	1.92	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
4	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2016-17	8.61	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
		कुल		**2141.94**	

ऊपर उल्लिखित राशि विशेष रूप से ब्याज और जुर्माना का है जो लंबित मामलों के अंतिम निपटान पर देय हो सकती है।

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (क) कंपनी के पास बैंकों द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाएं हैं (निधिक और गैर-निधिक दोनों सुविधाएं)। कंपनी के पास वर्तमान में कोई फंड आधारित उपयोग नहीं है। कंपनी ने ब्याज के भुगतान में ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी के पास कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं और वर्ष के दौरान ऐसी संस्थाओं से कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के इस रिपोर्ट की तारीख के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और उसके बाद तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

xii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। खंड 3(xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकोर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर, संबन्धित पार्टियों से लेनदेन, जहां लागू होता है, अधिनियम के खंड 177 और 188 का अनुसरण करते हुए किया गया है और लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और अब तक कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकोर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबन्धित व्यक्तियों के साथ गैर नगदी लेनदेन नहीं किया है।, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग है कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xvi) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग) आदेश लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को हमारे लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर वे देय हों। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं, कंपनी द्वारा निभा दिया जाएगा।

xx. (क) चल रही परियोजनाओं के अलावा, कंपनी के पास निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित धनराशि नहीं है जिसे उक्त अधिनियम के धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) कंपनी के पास सीएसआर पर कोई चालू परियोजना नहीं है। अत: यह उपवाक्य लागू नहीं होता।

कृते मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या. 301138E
हस्ता/-
(सुर्दशन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 059159
आईसीएआई यूडीआईएन: 22059159AJODXZ2847

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25 मई, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "संलग्नक ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31, मार्च 2022 के अनुसार इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा सहित **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य कंपोनेंट कों ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित है, पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों कों स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना कों समय पर तैयार करने सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल संचालन कों सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित किए जा रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत प्रकट करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी तथा लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा संचालित की। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी की यह अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया और क्या सभी सामग्री में यह नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया और प्रचालन प्रभावकारिता निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, विद्यमान मैटीरियल वीकनेस के जोखिम का आकलन तथा आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं आकलन शामिल किया गया। चयन की गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें चाहे जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण ही वित्तीय विवरणों की गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा प्रमाण जिसे हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(1) उन रिकार्डों के रखरखाव, जो कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और निपटान का सही और सटीक विवरण प्रस्तुत करते हो;

(2) सही रूप से सुनिश्चित करते हो कि लेनदेन को यथा आवश्यक रिकॉर्ड किया गया है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों कों तैयार करने के लिए अनुमति दी जा सके और यह, कि केवल प्रबंधन प्राधिकारों तथा कंपनी के निदेशकों के अनुसरण में ही कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों कों परिचालित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण से बचाव अथवा समय पर पता लगाने, प्रयोग अथवा निपटान, जिसका वित्तीय विवरणों पर मैटीरियल प्रभाव पर सकता है, के बारे में सही रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सभी संदर्भों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और 31 मार्च 2022 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित हुआ है, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण पर अनिवार्य कम्पोनेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते **मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक**
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या 301138E

हस्ता/-
(सुर्दशन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 059159
आईसीएआई यूडीआईएन: 22059159AJODXZ2847

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25 मई, 2022

अनुलग्नक- सी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

क्र.सं.	नीति	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, आईटी प्रणाली साथ-साथ खातों की अखंडता के बाहर लेखांकन लेनदेन का वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो तो उसके बारे में बताया जाए।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है और आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है। इसलिए, वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने का कोई निहितार्थ उत्पन्न नहीं होता है।
2	क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है और कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	मौजूदा ऋण की पुनर्रचना का कोई उदाहरण नहीं है और कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा किए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से वित्तीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त धनराशि ली गई थी /प्राप्त की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी द्वारा केंद्र/सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए किसी भी राशि की प्राप्तियों/प्राप्तियों का ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है, और न ही हमें ऐसी किसी भी राशि की प्राप्तियों/प्राप्तियों की सूचना मिली है।

कृते **मुखर्जी बिश्वास एवं पाठक**
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या 301138E

हस्ता/-
(सुर्दशन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 059159
आईसीएआई यूडीआईएन: 22059159AJODXZ2847

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25 मई, 2022

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय- विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पिणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित है। इसके किए जाने का उल्लेख उनके द्वारा उनकी दिनांक 25 मई 2022 लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए गार्डन रिच **शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,**कोलकाता के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर या अनुपूरक की पेशकश करने के लिए आगे कोई टिप्पणी नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(संतोष कुमार, आईए एवं एएस)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, बेंगलूर

बेंगलूर
दिनांक: 28 जुलाई 2022

तुलन पत्र
31 मार्च 2022 के अनुसार

(लाख रू में)

विवरण	नोट स.	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
परिसंपत्ति			
(1) निवर्तमान परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3		
(i) आरओयू के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		48,295.69	33,107.79
(ii) परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयू)		1,161.04	389.63
(ख) चल रहे पंजीगत कार्य	4	965.98	15,129.72
(ग) अमूर्त परिसंपत्ति	5	608.69	522.86
(घ) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	6(a)	0.44	0.44
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	6(b)	1,14,126.63	69,455.90
(ङ) निवर्तमान कर परिसंपत्ति	7	15,393.76	11,714.77
(च) अन्य निवर्तमान परिसंपत्ति	8	10.78	254.30
कुल निवर्तमान परिसंपत्ति		**1,80,563.01**	**1,30,575.41**
(2) वर्तमान परिसंपत्ति			
(क) वस्तुसूचियाँ	9	1,17,226.80	78,787.45
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) वर्तमान निवेश	10(a)	19,667.82	82,581.96
(ii) ट्रेड प्राप्तियाँ	10(b)	15,494.33	17,813.74
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	10(c)	971.26	932.05
(iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष	10(d)	2,54,802.63	2,27,185.14
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	10(e)	12,751.30	14,380.03
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्ति	11	1,62,036.32	1,26,021.92
(घ) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति	12	45.87	43.39
कुल वर्तमान परिसंपत्ति		**5,82,996.33**	**5,47,745.68**
कुल परिसंपत्ति		**7,63,559.34**	**6,78,321.09**
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13(a)	11,455.20	11,455.20
(ख) अन्य इक्विटी	13(b)	1,14,333.87	1,02,256.56
कुल इक्विटी		**1,25,789.07**	**1,13,711.76**
देयताएँ			
(1) निवर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) लीज देयताएँ		973.54	200.89
(ii) ट्रेड देय	14		
(क) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों का कुल बकाया शेष		-	-
(ख) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों के अलावा कुल बकाया शेष		818.92	722.78
(ख) प्रावधान	15	8,907.43	8,286.66
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	16	1,078.13	550.87
कुल निवर्तमान देयताएँ		**11,778.02**	**9,761.20**
(2) वर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) लीज देयताएँ		146.88	168.43
(ii) ट्रेड देय			
(क) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों का कुल बकाया शेष	17(a)	228.52	95.36
(ख) सूक्ष्म उद्धमों और लघु उद्धमों के अलावा कुल बकाया शेष	17(a)	40,940.31	78,176.14
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	17(b)	2,393.35	2,234.24
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	18	5,65,676.92	4,57,982.07
(ग) प्रावधान	19	16,606.27	16,191.89
कुल वर्तमान देयताएँ		**6,25,992.25**	**5,54,848.13**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**7,63,559.34**	**6,78,321.09**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय	2		

सहनोट्स 1 से 55 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138E
हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 25 मई, 2022

कृते निदेशक मण्डल
हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (स्थानापन्न)
डीआईएन - 08591411
हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344
हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
ए सी एस. 10992

लाभ एवं हानि का विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रू में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
प्रचालनों से राजस्व	20	1,75,751.37	1,14,083.53
अन्य आय	21	16,065.38	18,572.35
कुल आय		**1,91,816.75**	**1,32,655.88**
व्यय			
खपत किए गए मालों की लागत	22(a)	93,520.37	44,724.89
पुन: बिक्री (बी एवं डी स्पेयर्स) हेतु उत्पादों का क्रय		836.50	2,392.27
चालू कार्य और स्क्रैप की वस्तुसूची में परिवर्तन	22(b)	38.71	1,132.90
उप संविदा प्रभार		25,459.35	12,992.60
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	23	29,028.60	26,938.04
वित्त लागत	24	76.41	68.19
मूल्यह्रांस एवं परिशोधन व्यय	25	3,571.01	2,908.76
परियोजना संबंधित - अन्य व्यय	26	2,348.80	7,531.11
अन्य व्यय	27	10,444.30	11,180.44
कुल व्यय		**1,65,324.05**	**1,09,869.20**
असाधारण वस्तु एवं कर पूर्व लाभ		**26,492.70**	**22,786.68**
असाधारण वस्तु	28	(768.54)	(2,074.94)
कर पूर्व लाभ		**25,724.16**	**20,711.74**
कर व्यय	29(a)		
- वर्तमान कर		6,282.00	5,887.11
- आस्थगित कर		489.48	(522.49)
कुल कर व्यय		**6,771.48**	**5,364.62**
वर्ष के लिए लाभ		**18,952.68**	**15,347.12**
अन्य व्यापक आय			
वे मदें जो लाभ व हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे			
- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: निर्धारण		150.08	475.10
-उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर		(37.78)	(119.58)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, शुद्ध कर		**112.30**	**355.52**
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय		**19,064.98**	**15,702.64**
प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(प्रति शेयर अंकित मूल्य 10 रु.)			
प्रति शेयर मूल एवं डाइल्यूटेड आय		16.55	13.40
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय	2		

सहनोट्स 1 से 55 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138E
हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 25 मई, 2022

कृते निदेशक मण्डल
हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (स्थानापन्न)
डीआईएन - 08591411
हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344
हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
ए सी एस. 10992

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कराधान से पूर्व लाभ		25,724.16		20,711.74
के लिए समायोजन -				
ब्याज आय		(13,019.00)		(15,268.23)
अवास्तविक उचित मूल्य लाभ (शुद्ध)		(421.70)		(317.96)
परिभाषित लाभ योजना के पुनर्माप पर बीमांकिक लाभ/हानि		112.30		355.52
मूल्यह्रान्स और परिशोधन व्यय		3,629.60		2,908.76
परिसंपत्तियों - की रिटायरमेंट/राइटऑफ - निवल		(28.22)		(153.97)
वित्त लागत		76.41		68.19
विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव का अवास्तविक हानि/(लाभ)		(44.90)		(86.47)
परिसमापन हर्जाना रिटेन बेक		-		(339.70)
देयताएं जो रिटेन बेक की आवश्यकता नहीं है।		(654.55)		894.93
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**15,374.10**		**8,772.81**
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :				
व्यापार और अन्य प्राप्यों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	2,741.11		36,032.22	
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान)	(43,042.00)		(55,442.76)	
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(3,435.47)		2,499.01	
अन्य वर्तमान परिसंपत्ति में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(36,014.40)		(30,203.48)	
बिक्री (वर्तमान परिसंपत्ति) के लिए धारित परिसंपत्ति मे (अभिवृद्धि)/ह्रास	(2.48)		9.43	
वस्तुसूचियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(38,439.35)		(34,685.23)	
व्यवसाय देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(36,210.53)		23,528.80	
प्रावधान में(अभिवृद्धि)/ह्रास	1,689.70		1,001.96	
अन्य वित्तीय देनदारियों में(अभिवृद्धि)/ह्रास	159.11		(23.74)	
अन्य वर्तमान देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	1,07,813.20		1,05,806.12	
अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों (आस्थगित कर देयता) में (अभिवृद्धि)/ह्रास	527.26	(44,213.85)	(402.91)	48,119.41
परिचालनों से अर्जित (प्रयुक्त) नकदी		**(28,839.75)**		**56,892.22**
प्रदत करों (शद्ध धन वापसी)		(6,771.48)		(5,364.62)
परिचालनात्मक गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**(35,611.23)**		**51,527.60**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का क्रय (अमूर्त और पंजीगत चालू कार्य सहित)	(5,482.78)		(16,384.40)	
म्यूचुअल फंड में निवेश (निवल)	62,914.14		(77,181.53)	
सावधि जमा में निवेश (निवल)	(27,617.49)		(38,975.76)	
प्राप्त ब्याज	13,019.00	42,832.87	15,268.23	(1,17,273.46)
निवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**42,832.87**		**(1,17,273.46)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
ब्याज	(13.79)	(28.34)
लीज किराया का प्रमुख घटक	(118.35)	(162.67)
लीज किराया का ब्याज घटक	(62.62)	(39.85)
प्रदत लाभांश	(1317.35)	(1603.73)
अन्तरिम लाभांश	(5670.32)	(4410.25)
वित्तीय गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकद	**(7,182.43)**	**(6,244.84)**
नकद और नकद समकक्षों में निवल (अभिवृद्धि)/ह्रास	**39.21**	**(71,990.70)**
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष ओपेनिंग	**932.05**	**72,922.75**
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष क्लोसिंग	**971.26**	**932.05**

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों, 2015 के तहत यथा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण के भारतीय लेखांकन मानक-7 में यथा निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अतंर्गत तैयार किए गए हैं। .
2. नकद एवं नकद समतुल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं है जो कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
3. तुलन पत्र तिथि के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में निहित हैं:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
बैंकों में शेष राशी		
चालू खाता	971.25	932.05
हस्तगत नकदी	0.01	-
नकद और नकद समकक्ष	**971.26**	**932.05**

4. ब्रैकेटों में दिया गया आकंड़ा संबंधित गतिविधियों से नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सहनोट्स 1 से 55 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138E
हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 25 मई, 2022

कृते निदेशक मण्डल
हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (स्थानापन्न)
डीआईएन - 08591411
हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344
हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
ए सी एस. 10992

इक्विटी मे परिवर्तन का विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(लाख रु.में)

1 अप्रैल, 2021 तक के अनुसार राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल,2021 को शेष राशि पुन:प्रस्तुत किया गया	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार राशि
11,455.20	-	11,455.20	-	11,455.20

(लाख रु.में)

1 अप्रैल, 2020 तक के अनुसार राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल,2021 को शेष राशि पुन:प्रस्तुत किया गया	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार राशि
11,455.20	-	11,455.20	-	11,455.20

ख. अन्य इक्विटी

(लाख रु.में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			कुल
	पूंजी रिडेम्प्शन आरक्षित	आम रिजर्व	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2021 तक के अनुसार शेष राशि	**928.80**	**6,064.86**	**95,262.90**	**1,02,256.56**
वर्ष (क) के लिए लाभ	-	-	18,952.68	18,952.68
वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय	-	-	112.30	112.30
(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	19,064.98	19,064.98
प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(1,317.35)	(1,317.35)
अंतरिम प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)			(5,670.32)	(5,670.32)
31 मार्च, 2022 तक के अनुसार शेष राशि	**928.80**	**6,064.86**	**1,07,340.21**	**1,14,333.87**

(लाख रु.में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			कुल
	पूंजी रिडेम्प्शन आरक्षित	आम रिजर्व	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2020 तक के अनुसार शेष राशि	928.80	6,064.86	85,574.24	92,567.90
वर्ष (क) के लिए लाभ	-	-	15,347.12	15,347.12
वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय	-	-	355.52	355.52
(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	15,702.64	15,702.64
प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(1,603.73)	(1,603.73)
अंतरिम प्रदत लाभांश (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(4,410.25)	(4,410.25)
31 मार्च, 2021 तक के अनुसार शेष राशि	**928.80**	**6,064.86**	**95,262.90**	**1,02,256.56**

नोट:

परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) के पुनर्निमाधारण पर 112.30 लाख रुपये और 355.52 लाख रुपये के लाभ को क्रमशः 31 मार्च, 2022 और 2021 को समाप्त वर्षों के लिए बरकरार आय के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है।

सह नोट्स 1 से 55 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं|

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई
हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 25 मई, 2022

कृते निदेशक मण्डल
हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (स्थानापन्न)
डीआईएन - 08591411
हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344
हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
ए सी एस. 10992

वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट्स

नोट 1: कंपनी का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

नोट 1.1: कंपनी का विवरण

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई लिमिटेड' या 'कंपनी') को 26 फरवरी, 1934 को निगमित किया गया था। कंपनी, भारत में अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय जीआरएसई, भवन, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024 में है। कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध है। कंपनी मुख्य रूप से युद्धपोतों का निर्माण करती है।

नोट 1.2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(क) तैयारी का आधार

(i) अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के साथ-साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (यहाँ इसके बाद से इसे 'इंड एएएस' के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया जाता है।

(ii) ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित को छोडकर ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है;

ख) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां – जिन्हें कम वहन राशि या उचित मूल्य घटाव बेचने के लागत आधार पर मापा गया है;

ग) परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियां।

(iii) वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियां और देनदारियाँ, वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण पर आधारित है।

परिसंपत्तियां और देनदारियाँ का वर्गीकरण, जहां कहीं लागू होने योग्य, कंपनी की विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापों के सामान्य संचालन चक्रों पर आधारित होते हैं, जो निम्नानुसार है:

(क) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत और रिफिट गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र पर पोत के अनुसार अनुबंध की प्रभावी तारीख से लेकर गारंटी अवधि की समाप्ती तिथि तक की कुल समयावधि मानी जाती है।

(ख) अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र 12 महीने का होता है।

एक संपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब :

i. सामान्य संचालन चक्र में बेचे जाने या उपभोग किए जाने का साकार या इरादा की उम्मीद है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए रखा जाता है,

iii. इसे प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह महीनों के भीतर निपटाय जाने की उम्मीद होती है, या

iv. नकद या नकद समकक्ष जब तक की प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए एक विनिमय किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक देनदारी को वर्तमान देनदारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता जब यह :

i. इसका निपटान, सामान्य संचालन चक्र में किए जाने की उम्मीद होती है,

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए रखा जाता है,

iii. इसका निपटान, प्रतिवेदन अवधि के बाद, या बारह महीनों के भीतर किए जाने के लिए निर्धारित होता है

iv. प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में माना जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(iv) राशियों को निकटतम मान में बदलना

वित्तीय विवरणों और नोट्स में उल्लिखित सभी राशियों को अनुसूची III, की आवश्यकता के अनुसार जब तक किसी अन्य प्रकार से कुछ न कहा जाएं, निकटतम लाख में बदल दिया गया है।

(v) क्रियाशील और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को यदि कोई हो तो, लागत, कम संचित मूल्यह्रांस और हानि में दर्शाया गया है।

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, शेष तुलन पत्र तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है। इसका खुलासा चालू पूंजीगत कार्य रूप में किया गया है। इसमें सप्लाई कम इरेक्श्न कांट्रैक्ट, साइट पर प्राप्त पूंजी आपूर्ति का मूल्य और स्वीकृत, पारगमन में पूंजीगत सामान और निरीक्षण तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत शामिल है जो अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(ii) लागत का मतलब है कि व्यापार मूल्य में छूट के बाद नकद मूल्य के रूप में मानी जाने वाली खरीद मूल्य, छूट और जुडने वाले शुल्क, गैर-वापसी योग्य करों और लागतों को सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति बनाने के लिए दायित्व, संयंत्र और उपकरण के पार्ट को बदलने की लागत, यदि मान्यता मानदंड पूरे किए जाते हैं तो दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए उधार लागत।

(iii) जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तब यदि मान्यता मानदंड संतोषजनक हो तो इसकी लागत को संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के रूप में मान्यता दी जाती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ या हानि में व्यय के रूप में पहचान की जाती है।

(iv) जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोगी जीवन अलग-अलग है, वहाँ उन्हें अलग-अलग घटक के रूप में माना जाता है और उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर अवमूल्यन किया जाता है।

(v) व्यक्तिगत रूप से 5000/- रुपये या उससे कम की संपत्ति में वृद्धि का उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर वर्ष में 100% पर मूल्यह्रास किया जाता है।

(vi) मुख्य संपत्ति के साथ खरीदे गए पुर्जों को उस संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएपीपी) के 1 अप्रैल, 2015 तक के अनुसार मापे गए अपनी मान्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहन मूल्य को जारी रखने और उस वहन को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है।

(ii) सेवानिवृत्ति और विमान्यता: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तो उसे विमान्य किया जाता है। किसी मद के विमान्यता/ निवृत्ति की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि को प्रतिवेदन अवधि के लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

(iii) संयुक्त रूप से वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ

सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बाहरी एजेंसियों के वित्तीय सहयोग से प्राप्त संयंत्र और उपकरण को सकल मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

इंड एएएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने इंड एएएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है। इसलिए, संयंत्र और उपकरण जिन्हें पूंजीकृत किया गया था, कंपनी की शुद्ध लागत को उनके शुद्ध मूल्य से अग्रेनित किया गया है। 1 अप्रैल 2015 से ऐसी परिसंपत्तियों से किए गए किसी संयोजन को सकल मूल्य में प्रकट किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित कर दिया गया है।

(iv) मूल्यह्रांस की विधियाँ, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य:

निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर, उपयोग की अवधि के अनुपात में, सीधी रेखा विधि के अंतर्गत, मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जहां तकनीकी आकलन के आधार पर

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, पूर्व प्रवृत्तियाँ और प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से अलग है:

परिसंपत्ति की श्रेणी	विवरण	वर्ष
संयंत्र और उपकरण	गोलियथ क्रेन (250 टन क्षमता)	**25**
संयंत्र और उपकरण	हैंड पावर टूल्स जैसे ग्राइंडर, चिपर, ड्रिलिंग मशीनें; कसने वाले टूल्स जैसे बोतल पेंच, कीलक और गोफन, उत्तोलक/ जंजीर-चरखी ब्लॉक, हुक बेड़ियाँ, मापने और जाचने वाला उपकरण	**08**
संयंत्र और उपकरण	विविध औज़ार/सामग्रियाँ और उनके उपसाधन; वेल्डिंग टॉर्च, गेस टॉर्च, पोर्टबल इलेक्ट्रोड चूल्हा, मास्क और हेलमेट; छोटे-छोटे यंत्र, मापन/नियंत्रण उपकरण	**05**
फर्नीचर और फिक्सचर	सभी इलेक्ट्रिकल/विद्युत उपकरण जैसे रेफ्रीजेटर, एमडबल्यू/अन्य चूल्हे, टीवी सेट/मनोरंजन सिस्टम/ गीजर/वाटर हीटर,वाटर प्यूरिफायर और कूलर, एयर इलेक्ट्रोनिक मेडिकल गैजेट/उपकरण ,कैंटीन गैजेट्स/यूटिलिटी, संचार उपकरण	**05**

i. मौजूदा परिसंपत्तियों के एक अभिन्न अंग का निर्माण करने वाले संयोजन/विस्तार के संबंध में, मूल्यह्रास, संबंधित परिसंपत्ति के शेष जीवन पर प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण संयोजन जिन्हें नियमित अंतराल पर बदलना पड़ता है/जोड़ना पड़ता है, उनका मूल्यह्रास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मद के उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है।

ii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास

क) जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार होती है तब परिसंपत्ति मूल्यह्रास शुरू होता है। यह उस तिथि के पहले समाप्त हो जाता है कि परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता की तिथि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के संबंधित उपयोगी जीवन पर उनकी लागत (फ्री होल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा उनके अवशिष्ट मूल्यों को कम करके) को बट्टे खाते में डालने के लिए मान्यता दी जाती है।

ख) अवशिष्ट मूल्य पर, कंप्यूटर और आईटी बाह्य उपकरणों को छोड़कर, संबंधित परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% की दर पर विचार किया जाता है।

ग) कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों (सर्वर और नेटवर्क उपकरण को छोड़कर) को उनके उपयोगी जीवन में पूरी तरह मूल्यह्रास किया जाता है।

iii. एक अनुमानित आधार पर लेखांकित अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव के साथ प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है।

iv. उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके उपयोगी जीवन को पुनरावृत किया गया है, परिसंपत्तियों के पुनरावृत शेष उपयोगी जीवन पर अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य शुल्क लिया गया है।

v. एयर कंडीशनर्स को प्रमुख फर्नीचर और फिक्सचर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उपयोगी जीवन को, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत फर्नीचर और फिक्सचर पर लागू होने योग्य माना गया है।

vi आंतरिक तकनीकी आकलन और मूल्यांकन के आधार पर ऐसी परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर लागत का 95% माफ कर देने की सीधी रेखा विधि के अनुसार पुरानी मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ग) बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

गैर-परिसंपत्तियों के बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि को लगातार इस्तेमाल के माध्यम से वसूल करने के बजाए मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी और एक बिक्री को अत्यंत संभावित माना जाता है। उन्हें उनकी कम वहन राशि और उचित मूल्य घटाव बिक्री की लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के लिए जैसे आस्थगित कर परिसंपत्तियां, कर्मचारी के लाभ से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियां और वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें इस आवश्यकता से विशेष रूप से छूट प्राप्त है।

बिक्री के लिए रोककर रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री के

लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की देनदारियों को तुलन पत्र में अन्य देनदारियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है।

घ) उधार संबंधी लागत

उधार संबंधी लागत जिसके लिए सीधे तौर पर एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति (धनराशियों के अस्थायी उपयोग पर अर्जित शुद्ध आय) के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन जिम्मेदार होता है उस लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। उधार संबंधी लागत में ब्याज, धनराशि उधार लेने से जुड़ी अन्य लागत और उधार संबंधी लागत में एक समायोजन मानी जाने वाली सीमा तक आदान-प्रदान का अंतर शामिल होता है। एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार संबंधी लागत को लाभ-हानि विवरण में चार्ज किया जाता है।

ङ) परिसंपत्तियों की क्षीणता

परिसंपत्तियों की क्षीणता पर इंड एएस 36 में परिभाषित किए गए अनुसार नकदी उत्पन्न करने वाले इकाइयों को तुलन पत्र की तारीख में स्थापित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख में, यदि क्षीणता का संकेत मिलता है और नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी वसूल करने योग्य राशि से अधिक होती है (अर्थात उचित मूल्य घटाव निपटान की लागत और उपयोगरत मूल्य का अधिक) तो क्षीणता हानि को मान्यता दी जाती है। वहन राशि घटकर वसूली योग्य राशि बन जाती है और घटौती को लाभ-हानि विवरण में एक क्षीणता हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर, पूर्व लेखांकन अवधि में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि प्रतिलोम हो जाती है। क्षीणता के बाद, क्षीण परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर उसके पुनरावृत वहन मूल्य पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

च) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां को अधिग्रहण की लागत घटाव संचित परिशोधन और संचित क्षीणता,यदि कोई हो, के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिशोधन, उस तारीख से सीधी रेखा आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है जिस तारीख से वे, क्षीणता परीक्षण के आधार पर, अपेक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। सॉफ्टवेर जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है, उसे एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे 5 वर्ष के उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है। विशिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस फीस को कथित अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

5,000 रूपये या उससे कम मूल्य की अमूर्त परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत वस्तुओं को अधिग्रहण वर्ष या उपयोग वर्ष में सम्पूर्ण रूप से परिशोधित किया जाता है।

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के आधार पर मापे गए,1 अप्रैल 2015 को मान्यता प्राप्त, अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के उसके मूल्य के साथ जारी रखने और उस मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है।

छ) अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले पूंजीगत व्यय को अमूर्त परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है और अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व व्यय को उस वर्ष में व्यय के रूप में चार्ज किया जाता है जिसमें इसे व्यय किया जाता है।

ज) वस्तुसूचियां

निर्माण अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रगतिशील कार्य के अलावा वस्तुसूचियों का मूल्य, लागत और शुद्ध भुनाने योग्य मूल्य में से कम पर निर्धारित किया जाता है। लागत का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:

i. (क) कच्चा माल, स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे: भारित औसत दरों पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(ख) संयंत्र की अंदर की वस्तुएँ: मानक लागत पर।

ii. विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण: लागत पर।

iii. मार्गस्थ सामान और गैर-स्टॉक वस्तुएँ: लागत पर।

ध्यान दे :

क) लागत में, ऐसी वस्तुओं को उसके स्थान तक लाने में व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में होने वाला व्यय शामिल होता है। लागत में, कर और शुल्क शामिल होते हैं और जहां लागू होने योग्य होता है वहाँ जीएसटी के अंतर्गत क्रेडिट का शुद्ध होता है।

ख) संयंत्र के अंदर स्थित वस्तुओं का मूल्य, क्रियाकलाप के सामान्य स्तर को ध्यान में रखते हुए सुविधा के लिए मानक लागत पर

निर्धारित किया जाता है और नियमित रूप से उसकी समीक्षा की जाती है।

iv. अप्रचलित, धीमी गति से चलने वाली और दोषपूर्ण वस्तुओं की पहचान, भौतिक स्त्यापन के समय होती है और जहां ऐसी वस्तुओं के लिए आवश्यक इंतजाम किया जाता है। एक पोत की डिलिवरी की तारीख से 4 वर्ष और उससे अधिक समय से न चलने वाले परियोजना विशिष्ट स्टोरों का मूल्य निर्धारण, समीक्षा पर 50% पर किया जाता है। समीक्षा पर 50% ऐसा मूल्य निर्धारण, ऐसी सामग्रियों के संबंध में भी किया जाता है जो किसी विशिष्ट परियोजना के लिए नहीं होती है जो प्राप्त होने की तारीख से 4 वर्ष या उससे अधिक समय से चल नहीं रही हैं।

V. निर्माण अनुबंधों और पोत मरम्मत अनुबंधों के अलावा प्रगतिशील कार्यों की सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, लागत और शुद्ध भुनाने योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। प्रसंस्करण के लिए ठेकेदारों द्वारा रखी गई सामग्रियों,यदि कोई हो को प्रगतिशील कार्य का हिस्सा माना जाता है।

VI. रद्दी माल: इनका मूल्य निर्धारण, अनुमानित शुद्ध भुनाने योग्य मूल्य पर किया जाता है।

VII. अंतर-स्थानांतरण वस्तुएँ (लंबित अंतिम स्थानांतरण): लागत पर, स्थानांतरण मूल्य तक सीमित।

झ) राजस्व मान्यता

लागू इंड एएस 115 को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों के साथ अनुबंध से होने वाले राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो इस विचार को दर्शाता है कि कंपनी ने इन वस्तुओं या सेवाओं के हकदार होने की बात इनके लिए ही कहीं थी।

कंपनी यह भी विचार करती है कि क्या अनुबंध में अलग-अलग दायित्वों को प्रदर्शित करने वाले अन्य वादे हैं। अनुबंध में पहचाने गए प्रत्येक प्रदर्शित दायित्व के लिए, कंपनी अनुबंध की शुरूआत में ही यह निर्धारित करती है कि क्या यह हर समय पर प्रदर्शित सभी दायित्वों को संतुष्ट करता है या एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। यदि कंपनी समय के साथ प्रदर्शित दायित्व को पूरा नहीं करती है, तो प्रदर्शन दायित्व समय में एक बिन्दु पर संतुष्ट होता है।

परिचालन से राजस्व प्राप्ति

(क) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से राजस्व प्राप्ति:

(i) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तक (या के रूप में) पहचान जाता है जब एक ग्राहक को दिए गए अच्छी सेवा या (अर्थात एक संपत्ति) को स्थानांतरित करके इकाई एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। एक परिसंपत्ति तब (या के रूप में) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय के साथ एक अच्छी सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है तब निष्पादन दायित्व को संतुष्ट कर पाती है। इस तरह से कंपनी के एक समय के राजस्व को पहचाना जाता है, यदि निम्न मानदंडों में से कोई एक का प्रस्ताव शामिल हो तो –

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है जैसा कि कंपनी करती है; या

(ख) कंपनी का प्रदर्शन संपत्ति बनाता है या बढ़ाता है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति में) जिसे ग्राहक नियंत्रण के रूप में संपत्ति बनाया या बढ़ाया जाता है; या

(ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी अब तक के समय के अंदर किए गए प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने का अधिकार रखती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है तभी संस्था प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को यथोचित रूप से माप सकती है।

प्रगति मापने की विधि:

- वस्तु की प्रकृति के आधार पर, पोत निर्माण के संबंध में प्रगति को इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचान जाता है यानी सम्पूर्ण अनुबंध हेतु अनुमानित कुल लागत की वास्तविक लागतों के साथ तुलना करके। इन अनुमानों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- परिभाषित मरम्मत दायित्व वाले पोत की मरम्मत के अनुबंध हेतु, इनपुट विधि का उपयोग करके राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है यानी पूरे अनुबंध के लिए अनुमानित कुल लागतों की वास्तविक लागतों के साथ तुलना की जाती है।
- पोत मरम्मत अनुबंध में जिसमें जिन पोतों को निरंतर मरम्मत की

जरूरत होती है उनके लिए राजस्व को मान्यता पद्धति के आधार पर अपनी प्रगति को मापने के लिए आउटपुट विधि का उपयोग करना पड़ता है। इस मान्यता प्राप्त तिथि के आधार पर ही मान्यता दी जाती है क्यूंकि वस्तुओं और/या सेवाओं के आदान-प्रदान में विचार की पात्रता के अध्यधीन प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है।

(ii) नौसेना स्टोर से वस्तु की प्राप्ति के प्रमाण समय पर प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर बी एवं डी पुर्जों की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान की जाती है।

(iii) संशोधन नौकरियों के लिए राजस्व मान्यता: संशोधन नौकरियों के मामले में, पूर्ण किए गए संशोधन के विरूद्ध राजस्व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त है और यह उचित प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है और जिसके लिए अनुमोदन के लिए संशोधन लागत ग्राहक को प्रस्तुत किया जाता है, जो ग्राहक के ऑनसाइट प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अनुशंसित है।

(ख) डीजल इंजन के निर्माण के लिए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, डीजल इंजन के ओवरहालिंग और हेलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम (डेक मशीनरी का एक उत्पाद) जिसमें डिजाइनिंग, इंजीयरिंग या निर्माण शामिल है को विशेष रूप से डिजाइन उत्पादों और सेवा अनुबंधों, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचाना जाता है। जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह पूर्व के (ए) (i) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है।

(ग) बेली ब्रिज अनुबंधों से राजस्व समय के आधार पर संतुष्ट होता है, क्यूंकि यह ओवर-टाइम के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। आपूर्ति किए गए ब्रिज का प्रत्येक सेट अलग प्रदर्शन और अलग दायित्व हेतु निर्गत किया जाता है। इस प्रकार कंपनी राजस्व को पहचानती है (परिवहन सहित) जब नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है, तो पुल का सम्पूर्ण सेट ग्राहक को डिलीवर किया जाता है।

जब बेली ब्रिज का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया गया तो बेली ब्रिज अनुबंधों के लिए कई प्रदर्शन दायित्व जैसे कि बेली ब्रिज की बिक्री, स्थापना सेवा और उप-मार्ग का निर्माण, मुफ्त रखरखाव सेवा, परियोजना प्रबंधन सेवा आदि शामिल हैं, कंपनी बेली ब्रिज की बिक्री से संबन्धित प्रदर्शन दायित्व के आधार पर राजस्व को पहचानती है। हालांकि, अनुबंधों में अन्य प्रदर्शन दायित्वों के लिए, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है। जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह पूर्व के (ए) (आई) में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है।

(घ) डेक मशीनरी की बिक्री से राजस्व (हैलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम को छोडकर) वस्तुओं की डिलीवरी के समान जो मान्यता प्राप्त है इन्हें जब अनुबंध के अधीन परिसंपत्ति नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसके प्रदर्शन दायित्वों को एक निश्चित समय पर संतुष्टि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ङ) अन्य परिचालन राजस्व व्यापार से संबंधित गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे तब मान्यता दी जाती है। जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होने पर आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

(च) जब किसी अनुबंध के लिए किसी पक्ष ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में अनुबंध प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंधों पर निर्भर करती है।

अनुबंध परिसंपत्ति: जब कंपनी द्वारा प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व, ग्राहक द्वारा प्रतिफल के भुगतान के संतुष्टि प्रदर्शन दायित्व से अधिक हो जाता है, तो अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अनुबंध दायित्व : जब प्रतिफल भुगतान के माध्यम से ग्राहक द्वारा संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाता है, तो अंतर को अनुबंध देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अन्य आय

(क) प्रभावी आय दर (ईआरआई) का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में "अन्य आय" में शामिल किया गया है और इसे रसीद की निश्चितता एवं समय के आधार पर गणना किया जाता है। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के मामले में, ब्याज की गणना तब की जाती है, जब वह प्रत्येक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पर लागू ब्याज दर को आरोपित करते हुए कंपनी को प्राप्त होता हो।

(ख) अन्य मदों को उपार्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बीमा संबंधी दावे

बीमा संबंधी दावों के खिलाफ बकाया राशियों की गणना, उपार्जित आधार पर की जाती है; दावों के संबंध में जिन्हें अभी तक बीमादार द्वारा प्रतिवेदन तिथि के अंत तक आखिर में निपटान करना होता है, क्रेडिट की गणना की कंपनी के वसूली योग्य मूल्य के अनुमान के आधार पर की जाती है।

(ञ) विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन:

(i) आरंभिक मान्यता

विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों को,विदेशी मुद्रा राशि अर्थात लेनदेन की तारीख को क्रियाशील मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर का इस्तेमाल करके, क्रियाशील मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है।

(ii) रूपान्तरण

विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक वस्तुओं को प्रतिवेदन तिथि के समापन विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है। गैर-मौद्रिक वस्तुएँ जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में नामित एतिहासिक लागत के रूप में ले जाया जाता है उन वस्तुओं को लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है । सामग्रियों/सेवाओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दी जाने वाली अग्रिम राशियों को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियां मानी जाती है और इसके परिणामस्वरूप इन्हें लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है।

(iii) विनिमय अंतर

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले या उनसे अलग दरों पर कंपनी की मौद्रिक वस्तुओं के प्रतिवेदन पर उत्पन्न होने वाले, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में रिकॉर्ड किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया था, विनिमय अंतरों को उस वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में वे उत्पन्न होते हैं।

(ट) अनुदान/अनुवृत्ति

i. पूंजीगत अनुदान/अनुवृत्तियाँ

विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित पूंजीगत अनुदानों/अनुवृत्तियों का खुलासा सकल मूल्य पर किया जाता है और उपयोगी जीवन काल में पीपीई के संबंधित वस्तु का परिशोधन किया जाता है।

ii. राजस्व अनुदान/अनुवृत्तियाँ

राजस्व वस्तुओं से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित व्यय के साथ समायोजित किया जाता है। एक विशिष्ट व्यय से संबंधित न होने पर, इसे आय के रूप में ग्रहण किया जाता है।

(ठ) नकदी प्रवाह संबंधी विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जहां कर पूर्व लाभ/हानि को एक गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन,पूर्व या भावी संचालनगत नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी आस्थगन या उपार्जन और निवेश या वित्तपोषण प्रवाह से जुड़े आय या व्यय की वस्तुओं के पभावों के लिए समायोजित किया जाता है । कंपनी के वित्तीय क्रियाकलापों, परिचालन और निवेश से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

(ड) नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में मौजूद नकद, हाथ में मौजूद चेक, बैंकों में चालू खातों में थोड़े समय के लिए मौजूद शेष राशि, अत्यंत तरल निवेश जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है और जिसमें मूल्य परिवर्तन का कम जोखिम होता है।

(ढ) वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा अनुबंध है जिससे एक संस्थान की एक वित्तीय परिसंपत्ति का तथा एक अन्य संस्थान की एक वित्तीय देनदारी या इक्विटी प्रपत्र की उत्पत्ति होती है।

वित्तीय परिसंपत्ति

वर्गिकरण

कंपनी, वित्तीय लागत को तत्पश्चात परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर लाभ या हानि के उचित मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेष लक्षणों पर मापी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करती है।

आरंभिक मान्यता और माप:

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य प्लस पर मान्यता दी जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य दर्ज न की गई तो वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में,लेनदेन लागत पर मान्य दी जाती है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती हैं।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति :

वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब परिसंपत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को संग्रह करने के लिए परिसंपत्ति को रोककर रखना होता है और परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक शर्तों के कारण निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो सिर्फ मूलधन और ब्याज दर (ईआईआर) विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। क्षीणता से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। यह श्रेणी आमतौर पर व्यापार और अन्य प्राप्यों पर लागू होती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्ति (एफ़वीटीओसीआई)

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तिय को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य मूवमेंट्स को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तिय एफ़वीटीपीएल)

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्ति को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को उचित मूल्य पर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति की क्षीणता

कंपनी, एक अग्र दृष्टि आधार पर परिशोधित लागत पर ले जायी गई अपनी परिसंपत्ति से जुड़ी प्रत्याशित ऋण हानियों और एफ़वीओसीआई ऋण विलेखों का आकलन करती है। इस्तेमाल की गई क्षीणता क्रियाविधि, इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। नोट 35 में इस बात का विवरण दिया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

सिर्फ व्यापार प्राप्यों के लिए, इंड एएस 109 वित्तीय लेखपत्रों द्वारा स्वीकृत सरलीकृत दृष्टिकोण को कंपनी लागू करती है, जिसके लिए प्राप्यों की आरंभिक मान्यता से प्रत्याक्षित आजीवन हानियों को मान्यता दिये जाने की जरूरत पड़ती है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से लिए जाने वाले कर्ज को आम तौर पर संदिग्ध नहीं माना जाता है। लेकिन, अनुबंध की दृष्टि से जो बकाया नहीं है उन्हें छोडकर, मामला दर मामला समीक्षा आधार पर, खातों में प्रावधान किए गए है।

वित्तीय परिसंपत्ति की विमान्यता

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता को मुख्य रूप से उस समय हटा दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त होने के अधिकारों की समय सीमा समाप्त हो गई हो या जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह होने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो।

वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां, किसी अन्य संस्थान को नकदी या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने या ऐसी शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य संस्थान के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियां का आदान-प्रदान करने का अनुबंधात्मक दायित्व है जो कंपनी के लिए संभवत: प्रतिकूल होती हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल होती हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य घटाव लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर वित्तीय देनदारियों को जारी करने से संबंधित होती हैं। वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापी गई देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। प्राप्तियों (लेनदेन लागतों का शुद्ध) और ऋणमुक्ति राशि के बीच के अंतर को ब्याज की प्रभावी दर का इस्तेमाल करके उधार की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप

आरंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात ईआईआर विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। मुनाफे और नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को विमान्य कर दिया जाता है और इसके अलावा इन्हें ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देनदारी की विमान्यता

जब देनदारी के अंतर्गत दायित्व का निर्वाह हो जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तब वित्तीय

देनदारी की मान्यता समाप्त हो जाती है। एक वित्तीय देनदारी की वह राशि समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित कर दी गई है और प्रदत्त विचार राशि के बीच के अंतर को, जिसमें स्थानांतरित की गई गैर-नकदी परिसंपत्ति या स्वीकार की गई देनदारियां भी शामिल है, अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(ण) उचित मूल्य की माप

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय प्रपत्र को मापती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी या मापने की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेनदेन में एक देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए प्रदान की जाएगी

। उचित मूल्य की माप, इस अनुमान पर आधारित होती है कि परिसंपत्ति को बेचने के लिए या देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए होने वाला लेनदेन:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभदायक बाजार में।

कंपनी द्वारा प्रमुख या सबसे लाभदायक बाजार सुलभ होना चाहिए।

एक परिसंपत्ति या एक देनदारी का उचित मूल्य, कल्पनाओं का इस्तेमाल करके मापा जाता है जिसका इस्तेमाल बाजार प्रतिभागी, यह मानते हुए परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे कि बाजार प्रतिभागी, अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में काम करते हैं।

एक गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य की माप करते समय एक बाजार प्रतिभागी द्वारा परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करके या इसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर जो परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

कंपनी ऐसी मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जहां संबंधित अवलोकन योग्य इनपुट का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और गैर अवलोकन योगय इनपुट का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है।

सभी परिसम्पत्ति और देनदारियों को, जिनके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है, जो निम्नतम स्तरीय इनपुट पर आधारित होते हैं जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं:

स्तर 1 — एक जैसी परिसंपत्ति या देनदारियों के बीच सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य;

स्तर 2 — मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होता है;

स्तर 3 — मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य नहीं होता है।

उन परिसम्पत्ति और देनदारियों के लिए जिन्हें एक आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की जाती है, कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्गीकरण (निम्नतम स्तरीय इनपुट के आधार पर जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है) का पुन: आकलन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

कंपनी का वित्त विभाग आवर्ती उचित मूल्य की माप के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, जैसे व्युत्पाद लेखपत्र और उचित मूल्य पर मापी गई अनुद्धरित वित्तीय परिसंपत्ति।

(त) पट्टे

1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से पट्टों को उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और जिस तारीख को कंपनी द्वारा उपयोग के लिए पट्टे पर परिसंपत्ति उपलब्ध होती है, उसी पर देयता होती है। पट्टे से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्ति और देनदारियों को शुरू में वर्तमान मूल्य के आधार पर मापा जाता है। पट्टे देनदारियों में निश्चित भुगतानों को शुद्ध वर्तमान मूल्य (इन-सबस्टेंस फिक्स्ड़ पेमेंट्स सहित) और भिन्न पट्टा भुगतान शामिल है, यदि कोई हो, जो कि इंडेक्स या रेट पर आधारित हो, तो शुरुआत में इंडेक्स या रेट का उपयोग करके प्रारंभ तिथि के अनुसार मापा जाता है।

पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टा भुगतान को छूट दी जाती है। यदि दर आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो आम तौर पर कंपनी में पट्टों के लिए होता है, तो पट्टेदार की वृद्धिशील उधर लेने की दर का उपयोग किया जाता है, दर जो कि व्यक्तिगत पट्टेदार को समान नियमों, सुरक्षा और शर्तों के साथ एक समान आर्थिक वातावरण में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति का अधिकार के लिए समान मूल्यक की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान करना होगा।

वृद्धिशील उधार दर निर्धारित करने के लिए, कंपनी:

क) जहां संभव हो, हाल ही में व्यक्तिगत पट्टेदार द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष के वित्तपोषण को एक प्रांभिक बिंदु के रूप में उपयोग करता है, तीसरे पक्ष के वित्तपोषण के बाद से वित्तपोषण की स्थितियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) कंपनी द्वारा रखे गए पट्टों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु समायोजित जोखिम-मुक्त ब्याज दर के साथ शुरू होने वाले बिल्ड-अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में तीसरे पक्ष के वित्तपोषण नहीं है, और

ग) पट्टे के लिए विशिष्ट समायोजन करता है, जैसे अवधि, देश, मुद्रा और सुरक्षा।

पट्टा भुगतान का आबंटन मूलधन और वित्त लागत के मध्य किया जाता है। वित्त की लागत पट्टा अवधि में लाभ या हानि के रूप में प्रभारित की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर लगातार आवर्ती ब्याज दर का उत्पादन हो।

संपत्ति का उपयोग का अधिकार का मूल्य निम्नलिखित सहित माप जाता है:

(क) पट्टा देनदारी के प्रारंभिक माप की राशि

(ख) प्रारंभ तिथि से या उससे पहले किया गया कोई भी कम पट्टा भुगतान कोई पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त किया गया हो और

(ग) कोई प्रत्यक्ष आरंभ लागत

संपत्ति का उपयोग का अधिकार आम तौर पर संपत्ति के उपयोगी जीवन और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक मूल्यह्रास करता है। यदि कंपनी उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए संपत्ति के उपयोग का अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है।

अल्पकालिक के पट्टों और कम-मूल्य के संपत्तियों के सभी पट्टों से संबंधित भुगतान को लाभ या हानि में व्यय के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर का मान्यता दी जाती है। अल्पावधि पट्टे 12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि के रूप में माना जाता है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी पट्टों को परिचालन या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है। एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि कंपनी, सभी जोखिमों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती है और पट्टेदार के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से पुरस्कृत करती है, और इसे अन्यथा एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है।

(थ) कर्मचारी लाभ

I. अल्पकालिक दायित्व

पारिश्रमिकों वेतनों के लिए देनदारियां, जिनमें गैर मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं जिनका निपटान उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है इन देनदारियों को प्रतिवेदिन अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती है और उन्हें देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जा सकने वाली राशियों में मापा जाता है।

II. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देनदारियां जिनका निपटान 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद नहीं है इन देनदारियों को अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले प्रत्याशित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। प्रतिवेदन अवधि के अंत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी (जी-सेक) का इस्तेमाल करके लाभ पर छूट दी जाती है जिनका समय संबंधित दायित्व के समय लगभग होता है। बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुन: माप को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

III. रोजगार - पश्चात दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगार - पश्चात योजनाओं का संचालन करती है:

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ जैसे ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत- पश्चात चिकित्सा योजना; और

(ख) परिभाषित योगदान योजनाएं जैसे पेंशन योजना।

ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी कोष, एक परिभाषित लाभ योजना, विधिवत रूप से गठित स्वतंत्र ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान किया जाता ही और वार्षिक योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। आवश्यक पड़ सकने वाला कोई अतिरिक्त प्रावधान, कर्मचारी लाभों पर इंड एएस -19 के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, प्रतिवेदन अवधि के अंत

में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटाव योजना परिसंपत्तिय का उचित मूल्य होता है। परिभाषित लाभ दायित्व के गणना, अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल बीमांकिक द्वारा प्रति वर्ष की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, सरकारी बॉन्ड में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ द्वारा अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है जिनकी अवधि, संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग होती है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना, योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध लाभ में छूट दर को लागू करके की जाती है।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन: मापन लाभ और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। उन्हें तुलन पत्र में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित कमाई में शामिल किया जाता है।

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

मौजूदा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना,एक परिभाषित लाभ योजना है और इसका निर्धारण, अनुमानित इकाई ऋण अवधि का इस्तेमाल करके कर्मचारी लाभ पर इंड एएस -19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ हकदारी की अतिरिक्त इकाई में होने वाली वृद्धि के रूप में मान्यता देता है और अंतिम देयता का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन:मापन लाभों और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे होते हैं। उन्हें तुलन पत्र में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित आय में शामिल किया जाता है।

अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ, योगदान योजनाएं हैं और बीमा कंपनी को भुगतान की जाने वाले प्रीमियम को वर्ष के लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

पात्र कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है। पात्र कर्मचारी और कंपनी दोनों, कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं। ट्रस्ट द्वारा हितग्राहियों को जिस दर पर वार्षिक ब्याज देय है, उसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित की गई दर से कम नहीं भविष्य निधि पर ब्याज की घोषणा करनी होती है। यदि ट्रस्ट ब्याज देयता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो कंपनी को कमी को पूरा करना होगा। चूंकि, योजना परिभाषित लाभ योजना है, इसलिए कंपनी को वही बीमांकिक रूप से मूल्यांकित किया गया है। मामले में, वर्ष के लिए अतिरिक्त देयता की आवश्यकता है, वही प्रदान किया जाता है।

पेंशन फ़ंड

अधिवर्षिता पेंशन योजना में परिभाषित अंशदान अनुमोदित पेंशन योजना के अनुसार लागू अंशदान दर पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है।

(द) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों को दिये जाने वाले लाभांशों को एक देनदारी माना जाता है और उसे उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में सामान्य बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश को अनुमोदित किया गया है। अन्तरिम लाभांश के मामलों में भी उसे देनदारी माना जाता है और शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में निदेशक मंडल द्वारा अन्तरिम लाभांश को अनुमोदित किया गया है।

(ध) वर्तमान और आस्थगित कर का प्रावधान

आयकर व्यव में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है। इसे उस हद तक लाभ-हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिस हद तक यह एक व्यावसायिक संयोजन से, या सीधे इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होता है, जिस स्थिति में यह इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, जैसा की लागू होता है।

i. वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन शामिल होता है। इसे प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियम कर दरों का इस्तेमाल करके मापा जाता **है।**

वर्तमान कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब कंपनी:

- के पास मान्यता प्राप्त राशियों को लागू करने का एक कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और
- का इरादा या तो एक शुद्ध आधार पर निपटान करना है या परिसंपत्ति को भुनाना और उसी समय देनदारी का निपटान करना है।

ii. आस्थगित कर

आस्थगित कर को प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियमित कर दरों और क़ानूनों का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन तिथि को परिसंपत्तिय और देनदारियों के वहन मूल्यों और उनेक संबंधित कर आधारों के बीच के कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के भावी कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की उस हद तक मान्यता दी जाती है जिस हद तक यह संभावना होती है कि भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतरों,अप्रयुक्त कर हानियों और ऋणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधे इक्विटी में और अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब:

क. संस्था के पास वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्ति को अलग कानूनी तौर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और

ख. आस्थगित कर परिसंपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों का संबंध एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले आयकर से होता है।

(न) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर बुनियादी आय की गणना, इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि में अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस मुद्दे; और विपरीत शेयर विभाजन (शेयरों का समेकन) की घटनाओं के कारण समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी की गणना करने के उद्देश्य से, सभी मंद संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित किया जाता है ।

(प) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्ति

i. कानूनी दावों, वारंटियों, छूटों और रिटर्नों के लिए प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप एक वर्तमान कानूनी या निर्माणकारी दायित्व होता है, इस बात की संभावना रहती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत पड़ेगी और विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यदि कंपनी के पास वृहत संविदा है।

ii. तरलीकृत क्षतियों के लिए प्रावधान, कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए अनुबंधात्मक प्रावधान/समानुपातिक देनदारी आधार के अनुसार अलग से खातों में किया जाता है।

iii. सौपीं गई पोतों के संबंध में गारंटी देनदारी का प्रावधान, बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है। अन्य सभी उत्पादों के लिए इस तरह का प्रावधान, लागू होने पर, प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

iv. आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि वित्तीय विवरणों में इनका खुलासा किया जाता है जब आर्थिक अंतर्वाह संभावित होता है।

v. आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि नोट्स में खुलासा किया जाता है।

vi. प्रावधानों को, प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक, प्रबंधन के व्यय संबंधी सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छूट दर, एक पूर्व-कर दर होती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। समय गुजरने के कारण प्रावधान में होने वाली वृद्धि को ब्याज व्यय माना जाता है।

अ गैर-कर नागरिक मामलों में

गैर-कर नागरिक मामलों के संबंध में, प्रतिवेदन तिथि को प्रत्येक मामले की स्थिति की समीक्षा करके, लेखांकन प्रावधान के निर्माण पर विचार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर नीचे दिये गए आधार पर खातों में प्रावधान किया जाता है:

क. मध्यस्था मामलों में जहां कंपनी ने मध्यस्थ विचार के प्रतिकूल परिणाम पर प्रतिवाद नहीं किया है या प्रतिवाद करना नहीं चाहती

है उन मामलों में देनदारी को आकस्मिक नहीं माना जाता है और सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है।

ख. जहां मध्यस्थकर्ता द्वारा या निचली अदालत द्वारा एक प्रतिकूल विचार/निर्णय दिया जाता है और कंपनी द्वारा एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है या प्राथमिकता देने का इरादा होता है, वहाँ निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:-

i. मध्यस्थकर्ता द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 25%

ii. उच्च अपील अदालत द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 50% जब तक अंतिम अपील अदालत द्वारा निपटान नहीं हो जाता। संशोधन याचिका, उसी अदालत की बड़ी पीठ को कथित अदालत में संबंधित अपील प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है।

ग. एक विचार/निर्णय के मामले में विवादास्पद दावे के सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है जहां कंपनी, अपीलीय विचार पर प्रतिवाद करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है।

घ. सरकारी/विभाग/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा/ऐसे सरकारी विभाग/ सांविधिक प्राधिकरण द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण या आयुक्त द्वारा की गई मांग के मामले में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है यदि उक्त मांग का प्रतिवाद ऐसे सरकारी/विभाग/ सांविधिक प्राधिकरण के ढांचे के भीतर कथित मांग पर किया जाता है और कंपनी के पक्ष में कानूनी राय/नवीनतम निर्णय के आधार पर अपील में मांग को हटाने की संभावना है।

आ. कराधान के मामलों में

कराधान के मामलों के संबंध में, दावे की राशि को आकस्मिक देनदारी माना जाता है और किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया जाता है यदि अपील चरण तक निर्णय, कंपनी के खिलाफ जाता है और यदि कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण या इसी तरह के मामालों में उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समक्ष ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या प्रतिवाद करना चाहती है।

हालांकि, जहां अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय, कंपनी के खिलाफ होता है वहाँ इस बात की परवाह किए बिना विवादास्पद राशि का पूरा प्रावधान किया जाता है कि कंपनी किसी उच्च मंच में ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या नहीं।

नोट 2: महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय:

इंड-एएस के अनुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कुछ मदों हेतु अनुमानों और कल्पनाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण में उनकी मान्यता और माप पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्राप्त वास्तविक राशियाँ, इन अनुमानों से अलग हो सकती है। लेखांकन अनुमान, समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम, उन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं जब प्रबंधन को उन अनुमानों से संबंधित परिस्थितियों के होने वाले परिवर्तनों के बारे में पता चलता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिणामों के बारे में पता चलता है/कार्यन्वित किया जाता हैं और महत्वपूर्ण होने पर, वित्तीय विवरणों के नोट्स में उनके प्रभावों का प्रकट किया जाता है।

अनुमान और कल्पनाओं की आवश्यकता विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए पड़ती है:

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:

पीपीई के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण और आकलन जिसमें लागत के घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है। पीपीई का उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल पर आधारित होता है। जिन मामलों में, उपयोगी जीवनकाल, अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल से अलग होता है, उन मामलों में, यह तकनीकी सलाह पर आधारित होता है, जहां परिसंपत्तियों की प्रकृति, अनुमानित उपयोग और संचालन संबंधी शर्तों, अतीत में उसे बदलने के इतिहास और रखरखाव संबंधी सहायता को ध्यान में रखकर सलाह दी जाती है। कल्पनाएं भी करनी पड़ती है जब कंपनी आकलन करती है कि एक परिसंपत्ति को पूंजीकृत किया जा सकता है या नहीं और परिसंपत्ति की लागत के किन-किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है।

ii. परिभाषित लाभ दायित्वों की मान्यता और माप:

परिभाषित लाभ योजना से उत्पन्न होने वाले दायित्व का निर्धारण, बीमांकिक कल्पनाओं के आधार पर किया जाता है। प्रमुख बीमांकिक कल्पनाओं में शामिल है – छूट दर, वेतन वृद्धि का चलन और निहित भावी लाभ और जीवन प्रत्याशा। छूट दर का निर्धारण, सरकारी बॉन्डों में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के आधार पर किया जाता है। अंतर्निहित बॉन्डों की परिपक्वता की अवधि के बाद रोजगार लाभ दायित्वों की संभावित परिपक्वता से मेल खाती है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस हद तक सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है जिस हद तक इस बात की संभावना रहती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रबंधन

कल्पना करता है है कि कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता देते समय उपलब्ध होगा।

iv. अन्य प्रावधानों की मान्यता और माप:

अन्य प्रावधान की मान्यता और माप, संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आकलन पर और बैलेंस शीट की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों और पूर्व अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए एक भावी तिथि को संसाधन का वास्तविक बहिर्वाह अन्य प्रावधानों में शामिल आंकड़ों से अलग हो सकता है।

v. दीर्घकालिक वित्तीय देनदारियों पर छूट

सभी वित्तीय देनदारियों को आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। जिन वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापना पड़ता है, उन मामलों में, प्रभावी ब्याज दर विधि का इस्तेमाल करके ब्याज को उपार्जित किया जाता है।

नोट 2.1: हाल ही में किए गए लेखांकन ऐलान:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। 23 मार्च, 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया।

इंड एएस 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की निवल बिक्री आय , यदि कोई हो , को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी , लेकिन संपत्ति , संयंत्र और उपकरणों की किसी वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतों में से कटौती की जाएगी। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां – संशोधन में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी अनुबंध को 'पूरा करने की लागत' में 'लागतें जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैं' शामिल हैं। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होगी) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित है (उदाहरण के लिए अनुबंध को पूरा करने में प्रयोग होने वाले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक आइटम के लिए मूल्यह्रास शुल्क का आबंटन होगा)। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि जल्दी अपनाने की अनुमति है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

नोट 3: सपंत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रू. में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास और परिशोधन				निवल वहन राशि	
	क	ख	ग	घ = (क + ख - ग)	ङ	च	छ	ज =(ङ+च-छ)	झ=(घ-ज)	
	1 अप्रैल 2021 तक के अनुसार	जोड़	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2022 तक के अनुसार	1 अप्रैल 2021 तक के अनुसार	वर्ष हेतु व्यय	कटौतियां/ समायोजन	31 मार्च 2022 तक के अनुसार	31 मार्च 2022 तक के अनुसार	31 मार्च 2021 तक के अनुसार
आरओयू के अलावा										
फ्रीहोल्ड - भूमि	5,125.72	-	-	5,125.72	-	-	-	-	5,125.72	5,125.72
फ्रीहोल्ड - भवन	9,756.89	452.18	12.60	10,196.47	952.03	348.23	4.54	1,295.72	8,900.75	8,804.86
संयंत्र और उपकरण	10,650.67	17,019.61	209.49	27,460.79	4,220.17	1,097.75	140.23	5,177.69	22,283.10	6,430.50
विद्धुत संस्थापना	1,160.56	221.04	0.22	1,381.38	320.03	123.06	-	443.09	938.29	840.53
डॉक्स और जेटी	5,572.71	-	0.67	5,572.04	1,918.54	361.59	-	2,280.13	3,291.91	3,654.17
फर्नीचर और फिक्सचर	1,874.15	281.68	8.38	2,147.45	567.37	195.04	7.05	755.36	1,392.09	1,306.78
कार्यालय उपकरण	696.82	48.43	6.02	739.23	137.68	76.40	2.93	211.15	528.08	559.14
कंप्यूटर	2,556.16	470.98	9.51	3,017.63	1,638.20	302.82	3.55	1,937.47	1,080.16	917.96
लॉन्च, नौकाओं एवं नाव	117.29	-	-	117.29	13.96	6.16	-	20.12	97.17	103.33
वाहनों	36.06	8.85	-	44.91	19.69	4.75	-	24.44	20.47	16.37
मोटर लॉरी, ट्रेलर, मोबाइल क्रेन आदि	164.35	-	-	164.35	56.71	17.54	-	74.25	90.10	107.64
उप-कुल (1)	**37,711.38**	**18,502.77**	**246.89**	**55,967.26**	**9,844.38**	**2,533.34**	**158.30**	**12,219.42**	**43,747.84**	**27,867.00**
गत वर्ष	**31,473.75**	**6,639.45**	**401.82**	**37,711.38**	**8,034.95**	**1,989.11**	**179.68**	**9,844.38**	**27,867.00**	
जीआरएसई और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति										
भवन	4,516.49	-	-	4,516.49	-	-	-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	3,224.69	-	-	3,224.69	-	-	-	-	-	-
जीआरएसई (क) द्वारा वित्त पोषित भवन	1,291.80	-	-	1,291.80	325.92	54.32	-	380.24	911.56	965.88
संयंत्र और उपकरण	3,320.27	-	-	3,320.27	-		-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	861.00	-	-	861.00	-		-	-	-	-
जीआरएसई (ख) द्वारा वित्त पोषित संयंत्र और उपकरण	2,459.27	-	-	2,459.27	1,357.13	226.19	-	1,583.32	875.95	1,102.14
डॉक्स और जेटी	33,894.69	-	-	33,894.69	-		-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	28,240.08	-	-	28,240.08	-		-	-	-	-
जीआरएसई (ग) द्वारा डॉक्स और जेटी वित्त पोषित	5,654.61	-	-	5,654.61	2,481.84	412.43	-	2,894.27	2,760.34	3,172.77
उप-कुल (क+ख+ग) (2)	**9,405.68**	**-**	**-**	**9,405.68**	**4,164.89**	**692.94**	**-**	**4,857.83**	**4,547.85**	**5,240.79**
गत वर्ष	**9,405.68**	**-**	**-**	**9,405.68**	**3,471.96**	**692.93**	**-**	**4,164.89**	**5,240.79**	
आरओयू (1+2) के अलावा - कुल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**47,117.06**	**18,502.77**	**246.89**	**65,372.94**	**14,009.27**	**3,226.28**	**158.30**	**17,077.25**	**48,295.69**	**33,107.79**
संपत्ति के उपयोग का अधिकार (आरओयू)										
पट्टादारी - भूमि	633.21	472.82	348.34	757.69	269.84	99.76	348.34	21.26	736.43	363.37
पट्टादारी - वाहन	78.74	483.04	78.74	483.04	52.48	84.69	78.74	58.43	424.61	26.26
कुल संपत्ति के उपयोग का अधिकार (आरओयू) (3)	**711.95**	**955.86**	**427.08**	**1,240.73**	**322.32**	**184.45**	**427.08**	**79.69**	**1,161.04**	**389.63**
गत वर्ष	**711.95**	**-**	**-**	**711.95**	**161.16**	**161.16**	**-**	**322.32**	**389.63**	
कुल सपंत्ति, संयंत्र और उपकरण (1+2+3)	**47,829.01**	**19,458.63**	**673.97**	**66,613.67**	**14,331.59**	**3,410.73**	**585.38**	**17,156.94**	**49,456.73**	**33,497.42**
गत वर्ष	**41,591.38**	**6,639.45**	**401.82**	**47,829.01**	**11,668.07**	**2,843.20**	**179.68**	**14,331.59**	**33,497.42**	

नोट :

(i) वर्तमान वर्ष की कटौती में परिसंपत्ति के स्क्रैपिंग का मूल्य 27.91 लाख रू.(डीम्ड लागत 66.08 लाख रू.) और रिटायर्ड परिसंपत्ति का मूल्य 7.00 लाख रू.(डीम्ड लागत 35.05 लाख रू.) का समयोजन शामिल है। इसके अलावा इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान 53.68 लाख रू. (डीम्ड लागत 146.53 लाख रू.) मूल्य की रिटायर्ड और बेची गई परिसंपत्ति भी शामिल है। 2020-21 में परिसंपत्ति और रिटायर्ड परिसंपत्ति की स्क्रैपिंग क्रमश: 15.51 लाख (डीम्ड लागत 43.62 लाख रू.) और 4.13 लाख रू. (डीम्ड लागत 28.81 लाख रू.) थी। इसके अलावा इसमें गत वर्ष 2020-21 के दौरान 16.03 लाख रू. (डीम्ड लागत 41.02 लाख रू.) मूल्य की रिटायर्ड और बेची गई परिसंपत्ति भी शामिल है।

(ii) 31 मार्च 2022 तक के अनुसार संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति - 875.95 लाख रू. (31 मार्च, 2021 तक के अनुसार 1102.14 लाख रू.) के संयंत्र एवं मशीनरी के साथ-साथ 199.03 लाख रू. (31 मार्च,2021: 328.05 लाख रू.) मूल्य के न्यू ड्राई डॉक का इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन भी शामिल है।

(iii) 31 मार्च 2022 तक के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मॉडर्न हल शॉप, एक नया ड्राई डॉक, इंक्लाइंड बर्थ, पेंट सेल और अन्य विविध सुविधाएं जो आधारभूत अवसंरचना के विकास के आधुनिकीकरण के तहत बनाई गई हैं। ये परिसंपत्ति भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से 32,325.77 लाख रुपये (मूल लागत) में वित्त पोषित किया गया है।

(iv) 31 मार्च, 2022 तक के अनुसार विशेषरूप से नौसेना (मूल लागत) द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्ति 801.23 लाख रू. (31 मार्च, 2021: 801.23 लाख रू.) की है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल नहीं किए गए हैं।

(v) 61 की भूमि, गार्डन रीच रोड, कोलकाता का स्वामित्व भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पास है।

(vi) 31 मार्च 2022 तक के अनुसार भवन राशि 95.96 लाख रू. (मूल लागत) (31 मार्च,2021:95.96 लाख रू.) की है जिसमें दिल्ली शिपयार्ड हाउस में कंपनी का एक तिहाई हिस्सा है। भवन पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगाँव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का संयुक्त रूप से अधिकार है।

नोट 4: चालू पूंजीगत कार्य

(लाख रू. में)

विवरण	क 1 अप्रैल 2021 तक के अनुसार	ख जोड़	ग कटौतियां / समायोजन	घ= (क+ख-ग) 31 मार्च 2022 तक के अनुसार
संयंत्र एवं उपकरण	14,926.10	1,651.28	16,577.38	-
डॉक्स और जेटी	-	867.39	-	867.39
फर्नीचर,फिक्सचर, कार्यालय उपकरण	191.24	-	191.24	-
कंप्यूटर	0.34	86.55	0.34	86.55
सिविल निर्माण	12.04	-	-	12.04
कुल चालू पूंजीगत कार्य	**15,129.72**	**2,605.22**	**16,768.96**	**965.98**
गत वर्ष	**5,151.52**	**14,060.66**	**4,082.46**	**15,129.72**

सीडबल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(लाख रू. में)

31 मार्च 2022 तक के अनुसार

सीडबल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
चालू परियोजना	953.94	12.04	-	-	965.98
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**953.94**	**12.04**	**-**	**-**	**965.98**

परियोजना पूरा होने की अवधि

31 मार्च 2022 तक के अनुसार

(लाख रू. में)

सीडबल्यूआईपी	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
चालू परियोजना				
कंप्यूटर	112.00	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**112.00**	**-**	**-**	**-**

सीडबल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2021 तक के अनुसार

(लाख रू. में)

सीडबल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
चालू परियोजना	14,338.68	791.03	-	-	**15,129.72**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**14,338.68**	**791.03**	**-**	**-**	**15,129.72**

परियोजना पूरा होने की अवधि

31 मार्च 2021 तक के अनुसार

(लाख रू. में)

सीडबल्यूआईपी	में पूरा किया जाएगा			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
चालू परियोजना				
फर्नीचर,फिक्सचर, कार्यालय उपकरण	243.18		-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
कुल	**243.18**	-	-	-

नोट 5: अमूर्त परिसपंत्तियाँ

(लाख रू.में)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल, 2021 तक के अनुसार	योग	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2022 तक के अनुसार	1 अप्रैल, 2021 तक के अनुसार	वर्ष हेतु व्यय	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2022 तक के अनुसार	31 मार्च 2022 तक के अनुसार	31 मार्च 2021 तक के अनुसार
	क	ख	ग	घ = (क + ख - ग)	ङ	च	छ	ज=(ङ+च-छ)	झ=(घ-ज)	
सॉफ्टवेयर (अधिग्रहित)	1,785.20	304.68	0.77	2,089.11	1,262.34	218.85	0.77	1,480.42	608.69	522.86
कुल अमूर्त परिसपंत्ति	**1,785.20**	**304.68**	**0.77**	**2,089.11**	**1,262.34**	**218.85**	**0.77**	**1,480.42**	**608.69**	**522.86**
गत वर्ष	**1,489.76**	**297.58**	**2.14**	**1,785.20**	**1,044.20**	**220.28**	**2.14**	**1,262.34**	**522.86**	

नोट 6: वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)

नोट 6 (क): निवेश-गैर-वर्तमान

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
इक्विटी लेखपत्र		
सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त, अनुद्धृत		
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर		
वुडलैंड्स मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड के 6,145 शेयर (31 मार्च 2021: 6,145) 10 रू.के प्रत्येक इक्विटी शेयर	0.44	0.44
कुल निवेश	**0.44**	**0.44**
कुल गैर-वर्तमान निवेश	0.44	0.44
अनुद्धृत निवेश की कुल रकम	0.44	0.44

नोट: यह मानते हुए कि निवेश राशि मटिरियल नहीं है, प्रबंधन का मानना है कि उसका उचित मूल्य भी इममटिरियल होगा और इसलिए उसे रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार लागत पर वहन किया जाता है।

नोट 6(ख): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाल बैंक जमा	99,900.00	61,400.00
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	6,967.54	6,111.01
बिजली बोर्ड एवं अन्य के पास जमा	759.41	775.58
नौसेना से वसूलने योग्य आस्थगित ऋण	818.92	722.78
ब्याज प्रोद्भूत किंतु जमा हेतु अदेय	5,680.76	446.53
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (गैर वर्तमान)	**1,14,126.63**	**69,455.90**

नोट 7: गैर-वर्तमान कर परिसंपत्ति

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
अग्रिम आयकर	9,021.96	5,652.25
जोड़ : टीडीएस और टीसीएस प्राप्य	26,713.74	20,122.46
	35,735.70	25,774.71
अल्प : आयकर का प्रावधान	(20,341.94)	(14,059.94)
कुल गैर-वर्तमान कर परिसंपति	**15,393.76**	**11,714.77**

नोट 8: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपति

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
पूंजीगत आग्रिम	7.43	251.35
पूंजीगत आग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम राशियाँ		
पूर्व प्रदत व्यय	3.35	2.95
कुल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति	**10.78**	**254.30**

नोट 9: वस्तुसूचियाँ

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
कच्चे माल एवं उपकरण	77,950.24	49,090.97
पी17ए का परिवर्तनीय मदें (नोट 18 का संदर्भ लें)	33,675.24	17,324.45
	1,11,625.48	66,415.42
लेस:अप्रचलन एवं अचल के लिए प्रावाधान	(956.70)	(1,367.59)
सामग्री के लिए प्रावधान	(184.98)	-
	1,10,483.80	65,047.83
ट्रांसिट में स्टॉक	102.16	7,068.90
चल रहे कार्य	5,587.15	5,826.50
स्टोर, पुर्जे एवं उपभोज्य वस्तुएँ	250.03	241.19
स्क्रैप	803.66	603.03
कुल वस्तुसूचियाँ	**1,17,226.80**	**78,787.45**

नोट : कच्चे माल और उपकरण में 17,332.15 लाख रु. (31 मार्च, 2021: 3,076.54 लाख रु.) तीसरे पक्ष के पास पड़े हैं, जिसमें से 184.98 लाख रु. (31 मार्च, 2021: शून्य) विक्रेता से पुष्टि के अभाव में प्रदान किया गया है।

नोट 10: वित्तीय परिसंपत्ति (वर्तमान)

नोट 10(क): वर्तमान निवेश

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
एफ़वीटीपीएल में मापा गया म्यूचुअल फंड में निवेश	19,667.82	82,581.96
कुल वर्तमान निवेश	**19,667.82**	**82,581.96**
अनुद्धृत निवेश का कुल मूल्य	शून्य	शून्य
गैर-अनुद्धृत निवेश का कुल मूल्य	19,667.82	82,581.96

नोट 10 (ख): ट्रेड प्राप्य-वर्तमान

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
ट्रेड प्राप्य		
असुरक्षित, अच्छा समझा गया*	15,494.33	17,813.69
असुरक्षित, संदिग्ध समझा गया	86.78	86.73
	15,581.11	17,900.47
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान	86.78	86.73
कुल ट्रेड प्राप्य-वर्तमान	**15,494.33**	**17,813.74**

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

31 मार्च, 2022 तक के अनुसार (लाख रु.में)

विवरण	नियत भुगतान तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीनों से कम	6 महिना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	283.31	5,986.30	1,173.21	6,855.10	953.12	243.29	15,494.33
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	86.78	86.78
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**283.31**	**5,986.30**	**1,173.21**	**6,855.10**	**953.12**	**330.07**	**15,581.11**
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान							(86.78)
कुल ट्रेड प्राप्य - वर्तमान							**15,494.33**

31 मार्च, 2022 तक के अनुसार (लाख रु.में)

विवरण	नियत भुगतान तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीनों से कम	6 महिना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	2,781.22	9,215.16	1,597.53	3,620.13	260.31	339.39	17,813.74
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
अनडिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	86.73	86.73
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
डिस्प्यूटेड ट्रेड प्राप्य - क्रेडिट इंपैरेड	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**2,781.22**	**9,215.16**	**1,597.53**	**3,620.13**	**260.31**	**426.12**	**17,900.47**
अल्प: संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु प्रावधान							(86.73)
कुल ट्रेड प्राप्य - वर्तमान							**17,813.74**

नोट 10(ग) : नकद और नकद समतुल्य (लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
बैंकों में शेष राशियाँ		
- चालू खातों में	971.25	932.05
हस्तगत नकदी	0.01	-
कुल नकद और नकद समतुल्य	**971.26**	**932.05**

नोट 10(घ): अन्य बैंक शेष

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
03 माह से 12 माह की परिपक्वता वाले बैंक जमा	2,11,800.00	1,96,600.00
पी17ए (नोट 18 का संदर्भ ले) के परिवर्तनीय मद के लिए निर्धारित फ्लेक्सि बैंक जमा	42,992.48	30,583.69
अवैतनिक लाभांश खाता	10.15	1.45
कुल अन्य बैंक शेष	**2,54,802.63**	**2,27,185.14**

नोट 10(ङ): अन्य वित्तीय परिसंपत्ति- वर्तमान

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
सीमा शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट के साथ जमा	3.69	3.69
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	588.77	679.11
ब्याज प्रोद्भूत किंतू जमा हेतु अदेय	3,216.73	5,596.90
अनुबंध परिसंपत्ति	8,818.15	7,994.41
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण का वर्तमान भाग	123.96	105.92
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्ति - वर्तमान	**12,751.30**	**14,380.03**

नोट : अनुबंध परिसंपत्ति की राशि अभी देय नहीं है।

नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्ति

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए या किसी और चीज के बदले में वसूली योग्य अग्रिम राशियाँ		
- कर्मचारी	132.15	118.13
- उत्पाद शुल्क	26.20	132.74
- बिक्री कर/वैट	67.08	67.08
- वस्तु एवं सेवा कर	31,607.09	12,459.49
- पूर्व प्रदत व्यय	1,349.84	1,800.85
डीम्ड बिक्री पर शुल्क	435.69	-
- आपूर्तिकर्ताओं (अन्य)	2,227.71	18,107.65
- आपूर्तिकर्ताओं (पी17ए के परिवर्तनीय मद हेतु)(नोट 18 का संदर्भ ले)	1,24,539.30	92,155.08
अन्य प्राप्य	1,651.26	1,180.90
कुल अन्य वर्तमान परिसंपत्ति	**1,62,036.32**	**1,26,021.92**

नोट 12: बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
संयंत्र और उपकरण	15.90	12.72
फर्नीचर और फिक्सचर	28.25	28.23
मोटर कार	1.32	1.59
कार्यालय उपकरण	0.40	0.85
बिक्री के लिय रखी गई परसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कुल परिसंपत्ति	**45.87**	**43.39**

गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन

नोट: प्रतिवेदन अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति को उसकी वहनकारी राशि से कम और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट पर मापा गया था। कंपनी ने उचित मूल्य को रिलाईजेशन के ऐतिहासिक रुझान के आधार पर वहनकारी राशि से अधिक होने का अनुमान लगाया है।

नोट 13: इक्विटी शेयर कैपिटल एवं अन्य इक्विटी

(लाख रू में)

नोट 13(क): इक्विटी शेयर कैपिटल

विवरण	31 मार्च 2022 तक के अनुसार		31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत				
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 10 रुपए)	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
जारी,सब्सक्राइब्ड और पेड अप				
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 : 10 रुपए)	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
		11,455.20		**11,455.20**

बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या और राशि का पुनर्मूल्यांकन:

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक के अनुसार		31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
जोड़: उप-विभाजन पर शेयर जारी करना	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**11,45,52,000**	**11,455.20**	**11,45,52,000**	**11,455.20**

*कंपनी ने 30 जून, 2017 को हुई अपनी बोर्ड बैठक और 25 अगस्त, 2017 को हुई वार्षिक आम बैठक में कंपनी के प्राधिकृत शेयर पूंजी को उप-विभाजित किया। जिसमें 100/- रू प्रत्येक के 1,25,00,000 शेयरों में 10/- रू प्रत्येक के 12,50,00,000 शेयर शामिल हैं।

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

इक्विटी शेयरों का सममूल्य 10/- रु.(31 मार्च,2021: 10/-रुपये) है। वे धारक को लाभांश में भाग लेने और धारित शेयरों पर भुगतान की गई राशि की संख्या के अनुपात में कंपनी के वाईडिंग अप प्रोसीड्स में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं।

व्यक्तिगत रूप से प्रॉक्सी द्वारा बैठक में मौजूद इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक, एक वोट के हकदार हैं, और चुनाव में प्रत्येक शेयर एक वोट का हकदार है।

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक	31 मार्च 2022 तक के अनुसार		31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	होल्डिंग%	शेयरों की संख्या	होल्डिंग%
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.50%	8,53,41,240	74.50%
एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	97,50,951	8.51%	97,27,951	8.49%
निपोन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड	-	-	58,62,524	5.12%

प्रमोटरों का शेयरधारिता का प्रकटीकरण

31 मार्च, 2022 तक के अनुसार प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2022 तक के अनुसार		31 मार्च, 2021 तक के अनुसार		वर्ष के दौरान
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	परिवर्तन का %
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.5%	8,53,41,240	74.5%	-

31 मार्च, 2021 तक के अनुसार प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार		31 मार्च, 2020 तक के अनुसार		वर्ष के दौरान
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	परिवर्तन का %
भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.5%	8,53,41,240	74.5%	-

नोट 13(ख) : अन्य इक्विटी

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व	928.80	928.80
सामान्य आरक्षित	6,064.86	6,064.86
प्रतिधारित कमाई	1,07,340.21	95,262.90
कुल आरक्षित और अधिशेष राशियाँ	**1,14,333.87**	**1,02,256.56**

(i) प्रतिधारित आय

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
आरंभिक शेष	95,262.90	85,574.24
अवधि हेतु शुद्ध लाभ	18,952.68	15,347.12
प्रत्यक्ष मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय की मदें		
-परिभाषित लाभ योजना का पुन: माप (शुद्ध कर)	112.30	355.52
प्रदत्त लाभांश	(1,317.35)	(1,603.73)
अंतरिम प्रदत्त लाभांश	(5,670.32)	(4,410.25)
समापन शेष	**1,07,340.21**	**95,262.90**

अन्य आरक्षित राशियों की प्रकृति और उद्देश्य:

नोट:

(i) कंपनी अधिनियम, 213 की धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि हस्तांतरित की है, इसलिए कंपनी के मुक्त रिजर्व से पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व खाते में खरीदा गया है। पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व मुक्त रिजर्व की प्रकृति में नहीं है।

(ii) सामान्य रिजर्व मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया जाता है। यह एक नि:शुल्क रिजर्व है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों का बाईबैक आदि।

नोट 14: वित्तीय देनदारियां (गैर वर्तमान)

ट्रेड देय -(गैर वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च , 2022 तक के अनुसार	31 मार्च , 2021 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
रूसी आस्थगित ऋण - विदेशी आपूर्तिकर्ता	818.92	722.78
कुल ट्रेड देय (गैर वर्तमान)	**818.92**	**722.78**

ट्रेड देय एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2022 तक के अनुसार

(लाख रू. में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	123.96	123.96	123.96	447.04	818.92
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
कुल	**123.96**	**123.96**	**123.96**	**447.04**	**818.92**

(लाख रू. में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	105.92	105.92	105.92	405.02	722.78
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**105.92**	**105.92**	**105.92**	**405.02**	**722.78**

नोट 15: प्रावधान (गैर वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	'31 मार्च , 2022 तक के अनुसार	31 मार्च , 2021 तक के अनुसार
उपार्जित अवकाश देनदारी	7,421.46	6,825.42
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	1,485.97	1,461.24
कुल प्रावधान (गैर वर्तमान)	**8,907.43**	**8,286.66**

नोट 16: आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)

शेष में अस्थाई अंतर शामिल है जो निम्नलिखित से सबंन्धित है: (लाख रू. में)

विवरण	'31 मार्च , 2022 तक के अनुसार	31 मार्च , 2021 तक के अनुसार
आस्थगित कर देनदारियां		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	3,711.48	3,152.04
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्यांकन पर लाभ	6.31	-
कुल आस्थगित कर परिसपंत्ति	**3,717.79**	**3,152.04**
आस्थगित कर परिसपंत्ति		
परिभाषित लाभ दायित्व	2,420.66	2,283.09
संदिग्ध ट्रेड प्राप्तियों के लिए भत्ता	21.84	21.83
भारी अनुबंध के लिए प्रावधान	197.16	296.25
कुल आस्थगित कर परिसपंत्ति	**2,639.66**	**2,601.17**
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां	**1,078.13**	**550.87**

नोट 16 (क) : आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)

आस्थगित कर देनदारियों/(परिसपंत्ति) में मूवमेंट (लाख रू. में)

विवरण	सपंत्ति, सयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसपंत्ति	परिभाषित लाभ दायित्व	अन्य मद	कुल
01 अप्रैल 2020 तक के अनुसार	**2,888.51**	**(1,713.26)**	**(221.47)**	**953.78**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
-लाभ या हानि हेतु	263.53	(689.41)	(96.61)	**(522.49)**
- अन्य व्यापक आय हेतु	-	119.58	-	**119.58**
31 मार्च, 2021 तक के अनुसार	**3,152.04**	**(2,283.09)**	**(318.08)**	**550.87**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
- लाभ या हानि हेतु	559.44	(175.35)	105.39	**489.48**
-अन्य व्यापक आय हेतु	-	37.78	-	**37.78**
31 मार्च , 2022 तक के अनुसार	**3,711.48**	**(2,420.66)**	**(212.69)**	**1,078.13**

नोट 17: वित्तीय देनदारियां (वर्तमान)

नोट 17(क): ट्रेड देय (वर्तमान) (लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च , 2022 तक के अनुसार	31 मार्च , 2021 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
- सुक्ष्म और लुघ उद्योग	228.52	95.36
- रूसी आस्थगित ऋण	123.96	105.92
-अन्य	40,816.35	78,070.22
कुल ट्रेड देय (वर्तमान)	**41,168.83**	**78,271.50**

व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31 मार्च, 2022 तक के अनुसार (लाख रू. में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
	228.52	-	-	-	228.52
एमएसएमई	31,573.05	3,839.99	4,396.10	1,131.17	40,940.31
अन्य	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	**31,801.57**	**3,839.99**	**4,396.10**	**1,131.17**	**41,168.83**

कुल ट्रेड देय (वर्तमान)

31 मार्च, 2021 तक के अनुसार (लाख रू. में)

विवरण	भुगतान के देय तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
एमएसएमई	95.36				95.36
अन्य	72,107.64	4,400.65	1,667.85	-	78,176.14
डिस्पूटेड बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-
डिस्पूटेड बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल ट्रेड देय (वर्तमान)	**72,203.00**	**4,400.65**	**1,667.85**	**-**	**78,271.50**

नोट 17(ख): अन्य वित्तीय देनदारियां (लाख रू. में)

विवरण	**31 मार्च , 2022 तक के अनुसार**	**31 मार्च , 2021 तक के अनुसार**
सुरक्षा जमा	387.49	397.90
उपार्जित व्यय		
उपार्जित वेतन और लाभ	585.95	562.95
किराया	36.27	211.06
पट्टा देनदारी	10.15	1.45
अन्य देय राशियाँ	1,373.49	1,060.88
कुल अन्य वित्तीय देनदारियां	**2,393.35**	**2,234.24**

नोट 18: अन्य वर्तमान देनदारियां (लाख रू. में)

विवरण	**31 मार्च , 2022 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च , 2021 तक के अनुसार**
अनुबंध देनदारियां	3,64,250.39	3,16,441.79
पी17ए परिवर्तनीय मदे हेतुअनुबंध देनदारियां	2,01,207.02	1,40,063.22
सांविधिक देनदारियां	203.54	165.70
अन्य देनदारियां	15.97	1,311.36
कुल अन्य वर्तमान देनदारियां	**5,65,676.92**	**4,57,982.07**

नोट :

"पी17ए", के परिवर्तनीय मदों के मामले में, कंपनी आपूर्तिकर्ताओं को अवयवों के क्रय और आउट मदों की खरीद हेतु अग्रिम में भुगतान करती है तथा ग्राहक (भारतीय नौसेना) द्वारा प्राप्त/प्रतिपूर्ति की गई निधि के साथ निगमित तरल सावधि जमा खातों में शेष भी रखती है जो अन्य वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाई गई अनुबंध देनदारियों में पड़ी हुई है।

नोट 19: प्रावधान (वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च , 2022 तक के अनुसार	31 मार्च , 2021 तक के अनुसार
गारंटी मरम्मत	2,325.25	2,712.79
परिसमापन हर्जाने के लिए प्रावधान	370.73	120.81
उपार्जित अवकाश दायित्व	588.77	679.11
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	121.04	104.91
भारी अनुबंध	783.32	1,177.00
अन्य प्रावधान	12,417.16	11,397.27
कुल प्रावधान (वर्तमान)	**16,606.27**	**16,191.89**

व्यक्तिगत प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुमानों के बारे में जानकारी

गारंटी मरम्मत

डिलीवर किए गए पोतों और अन्य उत्पादों के संबंध में अनुमानित वारंटी दावों के लिए प्रावधान किया गया है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत में अभी भी वारंटी के अधीन है। प्रबंधन, बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर डिलीवर किए पोतों के संबंध में भावी वारंटी दावों के लिए संबन्धित प्रावधान का अनुमान लगाता है जो ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के साथ-साथ हालिया रुझानों पर ध्यान देता है जो यह सुझाव दे सकता है कि पूर्व लागत जानकारी, भावी दावों से अलग हो सकती है। वर्तमान अवधि में लगाए गए पूर्वानुमान, पूर्व वर्ष में लगाए गए पूर्वानुमान के अनुरूप हैं। अनुमानित दावा जानकारी को प्रभावित कर सकने वाले कारकों में, कंपनी की उत्पादकता और गणुवत्ता पहलों की सफलता शामिल है।

अन्य उत्पादों के प्रबंधन के संबंध में प्रावधान के लिए ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के आधार पर प्रावधान का अनुमान है और किसी भी हाल के रुझान है कि भविष्य के दावों का सुझाव दे सकते है ऐतिहासिक मात्र से अलग हो सकता है।

परिसमापन हर्जाना

कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए अनबुंधात्मक प्रावधानों/समानुपातिक देनदारी के अनुसार खाता बही में अलग से परिसमापन हर्जाने का प्रावधान किया गया है।

दुर्वह अनुबंध का प्रावधान

कंपनी को भारतीय तटरक्षक बल के साथ किए गए एफपीवी अनुबंध के एक जहाज को डायवर्ट करके सेशेल्स सरकार को चालू वित्त वर्ष में 03 फरवरी 2021 को जीओएस के साथ अनुबंध के अनुसार दिए गए एक जहाज के बदले में भारतीय तटरक्षक बल के साथ संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए एक एफपीवी पोत का निर्माण करना है।

प्रतिस्थापन पोत की कीमत तटरक्षक बल के साथ मूल अनुबंध की लागत के समान है। जीओएस को पोत की आपूर्ति के लिए नए पोत के निर्माण हेतु आवश्यक वृद्धि को पूरा किया गया है। इसे देखते हुए यह पता चलता है कि वृद्धि के कारण नए पोत के लिए अनुमानित नुकसान 1177 लाख रु. है। यह अनुमानित नुकसान चालू वित्त वर्ष में नोट 27 के तहत दर्ज किया गया है।

वर्तमान वर्ष में 393.68 लाख रू की दुर्वह हानि के प्रावधान को समायोजित किया गया है, जिसे राजस्व मान्यता के रूप में माना गया है, तदनुसार दुर्वह हानि देनदारी का "संचलन प्रावधान" के संचलन के अंतर्गत परिलक्षित होता है।

अन्य प्रावधान

अन्य प्रावधान प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी संबंधित प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रावधानों में मूवमेंट

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान के प्रमुख श्रेणी में मूवमेंट के बारे में निम्न प्रस्तुत है : (लाख रू. में)

विवरण	परिसमापन हर्जाना	गारंटी मरम्मत	दुर्वह अनुबंध का प्रावधान	अन्य प्रावधान
1 अप्रैल 2020 तक के अनुसार	**1,891.77**	**3,508.21**	**-**	**9,045.36**
लाभ या हानि में शुल्क लिया गया/(जमा किया गया)				
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	196.31	627.96	1,177.00	2,415.74
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(1967.27)	(1,423.38)	-	(63.83)
31 मार्च 2021 तक के अनुसार	**120.81**	**2,712.79**	**1,177.00**	**11,397.27**
लाभ या हानि में शुल्क लिया गया/(जमा किया गया)				
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	306.24	1429.32	-	3682.58
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(56.32)	(1816.86)	(393.68)	(2662.69)
31 मार्च 2022 तक के अनुसार	**370.73**	**2,325.25**	**783.32**	**12,417.16**

नोट 20: संचालन से राजस्व

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च , 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2021 को समाप्त वर्ष
(क) अनुबंध राजस्व		
- पोत निर्माण	1,57,101.33	1,01,032.81
- सामान्य इंजीनियरिंग	577.78	393.03
- डीजल इंजन	5,527.51	1,775.94
(ख) उत्पादों की बिक्री		
-बी एवं डी स्पेयर्स	899.27	2,571.70
-बेली ब्रिज	5,498.18	4,804.79
- सामान्य इंजीनियरिंग	602.69	1,257.35
-डीजल इंजन	-	4.89
(ग) सेवाओं की बिक्री		
- पोत मरम्मत	4,049.12	1,198.15
-बेली ब्रिज	504.75	212.20
-सामान्य इंजीनियरिंग	-	1.60
- डीजल इंजन	20.50	23.94
(घ) विविध परियोजना	53.39	-
(ङ) अन्य संचालनीय राजस्व		
- स्क्रैप की बिक्री	868.72	807.13
- प्रशिक्षण शुल्क	48.13	-
संचालन से कुल राजस्व	**1,75,751.37**	**1,14,083.53**

नोट :

i. निर्यात अनुबंध से संचालन से उपरोक्त शामिल राजस्व 6,094.42 लाख (वित्त वर्ष 20- 21 : रू. 2,851.66 लाख) है।

ii. निर्यात बिक्री 3,485.12 लाख (वित्त वर्ष 20-21 : रू. 8,749.00 लाख) रू.।

iii. कंपनी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है और अधिसचूना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जन, 2015 में संशोधन करके दिनांक 23 फरवरी, 2018 की अधिसचूना एस.ओ. 802 (ई) के माध्यम से सेगमेंट रिपोर्टिंग से छूट दी गई थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इंड एएस 115 के तहत ऑपरेटिंग सेगमेंट पर कंपनी द्वारा अलग-अलग कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट 21: अन्य आय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च , 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2021 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	13,019.00	15,268.23
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	1,368.59	716.44
उचित मूल्यांकन पर लाभ		
-म्यूचुअल फंड	25.07	235.02
-अन्य	459.25	122.79
किराया आय	18.30	6.28
शुद्ध विदेशी विनिमय लाभ	44.90	86.47
बीमा दावे	207.95	9.31
देनदारियाँ/प्रावधान रिटेन बैंक	654.55	894.93
रिटायर्ड परिसंपत्ति (शुद्ध) पर लाभ/(हानि)	56.03	169.35
अन्य आय	211.74	1,063.53
कुल अन्य आय	**16,065.38**	**18,572.35**

नोट 22(क): खपत की गई सामग्रियों की लागत

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च , 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2021 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल	16,881.64	15,431.48
उपकरण एवं घटक	76,638.73	29,293.41
खपत की गई सामग्रियों की कुल लागत	**93,520.37**	**44,724.89**

नोट 22(ख): चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में परिवर्तन

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च , 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2021 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	5,057.88	5,593.16
- इंजन यूनिट	309.05	578.03
- अन्य	459.56	675.23
कुल आरंभिक शेष	**5,826.49**	**6,846.42**
समापन शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	4,339.84	5,057.88
- इंजन यूनिट	292.22	309.05
- अन्य	955.09	459.56
कुल समापन शेष	**5,587.15**	**5,826.49**
चल रहे कार्य की वस्तुस्तुची में कुल परिवर्तन	239.34	1,019.93
स्क्रैप की वस्तुस्तुची में परिवर्तन	(200.63)	112.97
चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसची में कुल परिवर्तन	**38.71**	**1132.90**

नोट 23: कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च ,2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2021 को समाप्त वर्ष
वेतन और पारिश्रमिक	23,669.68	22,193.45
अल्प: विशिष्ट: मद में हस्तांतरण	(709.95)	(1,920.22)
	22,959.73	20,273.23
भविष्य निधि और अन्य कोश में योगदान	3,298.82	3,313.61
कर्मचारी कल्याण व्यय	2,770.05	3,351.20
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**29,028.60**	**26,938.04**

नोट 24: वित्त लागत

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च ,2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2021 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय		
-लीज देयता पर ब्याज व्यय	62.62	39.85
-सूक्ष्म एवं सघु उद्यमों के बकाया पर ब्याज	13.79	28.34
कुल वित्त लागत	**76.41**	**68.19**

नोट 25: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च ,2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2021 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मलूयह्रास	3,410.74	2,843.20
अल्प: विशिष्ट: मद में हस्तांतरण	(58.59)	(154.72)
	3,352.15	2,688.48
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन	218.86	220.28
कुल मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**3,571.01**	**2,908.76**

नोट 26: अन्य व्यय - परियोजना सबंन्धित

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च ,2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2021 को समाप्त वर्ष
सुविधा किराया	121.56	336.11
बीमा	325.89	207.18
यात्रा व्यय	255.71	138.53
तकनीशियनों की फीस	1,365.59	5,120.92
जलावतरण और प्रवर्तीकरण संबंधित व्यय	86.70	64.88
बैंक प्रभार	1.25	926.63
विविध व्यय	192.10	736.86
कुल अन्य व्यय - परियोजना संबंधित	**2,348.80**	**7,531.11**

नोट 27: अन्य व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
स्टोर्स और स्पेयर्स पार्ट्स की खपत	71.30	61.51
बिजली और ईंधन	863.48	630.15
किराया	128.31	64.30
मरम्मत और रखरखाव		
- भवन	601.81	640.88
- संयंत्र एवं उपकरण	560.08	329.32
- अन्य	1,199.34	1,166.00
बीमा	630.94	781.01
दरें और कर	124.70	257.75
मार्केटिंग व्यय	91.18	110.74
स्टोर खाली करने और प्रेषण का खर्च	29.07	35.77
परिसमापन हर्जाना	306.50	191.40
अगतिमान एवं अप्रचलित वस्तुस्तुची हेतु प्रावधान	231.34	240.78
सामाग्री हेतु प्रावधान	184.98	-
परिवहन किराया शुल्क	336.58	398.55
यात्रा व्यय	125.55	79.39
विज्ञापन और प्रचार	289.28	240.52
बैंक चार्ज एवं कमीशन	38.90	14.70
मुद्रण और लेखन सामग्री	8.09	9.43
डाक एवं कूरियर	5.85	5.31
टेलीफोन और फैक्स	33.78	64.45
कानूनी खर्च	11.00	18.88
निगमित सामाजिक दायित्व	410.00	370.00
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:		
(क) लेखा परीक्षण शुल्क	8.60	7.83
(ख) कर लेखा परीक्षण शुल्क	1.25	1.25
(ग) अन्य सेवाओं हेतु शुल्क	5.10	4.60
सीआईएसएफ़ व्यय	3,499.57	3,501.15
रिटेन ऑफ की गई परिसंपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	27.81	15.38
दुर्वह अनुबंध पर नुकसान	-	1,177.00
अन्य विविध व्यय	619.91	762.39
कुल अन्य व्यय	**10,444.30**	**11,180.44**

उपरोक्त नोटों में संबंधित विभिन्न शीर्षों के तहतअनुसंधान और विकास पर कुल रू. 1,292 लाख (पिछले वर्ष रू. 1,376 लाख) रू का व्यय परिलक्षित होता है।

नोट 28: असाधारण मद

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च ,2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च , 2021 को समाप्त वर्ष
लॉकडाउन के दौरान पी एवं एम का वेतन और मजदूरी/मूल्यह्रास	768.54	2,074.94
कुल असाधारण मद	**768.54**	**2,074.94**

नोट 29 (क): आयकर व्यय

(लाख रू में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
आयकर व्यय		
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	6,282.00	5,887.11
कुल वर्तमान कर व्यय	**6,282.00**	**5,887.11**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर (लाभ) /व्यय	489.48	(522.49)
कुल आस्थगित कर व्यय	489.48	(522.49)
आय कर व्यय	**6,771.48**	**5,364.62**

(ख) कर व्यय का मिलान और कर दर गुणित लेखांकन लाभ:

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
भारत में अधिनियमित आयकर दर जो कर पूर्व कंपनी के लाभ पर लागू होती है।	25.17%	25.17%
कर पूर्व लाभ	25,724.16	20,711.74
भारत में अधिनियमित आयकर दर पर कर व्यय पूर्व लाभ पर वर्तमान कर	**6,474.26**	**5,212.73**
व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं है	1,674.52	1,877.78
व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने योग्य हैं	(1,969.97)	(1,353.08)
निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं हैं	103.19	93.12
आस्थगित कर परिसंपत्ति केआंकलन के परिवर्तन में समायोजन	489.48	(522.49)
अंदर सेक्सन 234बी एवं सी पर व्याज का प्रभाव	-	56.56
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	**6,771.48**	**5,364.62**

नोट 30: आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति

इंड एएस 37 "प्रावधान, के अनुसार आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्ति " का प्रकटीकरण यहाँ नीचे दिया गया है: (लाख रू में)

	(क) आकस्मिक देनदारियाँ	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार
(i)	कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	7,471.65	7,298.62
(ii)	गारंटियाँ		
	क) बैंकों द्वारा दी गई गारंटियाँ	2,74,099.33	2,41,508.91
	ख) प्रदर्शन और वारंटियों के लिए क्षतिपूर्ति बांड	1,64,976.63	1,66,593.60
	ग) असमाप्त साख पत्र	15,919.12	25,985.73
(iii)	अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
	क) बिक्री कर	506.83	506.83
	ख) उत्पाद शुल्क	-	106.54
	ग) आय कर	1,635.11	363.38

(क) वर्ष 2007-08 के लिए आकलन बकाया और मांग की दिशा में, बिक्री कर के खाते में आकस्मिक देनदारी का परिमाण रू 506.83 लाख रू (31 मार्च 2021: 506.83 लाख रू) है। इन सभी राशियों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार इन्हें खातों में प्रदान नहीं किया गया है क्यूंकी सारी मांगें, अपील के अलग-अलग चरणों में है।

(ख) सीआईडब्ल्यूटीसी की कुछ संपत्तियों की खरीद के लिए समझौते के अनुसार प्राप्त बिक्री प्रतिफल में शामिल सीआईडब्ल्यूटीसी की उत्पाद शुल्क देयता पर दावा किए गए कथित बकाया ब्याज के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कारण आकस्मिक देयता शून्य (31 मार्च, 2021: 106.54 लाख रुपये) है। पिछले साल इसे आकस्मिक देयता के रूप में माना गया था क्योंकि कंपनी ने संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष आक्षेपित मांग के खिलाफ अपील की थी। अपीलीय प्राधिकारी ने चालू वर्ष में अपील को खारिज कर दिया है, लेकिन बाद में सीआईडब्ल्यूटीसी, नौवहन मंत्रालय के निर्देश के अनुसार प्रक्रिया के तहत सौहार्दपूर्ण निपटान के हिस्से के रूप में 106.54 लाख, रुपये की उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया। तदनुसार आकस्मिक दायित्व वापस ले लिया गया है।

(ग) आयकर के कारण आकस्मिक देयता रु. 1,635.11 लाख (31 मार्च, 2021: 363.38 लाख) की ओर, कर योग्य आय में आयकर प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से वृद्धि, निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए फॉर्म 26एएस के आधार पर 1624.58 लाख रुपये, परिसमाप्त नुकसान के लिए प्रावधान की अस्वीकृति - निर्धारण वर्ष के लिए 1.92 लाख रुपये 2014-15 और आकलन वर्ष 2017-18 के लिए 80G छूट रु.8.61 लाख रू हैं। गणना पत्रक में एक स्पष्ट अंकगणितीय त्रुटि के कारण आयकर प्राधिकरण द्वारा निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए फॉर्म 26एएस के आधार पर कर योग्य आय में मनमाना वृद्धि 352.85 लाख रुपये से बढ़ाकर 1624.58 लाख रुपये कर दी गई है। कंपनी प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर विश्वास करती है कि वह अपील में सफल होगी। आयकर अधिनियम की धारा 199 के अनुसार कंपनी क्रेडिट की हकदार है और एक अनुकूल आदेश की अपेक्षा करती है। उपरोक्त विवादों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि सभी मुद्दे अपील के पहले चरण में हैं।

(घ) आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दिखाई गई राशि उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राप्त सर्वोत्तम संभव अनुमानों को दर्शाती है। नकदी प्रवाह की अनिश्चितता और समय विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर करता है जो कंपनी या दावेदारों द्वारा लागू किया गया है और इसलिए इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं करती है।प्रबंधन की राय में, ऊपर उल्लिखित विवादों के लिए किसी प्रावधान को इस आधार पर आवश्यक नहीं माना जाता है कि कंपनी द्वारा की गई अपीलों के सफल परिणाम की उचित संभावना है।

(ख) आकस्मिक परिसंपत्ति

(i) केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडबल्यूटीसी) के तत्कालीन राजा बागान डॉकयार्ड की भूमि और विभिन्न अन्य परिसम्पत्ति को वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा खरीदा गया। जलयानों, क्रेन आदि जैसी परिसम्पत्ति कंपनी द्वारा नहीं ली गई और उन्हें सीआईडबल्यूटीसी द्वारा हटाया जाना था जिसे उन्होंने नहीं हटाया।

जीआरएसई ने सीआईडब्ल्यूटीसी द्वारा नहीं हटाए गए जलयानों और क्रेन पर ग्राउंड रेंट के रूप में क्रमशः 2010 तक जलयानों के निपटान तक और 2017 तक क्रेन (क्रेन का अभी तक निपटान नहीं किया गया) के निपटान के लिए 351.92 लाख और रु. 1964.16 लाख रु के राशि का दावा किया। 106.54 लाख रू की प्रतिपूर्ति पर दावा जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा सीआईडब्ल्यूटीसी की उत्पाद शुल्क देयता पर दावा किए गए कथित बकाया ब्याज के प्रति वसूल किया गया था, जिसे उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को भुगतान के लिए बिक्री समझौते के अनुसार प्राप्त बिक्री प्रतिफल में शामिल किया गया था।

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने 2021 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत आरओसी से सीआईडब्ल्यूटीसी के नाम को हटाने का फैसला किया और लंबित विवादों को निपटाने के लिए मामले की औपचारिकताओं का नेतृत्व करने हेतु सुलह और निपटान समिति (सीएससी) को अनिवार्य किया गया था। सीएससी ने मामले की जांच की है और बिक्री समझौते की शर्तों और इस मामले से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार करते हुए अंतिम निपटान के रूप में 165.64, जिसमें सीआईडब्ल्यूटीसी द्वारा पूरी राशि रुपये की वापसी शामिल के निपटान का समझौता प्रस्तावित किया है। है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जीआरएसई से 106.54 लाख की वसूली सीआईडब्ल्यूटीसी द्वारा देय बकाया ब्याज के रूप में "दावा प्राप्य" के रूप में माना जाता है और 2006 के "बिक्री समझौते" की शर्तों के अनुसार संपत्ति को न हटाने के कारण भूमि किराए (संपत्ति के निपटान आय का शुद्ध) के लिए, शेष राशि 59.10 लाख रु है जिसे आकस्मिक संपत्ति माना जाता है।

नोट 31: प्रतिबद्धताएँ

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च,2022 तक के अनुसार	31 मार्च,2021 तक के अनुसार
अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	2,341.67	4,945.58
उपरोक्त अग्रिम के विरुद्ध भुगतान किया गया	7.43	251.35

नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व

(i) अवकाश दायित्व

अवकाश दायित्व, बीमारी और अर्जित अवकाश हेतु कंपनी की देनदारी को कवर करते हैं।

पूर्व अनुभव के आधार पर, कंपनी सभी कर्मचारियों से उपार्जित अवकाश की सम्पूर्ण राशि ग्रहण करने की आशा नहीं करती है या अगले 12 महीने के भीतर भुगतान आवश्यक नहीं बनाती है। तदनुसार 588.77 लाख रूपये (31 मार्च 2021: 679.11 लाख रू.) को वर्तमान के रूप में और शेष राशि को गैर वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अवकाश दायित्व एक अवित्तपोषित योजना है, कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बनाई रखी जाने वाली योजना में योगदान करती हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व में सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है।

(लाख रू. में))

विवरण	अवकाश दायित्व
31 मार्च 2021 तक के अनुसार	
वर्तमान अंश	679.11
गैर-वर्तमान अंश	6,825.42
कुल	**7,504.53**
31 मार्च 2022 तक के अनुसार	
वर्तमान अंश	588.77
गैर-वर्तमान अंश	7,421.46
कुल	**8,010.23**

(ii) रोजगार पश्चात दायित्व

(क) ग्रेच्युटी

कंपनी, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की प्रदान करती है। लगातार 5 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी, ग्रेच्युटी के योग्य होते हैं। सेवानिवृत्ति/कार्य समापन पर देय ग्रेच्युटी की राशि, सेवा के वर्षों की संख्या के साथ 15 दिनों (एक महीने में 26 दिन मानते हुए) के वेतन के लिए समानुपातिक रूप से हिसाब करके प्राप्त कर्मचारियों का आखिरी बार उठाया गया मूल (महंगाई भत्ता सहित) वेतन प्रति माह में गुना करके मिलने वाली राशि है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्तपोषित योजना है और कंपनी, भारत में मान्यता प्राप्त कोष में योगदान करती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए, धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है।

(ख) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

कंपनी, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का संचालन करती है। यह योजना एक अवित्तपोषित योजना है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता दी गई है।

उपरोक्त के अलावा, अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ, परिभाषित योगदान योजनाएं हैं और बीमा कंपनी को दिया गया 720.31 लाख रूपये (31 मार्च 2021: 860.52 लाख रू.) रूपये का प्रीमियम, वर्ष के लाभ और हानि में शामिल किया गया है। बीमा कंपनी को देय योगदान के अलावा कर्मचारियों के लिए कोई अन्य दायित्व नहीं है।

नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी)

(ग) भविष्य निधि

कंपनी द्वारा स्थापित छूट भविष्य निधि इंड एएस 19 कर्मचारी लाभ के तहत एक परिभाषित लाभ योजना है।

पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है। कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक क़ानून के अनुसार देय होता है।

भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2021-22 के लिए लाख (वर्ष 2020-21के लिए 1,661.64 लाख रुपये) 1,737.98 लाख रुपये है।

प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) और अधिसूचित ब्याज दर के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करना कंपनी का दायित्व है।

कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए जीआरएसई के छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के इंड एएस 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्ति और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

(लाख रू. में))

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	कुल राशि
1 अप्रैल, 2021	37,313.64	(37,318.58)	(4.94)
वर्तमान सेवा लागत	3413.38	-	3,413.38
ब्याज व्यय/(आय)	2879.33	(3,022.80)	(143.47)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**6,292.71**	**(3,022.80)**	**3,269.91**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर	-	111.97	111.97
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(141.61)	-	(141.61)
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	126.24	-	126.24
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(15.37)**	**111.97**	**96.60**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(2,021.98)	(2,021.98)
लाभ भुगतान	(3,532.61)	3,532.61	-
प्रतिभागियों का योगदान	-	(1,391.40)	(1,391.40)
में स्थानांतरण	-	(95.91)	(95.91)
31 मार्च,2022	**40,058.37**	**(40,206.09)**	**(147.72)**

वित्तीय वर्ष 2020-21 से कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान को परिभाषित अंशदान योजना से परिभाषित लाभ योजना में वर्गीकृत करने के संबंध में अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है। लेखांकन नीति में यह परिवर्तन लागू किया गया था और देखा गया था कि लाभ के लिए उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति लाभों के वर्तमान मूल्य की तुलना में अधिक है।

नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी)

(iii) परिभाषित योगदान योजना:

सेवानिवृत्ति पेंशन निधि:

पेंशन योजना एक ट्रस्ट द्वारा प्रशासित है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 (वर्ष 2020-21के लिए 432.40 लाख रुपये) के लिए नियोक्ता के योगदान के दिशा में एलआईसी को अधिकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों हेतु 454.81 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की है।

संगठित कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की शुरूआत 01 जनवरी 2012 से की गई है। प्रचालकों और कार्यालय सहायकों के लिए नियोक्ता के योगदान की दिशा में एलआईसी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 371.47 (वर्ष 2020-21 के लिए 353.98 लाख रूपये) लाख रूपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

(iv) तुलन पत्र मान्यता

(क) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं: (लाख रू. में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
1 अप्रैल, 2020	1,669.24
वर्तमान सेवा लागत	52.48
ब्याज व्यय/(आय)	115.18
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**167.66**
पुन:माप	
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि	(112.19)
अनुभव (लाभ)/हानि	(158.55)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(270.74)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	**-**
लाभ भुगतान	-
31 मार्च,2021	**1,566.16**

(लाख रू. में)

विवरण	**दायित्व का वर्तमान मूल्य**
1 अप्रेल,2021	1,566.16
वर्तमान सेवा लागत	51.61
ब्याज व्यय/(आय)	110.72
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**162.33**
पुन:माप	
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि	(38.49)
अनुभव (लाभ)/हानि	(82.99)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(121.48)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-
लाभ भुगतान	-
31 मार्च,2022	**1,607.01**

(ख) ग्रेच्युटी

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं: (लाख रू. में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	कुल राशि
1 अप्रेल, 2020	11,939.85	(11,939.85)	-
वर्तमान सेवा लागत	686.72	-	686.72
ब्याज व्यय/(आय)	776.27	(823.85)	(47.58)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**1,462.99**	**(823.85)**	**639.14**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर	-	(60.07)	(60.07)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	(459.61)	-	(459.61)
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	315.32	-	315.32
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(144.29)**	**(60.07)**	**(204.36)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(434.78)	(434.78)
लाभ भुगतान	(1,379.22)	1,379.22	-
31 मार्च, 2021	**11,879.33**	**(11,879.33)**	**-**

(लाख रू. में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	कुल राशि
1 अप्रेल, 2021	11,879.33	(11,879.33)	-
वर्तमान सेवा लागत	694.90	-	694.90
ब्याज व्यय/(आय)	791.27	(839.87)	(48.60)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुल राशि	**1,486.17**	**(839.87)**	**646.30**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्ति पर रिटर्न, ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर	-	(18.39)	(18.39)
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/ हानि	174.97	-	174.97
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	(185.16)	-	(185.16)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(10.19)**	**(18.39)**	**(28.58)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(617.72)	(617.72)
लाभ भुगतान	(1,374.78)	1,374.78	-
31 मार्च, 2022	**11,980.53**	**(11,980.53)**	**-**

(v) महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकिक कल्पनाएं

महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाएं निम्नलिखत है:

विवरण	**31 मार्च, 2022**	**31 मार्च, 2021**
छूट दर	7.07%	6.90%
योजन परिसंपत्ति पर प्रत्याशित रिटर्न	7.07%	6.90%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	6.50%
क्षयण दर	1.00%	1.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-2014) अंतिम	आईएएलएम (2012-2014) अंतिम

ग्रेच्युटी और चिकित्सा के लिए भावी मृत्यु दर से संबंधित कल्पनाएं, प्रकाशित आंकड़ों और अनुभव के अनुसार बीमांकिक सलाह पर आधारित हैं। ये कल्पनाएं, 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में औसत जीवन प्रत्याशा में बदल जाती है।

(vi) संवेदनशीलता संबंधी विश्लेषण

भारित प्रधान कल्पनाओं में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व के संवेदशीलता निम्नलिखित है : (लाख रू. में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) पर प्रभाव			
	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट की दर (-/+ 0.5%)	11,539.63	12,451.95	11,440.68	12,348.65
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-3.68%	3.93%	-3.69%	3.95%
वेतन वृद्धि दर (-/+ 0.5%)	12,292.01	11,648.85	12,238.55	11,510.71
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	2.60%	-2.77%	3.02%	-3.10%
क्षयण दर (-/+ 0.5%)	11,980.72	11,980.34	11,879.36	11,879.32
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर (-/+ 10%)	11,981.47	11,979.59	11,879.66	11,879.02
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.01%	-0.01%	0.00%	0.00%

विवरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर प्रभाव'			
	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट की दर (-/+ 0.5%)	1,562.65	1,650.56	1,522.93	1,608.60
% संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन	-2.76%	2.71%	-2.76%	2.71%
क्षयण मुल्य (-/+ 0.5%)	1,645.09	1,568.12	1,603.27	1,528.25
% संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन	2.37%	-2.42%	2.37%	-2.42%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर (-/+ 10%)	1,604.59	1,609.42	1,563.81	1,568.50
% संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन	-0.15%	0.15%	-0.15%	0.15%

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण, एक कल्पना में एक परिवर्तन पर आधारित है जबकि अन्य सभी कल्पनाओं को स्थिर रखा गया है। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ कल्पनाओं में परिवर्तनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाओं में परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, उसी विधि (प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित इकाई ऋण विधि की मदद से गणित परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) का इस्तेमाल किया गया है जो तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ देनदारी की गणना करते समय इस्तेमाल किया गया है।

संवेदनशील विश्लेषण की तैयारी में इस्तेमाल की गई कल्पनाओं की विधियों और प्रकारों में पूर्व अवधि की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(vii) योजना परिसंपत्ति की प्रमुख श्रेणियाँ

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों के साथ वित्त पोषित हैं। कंपनी के पास बीमा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है। इस प्रकार, योजना परिसंपत्तियों की प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की रचना का खुलासा नहीं किया गया है।

(viii) जोखिम संकट

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी पर अनगिनत जोखिमों का संकट है जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जोखिम संकटों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है :

निवेश जोखिम:

परिभाषित लाभ योजनाएं (भविष्य निधि को छोड़कर) भारत की बीमा कंपनियों के साथ वित्त पोषित हैं। कंपनी को बीमा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है।

परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भारत सरकार के बांडों के संदर्भ में निर्धारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ इस दर से कम है, तो यह एक योजना घाटा पैदा करेगा।

ब्याज जोखिम:

योजना परिसमपत्ति पर ब्याज दर में कमी आने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी।

जीवन प्रत्याशा:

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, रोजगार के दौरान और रोजगार के अंत में दोनों समय योजना प्रतिभागियों के मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान की मदद से की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी।

वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, रोजगार के दौरान और रोजगार के अंत में दोनों समय योजना प्रतिभागियों के मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान की मदद से की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी।

(ix) परिभाषित लाभ देनदारी और नियोक्ता का योगदान

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोजगार पश्चात लाभ योजनाओं में प्रत्याशित योगदान, 700 लाख रूपये है।

परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) की भारित औसत अवधि, 11 वर्ष (31, मार्च 2021 - 12 वर्ष) है और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ की भारित औसत अवधि 37 वर्ष (31, मार्च 2021 – 37 वर्ष) है। छूट रहित ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है :

(लाख रू. में)

विवरण	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2022 तक के अनुसार		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	1,294.22	22,181.13
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	125.15	5,443.84
कुल	**1,419.37**	**27,624.97**
31 मार्च, 2021 तक के अनुसार		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	1,402.99	21,527.14
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	108.47	5,512.25
कुल	**1,511.46**	**27,039.39**

नोट 33: संबंधित पार्टी से लेनदेन

कंपनी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित है, जिन्हें 74.50% स्वामित्व प्राप्त है।

(क) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च,2022	31 मार्च,2021
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	210.01	221.69
रोजगार पश्चात लाभ	18.59	9.84
कुल मुआवजा	**228.60**	**231.53**

संबंधित पार्टी को देय राशि के संबंध में वर्ष के दौरान कोई राशि बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।

(ख) संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन

चूंकि जीआरएसई रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी संस्था है, कंपनी ने सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में इंड एएस 24 के तहत आवश्यक विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, इंड एएस 24 के तहत आवश्यकतानुसार, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित हैं: - (लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च,2022	31 मार्च,2021
वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री		
वस्तुओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	10,447.05	46,624.81
सेवाओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	525.60	68.71
अन्य लेनदेन		
शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	981.42	1,194.78
शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	4,224.39	3,285.64

(ग) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ख़रीदारी से उत्पन्न होने वाले बकाया शेष (लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च,2022	31 मार्च,2021
व्यापार प्राप्य (वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री)	13,327.67	5,104.04
संस्थाएं (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)		

नोट 34: उचित मूल्य मापन

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन (लाख रू में)

विवरण	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्ति						
निवेश						
इक्विटी साधन	0.44	-	-	0.44	-	-
म्यूचुअल फंड	19,667.82			82,581.96		
ट्रेड प्राप्य	-	-	15,494.33	-	-	17,813.74
सुरक्षा जमा	-	-	763.10	-	-	779.27
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	942.88	-	-	828.70
अनुबंध परिसंपत्ति	-	-	8,818.15	-	-	7,994.41
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	971.26	-	-	932.05
अन्य बैंक बैलेंस			2,54,802.63			2,27,185.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति						
12 महीनों से अधिक मेचूरिटी के साथ बैंक जमा	-	-	99,900.00	-	-	61,400.00
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन जमा हेतु देय नहीं	-	-	3,216.73	-	-	5,596.90
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**19,668.26**	**-**	**3,84,909.08**	**82,582.40**	**-**	**3,22,530.21**
वित्तीय देनदारियां						
लीज देनदारियां			1,120.42	-	-	369.32
ट्रेड देय	-	-	41,987.75	-	-	78,994.28
सुरक्षा जमा	-	-	387.49	-	-	397.90
अन्य देय	-	-	2,005.86	-	-	1,836.34
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	**45,501.52**	-	-	**81,597.84**

नोट 34: उचित मूल्य मापन (जारी....)

(i) उचित मूल्य पदानुक्रम

इस अनुभाग में, वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए अनुमान और निर्णय शामिल हैं जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की गई है और मापा गया है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा गया है और जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने में इस्तेमाल किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को भारतीय लेखांकन मानक के अतंर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2022 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्तिय और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश	-	-	0.44	0.44
म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश	-	19,667.82	-	19,667.82
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**-**	**19,667.82**	**0.44**	**19,668.26**
31 मार्च, 2022 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्ति और देनदारियाँ	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**
वित्तीय परिसंपत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	942.88	942.88
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	15,494.33	15,494.33
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**-**	**-**	**16,437.21**	**16,437.21**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	-	-	1,903.76	1,903.76
रूसी आस्थगित क्रेडिट	-	-	942.88	942.88
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**2,846.64**	**2,846.64**
31 मार्च, 2021 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्तिय और देनदारियाँ	**स्तर 1**	**स्तर2**	**स्तर 3**	**कुल**
वित्तीय परिसंपत्ति				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र - गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश	-	-	0.44	0.44
म्युचुअल फंड में गैर-उद्धृत निवेश		82,581.96		82,581.96
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**-**	**82,581.96**	**0.44**	**82,582.40**
31 मार्च, 2021 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्ति और देनदारियाँ	**स्तर 1**	**स्तर2**	**स्तर 3**	**कुल**
वित्तीय परिसंपत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित क्रेडिट	-	-	828.70	828.70
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	17,813.74	17,813.74
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**-**	**-**	**18,642.44**	**18,642.44**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	-	-	1,126.84	1,126.84
रूसी आस्थगित क्रेडिट	-	-	828.70	828.70
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**1,955.54**	**1,955.54**

नोट 34: उचित मूल्य मापन (जारी....)

(ii) उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल्य निर्धारण तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट मूल्य निर्धारण तकनीकों में शीर्ष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण शामिल है जो छूट युक्त नकद प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है।

(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसपंत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक के अनुसार		31 मार्च 2021 तक के अनुसार	
	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसपंत्ति				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण	942.88	942.88	828.70	828.70
कुल वित्तीय परिसपंत्ति	**942.88**	**942.88**	**828.70**	**828.70**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओ से कांटा गया एलडी	1,903.76	1,595.70	1,126.84	1,135.84
रूसी आस्थगित ऋण	942.88	942.88	828.70	828.70
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**2,846.64**	**2,538.58**	**1,955.54**	**1,964.54**

ट्रेड प्राप्य, ट्रेड देय, नकद एवं नकद समतुल्य की वहनकारी राशियों को उनका उचित मूल्य ही माना गया है।

वित्तीय साधनों के उचित मूल्य की गणना, एक ही परिपक्वता के लिए प्रतिवेदन तिथि को भारतीय स्टेट बैंक की फंड आधारित उधार ब्याज दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) का इस्तेमाल करके छूट प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर किया गया। उन्हें प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सहित अप्रत्यक्ष इनपुट के समावेश के कारण उचित मलूय पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के वर्गीकृत किया गाय है।

नोट 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों से जुड़ी हैं: ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम (अर्थात विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम)।

इस नोट में जोखिम के उन स्रोतों का वर्णन किया गया है जो संस्था से जुड़ा रहता है और संस्था इस जोखिम को कैसे प्रबंधित करती है उसका भी वर्णन किया गया है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला अनावृत्ति	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य और वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।	बैंक जमा और ऋण सीमा का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	वित्तीय देनदारियां जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय की जाती हैं।	नकद प्रवाह का अनुमान लगाना और देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्ति के स्तर पर विचार करना।
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियां जिन्हें भारतीय रुपये (आईएनआर) में मूल्यवर्गित नहीं किया जाता हैं।	मुद्रा में उतार-चढ़ाव के लिए खरीदारों से प्रतिपूर्ति।

(क) ऋण जोखिम

ऋण जखिम वह जोखिम है जिसे प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। कंपनी पर अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य) से ऋण जोखिम का उजागर किया है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूदा जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) व्यापार प्राप्य और अनुबंध संपत्ति

ग्राहक ऋण जोखिम को कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण के आधार पर प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है। व्यापार प्राप्य, ब्याज रहित होते हैं और आम तौर पर इन पर कोई ऋण शर्त नहीं होती है। नियमित रूप से बकाया ग्राहक प्राप्यों की निगरानी की जाती है। ट्रैड प्राप्यों को मुख्य रूप से नौसेना (भारत सरकार के स्वामित्व वाली) से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऋण जोखिम को कम माना जाता है। इसके अलावा, कंपनी उन ऑर्डरों के लिए अग्रिम राशि प्राप्त करता है जो ऋण जोखिम को भी कम करता है। व्यापार प्राप्यों के वयोवृद्धि हेतु कृपया नोट 10(ख) का संदर्भ लें।

(ii) वित्तीय साधन और जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद शेष राशियों से ऋण जोखिम को कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी द्वारा प्रबंधित किया गया है। अधिशेष धनराशियों का निवेश, कंपनी की अधिशेष धनराशियों के निवेश पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। जोखिमों की सघनता को कम करने के लिए और इसलिए प्रतिपक्ष द्वारा भुगतान करने की संभावित विफलता के माध्यम से वित्तीय हानि को कम करने के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

31, मार्च 2022 और 31, मार्च 2021 के तुलन पत्र के घटकों के लिए ऋण जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम अनावरण, वहनकारी राशियाँ हैं जिन्हें नोट 6 (ख), नोट 10 (ग) और नोट 10 (घ) में दिखाया गया है।

(ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकदी या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करके निपटाए जाते हैं।

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना है और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की एक पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है। अंतर्निहित व्यवसाय की प्रकृति के कारण, कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पर्याप्त नकदी और तरल निवेशों का रखरखाव करती है।

कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना और आंतरिक एवं बाहरी नियामक आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के खिलाफ तुलन पत्र तरलता अनुपातों की निगरानी करना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका सभी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है।

तालिका में प्रदर्शित राशियाँ, अनुबंधात्मक छूट-रहित नकदी प्रवाह और उनके वहनकारी शेष के बराबर 12 महीनों के भीतर बकाया शेष राशियाँ हैं क्योंकि छूट का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है।

(लाख रू. में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 2022	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देनदारियां	41,168.83	1,735.51	42,904.34
लीज देनदारियां	146.88	973.54	1,120.42
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,393.35	-	2,393.35
कुल वित्तीय देनदारियां	**43,709.06**	**2,709.05**	**46,418.11**

(लाख रू. में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता - 31 मार्च, 2021	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देनदारियां	78,271.50	1,588.83	79,860.33
लीज देनदारियां	168.43	200.89	369.32
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,234.24	-	2,234.24
कुल वित्तीय देनदारियां	**80,674.17**	**1,789.72**	**82,463.89**

नोट 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी.)

(ग) बाजार ज़ोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

एक वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह या उचित मूल्य से संबंधित जोखिम में, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी पर विदेशी मुद्रा जोखिम का संकट मंडराता रहता है क्योंकि यह विदेशी विक्रेताओं से घटकों को आयात करती है। इसके अलावा, कंपनी अपनी कुछ पोतों को विदेशी ख़रीदारों को निर्यात करती है और उस पर, विदेशी मुद्रा लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम का संकट मंडराता रहता है। विदेशी विनिमय जोखिम, एक मुद्रा में नामांकित मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों और भावी वाणिज्यिक लेनदेनों से उत्पन्न होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (रूपये) नहीं होती है। विदेशी मुद्रा में भुगतान और आयात के खाते में बहिर्वाह काफी हद तक ख़रीदारों से प्रतिपूर्ति योग्य होता है। निर्यात के मामले में जोखिम को, अत्यंत संभावित विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान के माध्यम से मापा जाता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्स्पोसर

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति एक्सपोजर (विदेशी मुद्रा राशि को क्लोजिंग रेट से गुणा करके) इस प्रकार है:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	ईयूआर	जीबीपी	यूएसडी	ईयूआर	जीबीपी	यूएसडी
वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देनदारियों	829.02	81.75	256.19	893.17	94.89	381.09
विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए शुद्ध जोखिम	**(829.02)**	**(81.75)**	**(256.19)**	**(893.17)**	**(94.89)**	**(381.09)**

संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन में लाभ या हानि की संवेदनशीलता, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा नामांकित वित्तीय साधनों से उत्पन्न होता है।

विवरण	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
यूरो संबंधी संवेदनशीलता		
भारतीय रूपये/यूरो में 8.91% की वृद्धि (31 मार्च 2021 - 8.90 %)*	(74)	(80)
भारतीय रूपये/यूरो में 2.66% की कमी (31 मार्च 2021 - 5.52%)*	22	49
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड संबंधी संवेदनशीलता		
भारतीय रूपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 8.23 % की वृद्धि (31 मार्च 2021 - 8.23%)*	(7)	(8)
भारतीय रूपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 1.64 % की कमी (31 मार्च 2021 - 8.16%)*	1	8
यूएस डॉलर संबंधी संवेदनशीलता		
भारतीय रूपये/यूएस डॉलर में 6.61 % की वृद्धि (31 मार्च 2021 - 8.45%)*	(17)	(32)
भारतीय रूपये/यूएस डॉलर में 1.81 % की कमी (31 मार्च 2021 - 1.93%)*	5	7
*अन्य सभी परिवर्तनीय राशियों को स्थिर मानते हुए		

नोट 36: पूंजी प्रबंधन

(क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी को प्रबंधित करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित है :

- एक निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक अनुकूल पूंजी संरचना को बनाए रखना।

पूंजी संरचन को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधरकों को दिए जाने वाले लाभांश की रकम को समायोजित कर सकती है, शेयरधरकों को पूंजी लौटा सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है।

तुलन पत्र में कुल इक्विटी के अंतर्गत उल्लिखित राशि को पूंजी माना गया है।

(ख) प्रस्तावित और प्रदत्त लाभांश

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश - रु. 1.15 (31 मार्च, 2020 - रु. 1.40) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर	1,317.35	1,603.73
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश - रु. 4.95 (31 मार्च, 2021 - रु. 3.85) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर	5,670.32	4,410.25
(ii) लाभांश जिन्हें प्रतिवेदन अवधि के अंत में मान्यता प्रदान नहीं किया गया है		
उपरोक्त लाभांशों के अलावा, वर्ष के अंत के बाद से मंडल ने प्रत्येक सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर पर 0.85 रूपये (31 मार्च, 2021: 1.15 रूपये) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफ़ारिश की है। यह प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।	973.69	1,317.35

नोट 37: प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के अट्टरीबूटेबल लाभ (लाख रूपये में) जिसका उपयोग प्रति शेयर बुनियादी और मंदित आय की गणना में किया जाता है।	18,952.68	15,347.12
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए भाजक के रूप में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	11,45,52,000	11,45,52,000
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर (रूपये)	**16.55**	**13.40**

नोट 38: निगमित सामाजिक दायित्वों (सीएसआर) क्रियाकलापों पर व्यय

वर्ष के दौरान जिन विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय किया गया उनका विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रू.में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का संबंधित खंड	सीएसआर गतिविधियों का विवरण	खर्च की गई राशि
i) खंड (i)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	361.09
ii) खंड (ii)	शिक्षा को बढ़ावा देना जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल भी शामिल है	45.91
iii)खंड (iv)	गंगा को साफ करने में योगदान सहित पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना।	3.00
	कुल	**410.00**

(लाख रू.में)

विवरण		2021-22	2020-21
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि		405.50	353.72
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:			
i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य	410.00	370.00	
वर्ष के अंत में कमी	-	-	
विगत वर्षों की कुल कमी	-	-	
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	i) स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने सहित स्वास्थ्य निवारक को बढ़ावा देना ii) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन iii) दिव्यांग बच्चों के बीच विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना iv) दिव्यांग बच्चों को रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय सहित कौशल v) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान	i) स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निवारक को बढ़ावा देना ii) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन iii) दिव्यांग बच्चों के बीच विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना iv) दिव्यांग बच्चों को रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय सहित कौशल v) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में योगदान vi) आपदा प्रबंधन vii) प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर में योगदान	
प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	
वर्ष के दौरान संविदात्मक दायित्व और मूवमेंट में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान	लागू नहीं	लागू नहीं	

नोट 39 : निर्माण अनुबंध

तुलन पत्र के तारीख को, कंपनी या तो एक परिसंपत्ति के रूप में या एक देनदारी के रूप में प्रत्येक अनुबंध के लिए शुद्ध अनुबंध स्थिति की रिपोर्ट देती है। एक अनुबंध, एक परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जहां खर्च की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान), प्रगति बिलिंग से अधिक है; एक अनुबंध, एक देनदारी का प्रतिनिधित्व करता है जहां मामला ठीक विपरीत है।

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
(i) वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व	1,63,206.62	1,03,201.78
(ii) उस तिथि तक सभी अनुबंधों की प्रतिवेदन तिथि तक की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान) का कुल परिणाम	4,58,524.00	3,04,897.68
(iii) प्रगति अनुबंधों के लिए ग्राहक अग्रिमों की बकाया (सकल) राशि	934,454.18	6,88,590.90

नोट 40: रूसी (यूएसएसआर) आस्थगित राष्ट्र ऋण

रूसी संघ एवं भारत सरकार के बीच एक अंतर सरकारी करार प्रोक्योरमेंट के संबंध में रूबल में रूसी आस्थगित राष्ट्र ऋण को पुन: संरचित करने के लिए किया गया।

उक्त करार के अंतर्गत 01.04.1992 को रूबल में बकाया ऋण को 01.04.1990 तथा 01.04.1992 के बीच रुपए-रूबल विनिमय दर की विभिन्नता पर भारतीय रुपए में परिणित किया गया और विनिमय दर विभिन्नता की राशि को वर्ष 2037 तक 45 वर्षों में देय आस्थगित रुपए भुगतान व्यवस्था के अधीन भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया। इस पुनर्निर्धारित भुगतान की भी प्रतिपूर्ति भारतीय नौसेना द्वारा की जाती है। तदनुसार 31 मार्च 2022 को ऐसी राशि को विदेशी आपूर्तिकर्ता आस्थगित ऋण के रूप में रखा गया है जो कुल 942.88 लाख रुपए (छूट रहित राशि 1859.47 लाख रु.) (31 मार्च 2021 828.70 लाख रुपए) (छूट रहित राशि 1694.75 लाख) है।

नोट 41:

(क) कंपनी प्रत्येक तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सामान्य प्रैक्टिस के तौर पर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करती है। चालूवर्ष में इस प्रकार का भौतिक निरीक्षण राजाबागान डॉकयार्ड (आरबीडी), 61 पार्क यूनिट, चिकित्सा विभाग, उत्पादन योजना एवं नियंत्रण विभाग, औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं प्रक्रिया (आईई एवं पी), विक्रेता विकास विभाग,में किया जा चुका है। पाई गई विसंगतियाँ को लेखा में प्रदर्शित किया गया है।

(ख) रांची में डीजल इंजन प्लांट लगाने के लिए 62 एकड़ भूमि हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची से 1966 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के आदेश पर औद्योगीकरण ड्राइव के भाग के रूप में नि:शुल्क प्राप्त हुई थी। तब से भमि पर जीआरएसई का निर्बाध कब्जा है और उस पर स्थायी स्ट्रक्चर (टाइटल डीड एचईसी रांची के पास है) का निर्माण किया गया है। डीजल इंजन प्लांट रांची की विविध परिसंपत्तियाँ उक्त परिसर पर संस्थापित/रखी गई हैं और 31 मार्च 2022 के अनुसार इनकी बुक लागत 1138.09 लाख रु. (मुल लागत 3202.04 लाख रु.) है। उक्त भूमि पर जीआरएसई के अधिकार को नजरंदाज करते हुए तत्कालीन बिहार सरकार ने फरवरी 1996 में एचईसी के पक्ष में कन्वेएस डीड तैयार कर दी। बाद में एचईसी ने अपने दिनांक 7 अगस्त 1999 के पत्र के माध्यम से 30 वर्षों की लीज जिसकी प्रभावी तारीख 01.04.1996 से है, हेतु एकबारगी प्रीमियम के रूप में 1488 लाख रुपए और इस प्रीमियम के 10% के तौर पर 148.8 लाख रु. प्रति वर्ष वार्षिक लीज किराए के रूप में दावा किया जिसे जीआरएसई ने अस्वीकार कर दिया। एचईसी ने अप्रैल 2013 के दौरान भारत सरकार के पीएमए, डीपीई को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया और तदनुसार पीएमए के समक्ष निवेदन किया कि जीआरएसई को आगे की अवधि हेतु लीज करार, किराए और प्रीमियम के लिए निदेश दे क्योंकि उनका दावा पूर्णतया आधारहीन, फालतू और असंगत है और जीआरएसई को "अनधिकृत निवासी" आदि घोषित करें। जीआरएसई ने एचईसी के इस संदर्भ के मेंटेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के संबंध में प्रारम्भिक प्रतिरोध उठाया और दावा किया कि यह न तो तथ्यों और न ही कानून के अनुसार सस्टेनेबल है। इस मामले पर जोया हडके , एकमात्र मध्यस्थ, पीएमए को न्यायिक निर्णय करना था जिन्होंने दोनों पक्षों की सारी बातें सुनने के बाद, 30.06.2015 के आदेश के अनुसार, कहा कि पक्षों के बीच में किसी समझौते की अनपुस्थिति में, मध्यस्थ मंच के पास इस विवाद का निपटान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और एचईसी के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया। तदनुसार,मध्यस्थता मामला का निपटारा किया गया। एचईसी द्वारा कोई भी अपील दायर नहीं किया गया।

जीआरएसई ने भी मार्च 2014 में रांची स्थित सक्षम सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमा (2014 का टीएस- 117) भी दायर किया है जिसमें एचईसी और झारखंड सरकार प्रतिवादी हैं, जहां जीआरएसई ने न्यायालय से इस बात की घोषणा करने के लिए प्रार्थना की है कि जीआरएसई ने भमि कानून के अनुसार उक्त भूमि पर डीजल इंजन प्लांट को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए स्थायी लाइसेन्स तथा स्थायी आदेश नि:शुल्क प्राप्त किया है तथा जीआरएसई द्वारा भूमि के अधिकार में और वहाँ उद्योग का संचालन करने में हस्तक्षेप करने से एचईसी को रोकते हुए स्थायी निषेधाज्ञा देने का निवेदन किया है। इस मामले की सनुवाई चल रही है।

एचईसी ने जीआरएसई की डीईपी यूनिट [मामला संख्या पी.पी.अधिनियम/आरईवी/2018-01दिनांक

28.4.2018] द्वारा कब्जा की गई उक्त भूमि से 'अनधिकृत कब्जा' का आरोप लगाते हुए एचईसी

द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त संपदा अधिकारी के समक्ष सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कबजा

धारियों की बेदखली)अधिनियम 1971 के अतंर्गत एक आवेदन दायर किया है।

जीआरएसई ने माननीय झारखड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका [डब्ल्यूपी (सी) सं. 2018 के 3359] दायर की है 'घोषणा' की प्रार्थना करते हुए कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी के समक्ष संक्षिप्त कार्यवाही का रखरखाव नहीं किया गया है जिसमें जमीन के टाइटल, अधिकार, ब्याज और कब्जे से संबंधित कानून के जटिल और जटिल प्रश्न शामिल हैं और इसके अलावा रांची में सक्षम सिविल कोर्ट पहले से ही कार्रवाई के स्वयं के कारण पर मामले का न्याय कर रहा है। हाईकोर्ट ने 14.8.2018 को एचईसी को निर्देश दिया कि वह विपक्ष दायर करे और जीआरएसई को उक्त भूमि से बेदखल न करे। इस बीच, एचईसी के दृष्टिकोण पर सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए विभिन्न संभावनाओ का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, ब्याज रहित 5356.80 लाख रु. (पिछले वर्ष 5208.00 लाख रू.) की राशि ऋण के रूप में न मानते हुए आकस्मिक देयताएँ के रूप में दर्शाई गई है।

नोट 42 :

विक्रेताओ को विविध लेनदारों के खाते में 31 दिसंबर,2021 तक के शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे गए थे। कुछ विक्रेताओं से प्राप्त जवाब के आधार पर जहां आवश्यक है,लेखा में समायोजन किया गया है।

नोट 43 :

(क) कंपनी ने अपने देनदारों के संदर्भ में शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र भेजें हैं। हालांकि देनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है अतः कंपनी की राय में,शेष राशि का मूल्य वसूली योग्य है जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो,खातों में उल्लिखित राशि के बराबर है।

(ख) चूंकि ग्राहक भारतीय नौसेना और तटरक्षक हैं अतः ग्राहकों से प्राप्त राशि मुख्यत: पोत प्रभाग के संदर्भ में प्राप्त राशि है। अन्य प्रभागों के संदर्भ में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम मुख्यत: सरकारी विभागों से प्राप्त है।

नोट 44:

01.04.2019 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 116) की शुरुआत के साथ, कंपनी ने पूर्वव्यापी ट्रांजीक्शन विधि का उपयोग करते हुए इसे अपनाया है। चालू वित्त के दौरान, उपयोग के अधिकार (आरओयू) के कुल 877.37 लाख रु. की पट्टे की देयता के साथ 955.86 लाख रु. है।

भुगतान किए गए वास्तविक पट्टा किराया जिन्हें अब तक व्यय के रूप में मान्यता दी गई थी,अब पट्टा देयता में कमी के रूप में दर्ज किए गए है।

वर्ष के दौरान, 36.23 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2020-21: 133.20 लाख रुपये) और 82.12 लाख रुपये के वाहन (वित्त वर्ष 2020-21: 29.47 लाख रुपये) के पट्टा होल्ड भूमि के लिए भुगतान किए गए किराए हेतु अन्य खर्चों के तहत किराया और परिवहन शुल्क इसी पट्टा देयता के साथ समायोजित किया गया है। वित्त लागत पर 62.62 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2020-21: 39.85 लाख रुपये) के पट्टा किराया पर ब्याज नहीं देना और मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में 184.45 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2020-21: 161.16 लाख रुपये) के आरओयू एसेट का परिशोधन शामिल है।

पट्टा देनदारियों का विवरण नीचे संलग्न है: **(लाख रू.में)**

विवरण	01.04.21 तक के अनुसार	अतिरिक्त / समायोजन	ब्याज की समाप्ति	कुल नकद बहिर्वाह	31.03.22 तक के अनुसार
भूमि	338.30	324.17	36.81	36.23	663.05
वाहन	31.02	482.66	25.81	82.12	457.37
कुल	**369.32**	**806.83**	**62.62**	**118.35**	**1120.42**

बिना छूट के आधार पर परिसंपत्ति की संविदात्मक परिपक्वता का आधार: **(लाख रू.में)**

विवरण	31 मार्च, 22 तक के अनुसार	31 मार्च, 21 तक के अनुसार
1 वर्ष से कम	-	-
1 वर्ष से अधिक	1161.04	389.63
कुल	**1161.04**	**389.63**

बिना छूट के आधार पर देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता का आधार: **(लाख रू.में)**

विवरण	31 मार्च, 22 तक के अनुसार	31 मार्च, 21 तक के अनुसार
1 वर्ष से कम	176.35	113.88
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	664.35	99.47
5 वर्ष से अधिक	1998.24	1121.74

नोट 45:

कंपनी के पास उपलब्ध सूचना/दस्तावेजों के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है:

(लाख रू.में)

क्रं.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
क)	लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं की गई मूलधन राशि	228.52	99.46
ख)	लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं किए जाने पर देय ब्याज	1.33	2.58
ग)	धारा 16 के प्रावधान के अतंर्गत भुगतान की गई ब्याज की राशि सहित वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को अदा की गई राशि	-	-
घ)	भुगतान में की गई देरी की अवधि हेतु लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना बकाया एवं देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान हो चुका है किन्तु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद)	12.46	25.76
ङ)	वर्ष/अवधि के दौरान प्रोद्भूत ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में भुगतान न की गई शेष राशि	13.79	28.34
च)	आगे की ब्याज की राशि देय शेष है और आने वाले वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में भुगतान न कर दिया जाए	-	-

नोट 46 :

बैंकरों के संघ द्वारा स्वीकृत कुल निधि आधारित सीमा 11,001.00 लाख रु. (मार्च 31,2021: 10,500 लाख रु.) और गैर-निधि आधारित सीमा 4,56,500 लाख रु. (मार्च 31,2021: 3,45,500 लाख रु.) निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमाएं के मध्य विनिमेय योग्य है। उक्त सीमाएं माल और प्राप्य के मालबंधन द्वारा सुरक्षित हैं। कंपनी के पास वर्तमान में कोई फंड आधारित उपयोग नहीं है। 31 मार्च 2022 तक बैंक द्वारा दी गई गारंटी 2,74,099.33 लाख रु . है।

नोट 47: वसूली या परिसंपत्ति और देनदारियों के निपटान का प्रकटीकरण

(लाख रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक
परिसंपत्ति				
(1) गैर - चालू परिसंपत्ति				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	49,456.73	-	33,497.42
(ख)वर्तमान पूंजीगत कार्य	965.98	-	15,129.72	-
(ग) अमूर्त परिसंपत्ति	-	608.69	-	522.86
(घ) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) निवेश	-	0.44	-	0.44

विवरण	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	1,14,126.63	-	69,455.90
(ङ) गैर-वर्तमान कर परिसंपत्ति	-	15,393.76	-	11,714.77
(च) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति	-	10.78	-	254.30
(2) चालू परिसपंत्ति				
(क) वस्तु सूचियाँ	1,17,226.80	-	78,787.45	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) चालू निवेश	19,667.82	-	82,581.96	-
(ii) व्यापार प्राप्य	15,494.33	-	17,813.74	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	971.26	-	932.05	-
(iv)उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक बेलेंस	2,54,802.63	-	2,27,185.14	-
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	12,751.30	-	14,380.03	-
(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	1,62,036.32	-	1,26,021.92	-
(घ) बिक्री के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति	45.87	-	43.39	-
देनदारियाँ				
(1)गैर-वर्तमान देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
(i) लीज देनदारियाँ	-	973.54	-	200.89
(ii) व्यापार देयताएँ	-	818.92	-	722.78
(ख) प्रावधान	-	8,907.43	-	8,286.66
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	-	1,078.13	-	550.87
(2) वर्तमान देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
(i) लीज देनदारियाँ	146.88	-	168.43	-
(ii) व्यापार देयताएँ				
(क) सुक्ष्म और लघू उद्धमों का कुल बकाया	228.52	-	95.36	-
(ख) सुक्ष्म और लघू उद्धमों के अलावा कुल बकाया	40,940.31	-	78,176.14	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	2,393.35	-	2,234.24	-
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	5,65,676.92	-	4,57,982.07	-
(ग) प्रावधान	16,606.27	-	16,191.89	-

नोट 48 :

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों की तैयारी में, कंपनी ने इन परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक प्रबंधन को ज्ञात कोविड-19 के संभावित प्रभाव और संबंधित आंतरिक और बाहरी कारकों को ध्यान में रखा है। तदनुसार, प्रबंधन लगातार और बारीकी से विकास और संभावित प्रभावों की निगरानी कर रहा है जो कोविड-19 महामारी से उसकी वित्तीय स्थिति, तरलता और संचालन पर हो सकता है और इस अभूतपूर्व स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

नोट 49 :

असाधारण मद

सरकार के निर्देशों के अनुसार कोविड-19 महामारी की तत्कालीन दूसरी लहर के कारण मई 2021 के मध्य से कंपनी लगभग बंद हो गई थी। अपेक्षित एहतियात के साथ लगभग एक महीने के बाद परिचालन आंशिक रूप से फिर से शुरू हुआ, जिससे कंपनी के राजस्व और वित्तीय प्रदर्शन पर असर पड़ा है। प्रबंधन लगातार और बारीकी से विकास और संभावित प्रभावों की निगरानी कर रहा है जो वर्तमान महामारी से उसकी वित्तीय स्थिति, तरलता और संचालन पर हो सकता है और इस अभूतपूर्व स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तदनुसार, लॉकडाउन अवधि के दौरान उत्पादन विभाग के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रचालकों, कार्यालय सहायकों और उत्पादन विभाग के संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास की मैनपावर लागत को असाधारण मद के तहत व्यय माना गया है।

(लाख रू.में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च, 22	**31 मार्च, 21**
कर्मचारी लागत	709.95	1920.22
मूल्यह्रांस	58.59	154.72
कुल	**768.54**	**2074.94**

नोट 50 :

यार्ड 3020, परियोजना 28 का चौथा और अंतिम अप्रैल 2015 की संविदात्मक डिलीवरी के मुकाबले 18 फरवरी, 2020 को भारतीय नौसेना को डिलीवर किया गया था। पिछले पोतों की देरी के व्यापक प्रभाव और कंपनी के नियंत्रण से परे होने के कारण पोत की संविदात्मक डिलीवरी की तारीख का पालन नहीं किया जा सका।

पोत की डिलीवरी के बाद,कंपनी ने अनुबंध की डिलीवरी की तारीख बढ़ाने के लिए ग्राहक के ऑनसाइट प्रतिनिधि यानी भारतीय नौसेना को वॉरशिप ओवरसीइंग टीम, कोलकाता को अपना मामला प्रस्तुत किया।

युद्धपोत निगरानी दल ने अपनी सिफारिश की है जिसके तहत कंपनी को पोत की लागत के 1.467% के बराबर 1 महीने और 14 दिनों की देरी के लिए जवाबदेह बनाया गया है।

इस परियोजना के लिए लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुस्तकों में 2183.51 लाख रुपये की राशि परिसमापन हर्जाना देने का समकक्ष प्रावधान किया है।

एलडी मामले को पहले ही रक्षा मंत्रालय अधिग्रहण द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। सुपुर्दगी की तारीख बढ़ाने के लिए अनुबंध में संशोधन रक्षा मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है।

नोट 51 :

अचल संपत्तियों का अधिकार डीड कंपनी के नाम पर नहीं है / संयुक्त रूप से है

बैलेंस शीट से मिलता जुलता मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	डीड के नाम पर किए गए अधिकार	यद्यपि टाइटल डीड धारक, प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक / निदेशक के रिश्तेदार हों या प्रमोटर/डायरेक्टर के कर्मचारी हों।	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	इमारत	95.96 लाख रू	मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व। (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा)	लागू नहीं	15.06.1998	मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व। (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा शेयर)

नोट 52:

अनुपात	न्यूमीरेटर	डेनोमीरेटर	31 मार्च, 22 तक के अनुसार	31 मार्च, 21 तक के अनुसार	भिन्नता का %	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात (समय से)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान में देनदारियां	0.93	0.99	- 6%	
ऋण इक्विटी अनुपात (समय से)	ऋण	इक्विटि	0.008	0.002	300%	केओपीटी से कंपनी के लिए संपत्तियों की पट्टा होल्डिंग्स में वृद्धि के कारण चालू वर्ष का ऋण काफी बढ़ गया।
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात (समय से)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (पीएटी, मूल्यह्रास और ब्याज)	ऋण सेवा (ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकाना)	116.04	79.37	46%	चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ पट्टा समझौतों की समाप्ति के कारण पट्टों का शुद्ध प्रमुख घटक तुलनात्मक रूप से कम हो गया।
इक्विटि से रिटर्न %	कर पश्चात लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	शेयरधारक की औसत इक्विटी	16%	14%	14%	
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय से)	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	1.68	1.79	- 6%	

अनुपात	न्यूमीरेटर	डेनोमीरेटर	31 मार्च, 22 तक के अनुसार	31 मार्च, 21 तक के अनुसार	भिन्नता का %	भिन्नता का कारण
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय से)	क्रेडिट बिक्री	औसत व्यापार प्राप्तियां	10.55	3.20	230%	वित्त वर्ष 20-21 के दौरान फरवरी, 2020 में यार्ड 3020 के सुपुर्दगी पर 31.03.2020 तक बकाया। कुल लगभग 320 करोड रू. की वसूली (280 करोड़ रू. यार्ड 3020 हेतु और अन्य पोतों से संबंधित शेष)
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय से)	क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	2.20	1.24	77%	पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर में 54% की वृद्धि हुई जहां व्यापार देय में 47% की कमी है।
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	-4.09	-16.06	75%	पिछले वर्ष की तुलना में कारोबार में 54% की वृद्धि के साथ, अनुपात में सुधार हुआ है
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	पीएटी	परिचालन से राजस्व	11%	13%	- 15%	
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ईबीआईटी	नियोजित पूंजी	20%	18%	12%	
निवेश पर रिटर्न (%)	निवेशित फंड से आय	औसत निवेश	4%	5%	- 20%	

नोट 53:

कंपनियों के साथ संबंध

(लाख में)

संबंधित कंपनी का नाम	संबंधित कंपनी के साथ लेन-देन की स्वरूप	31 मार्च, 2022 तक के अनुसार बकाया राशि	कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, खुलासा किया जाना है	31 मार्च, 2021 तक के अनुसार बकाया शेष	कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, खुलासा किया जाना है
सिम्पैक मरीन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	1.80	विक्रेता	1.80	विक्रेता
पियर्ल फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड	देय	1.42	विक्रेता	1.42	विक्रेता
एल्विन मरीन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.94	विक्रेता	0.94	विक्रेता
इल्का मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.31	विक्रेता	0.31	विक्रेता
हैलकॉन फ्रेंड्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	विक्रेता	0.01	विक्रेता

नोट 54:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुन: समूहित/पुन: व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष के लिए राशियों और अन्य खुलासे को चालू वर्ष के वित्तीय विवरण के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है और वर्तमान वर्ष से संबंधित राशियों और अन्य प्रकटीकरणों के संबंध में पढ़ा जाना है।

नोट 55:

निदेशक मंडल द्वारा 25 मई 2022 को वित्तीय विवरणों को जारी करने की अनमुति दी गई थी।

सहनोट्स 1 से 55 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते मुखर्जी बिस्वास एवं पाठक
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 301138ई
हस्ता./-
(सीए. सुदर्शन मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. - 059159

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 25 मई, 2022

कृते निदेशक मण्डल
हस्ता./-
कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (स्थानापन्न)
डीआईएन - 08591411
हस्ता./-
आर.के.दाश
निदेशक (वित्त)एवं सीएफ़ओ
डीआईएन - 08511344
हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव
ए सी एस. 10992

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :जीआरएसई भवन,61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता -700024
फोन : (033)-24698105-108, फैक्स : (033)-24698150
वेबसाइट : www.grse.in ई-मेल : co.sec@grse.co.in
सीआईएन : L35111WB1934GOI007891

106वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यावसायिक गतिविधियों के संव्यवहार हेतु **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** की 106वीं वार्षिक आम बैठक **सोमवार, 26 सितंबर, 2022** को 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यवसाय:

(1) 31 मार्च,2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और उनको अंगीकार करना।

(2) वित्तीय वर्ष 2021-22 (अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर के लिए रु. 5.80 का कुल लाभांश) के लिए प्रति इक्विटी शेयर के भुगतान के लिए रु.4.95 का अन्तरिम लाभांश अनुमोदित करना और प्रति इक्विटी शेयर रु. 0.85 का अंतिम लाभांश घोषित करना।

(3) श्री रमेश कुमार दाश (डीआईएन: 08511344) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव कर रहे।

(4) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी की आम बैठक में लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा या इसका निर्धारण इस प्रकार से किया जाए जैसा कि कंपनी अपनी आम बैठक में उचित समझे. इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सदस्य वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत कर सकते हैं।

विशेष व्यवसाय:

(5) 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए और इस पर विचार करने के लिए और उचित पाए जाने पर, साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित किए जाएं:

"यह संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (किसी भी सांविधिक संशोधन (तत्संबंधी) अथवा पुनाधिनियमन को शामिल करते हुए) के अनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त मेसर्स चटर्जी एंड कंपनी, पूर्वोक्त लेखा-परीक्षक को इस संबंध में किए गए खर्चों के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेन्स और लागू कर सहित रु. 58,000/- का भुगतान किए जाने की पुष्टि की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने और इस तरह के अन्य कार्यों को करने और इस संबंध में आवश्यक, उचित और समीचीन कदम उठाने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया और एतदद्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।"

बोर्ड के आदेशानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. ACS 10992

दिनांक : 11 अगस्त 2022
स्थान : कोलकाता

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार, नोटिस के साथ मद संख्या 5 के अंतर्गत कारोबार के संबंध में विभिन्न भौतिक तथ्यों के समाधान के लिए व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है। 26 जुलाई , 2021 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने यह माना कि मद संख्या 5 के तहत विशेष व्यवसाय को अपरिहार्य माना जा रहा है, जिसे कंपनी के 105 वें वार्षिक आम बैठक में संव्यवहार किया जाना चाहिए।

2. कोविड-19 महामारी के दौर के मद्देनजर, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र (ओं) संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र (ओं) संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) ने कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। उक्त परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम) के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की 106वीं एजीएम वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 106वीं एजीएम के लिए स्थान जीआरएसई भवन, 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024 में स्थित कंपनी का पंजीकृत और निगमित कार्यालय होगा।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है तथा प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, एजीएम में सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी एवं अत: इस सूचना के साथ एजीएम का प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप संलग्न नहीं हैं। हालाँकि संस्थागत / कॉरपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने और ई-वोटिंग के माध्यम से कंपनी को **Investor.grievance@grse.co.in** पर मतदान करने के लिए वे अपने बोर्ड या गवेर्निंग बॉडी के संकल्प/ प्राधिकरण की स्कैन कॉपी को प्रेषित करें।

4. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में सहभागिता और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में सहभागिता करने की प्रक्रिया को इस नोटिस में विस्तार से समझाया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट www.grse.co.in पर भी उपलब्ध है।

5. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के संदर्भ में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा जारी सामान्य बैठकें (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्र और सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09 दिसंबर, 2020, के साथ पठित सेबी लिस्टिंग विनियमन के नियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविध प्रदान कर रही है और एजीएम के दौरान इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के लिए ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के सुविधा उपलब्ध करा रही है।

6. कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स ए के लेभ एंड कं, कंपनी के सेक्रेटरी श्री ए के लेभ को स्क्रूटिनीज़र के रूप में कार्य करने और पूरी ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफ़सीएस: 4848 / सीपी सं .: 3238) के रूप में नियुक्त किया है।

7. शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार **सोमवार**, **19 सितंबर, 2022 ("रिकॉर्ड तिथि")** की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।एजीएम के दौरान केवल वे सदस्य जिनका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी (एनएसडीएल / सीडीएसएल) द्वारा बनाए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में प्रदर्शित होगा वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकेंगे। कट-ऑफ तारीख के अनुसार जो व्यक्ति एजीएम के सदस्य नहीं है, वे तदनुसार कृपया इस नोटिस को सूचना प्रयोजनों के रूप में देखें।

8. सदस्य किसी भी स्थान (दूरस्थ ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर अपना वोट डाल सकते हैं. दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि **बुधवार**, **21 सितंबर, 2022** को **सुबह 9** बजे से शुरू होगी और **रविवार, 25 सितंबर, 2022** को **शाम 5.00** बजे समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में वोट बदलने की अनुमति नहीं

दी जाएगी । इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा भी एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी । एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होंगे. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, हालांकि, वे बैठक में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे । भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी द्वारा एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से **https://www.evoting.nsdl.com/** पर दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करें ।

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस में दिए गए निर्देशों को **"ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश"** पर क्लिक करके पढ़ें ।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के पास अदत्त लाभांश खाते में पड़े किसी भी पैसे का दावा करें क्योंकि कंपनी खाते में पड़े ऐसे पैसे जिनका दावा अथवा भुगतान हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक नहीं किया गया है, ऐसे पैसे को कंपनी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष खाते में जमा करने के लिए बाध्य है । अदत्त/ दावारहित लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध है ।

11. वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ 106वीं एजीएम का यह नोटिस सभी शेयरधारकों को भेजा जा रहा है, जिनका नाम 26 अगस्त, 2022 को डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/ सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभ अर्जित करने वाले मालिकों के रजिस्टर में है ।

12. इस 106वीं एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को कंपनी की वेबसाइट www.grse.in और एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी अपलोड किया जा रहा है । नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को क्रमशः दोनो स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है ।

13. अपेक्षित संख्या में वोटों की प्राप्ति के अधीन, एजीएम के समापन से दो दिन के भीतर ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे और संकल्पों को एजीएम की तारीख को पारित किया जाएगा । संवीक्षकों की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर 'इनवेस्टर्स कॉर्नर' के अंतर्गत रखा जाएगा । मतदान के परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध और जमा किए गई हैं, और इसकी जानकारी एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी ।

14. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति (कोरम) की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा ।

15. सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 40, यथा संशोधित, यह अधिदेशित करता है कि सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का भौतिक रूप में स्थानांतरण, पारेषण और स्थानान्तरण केवल डीमैट मोड में प्रभावी होगा। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/ सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध कंपनियां, तत्काल प्रभाव से, निवेशक से संबंधित सेवा डुप्लिकेट शेयर जारी करने, शेयरों के आदान-प्रदान, पृष्ठांकन, उप-विभाजन / शेयर प्रमाणपत्रों के समेकन आदि से संबंधित अनुरोध को संसाधित करते समय केवल डीमैट मोड में प्रतिभूतियां जारी करेंगी। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन को सरल बनाने के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें ।

16. उपर्युक्त नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, इस संबंध में कृपया अपना अनुरोध investor.grievance@grse.co.in पर भेजें।

17. एजीएम के दौरान, सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पोर्टल पर जाकर एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर लॉग-इन करके अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता देख सकते हैं, इसके साथ ही वे अधिनियम की धारा 189 और अन्य संबंधित दस्तावेजों के अनुसार निदेशकों की रुचि के अनुरूप उनके करार रजिस्टरों और इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं को भी देख सकते हैं ।

18. एजीएम में नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों के संबंध में आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और सेबी सूचीकरण विनियमों के नियम 36(3) में अपेक्षित विवरण इस नोटिस के साथ अनुबंध के रूप में दिए गए हैं । नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों से आवश्यक घोषणाएँ प्राप्त की गई हैं ।

19. लाभांश सहित किसी भी प्रकार के प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभी तरह के पत्राचार कंपनी / आरटीए को investor.grievance@grse.co.in /rta@alankit.com पर भेजें ।

लाभांश संबंधी सूचना

1. यदि एजीएम में लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसका भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर केवल उन्हीं सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम रिकॉर्ड की गई तिथि के अनुसार लाभकारी मालिकों/ सदस्यों की सूची में शामिल हैं।

2. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। डिवेडेंट वारंट/ डिमांड ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएँगे जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

3. डिमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि सदस्यों के डीमैट खाते रखने वाले संबंधित डिपॉजिटरी पार्टीसीपेंट्स के साथ पंजीकृत उनके बैंक विवरण में कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाएगा। कंपनी अथवा उसके रजिस्ट्रार डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से बैंक में किसी भी परिवर्तन के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह के बदलाव केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किए जाने हैं, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को तुरंत अपने पते और/ या बैंक अध्यादेश में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत दें।

4. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते में परिवर्तन और/ अथवा बैंक अध्यादेश में हुए परिवर्तन की सूचना मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट को rta@alankit.com पर ईमेल से दें अथवा कंपनी के कंपनी सचिव को investor.grievance@grse.co.in पर संपर्क करें।

5. वित्त अधिनियम, 2020 की आवश्यकता के अनुसार, लाभांश आय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटने की आवश्यकता है। टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी को पूरा करें और/ या अपडेट करें। यदि किसी व्यक्तिगत शेयरधारकों को किया गया कुल लाभांश 5000 रु. से अधिक न हो तो लाभांश के भुगतान पर कोई कर नहीं काटा जाएगा। कंपनी के साथ पंजीकृत दस्तावेजों और शेयरधारक की आवासीय स्थिति के आधार पर कर की दर अलग-अलग होगी।

ए रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स

क. निवासी शेयरधारकों के लिए स्रोत पर कर की कटौती

क्र सं	विवरण	विधारित कर दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	वैध पैन कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अपडेट किया गया	10%	कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है)
2	कोई पैन/ वैध पैन कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अपडेट नहीं किया गया	20%	कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है) यदि शेयरधारक का पैन अपडेट/कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो लाभांश राशि की परवाह किए बिना टीडीएस/विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा।
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अनुसार निम्न/ शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में दर विनिर्दिष्ट	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त कर कटौती प्रमाणपत्र

* वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार, धारा 206एबी को 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी रूप से सम्मिलित किया गया है, जिसमें कर की उच्च दर (निर्दिष्ट दर से दोगुना) एक शेयरधारक को किए गए भुगतान पर लागू होगी, जिसे पूर्वोक्त धारा के प्रावधानों के तहत परिभाषित के रूप में 'निर्दिष्ट व्यक्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया।

ख. रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स को लाभांश भुगतान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि शेयरहोल्डर्स कंपनी/आरटीए के साथ नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित दस्तावेजों को प्रस्तुत और पंजीकृत करते हैं।

क्र सं	विवरण	विधारित कर दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	फॉर्म 15जी/ 15एच प्रस्तुत करना	शून्य	कुछ शर्तों को पूरा करते हुए फॉर्म नंबर 15 जी में घोषणा (किसी कंपनी या किसी फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर लागू) / फॉर्म 15 एच (60 वर्ष और उससे अधिक के किसी व्यक्ति के लिए लागू)
2	वैसे शेयरधारक, जिनपर आयकर, 1961 की धारा 194 लागू नहीं है, जैसे एलआईसी, जीआईसी, आदि।	शून्य	उक्त प्रावधान लागू न होने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1926 के तहत शामिल शेयरधारक जैसे सरकार, आरबीआई, केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम और म्यूचुअल फंड	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत कवरेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य
4	वैकल्पिक निवेश निधि – श्रेणी-I और II	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 ए (1 एफ) के तहत लाभ का दावा करने के लिए सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र
5	• मान्यता प्राप्त भविष्य निधि • अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि • अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि	शून्य	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य
6	राष्ट्रीय पेंशन योजना	शून्य	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए (1ई) के अनुसार कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.
7.	किसी भी निवासी शेयरधारक को आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून या अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट मिली है	शून्य	टीडीएस की कटौती से छूट की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य

बी नॉन रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स :

नॉन रेसिडेंट शेयरधारकों को लाभांश भुगतान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि नॉन रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स कंपनी/आरटीए के साथ नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित दस्तावेजों को प्रस्तुत और पंजीकृत करते हैं।

क्रम सं.	विवरण	विधारित कर दर	आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो)
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई)	20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर)	एफपीआई पंजीकरण संख्या / प्रमाण पत्र।
2	अन्य नॉन रेसिडेंट शेयरधारकों	20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर) या कर संधि दर जो भी लाभदायक हो	कर दस्तावेजों के बाद कर संधि के लाभकारी दर का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होगा: i) लाभांश प्राप्त करने वाले वर्ष के लिए शेयरधारक के निवास देश के राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कर निवास प्रमाण पत्र ii) एक निर्दिष्ट प्रारूप में आयकर नियम, 1962 के नियम 37बीसी के अनुसार पैन घोषणा। iii) विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 10एफ़ iv) भारत में स्थायी स्थापना/स्थिर आधार के न होने की स्व-घोषणा। v) नॉन रेसिडेंट शेयरधारक द्वारा लाभकारी स्वामित्व की स्व-घोषणा। (नोट: लाभकारी कर संधि दर का आवेदन नॉन रेसिडेंट शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता पर निर्भर करेगा और कंपनी की संतुष्टि की समीक्षा करेगा)

3	एक विदेशी बैंक की भारतीय शाखा	शून्य	आयकर प्राधिकरण से न्यून कर कटौती प्रमाणपत्र धारा 195 (3) के अंतर्गत स्व-घोषणा की पुष्टि करता है कि आय अपने खाते पर प्राप्त की जाती है, विदेशी बैंक की ओर से नहीं और इसे भारत में शाखा की कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा।
4	आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के अंतर्गत जारी किए गए न्यून/ शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त न्यून कर कटौती प्रमाणपत्र
5.	किसी भी अनिवासी शेयरधारक को आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम 1947, आदि के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट दी गई है।	शून्य	टीडीएस कटौती से छूट की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य

* वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार, धारा 206एबी को 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी रूप से सम्मिलित किया गया है, जिसमें कर की उच्च दर (निर्दिष्ट दर से दोगुना) एक शेयरधारक को किए गए भुगतान पर लागू होगी, जिसे पूर्वोक्त धारा के प्रावधानों के तहत परिभाषित के रूप में 'निर्दिष्ट व्यक्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया। तथापि, यदि नॉन रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स अथवा नॉन रेसिडेंट विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई)/विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) है यदि ऐसे नॉन रेसिडेंट का भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है तो धारा 206एबी में उल्लिखित कर की उच्च दर लागू नहीं होगी।

6. लागू उचित टीडीएस/ कर योग्य दर निर्धारित करने हेतु हमें सक्षम बनाने के लिए, हम आपसे पूर्वोक्त विवरण / दस्तावेज 23 सितंबर 2022 तक या उससे पहले उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करते है। 23 सितंबर 2022 के बाद प्राप्त पूर्वोक्त विवरण / दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि टीडीएस दर कंपनी द्वारा रिकॉर्ड तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी/आरटीए के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेज में उपलब्ध शेयरहोल्डर विवरण के आवश्यक सत्यापन के अधीन है।

7. यदि ऊपर उल्लिखित विवरण/दस्तावेजों, के अभाव में आपसे, उच्च दर पर टीडीएस काट लिया जाता है तो शेयरधारक के लिए एक विकल्प यह भी उपलब्ध है की आय का रिटर्न फाइल करें और यदि पात्र है तो रिटर्न का उचित दावा करें।

8. कंपनी उक्त लाभांश के टीडीएस प्रमाणपत्र की सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था अपने शेयरधारकों को कंपनी/ आरटीए पोस्ट भुगतान के साथ पंजीकृत ईमेल के माध्यम से करेगी। शेयरधारक आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in (फॉर्म 26एएस देखें) से टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

9. सदस्य के द्वारा दी गई किसी भी गलत विवरण, जानकारी की अयोग्यता, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर माँग (ब्याज, जुर्माने आदि) की स्थिति में, ऐसे सदस्य / सदस्यों कंपनी की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और सभी सूचनाओं / दस्तावेजों और किसी भी अपीलीय कार्यवाही में कंपनी का सहयोग करेंगे।

10. यह संचार संपूर्ण नहीं है और लाभांश भुगतान के मामले में संपूर्ण विश्लेषण या सभी संभावित कर परिणामों की सूची के लिए नहीं है। शेयरधारकों को अपने कर सलाहकारों से अपेक्षित कार्रवाई के लिए सलाह लेनी चाहिए।

वार्षिक रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच हेतु और वार्षिक रिपोर्ट के प्रति की प्राप्ति के लिए ईमेल आईडी की पंजीकरण की प्रक्रिया एवं यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोक्यूरिंग

1. एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ 106 वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है।

2. भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को कंपनी में **investor.grievance@grse.co.in** पर लिखकर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम और पता का उल्लेख करते हुए शेयर सर्टिफिकेट (सामने और पीछे) की स्कैन प्रति, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में अन्य किसी दस्तावेज़ (जैसे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-प्रमाणित प्रति अद्यतित करें। डीमैटरीकृत मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16-अंकों की लाभार्थी आईडी),

नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन और किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति (उदाहरण के लिए: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) **investor.grievance@grse.co.in** को प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप नीचे चरण 1 (I) में बताई गई अर्थात ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि का संदर्भ लें।

3. ई-मेल पते को पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न/कठिनाई के मामले में, सदस्य **Investor.grievance@grse.co.in** को लिख सकते हैं।

एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **'एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच'** के लिए नीचे उल्लिखित निम्नलिखित चरणों तक पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने **"ज्वाइन मीटिंग"** मेनू के तहत "वीसी/ओवीएएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन जनरल मीटिंग के तहत दिए गए वीसी/ओवीएएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयर होल्डिंग वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक, संवीक्षक, आदि शामिल नहीं होंगे। इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, सदस्यों को कैमरा की अनुमति देने और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए इंटरनेट की अच्छी गति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के उक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

5. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, अतः एजीएम की कार्यवाही का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए, वैसे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं, अपने नाम डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर 21 सितंबर, 2022, बुधवार को 5 बजे के दौरान अनुरोध भेज सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है वे अग्रिम में अपने विचार/प्रश्न अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर भेज सकते हैं बुधवार, 21 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे तक कंपनी द्वारा प्राप्त प्रश्नों/प्रश्नों पर केवल एजीएम के दौरान विचार किया जाएगा और उनका उत्तर दिया जाएगा।

6. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।जब एक पूर्व-पंजीकृत स्पीकर को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है, तो अगले स्पीकर को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे एक वीडियो/कैमरा वाले डिवाइस से अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ कनेक्ट हो जाएं। आगे, कंपनी एजीएम के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त प्रश्नों और बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखती है। समय को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वक्ता से अनुरोध है कि वह अपने आवंटित समय के 2-3 मिनट में अपने/अपनी विचार व्यक्त करें।

7. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या 1800 1020 990/1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश

सेबी लिस्टिंग विनियम और धारा 108 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के विनियमन 44 के अनुपालन में , समय-समय पर संशोधित संबंधित नियमों के साथ, कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु प्रसन्न है, जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाया जा सके । कंपनी ने अपने सभी शेयरहोल्डर्स को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं ।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का विवरण यहां नीचे दिया गया है। इसके अलावा, एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच:

I. **डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि**

"सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा" पर सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ मेंटेन किए उनके डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. मौजूदा **आईडीईएएस** उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जा सकते हैं। https://eservices.nsdl.com या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-सर्विसेज होम पेज पर **"लॉगिन"** के तहत **"बेनिफिशियल ओनर"** आइकन पर क्लिक करें, जो '**आईडीएएस**' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत **"एक्सेस टू ई-वोटिंग"** पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.comपरउपलब्धहै।"**आईडीईएएसपोर्टलकेलिएऑनलाइनपंजीकरण**"चुनेंया https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

	4. शेयरधारक / सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "**एनएसडीएल स्पीड**" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईज़ी/ईज़ीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें। 2. ईज़ी/ईज़ीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेन्यू में **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए **एनएसडीएल** पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी **एनएसडीएल** के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल जाएं विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जिन्हें डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता की आवश्यकता है, वे नीचे दिए गए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

II. ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ईसर्विस विचारों के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा विचारो को https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरों को धारण करने का तरीका डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी यूजर आईडी है:
1) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए: यदि आपकी डीपी आईडी 300 **** है और क्लाइंट आईडी 12 ****** है तो आपकी यूजर आईडी 300 ****12 ***** में है।
2) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए: अगर आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी यूजर आईडी 12********** है
3) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद ईवन नंबर उदाहरण के लिए: अगर फोलियो नंबर 001*** है और ईवन नंबर 101456 है तो आपकी यूजर आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड 'प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपके ई-मेल आईडी पर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको भेजा जाता है। एनएसडीएल से आपके भेजे गए ई-मेल को अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट यानी पीडीएफ़ फ़ाइल खोलें । पीडीएफ़ फ़ाइल खोलें । एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए सीएसडीएल खाते या फ़ोलियो नंबर के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में ऊपर वर्णित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त करने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क) " उपयोगकर्ता का विवरण / पासवर्ड भूलगए " (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) पर क्लिक करें,विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ख) "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी दो विकल्पों में से पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं ।

घ) आप एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" पर सहमति दें ।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें

I. इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर एजीएम में शामिल कैसे हों ?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप सभी कंपनियों के "ईवीएन" देख पाएंगे । जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. उस कंपनी का "ईवीएन" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको " जॉइन जनरल मीटिंग" के तहत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल चुका है।

4. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "सबमिट करें" और "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता होती है, जिसमें विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (कर्ताओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर हैं जो evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ evoting@grse.co.in पर ई-मेल द्वारा स्क्रूटाइजर को वोट करने के लिए प्राधिकृत हैं । संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने बोर्ड के संकल्प / मुख्तारनामा / प्राधिकरण पत्र आदि को "ई-वोटिंग" टैब के लॉग इन तहत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं।

2. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रकट होता है, वोट देने का हकदार होगा।

3. भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक ऐसे व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं और कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट ऑफ तिथि अर्थात 26 अगस्त 2022 के अनुसार शेयरों को धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in अथवा आरटीए को उनके ईमेल आईडी rta@alankit.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं । हालाँकि, यदि आप दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध " भूल गए उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड " या " भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड " विकल्प का उपयोग करके अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं और कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट ऑफ तिथि अर्थात 26 अगस्त 2022 के अनुसार शेयरों को धारित करते हैं, वे ऊपर "चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच" के अंतर्गत बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

4. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। इस तरह की घटना में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता जानकारी भूलगए/ पासवर्ड?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड करें?" से विकल्प का उपयोग करना होगा।

5. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं, जो कि शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे वरिष्ठ प्रबंधक, evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें। सदस्य कंपनी के सचिव को कंपनी के ईमेल पते evoting@grse.co.in पर भी लिख सकते हैं।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु उम्मीदवारों के लिए निर्देश

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाले हैं
3. और अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
4. जिन सदस्यों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ एजीएम से पहले या के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है , वे " नीचे ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश और/या शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश" अनुभाग के तहत उपरोक्त व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

आइटम नंबर (5)

कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षक समिति के सिफ़ारिश पर उपरोक्त लेखा परीक्षा हेतु लागत लेखा परीक्षक के रूप में 58,000/- रु कर सहित और ऑफ पॉकेट खर्चों के लेखापरीक्षा शुल्क पर कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए मैसर्स चटर्जी एंड कंपनी, लागत लेखाकार की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया है।

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए मंद सं.5 पर एक साधारण संकल्प पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी गई हैं।

सूचना की मंद सं. (5) में निर्धारित संकल्प में आर्थिक या अन्य रूप से, कोई भी निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, संबंधित या इच्छुक नहीं है।

शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सूचना की मंद सं.(5) में मंडल द्वारा सामान्य संकल्प की सिफारिश की गई है।

बोर्ड के आदेशानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता / -
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. एसीएस 10992

दिनांक : 11 अगस्त, 2022
स्थान: कोलकाता

अनुलंग्नक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और सचिवीय मानक-2 के विनियम 36 (3) के तहत आवश्यकतानुसार 106वीं एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत होने वाले निदेशकों के बारे में अतिरिक्त जानकारी/ नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इस प्रकार है:

श्री रमेश कुमार दाश (डीआईएन: 08511344)

जन्म तिथि	02 मई 1965
नियुक्ति की तिथि	01 जुलाई 2020
योग्यता	• मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.सीओएम) • एसोसियट लागत लेखाकार (एसीएमए) • विधि में स्नातक (एलएलबी)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता	श्री रमेश कुमार दाश को 01 जुलाई 2022 से प्रभावी कंपनी के निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें वित्त,लेखा,मुल्य निर्धारण, बजट, कराधान और लेखा परीक्षा कार्यों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इसके अलावा जीआरएसई से पूर्व श्री आर के दाश हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ कार्य कर रहें थे और मैसर्स हैलबिट एवियोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर (एचएएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) में 25 जुलाई 2019 से 17 मई 2020 तक बोर्ड में नामित निदेशक भी थे।
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनमें व्यक्ति निदेशक और बौर्ड की समितियों की सदस्यता भी रखता है।	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
पिछले तीन वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा	शून्य
सभी सूचीबद्ध कंपनियों में समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड • लेखा परीक्षा समिति – स्थायी विशेष आमंत्रित • सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी कमेटी – सदस्य • हितधारक संबंध समिति – सदस्य • जोखिम प्रबंधन समिति – सदस्य • प्रोक्यूमेंट समिति – सदस्य
अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद	शून्य
अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य
नियम और शर्तें	कंपनी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को नियुत्त करने की शक्ति और ऐसी नियुत्ति के नियम और शर्तें, भारत सरकार के पास निहित हैं।
नियुक्ति की तारिख से बोर्ड की बैठकों की संख्या	16
अन्य निदेशको / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ संबंध	शून्य
कंपनी में धारित शेयरो की संख्या (स्वयं और एक लाभाकारी मालिक के रूप) में	शून्य

टिप्पणियाँ

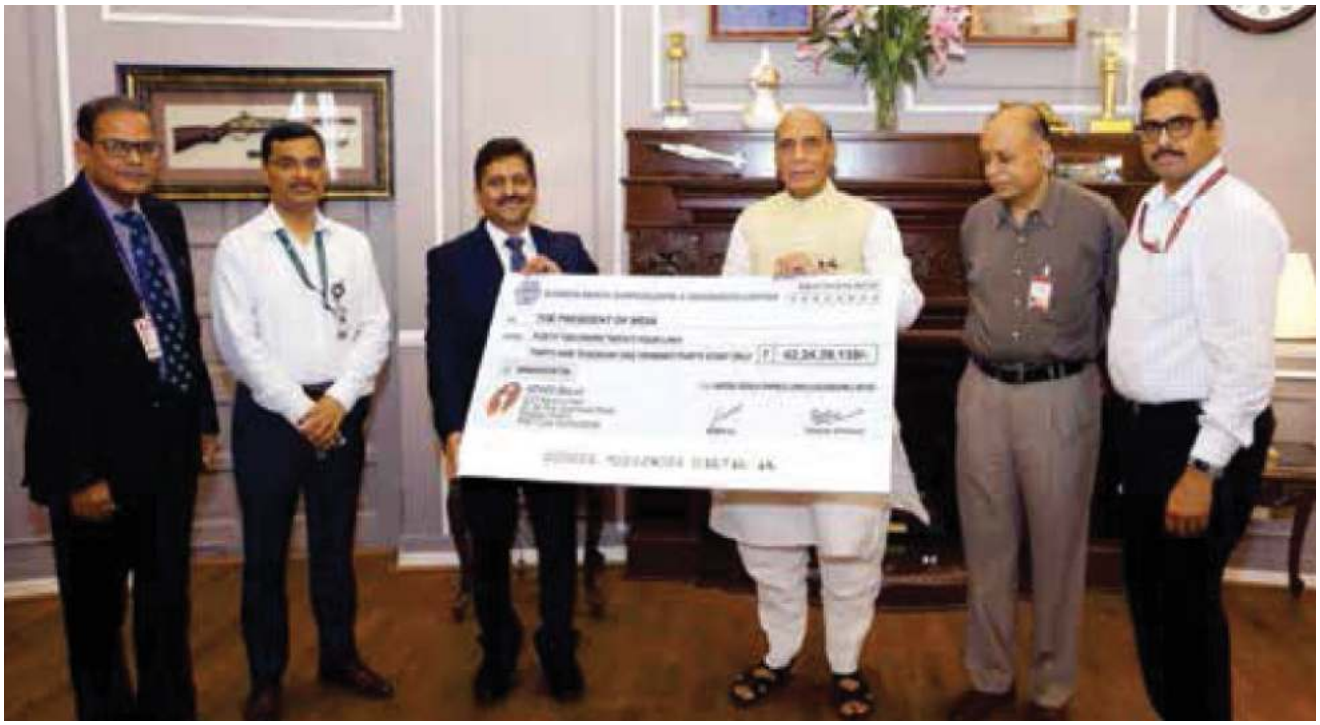

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को 2021-22 हेतु अंतरिम लाभांश का चेक प्रदत्त किया गया।

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय नौसेना का 17ए फ्रिगेट्स दूनागिरि का जलावतरण।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED

CIN L35111WB1934GOI007891
पंजीकृत कार्यालय: जीआरएसई भवन 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024
Registered Office: "GRSE Bhavan", 61, Garden Reach Road, Kolkata 700 024
Tel: 033-2469 8105-08
Fax: 033-2469 8150
E-mail: co.sec@grse.co.in
website: www.grse.in